त्रयोदश माला, खंड 1, अंक 5

मंगलवार, 26 अक्तूबर, 1999
4 कार्तिक, 1921 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

PARLIAMENT LIBRARY

पहला सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खण्ड 1 में अंक 1 से 8 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मंण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा० अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव

हरनाम सिंह
संयुक्त सचिव

प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक

केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

जे०एस० वत्स
सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 1, पहला सत्र, 1999/1921 (शक)]

अंक 5, मंगलवार, 26 अक्तूबर, 1999/4 कार्तिक, 1921 (शक)

विषय	कॉलम
सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण	1
लोक लेखा समिति	
दसवां और ग्यारहवां प्रतिवेदन	1
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	
तीसरा, चौथा, पांचवां और छठा प्रतिवेदन	1-2
आयकर (संशोधन) विधेयक	2
आयकर (संशोधन) अध्यादेश के बारे में विवरण	2
भारत की आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक	3
भारत की आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश के बारे में विवरण	3
संविधान (चौरासीवां संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 334 का संशोधन)	4
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक	154
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश के बारे में विवरण	154
बोफोर्स मामले में दायर आरोप पत्र के बारे में	6-30
नियम 377 के अधीन मामले	
(एक) ओलचिकी लिपि में संथाली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता	
श्री सालखन मुर्मू	30
(दो) सेन्ट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, बिहार के करगली वाशरी में स्थित क्रश कोल ट्रांसपोर्ट के माध्यम से कोयले की ढुलाई पुनः शुरू किए जाने की आवश्यकता	
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय	30-31
(तीन) मुम्बई रेलवे विकास निगम के शीघ्र सृजन के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
श्री किरीट सोमैया	31
(चार) मध्य प्रदेश के बैतूल-हरदा संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता	
श्री विजय कुमार खंडेलवाल	32
(पांच) राजस्थान के अकाल प्रभावित लोगों की समस्याओं के निराकरण हेतु राजस्थान सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
कर्नल (सेवानिवृत्त) सोनाराम चौधरी	32
(छह) नागपुर विमानपत्तन को अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन घोषित किए जाने की आवश्यकता	
श्री विलास मुत्तेमवार	32-33
(सात) मत्स्य पालन के लिए अलग मंत्रालय बनाए जाने की आवश्यकता	
श्री वी०एम० सुधीरन	33

विषय		कॉलम
(आठ)	पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी में भारतीय चाय व्यापार निगम के चाय-बागानों को फिर से शीघ्रातिशीघ्र खुलवाने को सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री एस०पी० लेपचा	33-34
(नौ)	आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार को हाल के भीषण सूखे से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता	
	प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलू	34
(दस)	उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में सफेदाबाद में रेलवे ऊपरी पुल का शीघ्र निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
	श्री रामसागर रावत	34
(ग्यारह)	मुंगेर, बिहार में रेल-सह-सड़क पुल के निर्माण संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
	श्री ब्रह्मानंद मण्डल	34-35
(बारह)	कारगिल और लेह के चहुंमुखी विकास की आवश्यकता	
	श्री हसन खान	36
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव		
	डा० विजय कुमार मल्होत्रा	37-46
	श्री वैको	47-55
	श्री शिवराज वी० पाटील .	56-65
मंत्री द्वारा वक्तव्य		
	युवा वैज्ञानिकों के लिए स्वर्ण जयन्ती फेलोशिप पुरस्कार	
	डा० मुरली मनोहर जोशी	112-113
नियम 193 के अधीन चर्चा		
	डीजल की कीमत में वृद्धि	
	श्री शंकर सिंह वाघेला	97
	श्री सोमनाथ चटर्जी	103
	श्री राजीव प्रताप रूडी . . .	107
	श्री राजेश पायलट	109
	श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति .	113
	कुंवर अखिलेश सिंह	115
	श्री नवल किशोर राय . . .	118
	कुमारी मायावती .	119
	श्री पी०एच० पांडियन	121
	डा० रघुवंश प्रसाद सिंह	123
	श्री प्रभुनाथ सिंह	125
	श्री वी०एम० सुधीरन	126

विषय	कॉलम

श्री सुरेश रामराव जाधव .	128
श्री बसुदेव आचार्य	129
डा० मदन प्रसाद जायसवाल .	131
श्री भान सिंह भौरा . . .	134
श्री अनंत गंगाराम गीते	136
श्री रनेन बर्मन	137
श्री एम०ओ०एच० फारूक	137
श्री लक्ष्मण सिंह .	139
श्री रामसागर रावत . .	142
श्री रघुनाथ झा	142
श्री सुबोध मोहिते	143
श्री तिलकधारी प्रसाद सिंह	144
श्री राम नाईक	144-153

लोक सभा

मंगलवार, 26 अक्तूबर, 1999/4 कार्तिक, 1921 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण — *जारी*

श्री मो० अनवर उल हक (शिवहर)

श्री ई० अहमद (मंजेरी)

श्री कामाख्या प्रसाद सिंह देव (ढेंकानाल)

पूर्वाह्न 11.04 बजे

लोक लेखा समिति

दसवां और ग्यारहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, लोक लेखा समिति (1998-99) के सभापति ने समिति के दसवें और ग्यारहवें प्रतिवेदन 26 अप्रैल, 1999 को बारहवीं लोक सभा के विघटन से पूर्व, अध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत किया था। अध्यक्ष महोदय ने लोक सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 280 के प्रावधानों के अन्तर्गत इन प्रतिवेदनों के मुद्रण, प्रकाशन या परिचालन का आदेश दिया था।

मैं, लोक सभा अध्यक्ष के निदेशों के निदेश संख्या 71क(6) के अनुसरण में समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) ''संघ उत्पाद कर—अनंतिम मूल्यांकन'' के संबंध में समिति के चौदहवें प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी दसवां प्रतिवेदन।

(2) ''चीनी के आयात पर परिहार्य अतिरिक्त व्यय'' के संबंध में समिति के पैंतालीसवें प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी ग्यारहवां प्रतिवेदन।

पूर्वाह्न 11.05 बजे

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

तीसरा, चौथा, पाँचवां और छठा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (1998-99) के सभापति ने 26 अप्रैल, 1999 को बारहवीं लोक सभा के विघटन के पूर्व अध्यक्ष महोदय को समिति का तीसरा, चौथा, पाँचवां और छठा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। लोक सभा की प्रक्रिया और कार्य-संचालन नियम के नियम 280 के प्रावधानों के अन्तर्गत अध्यक्ष महोदय ने इन प्रतिवेदनों के मुद्रण, प्रकाशन या परिचालन का आदेश दिया था।

मैं, अध्यक्ष के निदेशों के निदेश सख्या 71क(6) के अनुसरण में समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड—सिंगल बॉय मूरिंग प्रोजेक्ट की स्थापना—के संबंध में समिति के बारहवें प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी तीसरा प्रतिवेदन।

(2) सरकारी उपक्रमों में वरिष्ठ स्तर के पद—नियुक्ति तथा संबंधित मामले—के संबंध में चौथा प्रतिवेदन।

(3) पाइराइट्स फॉस्फेट्स एंड केमिकल्स लिमिटेड—देहरादून एकक के संबंध में पांचवां प्रतिवेदन।

(4) आई०टी०आई० लिमिटेड के संबंध में समिति के दसवें प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी छठा प्रतिवेदन।

पूर्वाह्न 11.06 बजे

आयकर (संशोधन) विधेयक*

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री यशवंन्त सिन्हा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि आयकर अधिनियम, 1961 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

''कि आयकर अधिनियम, 1961 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री यशवन्त सिन्हा : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित**करता हूँ।

(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.06½

आयकर (संशोधन) अध्यादेश के बारे में विवरण

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : महोदय, मैं आयकर (संशोधन) अध्यादेश, 1999 द्वारा तुरंत विधान बनाए जाने के कारण दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल०टी० 9/99]

(व्यवधान)

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-2, दिनांक 26.10.99 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

पूर्वाह्न 11.07 बजे

भारत की आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक*

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत की आकस्मिकता निधि अध्यादेश, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत की आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950, में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

(व्यवधान)

श्री यशवन्त सिन्हा : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.07½ बजे

भारत की आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश के बारे में विवरण

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : महोदय, मै भारत की आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, 1999 द्वारा तुरन्त विधान बनाए जाने के कारण दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 10/99]

[हिन्दी]

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, देश में डीजल की कीमतों में वृद्धि होने से आम जनता में त्राहि-त्राहि मची हुई है। सरकार इन बढ़ी हुई कीमतों को वापस नहीं ले रही है। हमने इस मामले पर एडजर्नमेंट मोशन का नोटिस दिया है। मेरा अनुरोध है कि सरकारी कार्य को रोक कर पहले इस मामले को लिया जाये। . . .*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठिए। आप इसकी माँग अब कैसे कर सकते हैं जब विधेयकों को पुर:स्थापित किया जा रहा है।

(व्यवधान)

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-2, दिनांक 26.10.99 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी): महोदय, क्या वे इसके महत्व को जानते हैं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री रघुवंश प्रसाद सिह, कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

[हिन्दी]

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, डीजल की कीमतों में वृद्धि को लेकर देशव्यापी हड़ताल हो रही है (व्यवधान) एडजर्नमेंट मोशन का नोटिस लिया जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, यह लोक महत्व का प्रश्न है। देश की जनता के साथ धोखाधड़ी की गई है। यह सरकार मनमानी कर रही है। यह सरकार किसान विरोधी कार्य करके मनमानी कर रही है। (व्यवधान) सरकार को डीजल की कीमतें घटानी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें। कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने नियम के तहत एडजर्नमेंट मौशन दिया है। देश के किसानों के साथ *(व्यवधान)* देश के गरीबों का क्या होगा, यह इस सदन को बताया जाये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब बहुत हो चुका। कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

मद संख्या 9 श्री राम जेठमलानी।

पूर्वाह्न 11.08 बजे

संविधान (चौरासीवां संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 334 का संशोधन)

[अनुवाद]

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी): "महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री राम जेठमलानी : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

(व्यवधान)

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-2, दिनांक 26.10.99 में प्रकाशित।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब यह सभा 'शून्यकाल' पर चर्चा करेगी।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, देश की जनता के साथ धोखाधड़ी हो रही है। देश के सर्वोच्च सदन में इस पर चर्चा होनी चाहिए *(व्यवधान)* यह जनता विरोधी और किसान विरोधी है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। आपको यह ध्यान रखना चाहिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, एडजर्नमेंट मोशन के लिए जिन चार बातों का होना जरूरी है, उनमें यह लोक महत्व का प्रश्न है, रीसेंट घटना हुई है। इसलिए हमने यह एडजर्नमेंट मोशन का नोटिस दिया है। हमारा नोटिस सारी शर्तें पूरी करता है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मुझे इस पर आपका नियम चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कल भी आपने ऐसा किया था। आप क्या रेज कर रहे हैं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप पहले बैठ जाएं।

(व्यवधान)

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : ट्रकर्स की राष्ट्रव्यापी हड़ताल चल रही है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : रघुवंश प्रसाद सिंह जी, आज हम डीजल प्राइस पर चर्चा कर रहे हैं। क्यों इतनी गड़बड़ करते हैं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हाउस को डिस्टर्ब न करें।

(व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधिया (गुना) : स्पीकर साहब ने कहा है कि आज इसको डिस्कस कर रहे हैं। *(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

पूर्वाह्न 11.12 बजे

बोफोर्स मामले में दायर आरोप पत्र के बारे में

[अनुवाद]

श्री माधवराव सिंधिया (गुना) : अध्यक्ष महोदय, यह चुनाव काफी लम्बा और श्रमसाध्य रहा है। कांग्रेस ने हमेशा की तरह पूर्ण विनम्रता से जनता का फैसला स्वीकार किया है चाहे वे हमें सत्ता में लाएं या विपक्ष में बैठाएं क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि सत्ता और विपक्ष दोनों ही एक लोकतांत्रिक सिक्के के दो पहलू हैं। हम इस संसद में उसी भावना के साथ आए हैं। परन्तु हम ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि सरकार इस सीमा तक गिर जाएगी जिसमें उसने दस वर्षों के लम्बे अंतराल के बाद संदिग्ध व्यक्तियों की खोज में बिना किसी सबूत के आधार पर बोफोर्स आरोप-पत्र में हमारे प्रिय दिवंगत नेता श्री राजीव गाँधी का नाम घसीटकर वातावरण विकृत कर दिया और इस प्रकार सरकार ने अपने इरादे जाहिर कर दिए। यह बहुत ही शर्म की बात है कि इस हैसियत के नेता का नाम, जिसका देहान्त हो गया है, जो अब अपना बचाव नहीं कर सकता और न ही न्यायालय में अपना केस लड़ सकता है, बोफोर्स आरोप पत्र में लाया जाए।

अध्यक्ष महोदय, यह हैरानी की बात है कि एक माननीय मंत्री ने कहा था कि श्री राजीव गाँधी का देहान्त हो चुका है और यह सच है कि बोफोर्स आरोप पत्र में उनके विरुद्ध कोई सबूत न हो परन्तु उनके नाम को इसलिए शामिल किया गया ताकि आरोप पत्र स्वीकार्य बन सके। मैं समझता हूँ कि सरकार की ओर से यह एक बहुत ही चौंकाने वाली और तीखी बात कही गई है। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते लेकिन इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यह कांग्रेस को बदनाम करने का एक प्रयास है; उनके अपने अव्यवस्थित काम से जो उन पर हावी है, ध्यान हटाने का प्रयास है तथा उनके घोटालों और एक ऐसा प्रयास है जिससें स्वर्गीय राजीव गाँधी को बदनाम किया जा सके जिन्होंने अपने जीवन में इस देश में लोकप्रियता की चरम सीमा को छू लिया था और अपने छोटे से जीवनकाल में विश्व भर में अपना वजूद और प्रभाव स्थापित कर लिया था। मैं समझता हूँ कि ऐसा करने से इस सभा की मर्यादा को भी आंच आती है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वे इस पवित्र सदन के नेता भी थे।

महोदय, हमारा मानना है कि कानून को अपना काम करने देना चाहिए लेकिन अध्यक्ष महोदय, सरकार को यह निर्धारित नहीं करना चाहिए कि कानून अपना काम किस तरह करे। हम इसमें एकदम सुस्पष्टता चाहते हैं। हम इस बात के तीव्र इच्छुक हैं कि बोफोर्स की जाँच अपने निष्कर्ष पर पहुंचे। हम चाहते हैं कि दोषी व्यक्तियों को सजा मिले; हम चाहते हैं कि दोषी व्यक्तियों पर मुकदमा चले; परन्तु हमें इस बात पर आपत्ति है कि निर्दोष व्यक्तियों को मरने के बाद उनका नाम आरोप पत्र में शामिल किया जाए।

इसलिए जहां हम इस बात पर जोर देते हैं कि बोफोर्स मामले में तर्कपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचें वहीं हम सरकार से यह अपेक्षा करते हैं कि वह अनुकूल रवैया अपनाएगी और बोफोर्स आरोप पत्र से स्वर्गीय राजीव गाँधी का नाम हटा लेगी हम यह भी आशा करते हैं कि सरकार हमारी भावनाओं को समझेगी और उक्त भावनाओं के अनुकूल कार्य

[श्री माधवराव सिंधिया]

करेगी। हम सरकार से एक समुचित उत्तर पाने की आशा कर रहे हैं। अन्यथा इस सत्र की शुरूआत एक मनहूस घड़ी बन कर रह जाएगी जिसका दायित्व पूरी तरह सत्ता पक्ष पर होगा।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : अध्यक्ष महोदय, यह सरकार और कांग्रेस के बीच का मामला नहीं है, यह पूरे सदन का मामला है। हम इस पर चुप नहीं रहेंगे, हम भी इस पर बोलेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, यह सदन का मामला है, इसकी चर्चा में हम भी बोलेंगे और यह हमारा भी मुद्दा रह चुका है, इस पर हम भी बोलेंगे।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह कोई चर्चा नहीं है। आपको यह पता होना चाहिए। विपक्ष के उपनेता ने कुछ कहा है। इसलिए मैंने उन्हें बोलने की अनुमती दी। यह कोई बहस नहीं है। आपको पता होना चाहिए। सरकार भी जवाब देना चाहती है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, हम भी बोलेंगे।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये।

श्री मुलायम सिंह यादव : हमें बोलने का मौका दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सरकार उत्तर दे रही है। आप इस बात को समझिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कोई चर्चा नहीं है। इस बात को समझिए। यह कोई बहस नहीं है। जब सरकार उत्तर दे रही है तो आप आपत्ति क्यों कर रहे हैं? मैंने सरकार से उत्तर देने के लिए कहा है। सरकार उत्तर देने वाली है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : आपने सरकार से उत्तर देने के लिए कहा है। सरकार उत्तर देने वाली है। परंतु आप सरकार को उत्तर नहीं देने दे रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री पी०एच० पाण्डियन (तिरूनेलवेली) : मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : श्री पी०एच० पाण्डियन जी आपका सुझाव क्या है?

श्री पी०एच० पाण्डियन : दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कोई मुकदमा शुरू करने का कोई प्रावधान नहीं है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप पहले ही मुद्दा उठा चुके हैं। सरकार उत्तर देने वाली है। इसकी कुछ प्रक्रिया होनी चाहिए।

श्री मणि शंकर अय्यर (मयिलादुतुराई) : हमें कोई आपत्ति नहीं है आपने मुझसे एक प्रश्न पूछा। कृपया आप मुझे अपनी बात स्पष्ट करने का मौका दें।

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : क्या आप बहस की अनुमति दे रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : नहीं। मैं बहस की अनुमति नहीं दे रहा हूँ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री मुलायम सिंह यादव, कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : हमें बोलने का मौका दिया जाए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी, पहले आप बैठ जाइए।

श्री मुलायम सिंह यादव : यह नहीं हो सकता, इसमें बहुत गहरा षड्यंत्र है, इसमें सत्ता पक्ष और कांग्रेस पार्टी की नूरा कुश्ती नहीं चलेगी, हम भी बोलेंगे। यह नूरा कुश्ती यहां चलने वाली नहीं है, यह मिला-जुला षड्यंत्र यहां नहीं चल पायेगा। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी, पहले आप बैठिए।

श्री मुलायम सिंह यादव : यह मिला-जुला सदन नहीं चल पाएगा। हम बोलेंगे। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : पहले आप बैठ जाइए।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री मुलायम सिंह यादव : यह नहीं हो सकता।

अध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी, आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

श्री पी०एच० पांडियन (तिरूनेलवेली) : महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। *(व्यवधान)* मैं एक निवेदन करने के लिए केवल दो मिनट का समय लूंगा।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

[हिन्दी]

श्री बेनी प्रसाद वर्मा (कैसरगंज) : अध्यक्ष महोदय, यह पूरे सदन का मामला है। खाली एक पार्टी का मामला नहीं है। हम लोगों ने इस मामले को उठाया है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी, आप बैठ जाइए। आपको बाद में बोलने का समय दिया जाएगा।

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज) : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट ऑफ आर्डर है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया समझिए शून्यकाल में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जाता है।

श्री मणि शंकर अय्यर : अध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि आप मेरी बात नहीं सुन सके। क्या अब आप मुझे अनुमति देंगे? *(व्यवधान)* आपने कहा कि आपने मेरी बात नहीं सुनी है आप मुझे मेरी बात कहने का अवसर क्यों नहीं देते हैं *(व्यवधान)* कृपया हमें अपनी बात कहने की अनुमति दीजिए। यदि आडवाणी जी उत्तर देना चाहते है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उन्हे अपनी बात कहने दीजिए। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वह जवाब दे रहे हैं।

श्री मणि शंकर अय्यर : ठीक है, मैं अपना अनुरोध बाद में कर लूंगा। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया समझिए, माननीय मन्त्री महोदय जवाब दे रहे हैं। मुलायम सिंह जी, आप बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, हम बिना बोले नहीं बैठेंगे। हमें बोलने दिया जाए। यदि आप हमें नहीं बोलने देंगे, तो हम नहीं बैठेंगे। भले ही आप हमें सदन से निकाल दें। यह क्या बात हुई कि आप हमें बोलने का समय नहीं देंगे?

अध्यक्ष महोदय : आपको चांस दिया जाएगा, लेकिन पहले आप बैठ जाइए।

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, हम नहीं बैठेंगे, भले ही हमें सदन से निकाल दें। हम बिना बोले नहीं बैठेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री मुलायम सिंह, कृपया समझिए, कि मन्त्री महोदय जवाब दे रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया समझिए, मन्त्री महोदय मुद्दे को समाप्त नहीं कर रहे हैं बल्कि जवाब दे रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, यह मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय : आप गृह मन्त्री जी के बाद बोल सकते हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, सरकार का जवाब तो तभी उचित आएगा, जब हमारी बात सुन ली जाएगी। बिना हमें सुने हम उन्हें नहीं सुन सकते। यह नहीं हो सकता।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आज हमारे पास अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य है। कृपया समझिए। कृपया अध्यक्षपीठ को सहयोग दीजिए।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, हम आपको पूरी तरह से कोआपरेट करने के लिए तैयार हैं।

अध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी, आप सीनियर मैम्बर हैं। आप इस तरह से बीच में कैसे बोल सकते हैं। माननीय मन्त्री महोदय जवाब दे रहे हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री मणि शंकर अय्यर : अध्यक्ष महोदय, मेरे नाम से सूचना थी जिसमें कहा गया था कि यह मामला शून्यकाल के दौरान उठाया जाएगा। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : नियम बनाने वाले और परम्पराएं बनाने वाले हम लोग हैं। हमें क्या पढ़ाएंगे।

[अनुवाद]

श्री मणि शंकर अय्यर : कृपया आप हमें आश्वस्त करें कि मुझे अपना अनुरोध करने का अवसर प्रदान करेंगे। आपने स्वयं कहा है कि मैंने जो बात कही है, आप उसे सुन नहीं पाए हैं। अब चूंकि सदन में कम शोर है मैं तो केवल यह कह रहा हूं कि कांग्रेस दल को इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाए। यदि हमारी ओर से अभी जवाब देने की अनुमति भी दी जाती तो *(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मन्त्री और जल संसाधन मन्त्री (श्री प्रमोद महाजन): क्या कोई चर्चा की जानी है? यदि वह इस विषय पर चर्चा चाहते हैं तो सरकार इसके लिए तैयार है।

श्री मणि शंकर अय्यर : मैं तो अनुरोध करने का अवसर प्रदान करने के लिए कह रहा हूँ *(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : यदि आप चर्चा चाहते हैं तो कृपया इसके लिए सूचना दीजिए। हम किसी भी चर्चा के लिए तैयार हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : आज सुबह शून्यकाल के दौरान मामला उठाने के लिए अपना अनुरोध करने के लिए हमने सूचना दी है और हमने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि हम दोनों अनुरोध करेंगे। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, हम खड़े हैं और आप यहां भाषण करा रहे हैं *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया समझिए आज हमारे पास अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य है।

श्री मणि शंकर अय्यर : हमारे लिए यह महत्वपूर्ण मुद्दा है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री रघुवंश प्रसाद सिंह, आपने स्थगन प्रस्ताव के लिए भी सूचना दी है। यह क्या है? अब आप सदन की कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री टी०एम० सेल्वागनपति (सेलम) **:** कृपया हमें इसमें भाग लेने की अनुमति दी जाए। हमने भी सूचना दी हुई है। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपका सबमिशन क्या है?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अगर ऐसा होगा तो यह हाउस कैसे चलेगा?

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, इतने महत्वपूर्ण सवाल पर क्या आप हमें बोलने का मौका नहीं देंगे? *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री पांडियन, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। अध्यक्षपीठ की अनुमति के बिना आप किस प्रकार बोल सकते हैं? कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। यह क्या है?

(व्यवधान)

श्री मणि शंकर अय्यर : महोदय, मुझे बोलने का अवसर दिया जाए। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री मणि शंकर अय्यर, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपको चांस मिलेगा लेकिन पहले आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : आप हमें भी बोलने का मौका दीजिए। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हम आपको मौका देंगे लेकिन पहले आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आडवाणी जी, आपकी प्रतिक्रिया क्या है?

[हिन्दी]

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : अध्यक्ष महोदय, सरकार को इस पर बहस कराने में कोई आपत्ति नहीं है। आपको निर्णय करना है कि बहस करानी है या नहीं। *(व्यवधान)* अगर इन्होंने सबमिशन रखना है तो सरकार को रिस्पांस करने का अवसर भी दें। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, पहले हमें अपनी बात कहने दें और उसके पश्चात् ही वे अपनी बात कहें *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री मणि शंकर अय्यर, आपको क्या कहना है?

श्री मणि शंकर अय्यर : धन्यवाद महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूँ

अध्यक्ष महोदय : आपको क्या कहना है?

श्री मणि शंकर अय्यर : मैं अपना भाषण शुरू करने वाला हूँ।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : कृपया यह संक्षिप्त होना चाहिए।

श्री मणि शंकर अय्यर : अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े भारी मन से खड़ा हुआ हूं क्योंकि मुझे अपनी दूसरी पारी शुरू करने की आशा थी ..

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा : अध्यक्ष महोदय, इस देश में दो कानून नहीं चलेंगे *(व्यवधान)* बड़े लोगों के लिए कोई कानून और दूसरे लोगों के लिए कोई और कानून नहीं होगा *(व्यवधान)* चोरी करने वाले का नाम तो आएगा *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपका निवेदन क्या है?

श्री मणि शंकर अय्यर : कृपया मुझे बोलने दें। यदि मेरे बोलने में लगातार व्यवधान पैदा किया गया तो मैं अपना निवेदन नहीं कर सकूंगा।

अध्यक्ष महोदय : विपक्ष के उपनेता ने पहले ही अपनी बात कह दी है। आप और क्या चाहते हैं?

श्री मणि शंकर अय्यर : मुझे एक निवेदन करना है और मैंने आपको भी बताया है।

अध्यक्ष महोदय : सरकार ने भी उत्तर दिया है कि इस विषय पर चर्चा कराने में उसे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री मणि शंकर अय्यर : मैं ऐसी सभा में अपना निवेदन करने के लिए आपकी अनुमति लेता हूं जो मेरी बात सुनें। महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय,

अध्यक्ष महोदय : आप गुणावगुण में न जाएं। कृपया इस तथ्य को समझें। उन्होंने पहले ही इसका उल्लेख कर दिया है।

श्री मणि शंकर अय्यर : यदि आप मुझे बोलने की अनुमति नहीं दे रहे हैं तो मैं इसका उल्लेख नहीं करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आप अपनी बात कह सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप भी अपनी बात कह सकते हैं।

श्री मणि शंकर अय्यर : मैं अपनी बात कह रहा हूं। मुझे शुरू करने ही नहीं दिया जा रहा है। मैं यह कह कर शुरू करता हूं। मुझे सिर्फ आपको संबोधित करने दिया जा रहा है। मुझे अपनी बात जारी रखनी नहीं दी जा रही है। मैं कैसे बोलूं? जब एक सदस्य ने अध्यक्ष को सम्यक सूचना दी है और यह समय ऐसे मामलों के लिए आवंटित माना जाता है तो कृपया उस सदस्य को यहां अपने विचारों की अभिव्यक्ति का अधिकार प्रदान कीजिए। यदि ये इसी तरह व्यवहार करते रहे तो आप मुझसे अपेक्षा कैसे कर सकते हैं कि मैं बोलूं?

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा : अध्यक्ष महोदय, आप किस रूल के मुताबिक इनको बोलने की परमीशन दे रहे हैं? *(व्यवधान)* हम इस सदन में नए मैम्बर हैं। *(व्यवधान)* आप हमें बताइए कि किस रूल के तहत यहां पर बहस हो रही है *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री मणि शंकर अय्यर कृपया इस बात को समझें कि मेरे पास ग्यारह नाम हैं। उन्होंने विभिन्न विषयों पर शून्यकाल के दौरान चर्चा के लिए सूचनाएं दी हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा : अध्यक्ष महोदय, क्या आपने इनको परमीशन दी है? *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री मणि शंकर अय्यर : अध्यक्ष महोदय, हमारे समक्ष यह आरोप-पत्र है जिसमें एक कथन और अभियुक्त के रूप में सूचीबद्ध लोगों के नाम हैं *(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, विपक्ष के उपनेता पहले ही इसी विषय पर बोल चुके हैं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री मणि शंकर अय्यर कृपया इस बात को समझें कि श्री सिंधिया इस विषय पर पहले ही बोल चुके हैं।

(व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधिया : जब हम शून्यकाल के लिए सूचनाएं देते हैं तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हम आवश्यक रूप से पार्टी की ओर से सूचनाएं दे रहे हैं। एक सदस्य के रूप में उन्हें उस बात को उठाने का पूरा अधिकार है जो वे उठाना चाहते हैं *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री सिंधिया आप इस विषय पर पहले ही बोल चुके हैं।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : यदि वे इस मुद्दे को पुनः उठाना चाहते हैं तो इसमें गलत क्या है? यदि आप हर समय व्यवधान डालेंगे तो कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता है *(व्यवधान)*

श्री मणि शंकर अय्यर : आप मुझे बोलने की अनुमति क्यों नहीं दे रहे हैं? आप मुझ से डर क्यों रहे हैं? आप मुझे निवेदन करने का अवसर क्यों नहीं दे रहे हैं? *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री मणि शंकर अय्यर, कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें न कि सदस्यों को।

(व्यवधान)

श्री मणि शंकर अय्यर : महोदय, मैं आपको संबोधित कर रहा हूं। मैं केवल यह कह रहा हूं कि क्या एक ऐसे विषय पर जिसका हमारे लिए अति महत्व है उस पर मुझे बिना व्यवधान के बोलने का अवसर नहीं दिया जा सकता है।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : सभा की कार्यवाही तभी जारी रहेगी जब आप उन्हें बोलने की अनुमति देंगे *(व्यवधान)*

श्री मणि शंकर अय्यर : महोदय, हमारे समक्ष एक आरोप पत्र है जिसमें एक कथन है और अभियुक्तों का एक सेट है तथा कथन में अभियोग के साथ संबंधों की पुष्टि के बिना उस सेट को कॉलम 2 में रखा गया है। कॉलम 2 में श्री राजीव गाँधी का नाम है। वे ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस सभा का नेतृत्व किया तथा जो विपक्ष के नेता रहे *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लाल मुनि चौबे (बक्सर) : ये क्या बात कर रहे हैं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री चौबे, बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया, आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री मणि शंकर अय्यर : हम सरकार से मांग करते हैं कि पूर्व प्रधानमन्त्री, इस सदन के पूर्व नेता विपक्ष के पूर्व नेता और इस देश के एक शहीद जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया, का नाम कॉलम-2 से हटाया जाए क्योंकि कोई ऐसा आधार स्थापित नहीं हुआ है जो कॉलम 2 में उनके नाम को शामिल करने को उचित या न्यायोचित ठहराता हो। यह सोच-विचार कर दुर्भावना के साथ किया गया है यह विद्वेषपूर्ण इरादों से किया गया है, यह राजनीतिक उद्देश्य से किया गया है और यह उस विशेष मामले में क्या हुआ उसका पता लगाने के लिए नहीं किया गया।

हम उस बात को दोहराते हैं जो श्री राजीव गाँधी ने दो बार इस सभा में कहा था। पहली बार 28 दिसम्बर, 1989 को उन्होंने कहा, "हम चाहते हैं कि आप उन लोगों का पता लगाएं जिन्होंने पैसा लिया है क्योंकि हम जानते हैं जब आपको उन लोगों का पता चलेगा तो इन वर्षों में लगाए गए सभी आरोप झूठे साबित होंगे।" आरोप पत्र के कथन में ऐसा कुछ नहीं है जो इस तथ्य से भिन्न की पुष्टि करता हो कि जो भी भुगतान किया गया है उसमें राजीव गाँधी किसी भी तरह से लाभार्थी नहीं हैं।

कोई भी ऐसा तथ्य नहीं है जिसकी पुष्टि की गई हो और जो उनके नाम को कालम 2 में शामिल करने को न्यायोचित ठहराता हो, उनके नाम को कॉलम 2 में शामिल करना और भी दुर्भावनापूर्ण है क्योंकि मामले विचारण के दौरान उन्हें अपने नाम को हटाने का अवसर नहीं दिया गया। हम कॉलम 2 से उनका नाम हटाने की मांग करते हैं क्योंकि जांच एजेंसी ने उनसे कभी पूछताछ नहीं की और ऐसा कोई ठोस या महत्वपूर्ण साक्ष्य नहीं जिसे कथन में दिया गया हो। इस बात की कोई संभावना नहीं है कि वे विचारण में अपने नाम को हटा रहे हैं। उन्हें बदनाम किया गया और उस प्रकार के राजनीति प्रेरित बदनामी सही नहीं मानेंगे। हम जोर देकर मांग करते हैं कि सरकार अभियुक्तों की सूची से श्री राजीव गाँधी का नाम हटाए। हम उत्तर की प्रतीक्षा के लिए तैयार हैं। हम जानना चाहते हैं कि क्या सरकार उनका नाम हटाएगी, यह हमारी मांग है और हम इस पर बल देते हैं।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, आपने बड़ी कृपा की कि हमें बोलने का मौका दे ही दिया।

अध्यक्ष महोदय : दे दिया न।

श्री मुलायम सिंह यादव : नियमावली का उपदेश देने वालों से मेरी एक ही प्रार्थना है कि कल प्रधान मन्त्री जी, नेता विरोधी दल से लेकर सारे दलों के नेता बैठे थे और आपके समक्ष यह तय हुआ था कि धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन पर बहस होगी और उसके बाद डीजल पर बहस होगी। लेकिन जब यह सवाल उठ गया है तो यह कहकर हमें इतनी देर से रोका जा रहा है कि आपने नोटिस नहीं दिया। लेकिन अपोजिशन लीडर और प्रधान मन्त्री जी और सारे नेताओं के बीच फैसला हुआ है। उसके बाद हमारे यहां के माननीय सदस्यों की भी इच्छा थी, लेकिन मैंने सब को रोका। इसलिए हमें कुछ लोग नियमावली यहां न पढ़ायें। एक तो निवेदन आपसे है कि हमने पहले दिन ही कहा था कि अगर संरक्षक हमें नहीं मिलेगा तो संरक्षण लेने के लिए हम कुछ भी करने के लिए सदन में तैयार होंगे, चाहे आप हमारी सदस्यता ले लें।

जहां तक बोफोर्स का सवाल है, बोफोर्स से हमारा सवाल जुड़ा हुआ है। हमने इसके लिए संघर्ष किया, जनता के बीच संघर्ष किया। आज जो रिपोर्ट आई है, सी०बी०आई० जैसी जांच करती है, उस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी लेकिन हमारी राय में ऐसा भी हुआ है कि बहुत से अपराधी या मुल्जिम या रिश्वत खाने वाले बचे हैं, इसलिए सारी पत्रावली के साथ, चूंकि देश की सुरक्षा का सवाल है, इसलिए पूरे विस्तार से, इस सत्र में नहीं, अलग से एक दिन का, दो दिन का सत्र बुलाकर इस पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। सारे देश की सुरक्षा से जुड़े हुए सवालों को लेकर हमारी निश्चित राय है, मत है कि कुछ लोग बच गये हैं। यह तभी सम्भव हो सकेगा, कितने गहरे इसके किस्से थे, बहुत सारे केस मामूली होते हैं। एक कानून के दायरे से बिना सबूत के भी कभी-कभी 302 का मुजरिम बच जाता है, लेकिन ऐसे भी लोग हैं, जिनकी चर्चा थी कितनी गहरी किसकी दोस्ती है और कौन कहां का रहने वाला है, क्या सम्बन्ध है, क्या किसकी सारी चीजें हैं, यह सारा का सारा, किसने यह रोके हुए हैं। हम चाहते हैं कि यह देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल है इसलिए इस पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। उस वक्त हम और विस्तार से अपनी बात रखना चाहेंगे, क्योंकि हमने इसके लिए एक साल नहीं, 1987 से लेकर 1989 तक संघर्ष किया है।

लेकिन कितना कौन लोकप्रिय था, इस पर हम बहस नहीं करना चाहते और जब कोई एक हमारे बीच नहीं है, हमारे भी उनके साथ रिश्ते अच्छे थे, लेकिन लोकप्रियता का कोई सवाल नहीं है। सवाल है, बेईमानी का, भ्रष्टाचार का और सुरक्षा का, इसलिए हम इसमें चाहते हैं कि इस पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये, प्लीज।

श्री मुलायम सिंह यादव : ये जवाब दें। आप रोकिये इनको। मैं नहीं बोला हूं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी०एच० पांडियन : कृपया मुझे अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति दें *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जो श्री मुलायम सिंह यादव कहेंगे उसके सिवाय कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री सोमनाथ चटर्जी, कृपया

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : नहीं-नहीं, अभी हमारी पूरी बात होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आपकी बात हो गई?

[अनुवाद]

श्री चटर्जी, क्या आप बैठने का कष्ट करेंगे? श्री मुलायम सिंह यादव ने अपना भाषण समाप्त नहीं किया है।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : मुझे बीच में रोक दिया।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आप समाप्त करिए न।

श्री मुलायम सिंह यादव : मैं समाप्त ही कर रहा हूं। मैं जो कहना चाहता था, इन्होंने भुला दिया। हम आपसे अपील करते हैं कि यह रक्षा सम्बन्धी, सुरक्षा सम्बन्धी सवाल है, अगर इसे चार्जशीट के नाम पर या अदालत के नाम पर यहीं बातचीत करके छोड़ देंगे तो उचित नहीं होगा। इस सदन को पूरा अधिकार है कि जो लोग बच गए हैं, उनको भी शामिल किया जाए। इसलिए हम चाहते हैं कि इस पर चर्चा हो। दूसरी बात यह है कि सत्र में इतना समय नहीं है इसलिए इस मामले के लिए कम से कम दो दिन का विशेष सत्र बुलाया जाए और विस्तार से चर्चा हो। अभी जो युद्ध समाप्त हुआ है, ये लोग कहते हैं कि घुसपैठिए थे, हम कहना चाहते हैं कि वे घुसपैठिए नहीं थे, सीधे-सीधे पाकिस्तान का हम पर हमला था। इसलिए मैं इस बात की अपील करता हूं कि बोफोर्स का इश्यू हमारे लिए एक इमोशनल सवाल है। इसको लेकर हम लोगों पर लाठीचार्ज हुआ है, हम जेलों में बंद हुए हैं, हमने बड़ा संघर्ष किया है। केवल कांग्रेस पार्टी और सरकार पूरा कुश्ती लड़कर हमें छोड़ दे, यह नहीं हो सकता। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस सवाल पर विशेष सत्र बुलाकर विस्तार से चर्चा की जाए।

[अनुवाद]

श्री पी०एच० पांडियन : महोदय, कृपया मुझे बोलने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने सोमनाथ बाबू का नाम पुकारा है।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा : हम लोगों को भी सुनिए।

अध्यक्ष महोदय : जरूर सुनेंगे।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक हमारा संबंध है, हम इस बारे में पूर्णत: स्पष्ट हैं कि कानून को अपना काम करना चाहिए। यह एक ऐसा मामला है जिस पर देश में काफी आक्रोश है। वास्तव में, हमने तो इस मामले पर सभा से इस्तीफा तक दे दिया था। अत: हम इस मामले की महत्ता को कम नहीं कर रहे हैं। आज हमने जिस बात पर गौर किया है, वह यह है कि जिन तथ्यों एवं दस्तावेजों को शामिल कर वर्तमान आरोप-पत्र तैयार किया गया है वे कुछ समय से सरकार के पास थे। सरकार के समक्ष कोई नई बात नहीं आई है। वास्तव में, पूर्व सरकार ने अन्तिम दस्तावेज उपलब्ध होने तक आगे कार्यवाही न करने का निणर्य लिया था जो कि अभी तक स्विटजरलैन्ड के अधिकारियों के पास ही हैं क्योंकि इस मामले में अनेक अन्य लोगों के शामिल होने की आशंका थी जिनमें से कुछ नाम ऐसे जाने-पहचाने हैं जिनके इस मामले में संलिप्त होने की सम्भावना है। इस मामले में उनका हाथ होने, उनकी सहभागिता होने और अन्य जो कुछ भी घटित हुआ उस सब का दस्तावेज से खुलासा होने की सम्भावना थी। अत: जब यह तथ्य एवं दस्तावेज पिछली सरकार के पास भी उपलब्ध थे तो वर्तमान सरकार जो उस समय विपक्ष में थी, इन्होंने विपक्ष में होते हुए भी आरोप-पत्र को खण्डश: दायर करने के लिए जोर नहीं दिया था। इस बात का सुझाव कभी नहीं दिया गया। अत: जब वे दस्तावेज नहीं आए, तो अचानक ही सरकार ने इस मामले में आरोप-पत्र दायर करने का निर्णय कैसे ले लिया जो कि अभी अपने आप में अपूर्ण आरोप-पत्र है।

हम जो समझते हैं वह यह है कि क्या सरकार का इरादा किसी व्यक्ति को किसी ऊंची हैसियत वाले व्यक्ति को बचाने का तो नहीं है जिसने कि सत्ता पक्ष से अथवा सत्ता गठबन्धन से समझौता कर लिया हो वह बहुत शक्तिशाली लोग हैं, उनके संबंध शक्तिशाली लोगों से हैं, वे बहुत समृद्ध व्यक्ति हैं। अत: मैं समझता हूं सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए कि आरोप-पत्र को खंडों में विभाजित क्यों किया गया, चुनाव परिणाम आते ही, सरकार का गठन होते ही, बिना किन्ही नए दस्तावेजों के आए उन्होंने एकाएक यह आरोप-पत्र प्रस्तुत क्यों कर दिया।

मैं किसी का भी पक्ष नहीं ले रहा हूं जिसे उस आरोप-पत्र में आरोपी करार दिया गया है। मेरे दल का इससे कोई संबंध नहीं है। जैसा कि मैंने कहा है, हम इस बात पर जोर दे रहे हैं कि कानून को अपना काम पूरा करना चाहिए। अब मामला न्यायालय के समक्ष है क्या न्यायालय इसका संज्ञान करता है *(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

आपको मुझे समर्थन देने की आवश्यकता नहीं है। आप पहले ही अन्य लोगों के बोलने में व्यवधान डाल रहे हैं। मैं पहले ही दिन से यह देख रहा हूं कृपया हमें तो बख्शिए। मैं आपको नहीं जानता।

अत: किसी "क" व्यक्ति को बदनाम करते समय अथवा किसी "क" व्यक्ति को सहारा देने की कोशिश करते समय किसी को बचाने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए ऐसा कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए जिससे न्याय की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो और जिससे किसी राजनीतिक पुरानी शत्रुता का असर दिखाई दे।

हमारी स्थिति यह है। अत: हम यह कहते हैं कि न्यायपालिका को इस मामले पर कानूनी तरीके से निर्णय लेना चाहिए और सरकार को यह वचन देना चाहिए कि बिना किसी राजनीतिक दुश्मनी के वह वास्तविक स्थिति का पता लगाने की कोशिश करेंगे। चूंकि मामला उठाया गया है, इसलिए इसे किसी राजनीतिक अपील पर छोड़ देने की बजाए जो कि कहीं लम्बित हो, उन्हें आज सभा को बताना चाहिए कि आरोप-पत्र का अगला भाग कब आ रहा है। उस स्थिति में, वह पाँच से दस दिन तक इन्तजार क्यों नहीं कर सकते? वह इन्तजार क्यों नहीं कर सकते? अन्यथा आरोप-पत्र अपने आप में परिपूर्ण होता। यही कारण है कि कुछ लोगों के दिमाग में यह शंका है कि इसके कुछ अन्य कारण हो सकते हैं। यह सरकार का दायित्व है कि वह इस मामले में लोगों की शंकाओं को गलत साबित करें *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह चर्चा नहीं हो रही है। कृपया समझिए। सरकार इसका उत्तर देने जा रही है।

(व्यवधान)

श्री पी०एच० पांडियन : महोदय, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत किसी शव अथवा किसी मृत व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा चलाने का कोई प्रावधान नहीं है। धारा 173 के उपबन्ध के अंतर्गत ऐसा नहीं हो सकता है। इसके अतिरिक्त, दो मंत्रियों ने सभा के बाहर भी एक वक्तव्य दिया है। गृह मंत्री जी ने कहा कि वह पिछले दो महीनों से आरोप पत्र को रोके हुए थे। अब उन्होंने केन्द्रीय जाँच ब्यूरो को न्यायालय के समक्ष आरोप-पत्र दायर करने की अनुमति दे दी है। कानून के किस प्रावधान के अंतर्गत गृह मंत्री अथवा प्रधान मंत्री को दो महीने तक आरोप-पत्र को रोके रखने का अधिकार है? वर्ष 1998 में, जैन हवाला मामले के अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा है कि कोई भी मंत्री किसी भी तरह की जाँच में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है और कोई भी मंत्री केन्द्रीय जाँच ब्यूरो पर नियंत्रण नहीं रख सकता है। वह लम्बित है और उसे कार्यान्वित किया जाना है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। सभा को कानूनी स्थिति से अवगत कराना चाहिए।

पूर्व प्रधानमंत्री, श्री राजीव गाँधी का देहान्त हो चुका है। यह याचिका प्रक्रिया नहीं है; यह सिविल प्रक्रिया नहीं है। यह दंड प्रक्रिया है। यदि उन पर एक आरोपी के रूप में आरोप लगाया जाएगा तो इस रूप में वे आरक्षित रहेंगे। उन्हें बचाने वाला कोई नहीं है। आपका वकील अन्य आरोपी व्यक्तियों का मुकदमा चलाएगा लेकिन यदि वे इस आरोप को पूर्व प्रधानमंत्री पर डाल देंगे तो उन्हें कौन बचाएगा? अत: कानून के आदेश के अन्तर्गत पूर्व प्रधानमंत्री का नाम, जो कि विपक्ष के नेता थे, हटाया जाना आवश्यक है। यह दंड विधि के नियमों की कसौटी के विरुद्ध है *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री ए०सी० जोस (त्रिचूर) : महोदय, उन्होंने सूचना नहीं दी है *(व्यवधान)*

श्री पी०एच० पांडियन : मैं वापस क्यों लूँ? *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुझे सदस्यों द्वारा दिए गए नोटिस प्राप्त हुए हैं।

(व्यवधान)

श्री के० येरननायडु (श्रीकाकुलम) : इस मुद्दे पर टी०डी०पी० के सदस्यों ने लोक-सभा से इस्तीफा दे दिया था *(व्यवधान)*

श्री पी०एच० पांडियन : ये वे दस्तावेज हैं जिनको सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। 1990 में इस मुकदमें के एक गवाह श्री राम थे। वह मद्रास उच्च न्यायालय में पेश हुए और अग्रिम तलाशी वारंट के स्थगन आदेश प्राप्त कर लिए। उन्हें पहले दिल्ली उच्च न्यायालय से अग्रिम तलाशी के स्थगन आदेश प्राप्त हुए और फिर उन्हें मद्रास उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश मिले। मैं न्यायालय में पेश हुआ और मैंने इसमें हस्तक्षेप किया लेकिन यह मामला अभी तक पिछले दस वर्षों से लम्बित है। स्थगन आदेश को अभी भी खारिज नहीं किया गया है। अत:, उन्हें कानूनी गवाह के रूप में प्रस्तुत किया गया है। किसी व्यक्ति के मरने के बाद एक शव के विरुद्ध मुकदमा दायर करने के पश्चात् इस मुकदमें का राजनीतिक पक्ष पूरे विश्व में दंड विधि के सभी कानूनों के विरुद्ध है। लैटिन मैक्सिम कहते हैं 'कार्यवाही का व्यक्तिगत अधिकार व्यक्ति की मृत्यु के साथ समाप्त हो जाता है।' दंडनीय कार्यवाही मृत व्यक्ति के साथ समाप्त हो जाती है। सिविल कार्यवाही चलती रह सकती है। चूंकि उनका देहान्त हो चुका है, उनका नाम आरोपियों की सूची से हटा देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री पी०एच० पांडियन : महोदय , मैं यहाँ अपने तथ्य प्रस्तुत करने आया हूँ। अन्यथा मैं इस सभा में दाखिल नहीं होता। मैं अपना व्यवसाय छोड़कर यहाँ आया हूँ।

मैं यहाँ देश के लिए अपना कुछ योगदान करने आया हूं। मै अपना व्यवसाय छोड़कर इस सभा में आया हूँ और मैं यहाँ मौजूद हूँ *(व्यवधान)* दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के अंतर्गत एक मृत व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने का कोई प्रावधान नहीं है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तान्त में कुछ भी नहीं लिया जाएगा। केवल श्री येरननायडु का भाषण ही कार्यवाही-वृत्तान्त में शामिल किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : उन्हें समाप्त करने दीजिए। यह क्या है? श्री पांडियन, आप कितना समय लेंगे? कृपया समाप्त कीजिए।

श्री पी०एच० पांडियन : मैं समाप्त कर रहा हूँ।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : अन्य सदस्यों को भी बोलना है। कृपया इस बात को समझिए। केवल आप ही बोलने वाले सदस्य नहीं हैं। सह क्या हैं?

श्री पी०एच० पांडियन : मैं समाप्त कर रहा हूं। अब सभा में केवल एक सदस्य को ही बोलना है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया समझिए कि इस सभा में 543 सदस्य हैं। केवल आप ही बोलने वाले सदस्य नहीं हैं।

श्री पी०एच० पांडियन : मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा *(व्यवधान)* वे व्यवधान पैदा कर रहे हैं। वे मेरे विचारों में गतिरोध पैदा कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब अपना भाषण समाप्त करें।

श्री पी०एच० पांडियन : दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के अंतर्गत अंतिम आरोप-पत्र दाखिल किया गया है। इस धारा में अनेक खंड हैं किन्तु कोई ऐसा खंड नहीं है जिसमें मृत व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रावधान हो। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री पांडियन आप पहले ही इन बातों का उल्लेख कर चुके हैं। यह क्या है? आप उन बातों को दोहरा रहे हैं। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री पी०एच० पांडियन : ठीक है, श्रीमान।

श्री के० येराननायडू : अध्यक्ष महोदय, तेलुगूदेशम पार्टी शुरू से ही भ्रष्टाचार का विरोध कर रही है। नौवीं लोक सभा में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर तेलुगूदेशम पार्टी के सदस्यों ने त्यागपत्र दिया था। कानून अपनी प्रकिया पूरी करेगा। बारह वर्ष बाद केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने इस मामले के प्रत्येक पहलू की जांच की और न्यायालय में आरोप-पत्र दाखिल किया। अब मामला न्यायालय में है, इस मामले के गुणागुण का निर्णय न्यायालय करेगा। यह दलील सुनने वाला न्यायालय नहीं है। तथापि, विपक्ष के उपनेता ने इस मुद्दे को उठाया है। सरकार इस विषय पर सभा में चर्चा कराने के लिए सहमत है। इसलिए हम उसे स्वीकार करते हैं। यदि सरकार इस बारे में निर्णय करती है और जब भी इस विषय को चर्चा के लिए उठाया जाएगा हम इस सदन में उस चर्चा में भाग लेंगे।

अध्यक्ष महोदय : अब श्री अरुण जेटली उत्तर देंगे।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): अध्यक्ष महोदय, *(व्यवधान)*

श्री ए०सी० जोस : अध्यक्ष महोदय, क्या वे गृह मंत्री हैं? *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सरकार उत्तर दे रही है। कृपया, बैठ जाइए। यह क्या है?

(व्यवधान)

श्री ए०सी० जोस : हम एक महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा कर रहे हैं। अत: इस चर्चा का उत्तर गृह मंत्री को देना चाहिए *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप सरकार को उत्तर देने से रोक नहीं सकते हैं। यह क्या है? कृपया बैठ जाइए। सरकार इसका उत्तर दे रही है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, औचित्य की मांग है कि गृह मंत्री इस चर्चा का उत्तर दें *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आप से अपील कर रहा हूं कि बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, केन्द्रीय जांच ब्यूरो गृह मंत्री के अधीन नहीं है। पहले उन्हें मंत्रालयों की स्थिति का अध्ययन करना चाहिए। केन्द्रीय जांच ब्यूरो प्रधानमंत्री के अधीन है। प्रधानमंत्री ने श्री अरुण जेटली को निर्देश दिया है कि वे सरकार की ओर से उत्तर दें। इसलिए वे इस बात के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं कि उत्तर गृह मंत्री दें *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : बहुत हो गया।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद महाजन : इस मुद्दे पर वे सरकार को बाध्य नहीं कर सकते हैं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आप से अनुरोध कर रहा हूं कि बैठ जाइए। मैंने किसी को बोलने की अनुमति नहीं दी है।

*(व्यवधान)**

श्री प्रमोद महाजन : श्री मुंशी, इसका गृह मंत्रालय से कोई लेना-देना नहीं है *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री पी०एच० पांडियन : अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में वे 1997-98 में इस मामले में उपस्थित हुए थे *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, बैठ जाइए। बहुत हो गया।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया, बैठ जाइए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए उठ रहा हूं क्योंकि श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने एक मुद्दा उठाया है *(व्यवधान)*

श्री बूटा सिंह (जालौर) : अध्यक्ष महोदय, वे एक अभियोजक के रूप में न्यायालय में उपस्थित हुए थे अत: उन्हें यहां वक्तव्य देने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : श्री बूटा सिंह, कृपया बैठ जाइए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदय, मैं इसलिए उठा हूँ क्योंकि श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने मुद्दा उठाया है। सामान्यतया कोई भी मंत्री सरकार की ओर से उत्तर दे सकता है किंतु इस मामले में शायद श्री दासमुंशी को यह जानकारी नहीं है कि यह विशेष विभाग केन्द्रीय जांच ब्यूरो प्रधानमंत्री के पास है न कि गृह मंत्री के पास। इसलिए प्रधानमंत्री ने श्री अरुण जेटली को इस मुद्दे का उत्तर देने का निर्देश दिया है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है और मैं इस मुद्दे का उत्तर दे सकता हूँ। चूँकि प्रधानमंत्री ने श्री अरुण जेटली को उस मुद्दे पर उत्तर देने का निर्देश दिया है और चूंकि यह इस सभा में उनका प्रथम भाषण में कभी भी व्यवधान नहीं डाला जाता है *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री दासमुंशी, अपनी पार्टी के सदस्यों को बैठने के लिए कहें।

श्री माधवराव सिंधिया (गुना) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात पर बल देना चाहता हूँ कि मैं भी कई सालों से संसद सदस्य हूँ। यह औचित्य का मामला है। हम ऐसे मामले पर चर्चा कर रहे हैं जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री संलिप्त हैं। इस विशेष विभाग का कार्य स्वयं वर्तमान प्रधानमंत्री देख रहे हैं। अतः यह समुचित होगा तथा सभा के नियमानुसार और सरकार विपक्ष के प्रति कम से कम इतना शिष्टाचार दिखा सकती हैं कि प्रधानमंत्री उत्तर दें। हम इस बात पर बल नहीं दे रहे हैं कि वे तत्काल उत्तर दें किंतु उचित समय पर जब भी वे चाहें, प्रधानमंत्री इसका उत्तर दें। हम सरकार को कम से कम इतना शिष्टाचार दिखाने की बात कर रहे हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदय, यह नियमित वाद-विवाद नहीं है। इस मामले को शून्यकाल के दौरान उठाया गया है और आपकी अनुमति से मुख्य विपक्षी दल व अन्य विपक्षी दलों द्वारा अपनी बातें रखी गई।

मध्याह्न 12.00 बजे

उचित यही है कि सरकार भी आज ही उत्तर दे। यदि इस मामले पर पूरा वाद-विवाद होता तो यह बात समझ में आती है कि प्रधानमंत्री को उत्तर देने के लिए कहा जाए। किंतु यह मामला शून्यकाल में उठाया गया है *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं, कृपया उन्हें अपनी बात पूरी करने दें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है? कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया, पहले बैठ जाइए। यह क्या है?

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री ए०सी० जोस : एक कनिष्ठ मंत्री उत्तर कैसे दे सकता है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, कृपया बैठ जाइए, कनिष्ठ या वरिष्ठ मंत्री का प्रश्न ही नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री जोस, यह क्या है? उन्हें अपनी बात पूरी करने दें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मुझे बताया गया है कि नियम 193 के अधीन वाद-विवाद के लिए एक सूचना दी गई है। यदि संपूर्ण बोफोर्स मुद्दे और आरोप-पत्र पर चर्चा की जाए तो हमें और सरकार को प्रसन्नता होगी *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उन्हें अपनी बात पूरी करने दो। यह क्या है? आप इस बात पर आपत्ति क्यों कर रहे हैं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया, अब बैठ जाइए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : जब वह वाद-विवाद होगा तो स्वाभाविक है कि सभा यह अपेक्षा करेगी कि वाद-विवाद का उत्तर केन्द्रीय जांच ब्यूरो का प्रभारी कैबिनेट मंत्री दे।

श्री ए०सी० जोस : हम चाहते हैं कि आरोप-पत्र में से श्री राजीव गाँधी का नाम हटाया जाए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : इस विशेष मामले में प्रधानमंत्री ने श्री अरुण जेटली को विशेष रूप से कहा है कि वे इसका उत्तर दें। मेरा आपसे आग्रह है कि वाद-विवाद पर सरकार का उत्तर सुना जाए *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री अरुण जेटली

(व्यवधान)

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जो श्री अरुण जेटली कहेंगे उसके सिवाय कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री अरुण जेटली : महोदय, विपक्ष के उपनेता ने दो महत्वपूर्ण बातें उठाई हैं। उनकी पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें आरोप-पत्र के कॉलम 2 में एक विशेष व्यक्ति का नाम जोड़े जाने पर गंभीर आपत्ति है।

अपनी दूसरी बात में वे कहते हैं कि सरकार को उनका नाम हटाने के लिए कदम उठाने चाहिए *(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

विपक्ष के उपनेता ने कहा कि वे चाहते हैं कि कानून अपनी प्रक्रिया पूरी करे। अन्य सदस्यों विशेष रूप से श्री सोमनाथ चटर्जी ने भी कहा कि कानून को अपनी प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने नौ वर्ष की जांच के बाद प्राथमिकी दर्ज की। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने जांच की। जांच के बाद केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने एक अन्तरिम आरोप-पत्र दाखिल किया। *(व्यवधान)* विपक्ष के उपनेता इस बात पर बल दे रहे थे कि कानून को अपनी प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस बात को ध्यान में रखें कि आपने सरकार को उत्तर देने के लिए कहा है। जब सरकार उत्तर दे रही है तो आप इस पर आपत्ति कर रहे हैं। यह क्या है?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह अच्छा नहीं है। आपने सरकार को उत्तर देने के लिए कहा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने सरकार को उत्तर देने के लिए क्यों कहा?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अरुण जेटली : मणि शंकर अय्यर जी कह रहे थे कि जब वह बोलते हैं तो हमें एतराज नहीं होना चाहिए। अपनी रुकावट पर एतराज था तो मैं जो चार बातें कहना चाहता हूं, उस पर एतराज किस बात का है? *(व्यवधान)* अध्यक्ष जी, विपक्ष के उपनेता ने कहा कि कानून को अपनी प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। कानून बड़ा स्पष्ट है। सरकार को यह अधिकार नहीं है कि जो एक्यूज्ड हैं, उनकी सूची में किसी का नाम जोड़े और किसी का नाम निकाले। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

जब विपक्ष के उपनेता कहते हैं कि कानून को अपनी प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए तो कानून बड़ा स्पष्ट है *(व्यवधान)* अभियुक्तों के नाम के बारे में निर्णय वर्तमान सरकार को नहीं करना है।

यह कार्य जांच एजेंसी का है *(व्यवधान)* कानून इस बारे में भी बड़ा है कि जब न्यायालय में आरोप-पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो कोई भी व्यक्ति किसी भी अभियुक्त के नाम को हटाने या जोड़ने के उद्देश्य से न्यायालय में जा सकता है। अब यह मामला न्यायालय के पर्यवेक्षण में है इस संबंध में व्यथित व्यक्ति के लिए समुचित मंच न्यायालय है। वर्तमान सरकार इस पर कोई कार्यवाही करने के लिए सक्षम नहीं है *(व्यवधान)*

दूसरा, श्री पांडियन ने एक आपत्ति उठाई है कि एक मृत व्यक्ति का नाम कॉलम 2 में क्यों है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है *(व्यवधान)* किसी मृत अभियुक्त का नाम सदैव कॉलम 2 में रखा जाता है। श्रीमती इंदिरा गाँधी की हत्या के मामले में बेअन्त सिंह एक अभियुक्त था जो कि मौके पर ही मारा गया था, किन्तु उसका नाम कॉलम 2 में था। श्री राजीव गाँधी की हत्या के मामले में श्रीमती धनु जिसने वास्तव में राजीव जी की हत्या की थी, मौके पर ही मारी गई किंतु वह अभियुक्त थी और उसका नाम कॉलम 2 में था। ऐसा कोई नियम कानून नहीं है कि कांग्रेस पार्टी या कोई अन्य जांच एजेंसी को इस मामले में किन्ही नामों को हटाने का निर्देश दें। पूर्वोदाहरण से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि मृत अभियुक्त का नाम सदैव कॉलम 2 में रखा जाता है। ऐसा पहली बार नहीं किया गया है *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, हम इससे संतुष्ट नहीं हैं। विरोधस्वरूप हम सभा भवन से बाहर जा रहे हैं *(व्यवधान)*

अपराह्न 12.07 बजे

इस समय श्री प्रियरंजन दासमुंशी और कुछ माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए

श्री अरुण जेटली : अध्यक्ष महोदय, जो विभिन्न प्रश्न उठाए गए हैं *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री पांडियन मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है। कृपया बैठ जाइए।

श्री पी०एच० पांडियन : लोगों ने यहाँ मुझे बोलने के लिए भेजा है *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष महोदय, सारा हाउस शान्ति से सुनना चाहता है, देश सुनना चाहता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि मंत्री जी का स्टेटमेंट शान्ति से पूरा होने दें।

[अनुवाद]

श्री अरुण जेटली : अध्यक्ष महोदय, मुझे उस आपत्ति का स्पष्टीकरण करने दें जो यहां उठाई गई है *(व्यवधान)*

श्री पी०एच० पांडियन : महोदय, सभा भवन से बाहर जाने से पूर्व मैं एक वक्तव्य देना चाहता हूँ *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नही दे रहा हूँ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री पांडियन, बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री पी०एच० पांडियन : हम सभा भवन से बाहर जा रहे हैं *(व्यवधान)*

अपराह्न 12.09 बजे

इस समय, श्री पी०एच० पांडियन और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखें ।

श्री अरुण जेटली : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पिछले पदाधिकार के संबंध में आपत्ति उठाई गई थी जिसमें मैं इस मामले की आरम्भिक जांच से जुड़ा रहा हूं। मैं उक्त सीमा से पूर्णत: अवगत हूं। इसलिए मैं किसी भी ऐसे तथ्य का उल्लेख नहीं करूँगा जो कि उस पद पर रहते हुए मेरी जानकारी में आया हो। मैं केवल उन कुछ आपत्तियों का जवाब दे रहा हूँ जो कि विपक्ष के उपनेता ने उठाई हैं। उनकी बात सही है कि कानून को अपना काम करना चाहिए और इस देश में कानून बिल्कुल स्पष्ट है।

वर्तमान सरकार, चाहे वह केन्द्र में हो अथवा राज्य में, को इस बात का निर्णय नहीं लेना है कि इस मामले में अथवा अन्यथा आरोपी कौन होना चाहिए। यह निर्णय जांच एजेंसी, जांच अधिकारी लेंगे और केवल वही जाँच अधिकारी जिसे यह निर्णय लेने का अधिकार दिया गया हो।

हमारे न्यायालयों ने बहुत स्पष्ट निर्णय दिया है कि किसी भी सरकार, किसी भी मंत्री को आरोपी का नाम जोड़ने अथवा हटाने का अधिकार नहीं है।

जब श्री सिन्धिया ने यह आपत्ति उठाई कि कानून को अपना काम करना चाहिए तो उन्हें यह जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि स्पष्ट रूप से कानून यह है कि जाँच अधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि कॉलम 1 में आरोपी के रूप में किस श्रेणी के व्यक्ति हैं और कॉलम 2 में किन व्यक्तियों के नाम हैं और जाँच अधिकारी की यह जाँच अन्तिम होगी। यदि किसी के साथ अन्याय होता है तो इसका उपाय यह है कि वह न्यायालय जाता है; वह इसे न्यायालय में चुनौती देता है; वह न्यायालय में जाकर उपयुक्त कानूनी कार्यवाही करता है। वह एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन होगा जबकि एक राजनीतिक चर्चा के आधार पर केन्द्र तथा राज्य सरकारें आरोपी व्यक्तियों का नाम जोड़ना अथवा हटाना आरम्भ कर देंगी। इस देश का ऐसा कानून कभी नहीं था। इस देश में यह कानून नहीं होना चाहिए।

श्री पांडियन ने जो दूसरी आपत्ति उठाई है वह यह है कि क्या ऐसा कोई पूर्व दृष्टान्त है कि किसी मामले में किसी मृत व्यक्ति को आरोपी के रूप में जोड़ा जा सकता हो। एक व्यक्ति जिसका दुर्भाग्यवश देहान्त हो गया है, पर निश्चय ही मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। उस व्यक्ति पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। उसे कोई सजा नहीं दी जा सकती है लेकिन घटित अपराध के साथ उनके सम्भावित कुछ पुराने संबंधों के कारण, विगत में यही प्रथा रही है कि उनका नाम कॉलम 2 में डाल दिया गया है। किन्हीं उपयुक्त कानूनी कारणों से आरोप-पत्र में कॉलम 2 विद्यमान है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के अंतर्गत आरोप-पत्र दाखिल किया गया है। यह एक सांविधिक प्रपत्र है, जिसमें कॉलम 2 दिया गया है। विगत में यही परम्परा रही है कि मृत आरोपी को कॉलम 2 की श्रेणी में रखा जाता है; आप एक आरोपी हैं लेकिन आप पर मुकदमा नहीं चलाया जा रहा है।

मेरे पास कुछ विवरण हैं। दुर्भाग्यवश जब श्रीमती गाँधी की हत्या की गई थी तो एक हत्यारा जो कि मुख्य षडयंत्रकारी था, वह बेअंत सिंह था और उसे घटना स्थल पर मार गिरा दिया गया था। इनके अनुरूप चूंकि बेअंत सिंह की मृत्यु हो चुकी थी उसका नाम आरोप-पत्र में कभी शामिल नहीं किया जाना चाहिए था। अत: यह उपयुक्त था कि बेअंत सिंह का नाम कॉलम 2 में डाल दिया गया। इसी प्रकार जब स्वयं राजीव जी की हत्या की गई थी, आरोपियों में से एक आरोपी महिला, धनु थी जो एक मानव बम के रूप में थी और उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई थी। वह मुख्य षडंयत्रकारी थी, उसका नाम मुकदमा चलाने के लिए कभी नहीं लिया जा सका क्योंकि यह मर चुकी थी, लेकिन उसका नाम कॉलम 2 में रखा गया। अत: विगत में हमेशा यही प्रथा रही है कि जब कभी भी मृत व्यक्ति को आरोपी बनाया जाता है तो धारा 173 के अंतर्गत जब आरोप-पत्र दाखिल किया जाता है, मृत आरोपी पर मुकदमा नहीं चलाया जाता है लेकिन उक्त मामले में उसकी भूमिका उसके आचरण, उद्देश्य अथवा उसकी सहभागिता मे सम्बन्धित कुछ सबूतों के कारण कॉलम 2 में आरोपी के रूप में उसका नाम हमेशा रहता है। विगत में यही परम्परा रही है। केवल इस कारण कि कोई व्यक्ति राजनीतिक रूप से प्रभावशाली है, शक्तिशाली है आज उसके समर्थक शक्तिशाली हैं, तो वह दिन न्याय शास्त्र के लिए दुखद दिन होगा यदि यह कहा जाता है कि अब हम एक नई शुरूआत करेंगे, चाहे अमुक व्यक्ति अपराध की दुनिया से ही जुड़ा रहा हो और क्योंकि उसकी मृत्यु हो चुकी है, हमें इस परम्परा को छोड़ देना चाहिए। यदि आप यह परम्परा समाप्त कर देते हैं तो साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत आपको उनके विगत प्रयोजन, उनकी सहभागिता, और उनके आचरण संबंधी मुख्य सबूतों को समाप्त करना होगा जो कि कभी नहीं किया गया।

श्री मुलायम सिंह द्वारा एक बहुत ही वैध मुद्दा उठाया गया है।

[हिन्दी]

आश्वासन उनको दे दूं कि यह जो पार्ट चार्जशीट फाइल हुई है, वह इसलिए फाइल हुई है *(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : मैंने भी उठाया।

श्री अरुण जेटली : सोमनाथ जी ने भी उठाया कि एक सेट ऑफ ऐक्यूज्ड ऐसे हैं जिन्होंने विदेशों के अंदर अपनी अपीलें फाइल की हुई थीं। पहले की उनकी जितनी भी कानूनी अपीलें थीं, वह इस साल 17 अगस्त को डिसमिस हो चुकी हैं। उनकी आखिरी पोलिटिकल अपील बाकी है। सारे दस्तावेज सी०बी०आई० के पास आ चुके हैं। एक सेट ऑफ दस्तावेज सी०बी०आई० के पास अभी आने वाली

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

है, उनकी कानूनी अपील खारिज हो चुकी है। राजनीतिक अपील के बाद, उसके लिए प्रतीक्षा करें या न करें, पार्ट चार्जशीट दें, सप्लीमेंटरी चार्जशीट दें, यह दुर्भाग्यपूर्ण होगा कि यह निर्णय सरकार करने लगे। अगर सरकार केन्द्र में ऐसा करेगी तो कल प्रांतों में जितनी सरकारें हैं, क्योंकि स्टेट पुलिस स्टेट के पास है, तो फिर बिहार की सरकार तय करेगी कि फॉडर केस में किसके खिलाफ चार्जशीट फाइल हो या न हो। कल को तमिलनाडु के मुख्य मंत्री तय करेंगे न कि इनवेस्टिगेटिंग ऑफिसर। यह कानूनी राय है, इनवेस्टिगेटिंग एजेंसी की राय है और राजनीतिक पक्ष को, सरकार को उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मैं केवल इस बात का आश्वासन आपको दे दूं कि जितनी भी जांच होगी और जो भी ऐक्यूज्ड इसमें हैं, चाहे कितने भी पॉवरफुल और इनफ्लुएंशियल क्यों न हों, प्रभावित नहीं कर सकेंगे। उनकी शक्ति इतनी थी कि सन् 1986 में सारा कांड हुआ, 1987 में सामने आया और दिसंबर 1989 तक जब तक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, एफ०आई० आर० भी दर्ज नहीं हुई। जब जनवरी 1990 में एफ०आई०आर० दर्ज हुई, ऐकाउंट्स फ्रीज हुए, बार-बार अपील फाइल की गई। दुनिया में बहुत कम उदाहरण हैं कि स्विस बैंकों की सीक्रेसी को तोड़कर इस प्रकार के दस्तावेज आ जाएं कि ये अकाउंट्स किसके बेनिफिट के लिए थे।

पैसे का मूवमैंट कैसे हुआ है, इफ्लुएंशियल लोगों की अपील और ऐतराज के बावजूद सी०बी०आई० ने अभी तक जो जांच की है यह उसके अनुसार है और मैं इस बात का आश्वासन दे दूं कि जितने भी इसमें एक्यूज्ड हैं जिनकी पोलिटीकल अपील्स फैडरल काउंसिल में पैंडिंग भी होंगी, उसमें बहुत अधिक समय नहीं लगेगा, लेकिन उसकी सीमा हम नहीं बांध सकते, क्योंकि कागज वहां से आने हैं और वहां क्या वाकयात होते हैं, वहाँ की फैडरल काउंसिल ऑफ सिटिजन्स इसमें क्या राय लेती है, उसके ऊपर निर्भर करेगा। जो लोग कहते हैं कि कानून अपनी दिशा खुद तय करेगा, तो कानून की दिशा बड़ी स्पष्ट है। इन्वेस्टिंग एजेंसी ने यह रिपोर्ट बनाई है, राजनैतिक सरकार इसे नहीं रोक सकती *(व्यवधान)* जहां तक चर्चा का संबंध है, मैं स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस पार्टी के मेरे मित्र एक नारे के रूप में इसे खड़ा कर लें, लेकिन वे बहस और चर्चा नहीं करना चाहते, क्योंकि चर्चा में वह सचाई सामने आयेगी जो बड़ी कड़वी भी हो सकती है और बड़ी एम्बैरेसिंग भी हो सकती है।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : उन्होंने मुख्य प्रश्न का जवाब नहीं दिया है।

[हिन्दी]

श्री अरुण जेटली : एडजर्नमैंट मोशन, रिजोल्यूशन मोशन, नियम 193 इतने अधिकार आपके पास हैं, अगर चाहें तो किसी भी नियम के तहत इस पर लम्बी बहस के लिए भी हम पूरी तरह से तैयार हैं।

श्री मुलायाम सिंह यादव (सम्भल) : यह इधर के भी दोस्त हैं और उधर के भी दोस्त हैं। यह चर्चा यहां आनी चाहिए कि दोस्ती कहां किसकी थी। ये सारी बातें चर्चा में होंगी। आप चर्चा को स्वीकार कर लीजिए। इनकी भी दोस्ती है, उनकी भी दोस्ती है और बहुत सारे *(व्यवधान)* श्रीमान, चर्चा को स्वीकार कर लीजिए। बहुत बड़े लोगों की दोस्ती है *(व्यवधान)*

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा): बोफोर्स मामले के प्रति हमारे रवैये के बारे में सभी जानते हैं क्योंकि बोफोर्स के मामले में उस सरकार ने जो कुछ किया उसके विरोध में हम सबने इस्तीफा दे दिया था। हमने उस समय जो रुख अपनाया था वही रुख हमारा आज भी है। लेकिन मैं यह जानना चाहूँगा कि मंत्री महोदय ने श्री सोमनाथ चटर्जी द्वारा उठाए गए इस प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दिया क्योंकि सभी जानते थे कि हिन्दुजा का नाम उसमें शामिल था और फिर अभी पूरी रिपोर्ट भी नहीं आई है। यदि यह काम 10 दिन बाद किया जाता ताकि उनको पूरी रिपोर्ट मिल जाती जिसकी वह उम्मीद कर रहे थे, तो क्या हो जाता? इस प्रकार अनेक समस्याओं से बचा जा सकता था। निसन्देह, कानून अपना काम करेगा। लेकिन हिन्दुजा संबंधी यह प्रश्न सभी के दिमाग में रहेगा। अत:, मैं यह जानना चाहूँगा कि उन्होंने प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दिया।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : यह इधर के भी दोस्त हैं और उधर के भी दोस्त हैं। यह चर्चा यहां आनी चाहिए कि दोस्ती कहां किसकी थी। ये सारी बातें चर्चा में होंगी। आप चर्चा को स्वीकार कर लीजिए। इनकी भी दोस्ती है, उनकी भी दोस्ती है और बहुत सारे *(व्यवधान)* श्रीमान, चर्चा को स्वीकार कर लीजिए। बहुत बड़े लोगों की दोस्ती है *(व्यवधान)*

अपराह्न 12.18 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नियम 377 के अधीन सभी मामले सभा-पटल पर रखे गए माने जायें।

(एक) ओलचिकी लिपि में संथाली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री सालखन मुर्मू (मयूरभंज) : मैं सरकार से यह कहना चाहता हूँ कि ओल-चिकी लिपि में संथाली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शीघ्र ही शामिल किया जाए। भूतपूर्व सरकार ने हमें आश्वासन दिया था कि जल्द से जल्द इस मुद्दे को सुलझाने के लिए एक उच्च स्तरीय निकाय गठित किया जाएगा लेकिन सब निरर्थक रहा।

अत:, मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वे तत्काल इस मुद्दे को हल करें। इससे बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम और त्रिपुरा इत्यादि में रह रहे 1.5 करोड़ से ऊपर संथालों और अन्य जनजातीय लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा होने में मदद मिलेगी।

(दो) सेन्ट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, बिहार के करगली बाशरी में स्थित क्रश कोल ट्रांसपोर्ट के माध्यम से कोयले की ढुलाई पुन: शुरू किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : महोदय, सैन्ट्रल कोलफील्डस लिमिटेड के बी० एण्ड के० एरिया के अर्न्तगत करगली बाशरी में

*सभा पटल पर रखे गए।

[श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय]

क्रस कोल ट्रांसपोर्ट (सी०सी०टी०) के द्वारा कोयले का परिवहन होता था, जो करोड़ों रुपए की लागत से बनी थी। यह उपकरण चालू हालत में था, परन्तु लगभग तीन महीने पूर्व इसे बन्द कर दिया गया, स्क्रैप कर दिया गया। इस उपकरण से बोकारो, खासमहल कोलियरी के कोयले का परिवहन बंकर में गिराया जाता था।

साथ ही साथ करगली वाशरी कोकिंग कोल को नान-कोकिंग कर दिया गया है और कठारा वाशरी को कोकिंग कोल—जिससे नियमों का उल्लंघन हो रहा है तथा करोड़ों रुपए के उपकरणों का सदुपयोग नहीं हो पा रहा है।

अत: केन्द्र सरकार से आग्रह है कि सी०सी०सी०टी० के द्वारा ही कोयले का परिवहन कराया जाए, करगली वाशरी को पुन: कोकिंग कोल किया जाए तथा उपर्युक्त नियम विरुद्ध कार्यों और करोड़ों रुपए के सरकारी उपकरणों का प्रयोग न करके निजी स्त्रोतों से परिवहन कराने के मामले की उच्च-स्तरीय जाँच कराई जाए।

(तीन) मुम्बई रेलवे विकास निगम के शीघ्र सृजन के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर-पूर्व) : महोदय, अक्तूबर माह के पहले सप्ताह में रेल प्रशासन द्वारा बिना पूर्व सूचना के मुंबई उपनगरीय रेलवे पटरी के पास बसी 25 हजार झुग्गी-झोंपड़ियों को हटाने के लिए, यहां तोड़-फोड़ की गई, जिसके कारण झुग्गी-झोंपड़ी में रहने वासे लोगों से रेलवे प्रशासन की झड़प हुई। उन्होंने धरना, प्रदर्शन आदि किए जिससे उस दिन मुंबई उपनगरीय रेलवे सेवा पूरी तरह से ठप्प पड़ गयी और प्रतिदिन यात्रा करने वाले यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। रेलवे प्रशासन द्वारा अचानक की गई इस तोड़-फोड़ से लगभग 2 लाख लोगों के बेघर होने की संभावना है। इससे वहां पर रहने वाले लोगों में भारी अक्रोश और तनाव व्याप्त है।

रेल मंत्रालय द्वारा उपरोक्त कार्यवाही के बारे में स्पष्टीकरण दिया गया है कि मुंबई रेल प्रशासन द्वारा इसके लिए मंत्रालय से अनुमति नहीं ली गई। इससे रेल सेवा अनियमित हो गई, मुंबई के 59 लाख प्रवासी परेशानी हैं, झुग्गी-झोंपड़ी के कारण मोटरमैन को अपने वाहनों को चलाने में परेशानी होती है। मुंबई उपनगरीय रेलवे की मध्य तथा पश्चिम रेलवे की पटरियों के आसपास लगभग 35 हजार झुग्गियों को हटाने की रेल प्रशासन की योजना है। रेल प्रशासन तथा झुग्गी वालों के बीच इस प्रकार का संघर्ष रेल सेवाओं पर असर डालता है।

अत: मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि मध्य रेलवे सेवा नियमित करने के लिए, मुंबई उपनगरीय रेल सेवा को ठीक करने के लिए मुंबई रेलवे विकास निगम की रचना का कार्य तुरंत पूर्ण किया जाए और उक्त योजना को कार्यान्वित किया जाए। झुग्गी-झोंपड़ी वालों को विश्वास में लेकर समन्वय के साथ उनका अन्य स्थान पर पुनर्वास किया जाए। कुरला-थाणे नई रेलवे लाइन डालने की योजना को गति दी जाए। इसके साथ में बनी 1161 झुग्गी-झोंपड़ियों को राज्य सरकार से समन्वय करके शीघ्र ही उनका पुनर्वास किया जाए एवं कुरला-थाणे दो नई लाइनें अर्थात् 5 व 6 कोरीडोर को कुरला-कल्याण तक किया जाए।

(चार) मध्य प्रदेश के बेतूल-हरदा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता

श्री विजय कुमार खंडेलवाल (बेतूल) : बेतूल हरदा संसदीय क्षेत्र के ग्रामीण अंचल में दूरसंचार सेवाएँ पूर्णत: अव्यवस्थित एवं खराब हैं। उनमें सुधार किए जाने के लिए शीघ्र कारगर कदम उठाया जाना जरूरी है व जिन गांवों में दूरसंचार सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, उन गांवों में दूरसंचार व्यवस्था व्यवस्थित की जानी चाहिए तथा पूरे संसदीय क्षेत्र की टेलीफोन हेतु प्रतीक्षा समाप्त की जानी चाहिए।

(पाँच) राजस्थान के अकाल प्रभावित लोगों की समस्याओं के निराकरण हेतु राजस्थान सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

कर्नल सेवानिवृत्त सोनाराम चौधरी (बाड़मेर) : मैं बाड़मेर और जैसलमेर जिलों और जोधपुर जिले के एक हिस्से का प्रतिनिधित्व करता हूं। पश्चिमी राजस्थान का यह थार रेगिस्तान अकालग्रस्त क्षेत्र है। इस वर्ष लगातार तीसरी बार अकाल पड़ा है। वहाँ लोगों की आय का मुख्य स्रोत पशु-पालन और कुछ हद तक कृषि है। आय का कोई अन्य साधन नहीं है।

गंभीर अकाल के कारण इस क्षेत्र के लोग रोजगार/रोजी-रोटी की तलाश में गुजरात, हरियाणा और पंजाब जैसे समृद्ध राज्यों में स्थानान्तरित हो गए हैं। वर्षा न होने के कारण और चारे की कमी के कारण फसलें और पशु समाप्त हो रहे हैं। पीने के पानी की बहुत कमी है। राजस्थान सरकार की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है। अत: मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह राजस्थान के अकाल से प्रभावित लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए निम्न कार्यवाही करें :-

(क) भारत सरकार को अकाल की गंभीरता का मूल्यांकन करने के लिए राजस्थान में एक विशेषज्ञ दल भेजना चाहिए;

(ख) आपदा राहत कोष के अर्न्तगत राजस्थान सरकार को पर्याप्त धनराशि जारी करनी चाहिए;

(ग) भारत सरकार को राजस्थान सरकार से परामर्श करके चारे का प्रबंध करना चहिए; और

(घ) भुखमरी से होने वाली मौतों से बचने के लिए और लोगों का अन्य राज्यों में स्थानान्तरित होने से रोकने के लिए तत्काल अकाल राहत कार्य आरम्भ किए जाने चाहिएं।

(छह) नागपुर विमानपत्तन को अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर) : मैं सोनगांव (नागपुर) हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई-अड्डे में परिवर्तित करने के संबंध में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चहता हूँ।

महोदय, भौगोलिक तथा सुरक्षा के कारणों से नागपुर शहर का विशेष महत्व है, न केवल इसलिए कि वहाँ एशिया का अपनी तरह

का सबसे बड़ा बूटी बोरी औद्योगिक क्षेत्र है जिससे कि इस क्षेत्र में एक नया औद्योगिक वातावरण उत्पन्न हो रहा है बल्कि इसलिए भी क्योंकि यहाँ 20,000 करोड़ की परियोजनाएँ स्थापित की जा रही हैं जिनमें से कुछ का प्रस्ताव रखा जा चुका है और उनके लिए औद्योगिक लाइसेंस के लिए आवेदन दिया जा चुका है।

महोदय, पिछले दो वर्षों से नागपुर हवाई-अड्डा अन्तर्राष्ट्रीय कार्गो संचालन के लिए उपलब्ध है और बड़े-बड़े विमानों की आवश्यकता के अनुसार हवाई पट्टी को पहले ही 10,000 फीट तक बढ़ा दिया गया है और कार्गो संचालन के लिए सम्पूर्ण हवाई पट्टी पर पुन: कारपेंटिंग कर दी गयी है। इस हवाई पट्टे से बिना किसी समस्या के अन्तर्राष्ट्रीय एयर कार्गो का भी संचालन किया जा रहा है।

उपर्युक्त हवाई यातायात क्षमता और वाणिज्यिक दृष्टि से अर्थक्षम होने के बावजूद नागपुर वास्तव में चारों दक्षिणी राज्यों, कलकत्ता और मध्य-प्रदेश से कट सा गया है।

नागपुर को अन्तर्राष्ट्रीय यात्री हवाई अड्डा बनाने से अधिक-जनसंख्या वाले शहरों से अतिरिक्त भीड़ को दूसरी तरफ ले जाने में मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त लगभग 3000 हज यात्री विदर्भ तथा मध्यप्रदेश के साथ लगे हुए जिलों से जेद्दाह की यात्रा करते हैं।

अत: मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह उपर्युक्त प्रस्ताव पर तत्काल आवश्यक कार्यवाही करें जिससे हमारे देश में अत्यधिक पिछड़े क्षेत्रों की रूपरेखा बदलने में काफी मदद मिलेगी।

(सात) मत्स्य-पालन के लिए अलग मंत्रालय बनाये जाने की आवश्यकता

श्री वी०एम० सुधीरन (अलेप्पी) : मैं प्रधानमंत्री का ध्यान मछुआरों तथा मत्स्य क्षेत्र के कल्याण के लिए सभी संबद्ध व्यक्तियों द्वारा काफी समय से की जा रही माँग की ओर दिलाना चाहता हूँ कि मत्स्य क्षेत्र के लिए एक पृथक मंत्रालय स्थापित किया जाए।

वर्तमान में, जैसा कि हम सब जानते हैं, मत्स्य तथा उससे संबंधित मामलों पर कृषि मंत्रालय द्वारा विचार किया जाता है। स्वभावत: समय के हिसाब से तथा अन्यथा मत्स्य व्यवसाय से सम्बद्ध वर्ग जो कि समाज का निर्धनतम वर्ग है, की मूल तथा ज्वलन्त समस्याओं पर समग्र रूप से पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है।

अत: मैं प्रधानमंत्री से अनुरोध करता हूँ कि वे पृथक मत्स्य मंत्रालय स्थापित करें और एक केन्द्रीय मंत्री को उसका प्रभार सौंपा जाए।

(आठ) पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी में भारतीय चाय व्यापार निगम के चाय-बागानों को फिर से शीघ्रातिशीघ्र खुलवाने को सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री एस०पी० लेपचा (दार्जिलिंग) : भारत सरकार के अधीनस्थ टी० ट्रेडिंग कारपोरेशन की दार्जिलिंग जिला स्थित भातकभर पुटुङ:, पेशोक और जलपाईगुड़ी जिला स्थित लुकसान चाय बागान पिछले कई सालों से बंद हैं। इसके फलस्वरूप दार्जिलिंग की जगत-प्रसिद्ध चाय की फसल और पौधे नष्ट हो रहे हैं। हजारों मजदूर और उनके परिवार भूख से तड़प रहे हैं। भूख-जनित बीमारियों के कारण बहुत से मजदूर और उनके परिवार के सदस्यों की अकाल मृत्यु हो चुकी है।

अत: यह राष्ट्रीय सम्पत्ति की रक्षा करने के लिए और बहुमूल्य मानव प्राणियों को बचाने के लिए शीघ्रातिशीघ्र इन बागानों को खुलवाने की व्यवस्था करें।

(नौ) आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार को हाल के भीषण सूखे से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु (तेनाली) : महोदय, मैं सरकार का ध्यान आन्ध्र प्रदेश में हाल ही में खरीफ की फसल के दौरान पड़े सूखे की स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूँ। यह बहुत ही अप्रत्याशित स्थिति थी। इस से लगभग 12 से अधिक जिले बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। इस वर्ष बुआई भी सामान्य नहीं हुई थी। लगभग 21 से 60 दिनों तक पड़े सूखे के कारण सामान्यतया 80.16 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में से केवल 69.54 लाख हेक्टेयर भूमि पर ही बुआई हो सकी। इससे फसल को विशेषकर मूंगफली की फसल को भारी घाटा हुआ। अत: लगभग 2566.91 करोड़ की फसल का नुकसान हुआ। पेयजल की कमी है। कृषि कार्य न होने की वजह से खेतीहर मजदूरों को भी रोजगार नहीं मिल पा रहा है।

एक केन्द्रीय दल ने भी राज्य का दौरा किया है और स्थिति का मूल्यांकन किया है। परन्तु हैरानी की बात है कि अब तक इस संबंध में कोई सहायता जारी नहीं की गई है।

सूखे की गंभीरता और लोगों का पेय जल तथा खेतीहर मजदूरों को निश्चित रोजगार उपलब्ध कराए जाने की स्थिति को देखते हुए मेरा सरकार से अनुरोध है कि 720 करोड़ रुपये की स्वीकृति देकर तुरन्त 200 करोड़ रुपये जारी किए जाएं।

(दस) उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में सफेदाबाद में रेलवे ऊपरी पुल का शीघ्र निर्माण किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राम सागर रावत (बाराबंकी) : महोदय, उत्तर प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय मार्ग लखनऊ-बाराबंकी के मध्य सफेदाबाद रेलवे क्रासिंग, जहां से पूर्वोत्तर भारत की अधिकांश ट्रेनों का आना-जाना रहता है और राष्ट्रीय मार्ग से भी प्रतिक्षण यात्री वाहनों का आवागमन है, प्रतिवर्ष ओवरब्रिज के अभाव में भयंकर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इस रेलवे क्रासिंग पर एक ओवरब्रिज बनाने की नितांत आवश्यकता है।

अत: केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि सफेदाबाद रेलवे क्रासिंग पर एक ओवरब्रिज शीघ्र बनाया जाए।

(ग्यारह) मुंगेर, बिहार में रेल-सह-सड़क पुल के निर्माण प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री ब्रह्मानंद मंडल (मुंगेर) : बिहार राज्य के मुंगेर में गंगा नदी पर रेल सह सड़क पुल के निर्माण के लिए 1997-98 के रेल

[श्री ब्रह्मानंद मंडल]

बजट में रेल पुल के लिए 600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। 1998-99 के रेल बजट में भी इस बजटीय प्रावधान को स्वीकृति मिली थी और भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग नं० 80 मोकामा-फरक्का की स्वीकृति देने के बाद रेल सह-सड़क पुल के सर्वे के आदेश दिये गये, साथ ही भूतल परिवहन मंत्रालय को सर्वे का काम दिया एवं बिल के आधार पर भुगतान करने का निर्देश दिया जिसका शिलान्यास तत्कालीन रेल मंत्री ने किया था। चूंकि भूतल परिवहन मंत्रालय ने सड़क पुल की स्वीकृति दे दी थी इसलिए सह-सड़क का काम एक साथ हो गया। सर्वे के बाद मॉडल टेस्ट और डिजाइनिंग के लिए इंडियन इन्स्टीच्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, रुड़की को जिम्मेदारी दी गयी। लेकिन अभी तक मंत्रीपरिषद की आर्थिक समिति द्वारा मुंगेर और खगड़िया के बीच रेल सह-सड़क पुल की आर्थिक स्वीकृति नहीं दी है जिससे यह काम अभी तक शुरू नहीं किया जा सका है। चूंकि मुंगेर और इसके आसपास के दस जिलों की जनता ने लगातार इसके लिए संघर्ष करते रहे हैं। यह पुल उत्तरी और दक्षिणी बिहार को जोड़ने का काम करता है।

अत: माननीय प्रधानमंत्री जी से नम्र निवेदन है कि मुंगेर का सह-सड़क पुल की स्वीकृति जल्द दिलाने का कष्ट करें। चूंकि किसी भी योजना की अवधि बढ़ जाने से उसकी लागत भी बढ़ जाती है जिससे देश को काफी नुकसान होता है।

(बारह) कारगिल और लेह के चहुंमुखी विकास की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री हसन खान (लद्दाख) : महोदय, मैं लद्दाख निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं और मैं कारगिल का रहने वाला हूं जो एक छोटा सा शहर है पर यहां भारतीय सशस्त्र सेना द्वारा की गई जांबाज लड़ाई और उसके महान बलिदान के कारण इसका नाम सुर्खियों में आ गया है। इस पवित्र सदन में पहली बार बोलते हुए मैं भारत के उन महान बहादुर सपूतों की देशभक्ति, साहस और उनकी सैन्य क्षमता को सलाम करता हूं जिन्होंने बहादुरी से लड़ते हुए अपनी मातृभूमि के एक इंच से दुश्मनों को खदेड़ दिया और इस प्रकार अपनी मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देकर सर्वोच्च बलिदान किया।

कारगिल और लेह के लोगों की ओर से सभा के अधिकारियों और जवानों का आभार प्रकट करते हुए मैं केन्द्रीय सरकार का ध्यान इस निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं की ओर दिलाना चाहूंगा। संभवत: बहुत से लोग यह नहीं जानते होंगे कि कारगिल के लोगों को पिछले कई सालों से पाकिस्तान की ओर से हो रही अकारण गोलाबारी झेलनी पड़ रही है। सेना के साथ-साथ असैनिक लोग भी पोर्टर और गाइडों के रूप में इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और उनमें से महिलाओं और बच्चों समेत 40 लोग पाकिस्तानी गोलियों का शिकार हो गए हैं। गोलाबारी के साए में वहां खेती नहीं हो पाती, घर तबाह हो गए हैं। पशुधन नष्ट हो गया है, व्यापार, पर्यटन और शिक्षा प्रणाली पूरी तरह तहस-नहस हो गई है। मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि कड़ाके की सर्दी के इन लम्बे महीनों के आरम्भ होने से पहले वहां के बाशिंदों के लिए पर्याप्त मात्रा में पुनर्वास और राहत पैकेज उपलब्ध कराया जाए।

करगिल को 21वीं सदी के महान राष्ट्र, उदीयमान भारत के एक तीर्थ स्थान के केन्द्र के रूप में समझा जाना चाहिए। इसमें कोई संदेह या असमंजसता वाली स्थिति ही नहीं है कि तोलोलिंग, टाइगर हिल्स, बाटलिक, मश्कोह, यारदोर और तुर्तुक सेक्टरों ने महान भारतीय राष्ट्र के संकल्प और ताकत की मिशाल कायम की है।

देश भर से लोग इन नए धार्मिक स्थलों में आकर भारत की संप्रभुता की रक्षा में अपने प्राणों का बलिदान करने वाले बहादुर सैनिकों के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए आतुर हैं। काफी समय से कारगिल तक हवाई मार्ग और जोजीला के पास एक सुरंग बनाने का काम लम्बित पड़ा है। इससे लद्दाख में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और देश के इस अति पिछड़े हुए क्षेत्र की आर्थिक आधार संरचना मजबूत होगी। पाकिस्तान के दुष्प्रचार रोकने और जम्मू कश्मीर में उसकी गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए 430 करोड़ रुपए की योजना की स्वीकृति के बावजूद कारगिल और लेह के लिए कोई ठोस काम नहीं किया गया है। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : साइक्लोन के बारे में भी हम चर्चा कर रहे हैं, प्लीज आप बैठिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : उन्होंने उत्तर नहीं दिया है।

श्री ब्रजकिशोर त्रिपाठी (पुरी) : महोदय, उड़ीसा में आने वाले विनाशकारी चक्रवात से सौ से ज्यादा लोग मारे गए हैं। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : साइक्लोन के बारे में भी हम चर्चा कर रहे हैं, प्लीज आप बैठिये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री ब्रजकिशोर त्रिपाठी : यह बहुत ही गंभीर मामला है। यह मुद्दा उठाने के लिए आपको हमें दो मिनट बोलने का समय देना चाहिए। सरकार को इस बारे में बताना चाहिए कि उन्होंने क्या उपाय किए हैं। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आज ही चर्चा कर रहे हैं, प्लीज आप बैठिये, साइक्लोन के बारे में आज ही चर्चा कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री त्रिलोचन कानूनगो (जगतसिंहपुर) : किस समय?

अपराह्न 12.19 बजे

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

[अनुवाद]

डॉ० विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिणी दिल्ली) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए :-

"कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए जो उन्होंने 25 अक्तूबर, 1999 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यंत आभारी हैं।"

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, 13वीं लोक सभा का गठन हुआ और गठन के उपरान्त परम्परा व नियमों के अनुसार राष्ट्रपति जी ने दोनों सदनों की बैठक को सम्बोधित किया है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव पेश करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। इससे पहले कि राष्ट्रपति ने जो बातें कहीं हैं, उन पर चर्चा प्रारम्भ की जाए, स्वाभाविक रूप में जो यह लोक सभा बनी है इसका जनादेश क्या है, उस जनादेश के बारे में मैं कुछ बातों का उल्लेख करना चाहता हूं। देश की सौ करोड़ से अधिक जनता ने अपना पहला जनादेश यह दिया है कि वह चमत्कारिक व्यक्तित्व के धनी श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को देश का प्रधानमंत्री देखना चाहती थी।

अध्यक्ष महोदय, यहां केन्द्र और प्रदेश सरकारों में आमतौर पर इनकम्बैंसी फैक्टर होता है। उसके विरोध में जनादेश दिया जाता है, परन्तु वाजपेयी जी की सरकार के 13 महीने के काम की सराहना के आधार पर यह जनादेश दिया है कि दोबारा प्रधान मंत्री बनें और उनकी सरकार दुबारा यहां पर शासन में आए।

अध्यक्ष महोदय, कारगिल युद्ध को जिस प्रकार से वाजपेयी सरकार ने जीता और उसमें जिस प्रकार से पाकिस्तान की सेना को सीमा पार खदेड़ा, यह जनादेश उसके पक्ष में भी है। पिछले युद्ध में चाहे वह 1947 का युद्ध हो या 1962, 1965 या 1971 का युद्ध हो, उनमें हमने जो कुछ प्राप्त किया, जो कुछ हम जीते, वह हमने संधि की मेज पर आकर गंवा दिया। 1947 में देश का एकतिहाई कश्मीर पाकिस्तान में रह गया। 1962 में 38000 वर्ग किलोमीटर हमारी जमीन चीन ने हड़प ली। 1971 में बिना कोई शर्त लगाए, बिना उनसे लिखित में लिए, 90000 सैनिक पाकिस्तान को वापस कर दिए। इस बार वाजपेयी जी की सरकार के होते हुए कारगिल युद्ध में एक इंच भूमि भी हिन्दुस्तान की नहीं गंवाई और पाकिस्तान को हिन्दुस्तान की सीमा से बाहर खदेड़ दिया गया। केवल इतना नहीं सारी दुनिया का जनमत भी पहली बार भारत के पक्ष में गया। यह जनादेश सैनिक विजय और कूटनीतिक विजय, दोनों प्रकार की विजय प्राप्त करने के लिए, प्राप्त हुआ जनादेश है।

अध्यक्ष महोदय, जहां यह जनादेश पॉजिटिव जनादेश है वहां देश की जनता ने कुछ बातों के लिए निगेटिव जनादेश भी दिया, कुछ बातों को नकारा भी है। सबसे पहले जिस ढंग से कारगिल की लड़ाई के समय में भारतीय सेनाओं का मनोबल गिराने के लिए कांग्रेस ने जो आलोचनाएं कीं, जो झूठे आरोप लगाए, उसके विरोध में दिया गया यह जनादेश है। जिस ढंग से कांग्रेस ने पदलिप्सा के अंदर केवल किसी प्रकार से सरकार में आने के लिए, अच्छी भली चलती हुई सरकार को गिराया। यह जनादेश उसके खिलाफ भी है। उस समय उन्होंने राष्ट्रपति के पास जाकर कहा कि 272 सांसद उनके पास हैं और 272 सांसदों का उनके समक्ष झूठा दस्तावेज पेश किया गया, यह जनादेश उसके भी खिलाफ है। मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से देश में वंशवाद लागू करने, परिवारवाद लागू करने का प्रयास किया, यह जनादेश उसको भी नकारता है और इस देश में जनतंत्र और वंशवाद दोनों साथ-साथ नहीं चल सकते, इस बात को सिद्ध करता है।

अध्यक्ष महोदय, यह आश्चर्य की बात है कि 114 वर्ष पुरानी कांग्रेस पार्टी को इस बार 114 सीटें भी नहीं मिलीं और इन्होंने न तो सत्ता में रहते हुए और न विपक्ष में रहते हुए इस बात से सबक सीखा। जब 1977 में देश में इमर्जेन्सी के बाद चुनाव हुए और उस समय सारे उत्तर भारत में एक सीट भी नहीं आई थी, उस समय भी पूरे देश में कांग्रेस को 154 सीटें प्राप्त हुई थी और जब नरसिंह राव जी थे तब 141 सीटें प्राप्त हुई। नरसिंह राव जी के बाद 140 सीटें मिलीं। नरसिंह राव जी को हटा दिया गया। उसके बाद केसरी जी को भी हटा दिया गया। उसके बाद अब केवल 112 सीटें आई हैं। इस बार कांग्रेस की जो दुर्दशा हुई है उससे कांग्रेस ने कोई सबक नहीं लिया और वह बराबर अपनी स्थिति को बिगाड़ती जा रही है। इस समय देश में उसकी जो दुर्दशा हुई है उसको वह अच्छी प्रकार से देख सकती है।

अध्यक्ष महोदय, 112 सीटें आने के बाद भी राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में भ्रष्टाचार का विरोध करने का उल्लेख किया है। राष्ट्रपति जी ने भ्रष्टाचार के विरोध का उल्लेख करते हुए उनके उन्मूलन की सरकार की प्रतिबद्धता को सामने लाने की जो बात कही है उसमें उन्होंने लोकपाल को लाने की बात कही है।

बारह साल से लोकपाल बिल सामने नहीं आ पा रहा है। सरकार ने घोषणा की है कि वह लोकपाल बिल लायेंगे और उसमें प्रधान मंत्री तथा सारे मंत्रियों को शामिल किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी हमेशा यह प्रयास करती रही है कि लोकपाल बिल के अंदर प्रधानमंत्री को न लाया जाये। हमने इस बात को रखकर लोकपाल बिल को लाने की घोषणा की और हम आशा करते हैं कि कम से कम इस बार उसे रोकने की कोशिश नहीं की जायेगी।

अब यहां पर बोफोर्स के मामले पर बहुत बहस की गई, बोफोर्स के मामले में बहुत कुछ कहा गया। 13 साल के बाद यह पर्दाफाश हुआ। मुझे आश्चर्य हुआ जब माधव राव सिंधिया तथा दूसरे अन्य लोगों ने यह कहा कि इसमें से राजीव गांधी का नाम इसलिए निकाल दिया जाये क्योंकि वे प्रधान मंत्री रहे, ओपोजिशन के लीडर रहे, इस सदन के नेता रहे। *(व्यवधान)* मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि यहां पर और लोग भी प्रधान मंत्री रहे, सदन के नेता रहे हैं। जब उन पर चार्जशीट लगी तो उस समय कांग्रेस पार्टी का कोई भी आदमी नहीं बोला। किसी कांग्रेस के सदस्य ने हाउस के अंदर आवाज नहीं

[डॉ० विजय कुमार मल्होत्रा]

उठाई। श्री नरसिंह राव जी के ऊपर जब चार्जशीट लगी, उस वक्त वे प्रधान मंत्री भी थे और सदन के नेता भी थे लेकिन उस समय कोई भी कांग्रेस का नेता नहीं बोला, कोई कांग्रेस का आदमी नहीं बोला। किसी भी कांग्रेसी ने इसके लिए हाउस में रोकने की कोशिश नहीं की। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री जे०एस० बराड़ (फरीदकोट) : कृपया क्रास चेक कीजिए। आप भूल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री मल्होत्रा, कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

[हिन्दी]

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर) : जब उन पर चार्जशीट लगी तब वह हाउस में मैम्बर थे और अपनी बात को डिफैंड कर सकते थे। यहां मुद्दा यह है कि यह राजीव गांधी जी अपनी बात को डिफैंड नहीं कर सकते। *(व्यवधान)*

डॉ० विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि केसरी जी *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप चेयर को एड्रेस कीजिए।

(व्यवधान)

डॉ० विजय कुमार मल्होत्रा : अभी केसरी जी ने बड़े दुख के साथ कहा कि जब उन पर चार्ज लगे तब कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति उनको डिफैंड करने के लिए नहीं आया। मैं कहना चाहता था कि चापलूसी की भी कोई सीमा हो सकती है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया टीका-टिप्पणी न करें।

(व्यवधान)

श्रीमती रेणुका चौधरी (खम्माम) : अब तक उन्होंने जो कुछ कहा है वह कांग्रेस पार्टी के बारे में ही बोला है। अपनी पार्टी के बारे में बात करें।

[हिन्दी]

डॉ० विजय कुमार मल्होत्रा : मैं कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार उन्मूलन *(व्यवधान)* भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए लोकपाल बिल लाया जायेगा। भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं किया जायेगा और मैं उसी आधार पर कह रहा हूं कि बारहवीं लोक सभा चलती रह सकती थी। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप चेयर को एड्रेस कीजिए।

डॉ० विजय कुमार मल्होत्रा : मैंने आपसे ही कहा है कि बारहवीं लोकसभा, श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार अगर भ्रष्टाचार से समझौता कर लेती और भ्रष्टाचार से समझौता करके जयललिता के सारे केस वापस ले लेती तो बारहवीं लोक सभा चलती रह सकती थी। हमने बारहवीं लोक सभा के अंदर समझौता नहीं किया और तेरहवीं लोक सभा में भी भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं किया जायेगा। यह सरकार हम चलायेंगे। पूरे पांच साल यह सरकार चलेगी और उसके लिए किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार से समझौता करने का सवाल नहीं है। श्री अरुण जेटली जी ने साफ तौर पर कहा है कि किसका नाम निकाला जाये या न निकाला जाये, यह मांग सरकार से करने की नहीं है। वे न्यायालय में जाकर कोशिश कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर एक सवाल डीजल की कीमतों में बढ़ोत्तरी के संबंध में आ रहा है। उसमें बहस होगी और उस बहस के अंदर सब बातें की जायेंगी परन्तु डीजल की कीमतें क्या हमने बढ़ाई हैं? डीजल की कीमतें बढ़ाने का फैसला अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के साथ जोड़ा जाये, यह फैसला उस समय हुआ जब ये सब लोग 1997 में सरकार को समर्थन दे रहे थे। *(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ०प्र०) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। श्री मल्होत्रा जी, कृपया अपनी बात जारी रखें।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह : जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डीजल की कीमतें बढ़ी थीं तभी इन्होंने डीजल के दाम क्यों नहीं बढ़ाये? *(व्यवधान)* अगर उस समय बढ़ा दिये होते तो आज यह सत्ता में न बैठे होते। *(व्यवधान)* इस स्थिति को भी स्पष्ट करें।

डॉ० विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि 1.9.1997 को जो सरकार थी और जिस सरकार को कांग्रेस भी समर्थन दे रही थी, कम्युनिस्ट पार्टी भी समर्थन दे रही थी, ये सब भाई भी समर्थन दे रहे थे, उसने यह फैसला किया और उसके मुताबिक कीमतें बढ़ीं। उसके आधार पर आज आलोचना करना कहां तक उचित है, आखिर इतनी ईमानदारी चाहिए कि वहां जो फैसला हुआ, उसका विरोध न करें। *(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह : अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब मूल्य बढ़े *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपको प्रोसीजर मालूम है या नहीं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप क्या बात कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप क्या बात कर रहे हैं।

डॉ० विजय कुमार मल्होत्रा : डीजल की कीमत से बस में दो पैसे प्रति किलोमीटर का फर्क पड़ता है। दिल्ली में डी०टी०सी० पर 26 करोड़ रुपये का साल भर का बजट बढ़ता है परन्तु दिल्ली की कांग्रेस सरकार ने उस पर 260 करोड़ रुपये का बोझ लगा दिया। दो पैसे प्रति किलोमीटर की बजाए उनके ऊपर दो रुपये, चार रुपये, आठ रुपये बस का भाड़ा बढ़ा दिया। कीमतें छः प्रतिशत बढ़ने पर इन्होंने सौ प्रतिशत बसों का किराया बढ़ा दिया। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री कोडीकुनील सुरेश (अडूर) : आप जिम्मेदार हैं। आपकी सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। *(व्यवधान)* आप दिल्ली सरकार को क्यों दोष दे रहे हैं? *(व्यवधान)* आपने डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं।

[हिन्दी]

डॉ० विजय कुमार मल्होत्रा : इनके बसों में किराए बढ़ाने से दिल्ली में एक प्राईवेट बस आपरेटर को दस लाख रुपये का फायदा हुआ है जिसके पास दस बसें हैं, उसे एक करोड़ रुपये का फायदा होगा। यहां इन्होंने इस प्रकार की स्थिति की है। यहां पर केन्द्र सरकार द्वारा डीजल की कीमतें बढ़ाने के बारे में बातें की जा रही हैं।

राष्ट्रपति जी ने चुनाव सुधार का जिक्र किया और चुनाव के कानून में सुधार की बातें की हैं। उन्होंने पहली बात यह रखी और जिसकी कल आलोचना की गई कि लोक सभा का कार्यकाल पांच साल के लिए निश्चित किया जाए। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब कांग्रेस के नेता ने कुछ दिन पहले कहा कि यह फासिस्ट बात है, यह तानाशाही की बात है। कल भी उपनेता ने इसकी बड़ी आलोचना की। क्या पांच साल में पांच लोक सभा के चुनाव होंगे? पिछले तीन साल में तीसरा लोक सभा का चुनाव हो रहा है। क्या देश में हर साल चुनाव हुआ करें? क्या यहां पर कुछ लोगों की पदलिप्सा और सत्ता की भूख के कारण हर साल चुनाव में इस देश को झोंका जाए? आखिर यह क्या स्थिति है? क्यों नहीं इसका कार्यकाल निश्चित होना चाहिए? यहां राज्य सभा का कार्यकाल छः साल के लिए निश्चित है, उसका तो कोई विरोध नहीं किया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर कांग्रेस का कोई व्हिप ईशू न किया जाए तो कांग्रेस का कोई मैम्बर इसके विरोध में वोट नहीं डालेगा। *(व्यवधान)*

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर) : इस तरह डीजल के भाव बढ़ाते जाएंगे फिर भी आप पांच साल के लिए यहीं पर बैठे रहेंगे। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री कोडीकुनील सुरेश : आप अवसरवादी हैं। आप यहां क्या बोल रहे हैं? आपका सिद्धान्त क्या है? हम आपके सिद्धान्त जानते हैं। *(व्यवधान)* इससे पहले आप ए०डी०एम०के० के साथ थे। अब आप डी०एम०के० के साथ हैं। आपके अवसरवादी गठजोड़ ने अस्थिरता पैदा कर दी है। *(व्यवधान)* आप अवसरवादी रवैया अपना रहे हैं।

[हिन्दी]

डॉ० विजय कुमार मल्होत्रा : राष्ट्रपति जी ने इसका जिक्र किया कि पांच साल का कार्यकाल होना चाहिए। विदेशों में बहुत जगह ऐसा है। सरकारें बदलती रहती हैं। यहां अभी जनादेश इतना है कि यह सरकार पांच साल रहेगी। कानून लाए बिना भी यह सरकार पांच साल रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। परन्तु कार्यकाल निश्चित होना चाहिए और औपोजीशन वाले यदि कोई नो-कौन्फीडैंस मोशन लाएं तो उसका भी कोई तरीका होना चाहिए। यह बात राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कही है और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी को इससे सबक लेना चाहिए। आप यहां पर वोट ऑफ नो-कौन्फीडैंस तो ले आएं लेकिन आगे क्या बनेगा, इसके बारे में कोई स्थिति न हो – इस पर विचार करने की जरूरत है। राष्ट्रपति जी ने यही बात कही है। *(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : यह क्या तरीका हुआ। ये कांग्रेस का नाम लेंगे और वे बी०जे०पी० का नाम लेंगे। दोनों मिले हुए हैं। *(व्यवधान)*

डॉ० विजय कुमार मल्होत्रा : राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में एक बात का जिक्र है और वह यह है कि उन्होंने प्रॉक्सी वोट के बारे में कहा। *(व्यवधान)* सभी को मालूम है कि इस बार चुनाव में, जितने लोक सभा के सदस्य हैं, उनके यहां जो पोस्टल बैलेट आए, वे एक या दो प्रतिशत से ज्यादा नहीं आए। किसी के इलाके में तीन हजार वोट थे जो पोस्टल से आने चाहिए लेकिन पचास या सौ वोट आए।

यहां कारगिल के युद्ध में मरने वाले शहीदों के बारे में बहुत बातें की जाती हैं, उनके सम्मान की बात की जाती है। वे जवान अपना खून दे सकते हैं, वे जवान शहादत दे सकते हैं लेकिन वोट नहीं दे सकते, वे देश के भाग्य के निर्माण में शामिल नहीं हो सकते। इसलिए हमने जब यह कहा कि यहां पर प्रॉक्सी वोटिंग होनी चाहिए। आप उनको अधिकार दें ताकि वे प्रॉक्सी वोटिंग कर सकें। मुझे दुख है कि यहाँ कांग्रेस पार्टी और दूसरी कुछ पार्टियों ने उसका विरोध किया और कहा कि प्रॉक्सी वोटिंग नहीं होगी।

आखिर प्रॉक्सी वोटिंग में कितने लोग शामिल हैं? करीबन 10 लाख सेना के लोग हैं, पैरा मिलिट्री फोर्सेज हैं, जो न जाने कहां पर तैनात हैं। 14 दिन जो उन्हें मिलते हैं, उसके अन्दर बैलट छपने में चार दिन लग जाते हैं और जब तक उनके पास कोई चिट्ठी पहुंचती है, तब तक चुनाव समाप्त हो चुके होते हैं। अगर उनको वोट का अधिकार देना है, सरकारी कर्मचारियों को वोट का अधिकार है, लेकिन हमारी सेना के जवानों को नहीं है, पैरा मिलिट्री फोर्सेज को नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने सिद्धान्ततः इसका विरोध किया है। कहने लगे कि इससे जानकारियां प्राप्त हो जाएंगी, पता लग जायेगा। जो व्यक्ति दृष्टिविहीन है, अंधे हैं, वे भी वोट देते समय किसी को साथ ले जाकर उससे वोट दिलवा सकते हैं। उसका जिस पर भी भरोसा हो, पत्नी पर हो, बेटे पर हो, अपने भाई पर हो, किसी पर हो, उसे अगर वह ऑथोराइज कर दे और वह जाकर वोट डाले, जैसा कि इंग्लैंड में होता है, दूसरे देशों में होता है तो इस पर क्यों एतराज किया गया, मुझे समझ में नहीं आता। इसलिए प्रॉक्सी वोटिंग का राष्ट्रपति जी ने जिक्र किया है।

[डॉ० विजय कुमार मल्होत्रा]

यहां पर एक बात यह भी कही गई है, पहले होम मिनिस्टर साहब, आडवाणी जी ने एक इन्द्रजीत गुप्ता कमेटी बनाई थी। उसने स्टेट फंडिंग ऑफ इलैक्शंस के बारे में बहुत से सुझाव दिये थे। हम उसी समय चाहते थे कि शुरू में ही इसको लागू कर दिया जाये, परन्तु स्टेट फंडिंग करने के बाद फिर किसी पूंजीपति का दखल न रहे, कोई बड़ा पूंजीपति चुनाव को प्रभावित न कर सके। इसीलिए राष्ट्रपति जी ने कहा है कि मनी पावर और मसल पावर से बचाने के लिए एक विस्तृत चुनाव का नियम कानून लाने की जरूरत है। उसके अन्दर जो स्टेट फंडिंग की बात है, जिसका सुझाव इन्द्रजीत गुप्ता कमेटी ने दिया था और जिसमें हम सब लोग शामिल थे, कांग्रेस के मैम्बर भी शामिल थे, अगर वह उसी समय बाई आर्डिनेंस हो जाता तो बहुत अच्छा होता, परन्तु उस समय उस आर्डिनेंस का भी विरोध हुआ है। मैं चाहता हूं कि आप कम से कम आगे उसका विरोध न करें और फंडिंग इसमें जरूर डाल दिया जाये।

इसके अलावा यहां पर डीलिमिटेशन का सवाल बड़े महत्व का है। कुछ सीटें 30 लाख की हैं, कुछ सीटें तीन लाख की हैं, कुछ सीटों पर मतों का बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया। सन् 2001 के बाद नये सिरे से डीलिमिटेशन की बात संविधान में कही हुई है, परन्तु उसकी रिपोर्ट 2003 या 2004 में आयेगी, फिर अगर डीलिमिटेशन कमीशन बैठेगा, फिर दो साल, तीन साल लगेंगे तो अगले चुनाव तक भी उसे लागू कर पाना एक तरह से रह जायेगा। कम से कम डीलिमिटेशन की बहुत जरूरत है। कहीं तीन लाख, कहीं 30 लाख, कहीं कुछ, यह बात देखने की है। यह बात भी देखने की है कि जिन स्टेट्स में फैमिली प्लानिंग बहुत अच्छे ढंग से किया है, उनको इसकी सजा न मिले कि उनकी सीटें उस प्रदेश में कम हो जायें और जनसंख्या के आधार पर आगे चलकर जिन स्टेट्स ने फैमिली प्लानिंग नहीं किया, उनकी सीटें बढ़ जायें। यह भी विचार करने की बात है, जिसको देखने की जरूरत है।

महिलाओं को आरक्षण देने की बात इसमें कह दी गई है, वह भी चुनाव सुधारों के साथ ताल्लुक रखती है। उन्हें 33 प्रतिशत आरक्षण देने का इसमें पूरी तरह से वायदा किया गया है और राष्ट्रपति जी ने कहा है कि उन्हें 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जाये। परन्तु यह बात जरूर है कि रोटेशन में कारपोरेशंस में एक दिक्कत आ रही है। रोटेशन होने से हर बार अगली बार वही कैंडीडेट वहां से चुनाव नहीं लड़ सकता, जिसके कारण कई बार उन क्षेत्रों का पूरी तरह से नर्सिंग नहीं होता। इसमें क्या किया जाये, इस पर विचार करने की जरूरत है क्योंकि रोटेशन में हर कैंडीडेट अगली बार वहां से नहीं लड़ पाएगा। इसलिए वह अपनी कांस्टीट्वैंसी को नर्स करे या न करे, इस सवाल को इसके साथ जोड़ने की जरूरत है।

राष्ट्रपति जी ने आर्थिक एजेण्डे के बारे में बहुत सी बातें हमारे सामने रखी हैं। यह बड़े गर्व का विषय है कि यहां पर अमेरिकी सैक्शंस के बावजूद, जो अमेरिका यह समझता था कि वह दुनिया में जिस पर भी सैक्शंस लगा दे, उन सैक्शंस के बाद वह देश तहस-नहस हो जायेगा, लेकिन सारे अमेरिकी सैक्शंस के बाद इस देश की आर्थिक स्थिति को संभालकर रखना, जबकि एशियन टाइगर्स मलेशिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड, कोरिया, सब आर्थिक रूप से बर्बाद हो रहे थे, आर्थिक रूप से गिरावट में जा रहे थे, उस समय भी देश की आर्थिक स्थिति को बनाये रखा गया। आज 33 बिलियन डालर का हमारे पास फॉरेन रिजर्व है। 33 बिलियन डालर का रिजर्व इससे पहले कभी नहीं था, यह रिकार्ड है। हमारा यह भी रिकार्ड है कि दो प्रतिशत से ज्यादा महंगाई नहीं बढ़ी। कम प्रतिशत पर महंगाई को रोका गया और महंगाई की स्थिति पर लाया गया।

बहुत सी बातों का, जिनका राष्ट्रपति जी ने जिक्र किया है, वे हमारे एजेण्डे में थीं। हम उन्हें पूरा करना चाहते थे, परन्तु यहां पर सरकार गिरा दी गई। यहां एक करोड़ रोजगार एक साल में पैदा करने की बात चल रही थी, परन्तु एक करोड़ रोजगार अगर एक साल में पैदा हो जायें तब अगले 10 साल में जाकर बेरोजगारी दूर होगी।

दस लाख मकान, 20 लाख मकान प्रति वर्ष बनाएं जिससे हर आदमी को छत मिल जाए। इसलिए हमें 20 लाख मकान बनाने हैं और जिन पांच लाख गांवों में पीने का पानी नहीं है, वहां पांच सालों में पीने का पानी पहुंचाना है। ये सारी बातें हमारे आर्थिक एजेंडा में हैं, जिनका राष्ट्रपति जी ने भी उल्लेख किया है।

इस देश में करीब पांच करोड़ लोग अनपढ़ हैं और सात करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते। उनके लिए हमें प्राइमरी शिक्षा का प्रबन्ध करना है, प्राथमिक चिकित्सा का प्रबन्ध करना है। इन मूलभूत मामलों का राष्ट्रपति जी ने भी उल्लेख किया है। अगर सरकार एक साल या छः महीने चले और उसमें भी उसको रोकने की कोशिश की जाए, लोक सभा न चलने दी जाए तो ये सब काम पूरे नहीं हो सकते। अभी यहां एक महत्वपूर्ण बिल आ रहा था, जिसमें अगले दस वर्षों के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए आरक्षण बढ़ाने का प्रावधान है। अगर वह बिल पास नहीं होगा तो इन लोगों का आरक्षण बंद हो जाएगा। जब बिल पेश किया जा रहा था तो विपक्ष के लोगों ने उसको सुनना पसंद नहीं किया, शोर-शराबे के बीच वह बिल सदन में रखना पड़ा। अगर ऐसे महत्वपूर्ण बिल शोर-शराबे के बीच रखे जाएंगे *(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : आरक्षण बंद नहीं हो सकता, हम आरक्षण बंद नहीं होने देंगे।

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : इधर से एक भी सदस्य नहीं बोला था।

[अनुवाद]

श्री जे०एस० बराड़ : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : आपके पास समय है कि आप इसका उत्तर दें या इसका खंडन कर दें। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया यह समझ लीजिए कि आपके पास इसका उत्तर देने या इसका खंडन करने का समय है। कृपया बैठ जाइए।

*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायगा।

[हिन्दी]

डॉ० विजय कुमार मल्होत्रा : इस देश में सरकार के पास जितनी पूंजी है, राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में उसका उल्लेख किया है और कहा है कि सरकार के खजाने पर पहला अधिकार सबसे गरीब आदमी का होगा। लेकिन गरीब आदमी के कल्याण के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने हैं। उसके लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाना है। इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए नौ हजार किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण करना है, सारी बंदरगाहों और हवाईअड्डों का आधुनिकीकरण करना है, बिजली की योजनाएं बनानी हैं। ये सारे काम विदेशी पूंजी आए बिना नहीं हो सकते। हमें वह पूंजी इन कामों में लगानी है और अपना रुपया जनकल्याण के कामों में लगाया जाए, इस प्रकार की नीति इस सरकार की है। अगर यहां पर दस बिलियन डालर्स प्रति वर्ष सीधे पूंजी निवेश हो तो ये सारे काम शुरू हो जाएंगे और यहां से बेरोजगारी दूर होगी तथा गरीबी का उन्मूलन होगा। इन सब कामों के लिए राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में उल्लेख है। इन सारी योजनाओं के पूरा होने से और इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित होने से हम देश को आगे ले जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय, हम इस देश को आधुनिक ही नहीं, एक अत्याधुनिक देश बनाना चाहते हैं। इसके लिए जो इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी है, जो प्रौद्योगिकी है, विज्ञान है, कम्प्यूटर टेक्नोलॉजी है, स्पेस प्रोग्राम है, इन सबका जिक्र राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में किया है। इसके लिए हम दुनिया से टेक्नोलॉजी लेना चाहते हैं। अभी हम बहुत सी चीजों में दुनिया में एक नम्बर पर हैं और बाकी चीजों में भी अव्वल नम्बर हो जांएगे। परंतु इसके साथ ही हम अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ना चाहते। पश्चिम से टेक्नोलॉजी लेना ठीक है, लेकिन पश्चिम की संस्कृति इस देश में आए और हम अपनी संस्कृति छोड़ दें, यह ठीक नहीं है। अत: हम अपनी संस्कृति के साथ इन चीजों के आधार पर एक आधुनिकतम देश बनना चाहते हैं, जिसका राष्ट्रपति जी ने उल्लेख किया है।

अध्यक्ष महोदय, हमने अपने पड़ोसी देशों के साथ सम्बन्ध सुधारे हैं। उनको शांति का पैगाम दिया है। इसलिए लाहौर के लिए बस यात्रा शुरू की गई, जिसमें वाजपेयी जी भी वहां गए थे। राष्ट्रपति जी ने जिक्र किया है कि हम शांति चाहते हैं, परंतु शांति के साथ हम अपनी सेनाओं को इतना श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं कि दुनिया की कोई भी ताकत हमारी तरफ आंख उठाकर न देख सके। मुझे आश्चर्य हुआ जब हमने अपने देश में परमाणु विस्फोट किया तो कांग्रेस पार्टी की नेता और दूसरे दलों के नेताओं ने यहां पर कहा कि इस देश में पीने को पानी नहीं, खाने को रोटी नहीं और हम चले हैं अणुशक्ति सम्पन्न राष्ट्र बनने। यही विचारधारा थी जिसने हमें एक हजार साल तक गुलाम बनाए रखा। हमने अपनी सेनाओं को पहले कभी श्रेष्टतम हथियार प्रदान नहीं किए इसलिए एक हजार साल तक हम गुलाम रहे।

हम शांति चाहते हैं। हम चाहते हैं कि विभिन्न देशों के साथ हमारे संबंध सुधरें। परन्तु इतनी ताकत भी पीछे रखना चाहते हैं कि शांति का सन्देश सुना जा सके। गीता में कहा है :-

"यत्र योगेश्वर कृष्ण: यत्र पार्थो धनुर्धर:
तत्र श्री विजयर्मूति ध्रुव: नीतिर्मतिमम्"

आगे-आगे शान्ति के दूत कृष्ण होने चाहिए, परन्तु उनके साथ धनुषधारी पार्थ अर्जुन भी होने चाहिए, तभी दुनिया उस आवाज को सुनती है। लाहौर की बस यात्रा के पहले यहां अगर अणु विस्फोट न हुआ होता, तो आज कारगिल का युद्ध इस प्रकार से पाकिस्तान वापिस लेने के लिए बाध्य न होता। इसलिए देश के सैनिकों को आधुनिक हथियारों से सुसज्जित करना बहुत जरूरी है।

राष्ट्रपति जी ने अभिभाषण में आतंकवाद का उल्लेख किया है। मैं कहना चाहता हूं कि आतंकवाद पर काफी काबू पाया गया है। पाकिस्तान में चाहे सैनिक सरकार हो या दूसरी सरकार हो, चाहे एक की हो या दूसरे की, वे हिन्दुस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा देते रहे हैं। कारगिल के युद्ध में तो 400-500 जवान शहीद हुए, परन्तु प्रोक्सी वार में तो 500 से भी ज्यादा जवान शहीद हो चुके हैं। कश्मीर के अन्दर, पूर्वी प्रदेशों में तथा देश के अन्य सभी भागों में, पाकिस्तान की आई.एस.आई. एजेंसी देश में आतंकवाद को फैला रही है और उसकी लपटे उठा रही है। उसका मुकाबला पिछले एक-डेढ़ साल में बहुत ढंग से किया गया है। काफी कुछ काबू किया गया है, परन्तु बहुत कुछ बाकी है। टाडा कानून खत्म हो गया है। इस कानून का कहीं-कहीं पर दुरुपयोग हुआ, इसलिए इसको हटा दिया गया। बिना किसी कानून के आतंकवाद पर काफी काबू पाया गया है। आतंकवाद फैलाने वाले लोगों, तस्करों और दूसरे लोगों का मुकाबला करने के लिए कैसे कानून की जरूरत हो, कानून क्या हो, इसके बारे में सभी पार्टियां मिलकर विचार कर सकते हैं।

महोदय, कुछ सवाल ऐसे हैं, जिन पर सब को मिलकर आम-सहमति के साथ करने की जरूरत है। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में जनसंख्या विस्फोट का उल्लेख किया है। इस देश में जब तक जनसंख्या पर काबू नहीं पाया जाएगा, जब तक यहां पर बढ़ती हुई आबादी को रोका नहीं जाएगा, तब तक सारे के सारे विकास के काम धरे रह जायेंगे। इसीलिए राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में उल्लेख किया है कि जनसंख्या पर नियन्त्रण किया जाए। इसमें कोई पार्टिओं का सवाल नहीं है। जनसंख्या नियन्त्रण, गरीबी हटाना, गरीबी उन्मूलन, हमारी विदेश नीति और साथ ही प्रदूषण, ऐसे सवाल हैं, जिन पर आम-सहमति हो सकती है। इस पर सभी दल मिलकर सहयोग दें *(व्यवधान)* जितने भी दल यहां पर बैठे हैं, वे सहयोग दें।

महोदय, पिछले साल हमारे दल ने जब सत्ता संभाली थी, उस समय दुनिया में मानव विकास की दृष्टि से 138वां स्थान था। यह हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है और बड़े दु:ख की बात है कि दुनिया में 160-170 देश हैं, देशों की संख्या घटती-बढ़ती रहती है, और हमारे देश का स्थान 13वां है। इस साल हम 130वें स्थान पर पहुंचे हैं। 138वें स्थान से 130वें स्थान पर पहुंचना हमारे लिए कोई गौरव की बात नहीं है। हमारी सरकार ने इस बात का संकल्प किया है, राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में इसका उल्लेख किया है कि आने वाली शताब्दी में, अगले दस वर्षों में, दुनिया में हम पहले दस स्थानों पर आ जायें। हम आ सकते हैं, अगर हमारा राष्ट्र इसके लिए संकल्प करे। सारा देश इसके लिए प्रयास करें और सभी दल मिलकर इस देश को दुनिया के पहले दस देशों में लाने के लिए प्रयास करें और हमें सहयोग दें। मैं समझता हूं कि आने वाली शताब्दी भारत की शताब्दी होगी।

इन शब्दों के साथ मैं राष्ट्रपति जी से अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, जैसा कि 25 अक्तूबर, 1999 को लोक सभा में हुई दलों और समूहों के नेताओं की बैठक में निर्णय लिया गया था कि सभा की बैठक 26 से 29 अक्तूबर, 1999 तक मध्याह्न भोजन के समय भी होगी ताकि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और महत्वपूर्ण सरकारी कार्य पर होने वाली चर्चा में अधिक से अधिक सदस्य भाग ले सकें। मुझे आशा है कि यह सभा इस बात से सहमत होगी।

श्री वैको (शिवकाशी) : अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का मौका देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं यहां खड़ा होकर बहुत ही भावुक, प्रसन्न, दृढ़ संकल्प और संतुष्टि की भावना महसूस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने सम्माननीय साथी श्री विजय कुमार मल्होत्रा के उस धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है जो उन्होंने भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के समक्ष दिए गए अभिभाषण पर पेश किया है।

महोदय, वास्तव में मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि प्रधान मंत्री के पद पर प्रतिष्ठित व्यक्ति एक निर्णायक जनादेश के साथ तथा अध्यक्ष के पद पर प्रतिष्ठित व्यक्ति अपने पद पर फिर से वापस आ गए हैं। भारत के पांच दशकों के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है और यह एक अभूतपूर्व मौका है। मैं इसलिए भी खुश हूँ कि मुझे पिछले वर्ष भी 30 मार्च, 1998 को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर दिए गए धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने का मौका मिला था।

महोदय, शिवकाशी निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं का तहेदिल से आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने मुझे इस तेरहवीं लोकसभा की चर्चा में भाग लेने का मौका दिया है।

13 अक्तूबर को जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने राष्ट्रपति भवन के खुले प्रांगण में शपथ ली थी तो सभी राजनितिक दलों ने हर कोने से उन्हे बधाइयां दी थी। यहां इतनी दूरी पर बैठकर हमने इस खुशी के मौके पर होने वाली आतिशबाजियों की आवाज सुनी थी। उसी समय इस्लामाबाद के लोगों के कानों में सैनिक कार्रवाई की हलचल सुनाई दी थी। जब हमारे देश से हर दिशा में लोकतंत्र का प्रकाश फैल रहा था उस समय पड़ौसी देश में सेना की सत्ता पर काबिज होने की प्रक्रिया चल रही थी।

उस समय मेरे दिमाग में कालेज के दिनों में पढ़ी कारलायल की महान कृति फ्रांसिसी आंदोलन के आधार पर महान उपन्यासकार "चार्ल डिकेंस" द्वारा लिखित पुस्तक "ऐ टेल ऑफ टू सिटीज" की ये पंक्तियां याद हो आई। ये इस प्रकार है :-

> "यह सबसे अच्छा समय था, यह सबसे खराब समय था; यह विवेक का युग था, यह मूर्खता का युग था; यह विश्वास का युग था, यह अविश्वास का युग था; यह रोशनी का समय था, यह अंधेरे का समय था; यह आशा का बसंत था, यह निराशा की सर्दी थी; हमारे सामने सब कुछ था, परन्तु हमारे सामने कुछ नहीं था; हम सभी सीधे स्वर्ग जा रहे थे, हम सभी दूसरी दिशा की ओर जा रहे थे।"

संक्षेप में, यह अवधि उस अवधि से सदृश थी कि बहुचर्चित सत्ता अपनी स्वीकार्यता के लिए दबाव बनाए हुए थी चाहे उसमें अच्छाई हो या बुराई, उसे पूर्ण रूप से स्वीकार किया जाए या तुलनात्मक दृष्टि से।

यह बात मेरे मस्तिष्क में आई। अगले ही दिन जब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अपनी खुशी और बधाई प्रकट करने के लिए मिला था, जब मैंने उनसे पाकिस्तान की घटना के बारे में बताया था तो श्री वाजपेयी जी ने मुझसे अपने काव्यात्मक अंदाज में कहा था कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वह 'दिन में अंधेरा' जैसा है। इसके साथ ही उन्हें काफी दुख हुआ। उन्होंने पाकिस्तान के लोगों के कल्याण और भलाई पर चिंता व्यक्त की थी। उस समय मुझे बहुत गर्व हुआ की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेता का स्थान आज विश्व में राजनीतिज्ञों में सबसे ऊपर है।

इसके साथ-साथ, मुझे याद है, इस वर्ष 17 अप्रैल, शनिवार का वह दिन जो लोक सभा के इतिहास में काले दिवस के रूप में अंकित होगा, जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक चुनौतीपूर्ण विवादास्पद मत से विश्वास मत पाने में असफल रही थी। उस समय मैं थोड़ा उदास हुआ था परन्तु उन्होंने इसे जिन्दादिली से लिया था। तब मुझे एक महान कवि की यह पंक्ति याद आई जिन्होंने कहा था : "अगर पतझड़ आता है तो बसंत दूर नहीं रह सकता।"

हां मुझे याद है कि विपक्ष के मेरे एक मित्र ने कहा था कि वे 'पांच मिनट' के अंदर, यहां तक कि 'एक मिनट' के अंदर सरकार बना देंगे। श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक वाक्य में कहा था कि आप कौन सा विकल्प देने वाले हैं। आप सरकार गिरा सकते हैं? आप कौन सा विकल्प देने वाले हैं? निराशा की यही आवाजें आई कि ढुलमुल संसद होगी और फिर से एक बार ढुलमुल लोकसभा होगी। परंतु हताशा, कुंठा और निराशा की आवाजों को लोगों ने पूर्ण रूप से ठुकरा दिया और ये आवाजें हवा में, कहीं विस्मृति में खो गई। लोगों ने एक स्थाई सरकार के लिए निर्णायक जनादेश दिया है। यह सरकार पूरे पांच वर्ष चलेगी।

चुनाव के संबंध में श्री विनस्टन चर्चिल के शब्दों का उल्लेख करना बहुत उचित होगा :-

> "लोकतन्त्र को अर्पित की जाने वाली श्रद्धा एवं प्रशंसा में सबसे पहले यह होता है कि एक छोटा आदमी एक छोटी पेंसिल लेकर एक छोटे बूथ की ओर जाता है और पेपर के एक छोटे टुकड़े पर एक छोटा चिन्ह लगाता है — लोकतन्त्र पर की जानेवाली प्रभावशाली या विस्तृत चर्चा भी कम नहीं कर सकती इस छोटे आदमी के महत्व को।"

अपराह्न 12.59 बजे

[श्री पी०एम० सईद *पीठासीन हुए*]

लोगों ने अपना जनादेश दे दिया है। जब माननीय राष्ट्रपति द्वारा दिया गया अभिभाषण हमने सुना तो हम इतने खुश क्यों हुए थे? उन्होंने अपने अभिभाषण में वास्तविक भारत, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का प्रतिनिधित्व किया है। चुनाव से पहले लोगों के सामने एक संयुक्त घोषणा पत्र रखा गया था अर्थात् गौरवशाली और उन्नतशील

भारत के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का घोषणा-पत्र। राष्ट्रपति ने इसे इस देश का नीतिगत दस्तावेज बताया है। यह राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का, इस सरकार का नीतिगत दस्तावेज है। इस नीति के बारे श्री जवाहर लाल नेहरू ने प्रांतीय स्वायत्तता, राज्य स्वायत्तता के संबंध में भी कहा था।

राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण के पृष्ठ 2 के पैरा 5 में कहा है :-

"राष्ट्रीय स्तर पर एक स्थायी और सुसंगत साझेदारी से देश के कार्यों के प्रबंधन में क्षेत्रीय दलों की भागीदारी हमारे लोकतंत्र और संघीय राज-व्यवस्था के लिए शुभ लक्षण है।"

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि "गौरवशाली, सम्पन्न भारत का एजेन्डा" जो सरकार का एक साझा नीतिगत दस्तावेज है, में पंथनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, संघीय सौहार्द, सत्यनिष्ठा और सामाजिक-आर्थिक समानता के सिद्धान्तों के प्रति अपनी आस्था को पुन: दोहराया गया है।

उनके अभिभाषण की ये मुख्य विशेषताएं हैं।

डी०एम०के० पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय महान अन्ना के सच्चे अनुयायी के रूप में, इस समय मुझे उनके द्वारा कही गई बात का उल्लेख करते हुए बहुत हर्ष हो रहा है :-

"भारत के संविधान की उद्देशिका में स्पष्ट कहा गया है कि राजनैतिक संप्रभुता जनता के हाथों में होती है। इसके पश्चात् विधायी सम्प्रभुता, केन्द्रीय संघ और इसकी घटक इकाइयों में विभाजित होती है। आप यह क्यों नहीं मानते कि हमारी योजना राज्यों को और अधिक प्रभावी सम्प्रभुता सम्पन्न इकाइयां बनाना है ? आप इसे उस दृष्टि से क्यों नहीं देखते हैं?"

अपराह्न 1.00 बजे

"सम्प्रभुता पूरी तरह एक विशेष स्थान पर ही नहीं रहती। हमारा संघीय ढांचा है। संविधान के निर्माता संघीय ढांचा बनाना चाहते थे न कि एकात्मक क्योंकि कई राजनैतिक विचारकों के अनुसार भारत बहुत विशाल देश है। वास्तव में, इसे उपमहाद्वीप कहा जाता है—इसकी मानसिकता बहुत ही विविध है, इसके रीति-रिवाज एकदम भिन्न हैं, इतिहास इतना विविध है—कि हम कोई नपा तुला स्थिर एकात्मक ढांचा नहीं बना सकते। यहां, हमें इस संविधान के संघीय ढांचे का समर्थन करना चाहिए और एकात्मक ढांचे का विरोध, इसे राजनैतिक परिप्रेक्ष्य में उच्चतम शिखर तक ले जाना चाहिए और संघ को वास्तविक संघ बनने के लिए खुला छोड़ देना चाहिए।"

यह उस लक्ष्य की ओर शुरूआत है। यह उस लक्ष्य के बारे पूरा ब्यौरा है।

मेरे मित्र विशेषकर श्री सोमनाथ चटर्जी और श्री इन्द्रजीत गुप्त संघात्मक राजनीति और संघात्मक सौहार्दता की उद्घोषणा के बारे में सुनकर अपने मन में बहुत खुश होंगे क्योंकि अब वे दिन नहीं रहे जब एकाधिकार प्राप्त नेतृत्व क्षेत्रीय अकांक्षाओं को बर्बाद करके राजनीतिक नाटक रच सके। उन्हें भी इससे सीख लेनी चाहिए।

वर्ष 1974 में डी०एम०के० सरकार ने जब कालैग्नर करूणानिधि मुख्य मंत्री थे—राज्य स्वायत्तता के लिए राज्य विधानसभा में सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित किया था। उसके बाद पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्य मंत्री श्री ज्योति बसु ने राज्य स्वायत्तता पर श्वेत-पत्र जारी किया था। यही बात अकाली मित्रों ने अपनाई, यही बात तेलुगुदेशम ने अपनाई और यही बात नेशनल कान्फ्रेंस ने भी अपनाई थी।

हम सभी सामूहिक विवेक से सांझे घोषणा पत्र पर सहमत हुए हैं। अत: संघीय पद्धति की दिशा में इस प्रयास में मुझे अत्यन्त प्रसन्नता हुई है।

जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी अरियंगर अन्ना के 89वें जन्मशती सम्मेलन में भाग लेने आए थे तो मरीना तट पर उन्होंने ऐतिहासिक भाषण दिया था। उन्होंने कहा था कि द्रविड़ आन्दोलन की शुरूआत देश में लोकतन्त्र के दिन में हुई है और डॉ० अन्ना ने सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए सामाजिक न्याय का आह्वान किया था। अब जब वही आवाज मुझे गंगा और यमुना के किनारे पर बसने वाले स्थानों में सुनने को मिली है तो मुझे अत्यन्त प्रसन्नता होती है। हमें खुशी है कि अन्ना और पेरियार का स्वर न केवल दक्षिण में बल्कि पूर्व, पश्चिम और उत्तर दिशाओं में भी गूंज रहा है।

अब मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहीं गई कुछ विशेष बातों पर अपने विचार रखना चाहूंगा। इसमें कहा गया है कि कृषि और कृषि आधारित लघु उद्योगों पर अधिक बल दिया जाएगा, रोजगार के अवसरों का सृजन किया जाएगा? स्वास्थ्य देखभाल की गारंटी दी जाएगी दूरस्थ इलाकों व गावों में स्वच्छ और साफ पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा, महिला साक्षरता और प्राथमिक शिक्षा, सभी के लिए आश्रय जैसे कार्यक्रमों पर ध्यान दिया जाएगा। भारत को सूचना प्रौद्योगिकी की महाशक्ति बनाया जाएगा। विद्युत और ऊर्जा क्षेत्रों में विशेष रूप से आधारमूल ढांचे को मजबूत बनाया जाएगा। भारतीय वस्त्र उद्योग को आधुनिक और पुनर्गठित किया जाएगा, व्यापक चुनाव सुधार किये जाएंगे, भ्रष्टाचार के नासूर का उन्मूलन किया जाएगा, लोकपाल विधेयक के कार्यक्षेत्र का विस्तार किया जाएगा ताकि माननीय प्रधानमन्त्री के पद को इसमें शामिल किया जा सके आदि-आदि। हमें अथवा अटल जी को संसद और राज्य विधानपालिकाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण को लागू करने का श्रेय प्राप्त होगा। समग्र विश्व में हमारा देश पहला लोकतांत्रिक देश होगा जहां संसद तथा राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण होगा। स्वाभाविक है यह श्रेय प्रधानमंत्री को प्राप्त होगा।

मैंने सम्मानित मित्रों द्वारा प्रस्तावित किये गए कुछ संशोधनों का अध्ययन किया है। मैं बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक के ऐजेंडे का उद्देश्य देश को स्वाभिमानी और समृद्ध भारत के रूप में स्थापित करना है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस बात का स्पष्ट वर्णन किया गया है कि यह राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नीति दस्तावेज पर आधारित हैं।

अत: इसमें लगभग सभी बातों का वर्णन किया गया है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि पिछले 45 वर्षों से उनके दल की सरकार थी

[श्री वैको]

लेकिन उन्होंने सेतू समुद्रम नहर जैसी परियोजना जो पिछले 138 वर्षों से लम्बित पड़ी हुई है को क्रियान्वित करने के बारे में कभी भी नहीं सोचा। यह तो प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे जिन्होंने मरीना तट में एकत्र हुए लोगों को सम्बोधित करते हुए कहा था कि सेतु समुद्रम नहर परियोजना को क्रियांवित किया जाएगा। इसका वर्णन ऐजेण्डा में भी किया गया है।

महोदय, यह मेरा परम कर्त्तव्य है कि मैं उन शहीदों के प्रति नतमस्तक होऊँ जिन्होंने कारगिल और द्रास क्षेत्र में अपना लहू बहाया है और प्राण न्यौछावर किये हैं जब पोखरण में परमाणु परीक्षण किये गए थे तो लोगों ने हर ओर से इसकी आलोचना की थी लेकिन दूरदर्शिता दिखाते हुए माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने पड़ोसी देश, जिसने प्रच्छन्न रूप से पर्याप्त परमाणु हथियार रखे हुए थे, की दुर्भावना को जान लिया था और इसलिए उन्होंने परमाणु परीक्षण करने का आदेश दिया था ताकि जिससे यह देश परमाणु शक्ति सम्पन्न देश बन गया उसी भावना के साथ जब उन्होंने अमृतसर में लाहौर की यात्रा की तो मित्रता और शान्तिपूर्वक सहअस्तित्व का संदेश दिया। तब विश्व को पता चला कि यह व्यक्ति शांति और मित्रता का समर्थक है।

आतंकवादियों के वेश में पाकिस्तान की सेना ने हमारी भूमि पर कब्जा करने के लिए हमारी सीमा का अतिक्रमण किया। भारत की सरकार, सशस्त्र बल और जनता ने चुनौती का डट कर मुकाबला किया। मुझे अपने राज्य के तमिल नवयुवकों : मेजर श्रवणन, मुदिलम, नटराजन, कामराज, शैफुल्ला, अब्दुल सत्तार, पलानी, जयाबाबू और अन्य सभी पर गर्व है जिन्होंने उत्तरप्रदेश और बिहार की रेजीमेंटों में रहकर हिमालय की उच्च चोटियों पर, अपने प्राणों को खतरे में डालकर और तोपों, आग और गोलियों की परवाह किये बिना अपने प्राणों की आहुति दे दी। मैं इस देश के शहीदों चाहे वे सैनिक हैं अथवा वायुसेना के जांबाज हैं उनके अतुलनीय शौर्य और त्याग के लिए उनको सलाम करता हूँ।

महोदय, हमने यह युद्ध जीता और राजनैतिक तौर पर भी हमने विजय प्राप्त की। राजनयिक मोर्चे पर पहली बार भारत को बेहतरीन विजय प्राप्त हुई। राजनयिक आक्रामकता के इस दौर में पहली बार भारत को शानदार विजय हासिल हुई जब पूरे विश्व ने हमारा साथ दिया। सयुंक्त राज्य अमरीका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और यहां तक कि चीन ने भी पुराने मित्र पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। उल्लेखनीय उपलब्धि यह है कि इस्लाम देशों के संगठन के किसी भी प्रधान ने, एक भी मुस्लिम देश ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। इसके कई कारण हैं।

हमने नियन्त्रण रेखा को पार न करके प्रशासनीय संयम दर्शाया। यदि हम नियन्त्रण रेखा पार कर लेते तो भी कुछ गलत नहीं था ऐसा विश्वभर में होता रहा है। कई देशों ने ऐसा किया भी है। लेकिन हमने नियन्त्रण रेखा को पार न करके प्रशंसनीय संयम दर्शाया है। पंडित जवाहर लाल नेहरू, विश्व के महान नेताओं में से एक हैं विश्व में उनका सम्मान एशिया के रत्न के रूप में किया जाता है। पूरा विश्व उनका सम्मान करता था लेकिन उस समय पाकिस्तान के साथ हमारे मतभेदों पर विश्व बंट गया और कई देशों ने हमारा समर्थन नहीं किया था।

श्रीमती गांधी की प्रसिद्धि विश्व के अत्यन्त सम्मानित नेता के रूप में श्रीमती मारग्रेट थ्रेचर से भी अधिक थी। विश्व उनका सम्मान करता था। लेकिन बंगलादेश के युद्ध में पूरे विश्व ने भारत का समर्थन नहीं किया था। यह वास्तविकता थी। लेकिन पहली बार पूरे विश्व ने हमारा समर्थन किया है और हमारा साथ दिया है। यह सरकार के प्रशंसनीय रवैये और नीति के कारण हुआ है। 17 अप्रैल को लाखों लोगों, जो दूरदर्शन पर देख रहे थे और आकाशवाणी से सुन रहे थे को झटका लगा और वह दुखी हो गए जब उन्हें वाजपेयी सरकार के गिरने का समाचार मिला। यह प्रजातन्त्र की कमजोरी नहीं है बल्कि प्रजातन्त्र की शक्ति है। तत्पश्चात् इस देश के प्रत्येक गांव, शहर और महानगर के घर-घर में अटल जी की चर्चा होने लगी। जहां कहीं भी मस्जिद है अर्थात् मुस्लिम देशों ने भी हमारा समर्थन किया है और उन्होंने पाकिस्तान का समर्थन नहीं किया है। पूरे विश्व में जहां भी चर्च हैं उन्होंने भी हमारा समर्थन किया है।

इस समय यदि मैं पोप जॉन पाल की यात्रा के बारे में बात नहीं करता हूँ तो मैं अपने कर्त्तव्य का निर्वहन करने में असफल रहूंगा। यह देश सभ्यता का पालन करता रहा है। इस देश में पहला चर्च पहली शताब्दी में केरल में बनाया गया था। हिन्दू राजा ने इसके लिए भूमि आवंटित की थी जिसका जिक्र प्रधानमंत्री द्वारा अपने भाषण में किया गया है। जब इस्लाम आया तो हमने पूरे प्रेम और अनुराग से उसे अपनाया। मस्जिदों का निर्माण किया गया। मुझे अभी भी श्री अटल बिहारी वाजपेयी के शब्द याद हैं जो उन्होंने अपने 13 दिन के शासन काल के दौरान कहे थे। अपने भाषण में उन्होंने कहा था "हमने धर्मनिर्पेक्षता किसी से नहीं सीखी है धर्मनिर्पेक्षता हमें मां के दूध में जन्मघूंटी के साथ मिली है।" जब भी चर्च पर आक्रमण हुए और जब भी अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हुए वह इसकी भर्त्सना करने वाले पहले व्यक्ति होते थे। पोप जॉन पाल इस देश का दौरा करने जा रहे हैं जब उन्होंने 1986 के दौरान हमारे देश का दौरा किया था तो उन्होंने हमारी संस्कृति, धर्म, सभ्यता और विश्वास की प्रशंसा की थी। इसी प्रकार जब स्वामी विवेकानन्द ने शिकागो की यात्रा की थी तो उन्होंने जनसभा को सभी धर्मों का समान आदर करने की बात कहकर, विस्मित कर दिया था।

महोदय, पोप जॉन पाल के सचिव और वेटिकन शहर के अन्तर धार्मिक संवाद विशप परिषद के प्रेजीडेन्ट ने हिन्दू मित्रों के लिए सन्देश भेजा है। जिसमें कहा गया है :-

"प्रिय हिन्दू मित्रों,

जैसा कि आप दीपावली का धार्मिक पर्व मनाते हैं जो असत्य पर सत्य की विजय, अन्धकार पर प्रकाश की, मृत्यु पर जीवन की, बुराई पर अच्छाई की, यहां पर शान्ति की विजय का प्रतीक है। मैं आप सभी को आपकी परम्परा के अनुसार आरम्भ होने वाले नए वर्ष के लिए ईश्वर की अत्यधिक असीम कृपा और आनन्द की कामना करता हूँ। दीपावली प्रमुख हिन्दू पर्व है जो विभिन्न धार्मिक परम्पराओं के लोगों के लिए खुशी का अवसर है जो लोगों को आपस में नजदीक लाने, मित्रता और सहयोग की भावना का संचार करने का कार्य करता है। एक ही मूल और सहभागिता को प्रतिध्वनित करता है। यह विश्व में झेली जा रही कई धार्मिक और सामाजिक समस्याओं से निपटने की दिशा में रचनात्मक प्रयास है।"

अतः वेटिकन सिटी से यह सन्देश है। पोप की यात्रा के बारे में यहां-वहां आवाजें उठाई गई थी। मैं सभी लोगों से चाहे वह किसी भी तबके से सम्बंधित हो, अनुरोध करना चाहता हूँ कि वह इस प्रकार के वक्तव्य न दें क्योंकि पूरे विश्व की निगाहें हमारी ओर हैं।

हमें स्वर्ण अवसर प्राप्त हुआ है। प्रकृति की देवी अटल जी पर मेहरबान है जिसने उन्हें देश को तीसरी सहस्राब्दी के प्रारम्भ में, 21वीं शताब्दी के द्वार पर ले जाने और इस देश के गणतन्त्र की स्वर्ण जयन्ती की पूर्व संध्या पर बोलने का स्वर्णिम अवसर दिया है। हम में विश्व का नेतृत्व करने की क्षमता है। कई वर्ष पूर्व, दो गुट थे पूंजीवाद गुट और साम्यवादी गुट। एक का नेतृत्व रूस करता था और दूसरे का नेतृत्व अमरीका करता था। वे दिन बीत गए। इस प्रिय मातृभूमि का नागरिक होने के नाते मैं आशा करता हूँ कि एशिया को तीसरी सहस्राब्दी का नेतृत्व करना चाहिए। यदि एशिया 21वीं सदी का नेतृत्व करता है तो स्वाभाविक है भारत 21वीं सदी का नेतृत्व करेगा। यह निश्चित है। वह समय आ रहा है। अतः यहां चाहे जो कुछ कहा जाए, हिन्दू मन्दिरों का निर्माण न्यूयार्क, वाशिंगटन, पेरिस और लन्दन में हो चुका है। उनका सम्मान होता है। पिछले दस वर्षों से विश्व के सभी चर्च तीसरी सहस्राब्दी में जाने की तैयारी के साथ-साथ ईसा मसीह का जन्म दिवस मनाने की भी तैयारी में जुटे हुए हैं।

श्री पी०सी० थामस (मुवत्तुपुजा) : क्या यह दुखदायी नहीं है कि राजधानी में पोप का पुतला जलाया गया था?

डॉ० विजय कुमार मल्होत्रा : नहीं, पुतला नहीं जलाया गया था।

श्री पी०सी० थामस : जी हां, वह जलाया गया था यह समाचार-पत्र में प्रकाशित हुआ था। मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूँ लेकिन क्या यह दुखदायी नहीं है? *(व्यवधान)*

श्री वैको : कृपया सोच समझ कर बोलिए। यह सत्य नहीं है *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : वे मान नहीं रहे हैं। यदि वह चुप होंगे तभी आप बोल सकते हैं।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी (गढ़वाल) : महोदय, या तो इस वक्तव्य को कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए अथवा उन्हें इसका प्रतिवाद करने की अनुमति दी जानी चाहिए *(व्यवधान)* यदि यह बात सत्य नहीं है तो उन्हें *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री थामस कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री वैको : महोदय, ऐसा कुछ नहीं हुआ है *(व्यवधान)* हम सभी को पोप जॉन पाल का अभिवादन करना चाहिए। वह यहां विशेष सभा के समापन कार्यक्रम पर आ रहे हैं। वह एक प्रयोजन हेतु आ रहे हैं। उन्होंने काफी विचार-विमर्श और गहन अध्ययन के पश्चात् भारत का चयन किया था। वह यहां विशप सभा के समापन के लिए और धर्मप्रचारक उद्‌बोधन (ऐपस्टोलिक एग्जॉरटेशन) नामक दस्तावेज जारी करने के लिए आ रहे हैं। जब ईसा मसीह ने शूली पर अपना खून बहाया था तो उन्होंने सहिष्णुता और क्षमा और प्रेम और अहिंसा का संदेश दिया था।

महोदय, यह वैमनस्य का अवसर नहीं है यह नफरत अथवा कटुता फैलाने का अवसर नहीं है। यह ऐसा मौका है जिसका हम सभी को स्वागत करना चाहिए। पूरा विश्व हमारी ओर देख रहा है। मैं आशा करता हूँ कि पिछले 45 वर्षों तक सत्ता पक्ष में बैठने वाले हमारे मित्रों ने निसन्देह कुछ सबक तो सीखा ही होगा और मैं आशा करता हूँ कि वह रचनात्मक आलोचना करने वाले प्रभावशाली विपक्ष के रूप में स्वयं को साबित करेंगे और इस बात को प्रमाणित करेंगे कि वह सत्ता के बिना भी जीवित रह सकते हैं। सत्ता के प्रति उनकी भूख उनकी प्यास इतनी तीव्र थी कि उन्होंने सरकार गिरा दी।

वह उनका तरीका है। उन्होंने न केवल केन्द्र सरकार को अस्थिर किया बल्कि 95 बार राज सरकारों को भी अस्थिर किया। यदि वह जानबूझ कर विपक्ष में बैठने का निर्णय कर चुके हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री वैको कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित कीजिए।

श्री वैको : उनके साथ यही समस्या है। उन्हें धीरजपूर्वक इन्तजार करना चाहिए *(व्यवधान)*

यहां तक कि हाल ही में उन्होंने कहा था कि वे पंचमढ़ी घोषणा पत्र को पुनः लागू करेंगे। उन्होंने कहा था कि वे क्षेत्रीय दलों को समाप्त करने की कोशिश करेंगे। यह किसी एक दल के एकछत्र शासन का उदाहरण है। परंतु देश इसके लिए तैयार नहीं है। इसका परिणाम यह हुआ कि उन्हें लोकसभा में अब तक का सबसे कम प्रतिनिधित्व मिला। *(व्यवधान)*

मैं नहीं कहता कि आपका अस्तित्व मिट जाएगा। आप एक ताकत हैं। आपकी एक परंपरा रही है। आपका एक इतिहास रहा है। आपने एक गलत कदम उठाया है। आपको मतों का अधिक प्रतिशत मिल सकता था। अगर आप मतों का प्रतिशत गिनें तो आप देखें कि आपने कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा है? इस बार ऐसा पहली बार हुआ है कि आपने कुछ राज्यों में बड़े दलों के साथ गठबंधन किया था। क्या आप उनके मतों के प्रतिशत का भी हिसाब लगा रहे हैं? *(व्यवधान)*

अगर मैं चाहूं तो मैं जा सकता हूँ। मैं आपको साथ नहीं लूंगा। उन्होंने कोई सीख नहीं ली है। इसलिए, मतदाताओं ने अपने विवेक के अनुसार उन्हें सही जगह पहुंचा दिया है क्योंकि उन्होंने तत्कालीन सरकार को गिरा दिया था। यह सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। इसलिए, मैं अपने मित्रों से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे रचनात्मक अलोचना के साथ-साथ सहयोग भी करें।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : मैं प्रधानमंत्री की एक आलोचना करना चाहता हूँ। उन्हें आपको मंत्रीमंडल में लेना चाहिए था।

श्री वैको : वे मुझे लेना चाहते थे। परन्तु मैं इस संसद में ही रहना चाहता हूँ। मुझे उन पर गर्व है। देश को उन पर गर्व है। देश की जनता को उन पर गर्व है। पूरे राष्ट्र को उन पर गर्व है।

इसलिए, मैं एक बार फिर अपने मित्रों से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे पांच वर्षों के लिए धैर्य रखें। अगर सब कुछ ठीक रहा तो कम से कम सत्ता में वापस आने की कोशिश करें। परन्तु मुझे नहीं

[श्री वैको]

लगता कि अटल जी आपको यह मौका देंगे। इसलिए मैं इस सभा के सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि श्री विजय कुमार मल्होत्रा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करें।

मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :-

"कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए:-

> "कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए जो उन्होंने 25 अक्तूबर, 1999 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यंत आभारी हैं"

इस सभा में उपस्थित माननीय सदस्य, धन्यवाद प्रस्ताव पर जिनके संशोधन परिचालित किए गए हैं, अगर वे चाहें, तो पंद्रह मिनट के अंदर पर्चियों पर उन संशोधनों की क्रम संख्या देते हुए, जिन्हें वे प्रस्तुत करना चाहते हैं, अपने संशोधन सभा पटल तक भेज सकते हैं।

उसके तुरंत बाद उन संशोधनों को पेश किया गया मानकर उनकी क्रम संख्या वाली सूची सूचनापट्ट पर लगा दी जाएगी। अगर किसी सदस्य को इस सूची में कोई असंगति दिखाई देती है तो वह इसे सभा पटल के अधिकारी की जानकारी में ला सकता है।

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : मुझे एक निवेदन करना है। मेरे संशोधनों में से तीन संशोधन सूची में अंकित नहीं हैं। उनका यहां कोई उल्लेख नहीं हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि इस संबंध में निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है।

श्री त्रिलोचन कानूनगो (जगतसिंहपुर) : हमें कल या आज कोई डाक नहीं मिली है।

श्री पवन कुमार बंसल : मुझे ऐसे किसी नियम की जानकारी नही है जो संशोधनों को दर्शाने वाले किसी प्राधिकारी के बारे में हो।

सभापति महोदय : मैं इसकी जांच करूंगा।

श्री जी०एम० बनातवाला (पोन्नानी) : मेरा भी एक संशोधन परिचालित नहीं किया गया है और मैं नहीं जानता हूं कि इसे कैसे पेश किया जाए। यह संशोधन इस बारे में है कि रूस द्वारा चेचन्या पर किए गए हमले की कोई निंदा नहीं हुई है।

महोदय, मैं अनुरोध करता हूं कि मुझे यह विशेष संशोधन प्रस्तुत करने की इजाजत भी दी जाए कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में रूस द्वारा चेचन्या पर किए गए हमले की कोई निंदा नहीं की गई है। यह चेचन्या के नागरिकों पर किया गया बहुत ही अमानवीय हमला है और इस सभा में इस पर गौर की जानी चाहिए। दुर्भाग्य की बात है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहीं भी इस निंदा का उल्लेख नहीं है।

मैंने संशोधन का एक नोटिस दिया है परंतु मुझे लगता है कि संशोधन की प्रतियां परिचालित नहीं की गई हैं।

सभापति महोदय : आपका संशोधन अस्वीकार कर दिया गया और इसकी सूचना दे दी गई है।

श्री जी०एम० बनातवाला : मुझे अभी-अभी बताया गया है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मुझे इसकी अनुमति दी जाए। नागरिकों और अस्पतालों पर किया गया यह बहुत ही अमानवीय हमला था।

सभापति महोदय : आपका संशोधन दोस्ताना विदेशी सरकार के प्रति अनादर दर्शाता है और इसी कारण इसकी अनुमति नहीं दी गई है।

श्री जी०एम० बनातवाला : इसमें अनादर का कोई प्रश्न ही नहीं है। नागरिकों पर हमला किया गया है और अस्पतालों पर भी हमला किया गया है। क्या हम सभी अंतर्राष्ट्रीय करारों और मानवाधिकारों के उल्लंघन के मूकदर्शक बने रहेंगे?

सभापति महोदय : नियमों के आधार पर ही इसकी अनुमति नहीं दी गई है।

श्री जी०एम० बनातवाला : मुझे पेश करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : अभी नहीं। आप किसी अन्य समय ऐसा कर सकते हैं। अब श्री शिवराज पाटील जी बोलेंगे।

श्री शिवराज वी० पाटील (लातूर) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं माननीय अध्यक्ष महोदय को बधाई देना चाहता हूं जिन्हें सम्माननीय उच्च पद पर इस सभा द्वारा सर्वसम्मति से दूसरी बार चुना गया है। आपकी अनुमति के साथ मैं प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को भी बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने इस सरकार का गठन किया है। साथ ही मैं उन सभी सदस्यों को भी बधाई देना चाहता हूं जो इस सभा के लिए चुने गए हैं। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं तेरहवीं लोक सभा में पहली बार बोल रहा हूं।

महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण में कई महत्वपूर्ण मुद्दों का उल्लेख किया जाता है। इसमें जिन मुद्दों का उल्लेख किया जाता है वे हैं– सुरक्षा, गरीबी उन्मूलन, बेरोजगारी दूर करना, आर्थिक विकास, शिक्षा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, कृषि, सिंचाई, जल संसाधन, आधारभूत अवसंरचना, समेकित यातायात नीति, नई दूरसंचार नीति, सूचना प्रौद्योगिकी, लघु उद्योग, न्यायिक सुधार, विश्व व्यापार संगठन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शहरी विकास, युवा मामले, आंतरिक सुरक्षा, दंगा मुक्त और आतंकवाद-मुक्त, ऐसा जिसमें विघटनकारी भारत स्थिति को बिलकुल भी सहन नहीं किया जाएगा, केन्द्र राज्य संबंध, संवैधानिक संशोधन, लोक सभा की निर्धारित अवधि और अन्य बातें जैसे महिलाओं के लिए आरक्षण, बालिकाओं के लिए निशुल्क शिक्षा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, चुनाव सुधार, भ्रष्टाचार और विदेश नीति।

इस अभिभाषण के द्वारा सरकार ने इन मुद्दों को इस सभा में उठाया है। अब, सरकार ने इन मुद्दों के संबंध में जो भी रूपरेखा बनाई है उस पर आपत्ति नहीं की जा सकती। इस सभा के लिए यह आवश्यक होगा कि इन सभी मुद्दों पर विचार करके उनकी विस्तृत जानकारी ले और फिर यह बताए कि यह सभा किन मुद्दों पर विस्तार से सहमत हुई है और किन मुद्दों पर सहमत नहीं हुई है।

सरकार द्वारा उठाया गया सबसे पहला मुद्दा सुरक्षा से संबंधित है।

निश्चय ही, उनका इशारा कारगिल मुद्दे की ओर है। इस सभा के सभी सदस्य और इस देश के सभी नागरिक इस बात पर गर्व करते हैं कि घुसपैठियों को हमारे बहादुर सैनिकों और अधिकारियों ने खदेड़ भगाया है। सरकार और अन्य लोगों के साथ हम भी अपने सैनिकों और अधिकारियों को बधाई देते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि घुसपैठियों को बाहर खदेड़ने में सरकार के प्रयास का किसी ने विरोध नहीं किया था। उन्हें बाहर निकाल खदेड़ने के लिए कभी भी, किसी भी नेता या जिम्मेदार नागरिक ने सरकार के प्रयास का विरोध नहीं किया था। इसमें कोई संदेह नहीं है। उन्होंने घुसपैठियों को बाहर निकाल खदेड़ा और हमें इसकी खुशी है। इस कार्य को अंजाम देने वाले सभी व्यक्तियों को हम बधाई देते हैं। परन्तु फिर भी यही प्रश्न उठता है—इसकी चर्चा भी राष्ट्रपति के अभिभाषण की चर्चा करते समय की जानी चाहिए—कि उन्होंने हमारे भूभाग में कैसे प्रवेश किया। जब वे हमारे भूभाग में प्रवेश कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे? अगर उन्हें घुसने से रोक लिया जाता तो कारगिल का युद्ध नहीं होता। पड़ोसी देशों में कई अन्य बातें भी नहीं होतीं। इसलिए, हम यह जानना चाहेंगे कि वे सरकार के पास कैसी जानकारी थी। *(व्यवधान)*

सरकार ने समय पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? सरकार को समय पर कार्रवाई करने से किस बात ने उसे रोका? जब यह हो रहा था तो संसद के कुछ सदस्य इस मामले पर चर्चा करना चाहते थे। उस समय लोक सभा का सत्र नहीं चल रहा था। राज्य सभा का सत्र चल रहा था। हम इसकी चर्चा राज्य सभा में करना चाहते थे। लेकिन उस समय चर्चा की अनुमति नहीं दी गई। वास्तव में, सरकार अपने आप में परिपूर्ण सरकार नहीं थी। यह कामचलाऊ सरकार थी। सरकार ने यह क्यों नहीं सोचा घुसपैठियों को हमारे भूभाग से बाहर खदेड़ने में सैनिकों और हमारी सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का समर्थन करने के लिए सदस्यगण भी उतने ही जिम्मेदार हैं? उन्हें इस निष्कर्ष पर पहुँचने में किसने रोका? जब यह हो रहा था तो पड़ोसी देश में सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे थे। इस मामले पर नेशनल एसेम्बली में चर्चा हुई थी। जब प्रथम विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध हुआ था तो इन मामलों पर संसद में चर्चा की गई थी।

यदि लोक सभा अस्तित्व में नहीं है, यदि राज्य सभा के सदस्यों को इस तरह के मामले पर चर्चा करने की अनुमति नहीं दी जाती है तो लोक-सभा तथा राज्य-सभा के गठन का क्या औचित्य है? सरकार को इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। वह इस निष्कर्ष पर क्यों पहुँचे कि सदस्य सरकार के कार्यों में विघ्न डालकर गैर-जिम्मेदाराना तरीके से व्यवहार करेंगे? किसने कहा था कि घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए उन्हें सेनाएं नहीं भेजनी चाहिए थीं, उन्हें वायु सेना का उपयोग नहीं करना चाहिए था, उन्हे हवाई-जहाजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था और जो भी उनके पास हथियार थे, उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था? ऐसा किसने कहा था? ऐसा किसने कहा था कि घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए उन्हें पैसा खर्च नहीं करना चाहिए था? ऐसा किसने कहा था कि उन्हें इस तरह के कार्य पर पैसा खर्च नहीं करना चाहिए? ऐसा किसने कहा था? कौन-से जिम्मेदार अधिकारी, कौन से जिम्मेदार नागरिक और कौन-से जिम्मेदार दल ने ऐसा कहा था? किसी ने ऐसा नहीं कहा। फिर भी, जब यह घटनाक्रम चल रहा था, तो राज्य-सभा के निर्वाचित सदस्यों को इस संबंध में चर्चा करने की अनुमति नहीं दी गई थी। महत्वपूर्ण बात यह है कि हाउस ऑफ लार्डस के सदस्यों की तरह राज्य सभा के सदस्य नामित सदस्य नहीं होते हैं। राज्य सभा के सदस्य राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा चुने जाते हैं। संविधान के अन्तर्गत इस प्रकार राज्य सभा का गठन ऐसे क्यों किया जाता है इसका एक कारण है राज्य सभा का शाश्वत अस्तित्व ताकि जब इस तरह के अवसर आयें तो सदस्य, लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधि इस तरह के मामलों पर चर्चा कर सकें।

हम इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण चाहते हैं। ठीक है हम सरकार अथवा सैनिकों अथवा अधिकारियों की उपलब्धियों की आलोचना नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम निश्चय ही इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण चाहेंगे ताकि भविष्य में ऐसा न हो—यदि ऐसा हो तो निर्वाचित प्रतिनिधियों को इस तरह के मामले पर चर्चा करने का अवसर अवश्य दिया जाए। यदि आपको जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों पर विश्वास नहीं है तो आप किन पर विश्वास करेंगे?

अब सुरक्षा के प्रश्न का उल्लेख किया गया है। ठीक है, हम बहुत खुश हैं कि सरकार का यह विचार है कि आतंकवादी गतिविधियों को बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा। हम इससे प्रसन्न हैं। इस बारहवीं लोक सभा में बोलते हुए मैंने कहा था कि वर्तमान समय में युद्ध इतनी समस्या उत्पन्न नहीं करेगा लेकिन आतंकवादी गतिविधियाँ काफी समस्या उत्पन्न करेंगी और उस मामले में किसी भी देश अथवा भारत के लिए यह आवश्यक है कि वह आतंकवादी गतिविधियों के संबंध में सतर्क रहे। यह छद्म युद्ध की तरह है, यह छुटपुट किस्म का युद्ध है जिसके लिए लोगों ने सिद्धांत बना लिए हैं और उन सिद्धांतों के अनुसार यदि आप चार अथवा पांच दिन के युद्ध में 2,000 करोड़ रु० खर्च करते हैं, आप वही राशि सात अथवा आठ वर्षों में भी खर्च कर सकते हैं और आप अपने पड़ोसी देशों तथा अन्यों के लिए समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। उन्हें सूचना दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है, हथियार दिए जाते हैं, विशेषज्ञों द्वारा योजनाएँ बनायीं जाती हैं और कुछ देशों में छुटपुट किस्म के युद्ध चलाये जाते हैं। भारत के साथ भी ऐसा ही किया गया और हमें उस छुटपुट युद्ध के कारण काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। अत: मैंने पिछली बार कहा था कि यदि हम वास्तव में अपने देश को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करना चाहते हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमें अपनी रक्षा सेनाओं का आधुनिकीकरण करना चाहिए। इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि रक्षा सेनाओं की सहायता के लिए अनुसंधान तथा विकास कार्य किए जाने चाहिएँ। इसमें कोई शंका नहीं है कि उन्हें बेहतर आसूचना सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, इसमें कोई शंका नहीं है कि दूरदर्शिता होनी चाहिए और हमारी रक्षा सेनाएँ, सरकार और इस देश की जनता को यह मालूम होना चाहिए कि भविष्य में क्या होने जा रहा है और उन्हें उसके लिए तैयार रहना चाहिए।

लेकिन इसके साथ ही, समय आ गया है जबकि हमें आतंकवादी गतिविधियों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है जो कि हमारे देश में तथा कुछ अन्य देशों में भी हो रही हैं। मेरे विचार में इस संबंध में अधिक ध्यान नहीं दिया गया है। यदि आप आतंकवादी गतिविधियों, विशेष रूप से पड़ोसी देशों द्वारा आरम्भ की गई आतंकवादी गतिविधियों को रोकना चाहते हैं तो हमें एक दीर्घावधिक योजना बनाने की आवश्यकता है। हमें सूचना, आसूचना इत्यादि सुविधाओं की

[श्री शिवराज वी० पाटील]

आवश्यकता है और जो उपकरण हमारे पास उपलब्ध हैं उन्हें उपयुक्त तरीके से तथा अधिकतम सीमा तक उपयोग करना चाहिए। यदि उपकरण तथा इस्तेमाल करने के तरीके उपलब्ध नहीं हैं तो हमें उन्हें प्राप्त करना चाहिए और इस्तेमाल करना चाहिए।

अब, जब कभी भी आतंकवादी गतिविधियां आरम्भ होती हैं तो हम जवाबी कार्यवाही के लिए रक्षा सेनाओं को कहते हैं। यदि यह आवश्यक है तो यह अवश्य होना चाहिए। कोई भी जिम्मेवार व्यक्ति यह नहीं कहेगा कि हमें आवश्यक होने पर भी इस उद्देश्य से रक्षा सेनाओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन हर समय आतंकवादी गतिविधियों से मुकाबला करने के लिए ही रक्षा सेनाओं का इस्तेमाल करना अच्छा नहीं है। इस तथ्य को मानना होगा और यह आवश्यक है कि आतंकवादी गतिविधियों से मुकाबला करने के लिए एक पुलिस बल तैयार किया जाए। क्या हमने इस पहलू पर गौर किया है?

राज्य सरकारों के अपने पुलिस बल हैं और केन्द्र सरकार के अधीन भी कुछ पुलिस बल हैं। लेकिन उनके पास वे अपेक्षित उपकरण नहीं हैं। इस मामले में आप जर्मनी अथवा किसी अन्य देश को ही ले लीजिए।

अब, आप हवाई-अड्डे पर बी०एम०पी० देखेंगे। पुलिस बल द्वारा हवाई-अड्डों तथा अन्य स्थानों पर लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए और आतंकवादी गतिविधियों के मुकाबले के लिए बख्तरबंद गाड़ियाँ इस्तेमाल की जाती हैं।

अब, भारत में भी हमें पुलिस बल के लिए कुछ इस तरह की सुविधायें प्रदान करनी चाहिए। यह आवश्यक है कि राज्य में तथा केन्द्र स्तर पर पुलिस बल को जो संचार सुविधा प्रदान की जाती है, वह आधुनिकतम संचार सुविधा हो। संचार सुविधा उसकी मूल आवश्यकता है। लेकिन हमने उस तरफ ध्यान नहीं दिया है। उनके पास जो उपकरण हैं—सेना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के उपकरण, पुलिस बल द्वारा जिन उपकरणों को हथियारों की तरह इस्तेमाल किया जाता है, वह भी पुराने अप्रचलित और बेकार हैं। हम पुलिस बल से कहते हैं कि वे आतंकवादियों से मुकाबला करें जिनके पास अति आधुनिक उपकरण हैं। यही वह समय है जबकि केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों को इसके लिए दूरदर्शिता बरतनी चाहिए और अपने देश के पुलिस बल को मजबूत बनाने के लिए एक व्यापक योजना बनानी चाहिए ताकि उन्हें अपेक्षित किस्म के हथियार, यातायात सुविधायें, संचार सुविधायें और हथियार प्रणाली उपलब्ध हो सके।

अब मैं भी सोचता हूँ कि यह आवश्यक है, यदि हम रक्षा सेनाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए कुछ धन खर्च कर रहे हैं तो साथ ही केन्द्र और राज्य स्तर पर पुलिस बलों को सुदृढ़ बनाने के लिए कुछ धन खर्च करना आवश्यक होगा। यदि हम केन्द्र व राज्य स्तर पर पुलिस बलों को सुदृढ़ बनाने के लिए पर्याप्त धनराशि खर्च नहीं करेंगे तो हम आतंकवादी गतिविधियों का मुकाबला करने की स्थिति में नहीं होंगे और हमारी सुरक्षा व्यवस्था कमजोर होगी। इस बात को समझना होगा अत: इस उद्देश्य से हमें कार्यवाही करनी होगी।

कांग्रेस पार्टी के घोषणा-पत्र में इनमें से कई बातों का उल्लेख किया गया है, मुझे प्रसन्नता है कि जिन कुछ बातों का कांग्रेस के घोषणा-पत्र में उल्लेख किया गया है उनका उल्लेख भाजपा के घोषणा-पत्र में नहीं किया गया है। उनका उल्लेख राष्ट्रपति के अभिभाषण में किया गया है। घोषणा पत्र में इस बात का उल्लेख किया गया है कि समय आ गया है कि जब हमें देश में पुलिस बलों में सुधार के लिए केन्द्र और राज्य स्तर पर एक आयोग गठित करना होगा। इस बात का उल्लेख अभिभाषण में स्पष्टत: नहीं किया गया है किन्तु यदि यह आवश्यक है तो हम एक आयोग गठित कर सकते हैं ताकि प्रशिक्षण, उपकरण उपलब्ध कराने, परिवहन प्रणाली उपलब्ध कराने, संचार प्रणाली उपलब्ध कराने और देश में आतंकवादी गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए एक अल्पकालीन, मध्यकालीन व दीर्घकालीन योजना बनाई जा सके।

सुरक्षा की बात करते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण बात विश्व स्थिति और आन्तरिक स्थिति की समझ है, खतरे की संभावना—बाह्य व आन्तरिक एक बात है, किंतु दूसरी बात रक्षा सेनाओं का आधुनिकीकरण है जिसके बारे में मेरे विचार से सरकार स्पष्ट है। किन्तु तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि हमें रक्षा सेनाओं का मनोबल ऊंचा रखना होगा, इसके लिए बहुत सावधानी से कदम उठाने होंगे और सरकार को और जो कर्त्ताधर्त्ता हैं तथा जो संबंधित विभागों के प्रभारी हैं, उन्हें जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। यदि वे गलत आचरण करते हैं, यदि वे ऐसा व्यवहार करते हैं जिससे रक्षा सेनाओं का मनोबल गिरता हो तो यह अच्छा नहीं होगा। समय आ गया है कि जब सरकार को इस बारे में आत्ममंथन करना होगा और सरकार को सुधारात्मक कार्यवाही करनी होगी। जो सरकार में काम कर रहे हैं—चाहे सरकार कोई भी हो—वे भारत के नागरिक हैं। वे महत्वपूर्ण पदों पर आसीन हैं। उनके साथ उचित व्यवहार किया जाना चाहिए। उनके साथ ऐसा व्यवहार करना होगा जैसा व्यवहार करना उनके साथ अपेक्षित है। यदि उनके साथ उस तरह का व्यवहार नहीं किया गया तो इससे रक्षा सेनाओं का मनोबल ऊंचा नहीं रहेगा। रक्षा सेनाओं के मनोबल गिरने पर चाहे आप सुरक्षा पर कितना ही पैसा खर्च कर लें इससे मदद नहीं मिलेगी। ऐसी स्थिति में कैसे भी आधुनिक उपकरण मददगार नहीं होंगे। इसलिए आत्मावलोकन और इन बिन्दुओं पर विचार करना आवश्यक है।

महोदय, हम चुनाव सुधारों की बात करते रहे हैं और अभिभाषण में चुनाव सुधारों के बारे में कहा गया है। मैं जानता हूँ कि पिछली चार-पाँच लोक सभाओं में हमने इस मामले पर चर्चा की है वह भी एक या दो घण्टे नहीं अपितु एक बार इस मामले पर लगातार 10 घण्टे से अधिक समय तक चर्चा की गई थी। उसके बाद गोस्वामी समिति गठित की गई और उस समिति ने अपना प्रतिवेदन दिया। हम सभी गोस्वामी समिति के प्रतिवेदन के बारे में बात करते रहे हैं और यह कहते रहे हैं कि गोस्वामी समिति के प्रतिवेदन की सिफारिशों को लागू किया जाना चाहिए।

सौभाग्य से, गोस्वामी समिति की कुछ सिफरिशों को लागू किया गया है किन्तु सभी सिफारिशें लागू नहीं की गई। यदि संभव हो तो हमें गोस्वामी समिति की सभी सिफरिशें लागू करनी चाहिए। किन्तु यदि आप मुझसे पूछते हैं कि क्या मैं गोस्वामी समिति के प्रतिवेदन से संतुष्ट हूँ तो मेरा उत्तर 'नहीं' होगा।

गोस्वामी समिति के प्रतिवेदन में कई बातों पर समझौता किया गया। यदि एक सदस्य किसी बात को चाहता था तो उसे माना गया दूसरा सदस्य किसी और बात को चाहता था तो उसे भी माना गया। यह एक तरह से ऐसा दस्तावेज है जिससें कई बातों पर समझौता किया गया है। गोस्वामी समिति का प्रतिवेदन हमारे देश में चुनाव सुधारों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करेगा। अत: आवश्यक है कि हम चुनाव सुधारों के मुद्दे पर विस्तार से विचार करें और उसके बाद हमें कुछ कठोर निर्णय लेने चाहिए तथा हमें यह प्रयास करना चाहिए कि चुनाव सुधार इस प्रकार किए जाएं कि वे हमारे लोकतंत्र की सहायता करें।

चुनाव सुधारों के बारे में जो दो-तीन बातें उठाई गई हैं वे धन बल, बाहु बल और राजनीति का अपराधीकरण हैं। इन तीन बातों पर सामान्यत: चर्चा की जाती है।

जहाँ तक धन बल का संबंध है मेरे विचार से भारत सरकार व देश के लिए संभव है कि वह इस बात पर ध्यान दे कि चुनाव में धन बल का प्रभुत्व न हो और उम्मीदवार या पार्टी को इस प्रकार धन उपलब्ध कराया जाए कि धन बल चुनाव के नतीजों को प्रभावित न करें। बाहु बल के मामले में भी समुचित कदम उठाना संभव है किन्तु राजनीति का अपराधीकरण वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है और मैं नहीं मानता कि इसका कोई आसान हल है। करनी से कथनी सरल है। ऐसा कानून बनाना संभव नहीं है जो वास्तव में चुनाव प्रणाली को अपराधीकरण से मुक्त कर सकें। यदि किसी उम्मीदवार के विरुद्ध कोई मामला दायर किया जाता है और यदि उसे चुनाव लड़ने नहीं दिया जाता है तो इस सभा में सभी अच्छे उम्मीदवारों के विरुद्ध मामले दायर किए जाएंगे। इस मामले पर सावधानी से विचार किया जाना चाहिए और हमें विस्तार में जाना होगा और उसके बाद किसी निष्कर्ष तक पहुँचना होगा। हम में से कुछ सदस्य वकील हैं जो जानते हैं कि कानून और न्यायालयों का उपयोग न केवल न्याय प्रदान करने के लिए किया जाता है अपितु कभी-कभी न्याय प्रक्रिया को बाधित करने और कभी-कभी लोगों को उत्पीड़ित करने के लिए भी किया जाता है इसलिए इस मुद्दे पर सावधानी से विचार किया जाना चाहिए।

अब मैं संविधान में संशोधन के मुद्दे पर आता हूँ। संवैधानिक संशोधन का सुझाव भी दिया गया है। संवैधानिक संशोधन के बारे में दो-तीन बातों का उल्लेख किया गया है। एक बात यह है कि लोक सभा का कार्यकाल पाँच वर्ष का होना चाहिए और इसे इस कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व भंग नहीं किया जाना चाहिए। तीन वर्षों में हमने तीन चुनाव लड़े हैं और जब हम यहां बैठे हैं तो यह अत्यन्त आशावादी प्रस्ताव दिखाई देता है लेकिन यह खामियों से मुक्त नहीं है।

यदि लोक सभा पाँच वर्षों तक बनी रहती है और विघटित नहीं की जाती है, कार्यपालिका की निर्वाचित सदस्यों के प्रति जवाबदेही होती है लेकिन निर्वाचित सदस्यों की जनता के प्रति जवाबदेही नहीं होती। वे जो भी करें उन्हें पांच वर्ष के लिए सदन में बने रहने की अनुमति दी जाएगी। इससे कोई समस्या का हल नहीं होगा। एक ओर जल्दी-जल्दी चुनाव नहीं कराए जाने चाहिए, प्रत्येक वर्ष संसद के लिए चुनाव नहीं कराए जाने चाहिए। सभा में सदस्यों के कार्यकाल और साथ ही कार्यपालिका के कार्यकाल को उपयुक्त स्थायित्व प्रदान किया जाना चाहिए। लेकिन उस के साथ यदि आप एक मुश्किल से निकल कर दूसरी मुश्किल में फंसने जा रहे हैं तो इससे कोई लाभ नहीं होगा।

अपराह्न 1.51 बजे

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

लोकतंत्र का महत्वपूर्ण तत्व जवाबदेही है। यदि सदस्यों को सदन में उनके द्वारा किये गए कृत्यों के लिए, उनके बनाई गई नीतियों, कार्यपालिका से वे किस तरह का कार्यान्वयन चाहते हैं उसके प्रति और इसके साथ-साथ अपने निर्वाचकों के प्रति जवाबदेही नहीं ठहराया जाता तो यह लोकतंत्र नहीं है। इसीलिए मेरा विचार है कि सदन में सदस्यों को समुचित स्थायित्व प्रदान करने का विचार स्वागतयोग्य है लेकिन एक हद तक चले जाने अर्थात् निश्चित कार्यकाल का ठप्पा लग जाने की बात भी ठीक नहीं है। यह लोकतांत्रिक नहीं है। यहां तक कि कार्यपालिका को भी समुचित स्थायित्व प्रदान किया जाना चाहिए। लेकिन यदि कार्यपालिका को बिल्कुल पदच्युत नहीं किया जा सकता, कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, ऐसी स्थिति में सही नहीं है। हम लोकतोत्रिक नहीं हैं अर्थात् लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते हैं, यदि हम कहें कि पाँच वर्षों तक सदस्यों को जो वह करना चाहे, उसकी छूट दी जानी चाहिए। कार्यपालिका जो करना चाहे उसे करने दिया जाए। इसलिए एक हद से गुजर जाना अर्थात् कार्यकाल एकदम निश्चित कर देना ठीक नहीं है। यह ऐसा मुद्दा है जिस पर अत्यन्त ध्यानपूर्वक विचार किये जाने की आवश्यकता है और हमें एक ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचना होगा जो इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था और शासन के लिए वास्तव में उपयोगी हों। एक ओर अच्छा शासन होना चाहिए और दूसरी ओर पूर्ण जवाबदेही होनी चाहिए।

इसके बारे में मेरा सुझाव है कि सभा में कार्यपालिका और इसके साथ-साथ लोक सभा सदस्यों को भी समुचित स्थायित्व प्रदान करना चाहिए और विधान मण्डल के प्रति कार्यपालिका की और जनता के प्रति विधान मण्डल के सदस्यों की सम्पूर्ण जवाबदेही होनी चाहिए। मेरा सूत्र यह है इस प्रकार के सन्तुलन को करने के लिए हम कई तरीके अपना सकते हैं। संविधान में संशोधन करके हम ऐसा कर सकते हैं। अब यह सुझाव दिया गया है कि भारत द्वारा सकारात्मक अविश्वास प्रस्ताव अपनाया जाना चाहिए ताकि कोई भी ऐसा अविश्वास प्रस्ताव न आए जिसके पारित होने के पश्चात् शून्य की स्थिति पैदा हो जाए अर्थात् कोई वैकल्पिक सरकार ही न बन पाए। इस प्रकार की स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए और जैसा कि जर्मनी में विद्यमान है हमें सकारात्मक अविश्वास प्रस्ताव अपनाना चाहिए।

मैं समझता हूँ कि यह विषय ऐसा है जिस पर हमें अवश्य विचार करना चाहिए। एक समय था जब मैंने इस सभा में स्वयं यह सुझाव दिया था। मुझे इस पर आपत्ति नहीं है लेकिन मैं इस सभा में इस प्रस्ताव के संबंध में एक बात यह कहना चाहूँगा कि सकारात्मक अविश्वास प्रस्ताव का प्रावधान करने के लिए संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। भारत के संविधान में विश्वास प्रस्ताव का प्रावधान नहीं है। भारत का संविधान विश्वास प्रस्ताव अथवा अविश्वास प्रस्ताव के बारे में कुछ नहीं कहता है। विश्वास प्रस्ताव अथवा अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नियम पुस्तिका में ही किया गया है। अत: इस मुद्दे पर संशोधन करना हमारे लिए आसान होगा लेकिन जब तक इस मुद्दे पर आम सहमति नहीं होती, इस मुद्दे पर संशोधन करना अर्थहीन होगा। ऐसी कई बातें होंगी जो हमारे ध्यान में न आई हों वे बातें अन्य लोगों के ध्यान में आ सकती हैं और वे उन पर अपने विचार रखना चाहते हों। जब तक सभी दलों द्वारा ध्यानपूर्वक इन सब मुद्दों

[श्री शिवराज वी० पाटील]

की छानबीन नहीं की जाती और वे सभी उस पर सहमत नहीं हो जाते संविधान को तो छेड़ दो उन नियमों को भी संशोधित करने में कठिनाई होगी। सकरात्मक अविश्वास प्रस्ताव के लिए संविधान में संशोधन करने का प्रश्न ही नहीं है क्योंकि इसका उल्लेख नियम पुस्तिका में किया गया है। यही दो बातें मैं इस मुद्दे पर कहना चाहता हूँ।

अब मैं परिवहन नीति पर आता हूँ हम तीन यहां बैठे हैं। मैं यहां अपने दल के उपनेता श्री माधवराव सिंधिया, मेरे अच्छे साथी और मित्र श्री पायलट के साथ बैठा हूँ। हमें सुझाव दिया गया कि भारत के लिए समेकित परिवहन नीति होनी चाहिए।

सड़क परिवहन नीति अथवा नौवहन नीति अथवा रेल परिवहन नीति या विमानन नीति बनाने के बजाय हमें यह सुझाव दिया गया कि भारत में परिवहन संचालन पर जो आर्थिक विकास हेतु अत्यन्त महत्वपूर्ण अवसंरचनात्मक सुविधाओं में से एक है समेकित ढंग से गौर किया जाना चाहिए ताकि इन मुद्दों पर सम्बधित नीतियां अत्यंत अर्थक्षम और उपयोगी साबित होवें। इसीलिए रेलवे, सड़क मार्ग, जलमार्ग, घाटमार्ग और रज्जूमार्ग पर विचार किया जाना चाहिए और इस प्रकार समेकित परिवहन नीति तैयार की जानी चाहिए।

यदि मुझे ठीक-ठीक स्मरण है तो हम तीनों एक बार इकट्ठे बैठे थे और हमने इस पर विचार भी किया था। लेकिन यह चर्चा पूरी नहीं हो सकी। हमें अत्यन्त प्रसन्नता हुई कि वर्तमान सरकार ने इस दिशा में कुछ सुझाव दिया है। यह अच्छी बात है।

यदि हम समेकित परिवहन नीति तैयार करते हैं और यदि देश के विकास हेतु परिवहन सुविधा प्रदान करने के लिए यहां उपलब्ध सभी संसाधनों का उपयोग करने की अनुमति दी जाती है तो यह अत्यन्त उपयोगी होगा। अत: इस बात पर मैं समझता हूँ कि हमारी ओर से सहयोग किया जा सकता है। नि:सन्देह, कुछ ऐसे क्षेत्र होंगे जिन पर भिन्न-भिन्न राय हो सकती है और हम उन पर विचार कर सकते हैं।

इसके पश्चात् मैं गरीबी उन्मूलन पर आता हूँ। इस गरीबी उन्मूलन के बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा। महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि अन्तिम व्यक्ति की सहायता की जानी चाहिए और प्रत्येक नागरिक के आंसू पोछे जाने चाहिए। ये सब बातें यहां हैं। लेकिन इन संदर्भों की केवल चर्चा ही नहीं की जानी चाहिए हमें इसके लिए प्रयास भी करने चाहिए। यदि हम उनके प्रति वचनबद्ध नहीं हैं तो हम केवल दिखावे के लिए उनका वर्णन कर रहे हैं इसका कोई फायदा नहीं होगा। ऐसा करने से हम स्वयं को धोखा देंगे, हम जनता को भी धोखा देंगे। यदि हम अन्तिम व्यक्ति, दुखी गरीबी की वास्तव में सहायता नहीं कर रहे हैं और उन्हें ध्यान में रखकर नीतियों का निर्माण नहीं कर रहे हैं तो यह स्थिति अत्यन्त कठिन होगी।

इस अभिभाषण में कई बातों का जिक्र किया गया है। अर्थव्यवस्था का वर्णन भी किया गया है। वे कहते हैं कि हम सरकार द्वारा किये जाने वाले खर्च में कमी करेंगे। सरकार अपने व्यय को किस प्रकार कम करने का प्रयास करेगी? यदि आप उस व्यय में कटौती करने जा रहे हैं जिसे सरकार गरीब जनता को अपनी रोटी, अपनी दवाई, अपने पेयजल पर खर्च कर रही है तो ऐसी कटौती किस प्रकार सहायक होगी? अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अब एक दर्शन प्रस्तुत किया जा रहा है कि राजसहायता में कटौती की जाए। मैं समझता हूँ हमें देखना चाहिए कि सरकार व्यय में कटौती करे लेकिन गरीबों को दी जाने वाली सहायता में कटौती नहीं की जानी चाहिए। सरकार द्वारा किए जाने वाले व्यय में कटौती करने और गरीबों को सरकार द्वारा दी जा रही राजसहायता में कटौती में अन्तर है। यदि सरकार किसी परियोजना पर 2 लाख रुपये खर्च कर रही है और यदि सरकार यह कार्य एक लाख रुपए में कर सकती है तो यह खर्च में कटौती है। लेकिन गरीबों को मिलने वाली डबलरोटी का मूल्य 1 अथवा 1½ रुपये है और आप उसे बढ़ाकर दो-तीन रुपये करना चाहते हैं तो आप सरकारी खजाने में ही धन बढ़ा सकते हैं, वास्तव में इससे व्यय में कटौती नहीं होगी। राजसहायता कम करने और सरकारी खर्च में कमी करने में अन्तर है। इसकी बड़े ध्यानपूर्वक जाँच की जानी चाहिए। जो हम चाहते हैं जो देश चाहता है और समूचा विश्व भी चाहता है वह यह है कि जनता को दी जा रही सुविधाओं में सरकार द्वारा किये जाने वाले व्यय में समुचित माध्यम और साधन अपनाकर कटौती की जाए ताकि जनता पर इसका बोझ न पड़े। लेकिन यह कहने के लिए कि हम खर्च में कटौती कर रहे हैं और इस कटौती से गरीबों की सहायता में कमी कर रहे हैं तो यह स्थिति लाभदायक नहीं होगी। मैं इन दोनों बातों—प्रशासन संबंधी वास्तविक व्यय में कटौती और गरीबों को दी जा रही राजसहायता में की जाने वाली कटौती—में अत्यन्त स्पष्ट विभेद करना चाहता हूँ।

अपराह्न 2.00 बजे

यदि धनराशि का कोई दुरुपयोग होता है तो हमें उसे रोकना चाहिए। आपको कोई कुछ नहीं कहेगा कि आप ऐसा मत करो। लेकिन आंख मूंदकर यदि आप गरीबों को दी जा रही सहायता में कटौती कर रहे हैं तो यह स्थिति लाभप्रद नहीं होगी।

इसके पश्चात् मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर आता हूँ। विज्ञान और प्रौद्योगिकी आर्थिक विकास का आधार है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के बिना हमारे लिए विश्व प्रतिस्पर्धा में शामिल होने अथवा अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने, सरकार अथवा अन्य लोगों द्वारा उत्पादन में किए जा रहे खर्च में कटौती करने में कठिनाई होगी। लेकिन इस मुद्दे की सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए। अभिभाषण में जो कहा गया है मैं समझता हूँ कि वह पर्याप्त नहीं है और संतोषजनक भी नहीं है। अभिभाषण में कहा गया है कि विभिन्न विभागों के बीच सामंजस्य स्थापित किया जाना चाहिए। हमारे देश में परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष विभाग, इलेक्ट्रोनिक्स विभाग, अनुवांशिक इंजीनियरी विभाग, महासागर विभाग, सी०एस०आई०आर० और आई०सी०एम०आर० आदि जैसे 7-8 विज्ञान विभाग हैं। इनमें तालमेल होना चाहिए लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है। सरकारी स्तर पर सामंजस्य हैं। प्रधानमन्त्री कमेटी में बैठते हैं और इन सभी विभागों के कार्यकलापों में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करते हैं। सचिव इन विभागों में तालमेल बनाए रखने के लिए इनकी बैठक लेते हैं लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है। इस देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल संघ सरकार ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के लिए धनराशि खर्च करती है। इसकी अत्यन्त सावधानीपूर्वक जाँच की जानी चाहिए। राज्य सरकारें इसपर कोई धन खर्च नहीं कर रही हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम इस पर कोई धन खर्च नहीं कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री पाटील, क्या आप अपनी बात अभी समाप्त करने वाले हैं अथवा आप 28 अक्तूबर को अपना भाषण जारी रखना चाहेंगे क्योंकि आज 2 बजे हम नियम 193 के अधीन चर्चा आरम्भ करने वाले हैं?

श्री शिवराज वी० पाटील : यदि मुझे समय मिला तो मैं इस पर आगे बोलना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण परसों अर्थात् 28 अक्तूबर को जारी रख सकते हैं।

माननीय सदस्यों , जैसा कि 25 अक्तूबर, 1999 को लोक सभा के दलों/ग्रुपों के नेताओं की बैठक में निर्णय लिया गया था कि आज आरम्भ हुई राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव संबंधी चर्चा को अब 28 अक्तूबर, 1999 को जारी रखा जाएगा ताकि डीजल के मूल्य वृद्धि के संबंध में नियम 193 के अधीन चर्चा की जा सके और कुछ महत्वपूर्ण सरकारी विधेयकों को पारित किया जा सके।

मैं आशा करता हूं कि सदन इससे सहमत होगा।

श्री पवन सिंह घाटोवार (डिब्रूगढ़) : मैं प्रस्ताव करता हूं :-

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्रोह की समस्या के राजनीतिक समाधान के लिए उठाये गये कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (1)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बोगीबिल, डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर पुल, जिसकी आधारशिला भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री एच०डी० देवगौड़ा ने रखी थी, के निर्माण के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (2)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में असम में मेरधेरीठा में नार्थ-इस्टर्न कोल्ड-फील्ड्स में सुधार लाने और उसके आधुनिकीकरण के लिए उठाये गये कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (3)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन के विकास के लिए उठाये गये कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (4)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रचुर जल संसाधनों का उपयोग करने के लिए नई विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु उठाये गये कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (5)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र में युवाओं के स्वरोजगार के लिए आरम्भ की जाने वाली योजनाओं के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (6)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में असम में ब्रह्मपुत्र और अन्य नदियों की बाढ़ के कारण प्रति वर्ष सैंकड़ों एकड़ कृषि योग्य भूमि के कटाव को रोकने के लिए निवारणात्मक उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (7)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में ऊपरी असम के राष्ट्रीय राजमार्ग के सुधार के लिए उठाये गये कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (8)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राष्ट्रीय स्तर पर बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए उठाये गये कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (9)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए नये उद्योगों की स्थापना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (10)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में असम गैस-क्रेकर परियोजना, जिसकी आधारशिला भूतपूर्व प्रधान मंत्री, श्री पी०वी० नरसिंह राव ने रखी थी, की स्थापना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (11)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में डिब्रूगढ़ में सबसे पुराने असम मैडीकल कालेज का दर्जा बढ़ाकर स्नातकोत्तर संस्था के स्तर का बनाये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (12)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बागान श्रम अधिनियम, 1951 में संशोधन करने के लिए उठाये गये कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (13)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र में विमान सेवाओं में सुधार लाने के लिए उठाये गये कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (14)

श्री त्रिलोचन कानूनगो (जगतसिंहपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :-

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक एवम् मानव संसाधनों के बावजूद स्वतंत्रता के 52 वर्षों के बाद भी उड़ीसा जैसे कतिपय क्षेत्रों के निरन्तर पिछड़ेपन के कारणों और उसके समाधान का कोई उल्लेख नहीं है।" (15)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उड़ीसा, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे पिछड़े राज्यों पर भारी कर्ज के भार में कमी लाने हेतु किसी प्रभावी योजना का कोई उल्लेख नहीं है।" (16)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कोयले पर रायल्टी में वृद्धि करने का कोई उल्लेख नहीं है जबकि यह काफी समय से अतिदेय है।" (17)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उड़ीसा राज्य में रूपसा से बांगरीपोसी और नगपाड़ा से गुनुपुर बरास्ता पारालाखामुंडी में नई रेल लाइन बिछाने और बहुत पुरानी छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कोई उल्लेख नहीं है।" (18)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पारादीप पत्तन को मुंबई, चेन्नई और कांडला जैसे पत्तनों के समकक्ष लाने के लिए उसके विकास के लिए किसी कार्यक्रम का कोई उल्लेख नहीं है।" (19)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पारादीप में तेल शोधक कारखाने की स्थापना का कोई उल्लेख नहीं है।" (20)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उड़ीसा राज्य में भुवनेश्वर में पूर्वतटीय रेल जोन के निर्माण तथा उसके पूर्ण कार्यकरण के लिए तथा पूर्ण तटीय रेल जोन क्षेत्र जिस में उड़ीसा राज्य का सम्पूर्ण रेल मार्ग आ जाता है, को अधिसूचित करने के लिए किसी ठोस और समयबद्ध कार्यक्रम का कोई उल्लेख नहीं है।" (21)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भुवनेश्वर स्थित बीजू पटनायक हवाई अड्डे को पांच वर्ष की समय सीमा में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में बदलने का कोई उल्लेख नहीं है।" (22)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पूरे देश-विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु उड़ीसा में पर्यटक स्थलों के विकास का कोई उल्लेख नहीं है।" (23)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भुवनेश्वर से पुरी तक के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 203 के विकास हेतु किसी समयबद्ध कार्यक्रम का कोई उल्लेख नहीं है।" (24)

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :-

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अन्य पिछड़े वर्गों की श्रेणी में "जाटों और अन्य" को शामिल किए जाने के संबंध में पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (40)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवाद की बढ़ती हुई गतिविधियों को रोकने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (41)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पाकिस्तान, चीन, आदि जैसे पड़ौसी देशों के साथ संबंध सुधारने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (42)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में नागपुर के लिए रिंग रेलवे सुविधा के प्रस्ताव के कार्यान्वयन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (43)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में नागपुर में सौ साल पुराने संतरा मार्किट रेल पुल का पुनर्निर्माण के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (44)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बिजली की कमी की स्थिति सुधार करने के लिए उठाये गये कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (45)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में चीनी का आयात रोकने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (46)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अतिरिक्त खाद्यानों के भंडारण के लिए और अधिक गोदामों के निर्माण के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (47)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के दूरदराज के इलाकों को रेल से जोड़ने के लिए नई रेल लाइनें बिछाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (48)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सभी गांवों को रेल लाइनों से जोड़ने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (49)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विभिन्न राज्यों में प्रत्येक वर्ष तूफान से बड़ी संख्या में लोगों को मौत से बचाने के लिए एक प्रभावी तूफान चेतावनी तंत्र की स्थापना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (50)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में महिलाओं पर अत्याचारों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (51)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में नाबालिग लड़कियों पर बलात्कार की बढ़ती हुई घटनाओं को रोके जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (52)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (53)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में जिन किसानों की फसलें तूफान, बाढ़ और सूखे के कारण नष्ट हो गई थीं, उन्हें बीमा की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (54)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बुनकरों की दुर्दशा में सुधार लाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (55)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बुनाई क्षेत्र में आधुनिक प्रौद्योगिकी लागू किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (56)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सोनेगांव (नागपुर) हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में बदलने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (172)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में सभी गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (173)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के कमजोर वर्गों और दलितों को आवास उपलब्ध कराने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (174)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में सभी शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (175)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (176)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में हमारे समाज के एक बड़े वर्ग को वस्त्र, आश्रय और रोजगार जैसी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (177)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में कृषि विकास के लिए नई प्रौद्योगिकी लागू करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (178)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में कृषि उत्पादन बढ़ाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (179)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में मूल्य वृद्धि जिसका प्रभाव देश में आम आदमी पर पड़ रहा है, को रोकने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (180)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में तिलहन के उत्पादन को बढ़ाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (181)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में चीनी उत्पादन की नई प्रौद्योगिकी लागू करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (182)

[श्री विलास मुत्तेमवार]

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में गन्ना उत्पादकों को सहायता प्रदान करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (183)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सूखे और अकाल के कारण देश के विभिन्न भागों में आत्महत्या करने को मजबूर हुए कपास उत्पादकों को समय पर सहायता प्रदान करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (184)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में गरीब कपास उत्पादकों के लिए एक ठोस प्रस्ताव और कार्यक्रम तैयार करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (185)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में ग्रामीण क्षेत्रों में गांवों के विकास के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ताकि लोग गांवों से शहरों की ओर पलायन न करें।" (186)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के दूरस्थ इलाकों में पक्की सड़कें बनवाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (187)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (188)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में समाज के बड़े वर्ग को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (189)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आम जनता के लिए शिक्षा की नई पद्धति लागू करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (190)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में साक्षरता दर में सुधार लाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (191)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं से बड़े पैमाने पर स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (192)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में प्रत्येक गांव में एक प्राथमिक अथवा माध्यमिक विद्यालय खोलने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (193)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में प्रत्येक गांव में स्वास्थ्य देखभाल केन्द्र खोलने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (194)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के प्रत्येक गांव में कम से कम एक उद्योग लगाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (195)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के प्रत्येक गांव में खेलकूद की सुविधाएं प्रदान करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (196)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के प्रत्येक गांव में परिवार नियोजन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (197)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में जनसंख्या की वृद्धि पर नियंत्रण करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (198)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (199)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में वार्षिक निर्यात लक्ष्य प्राप्त करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (200)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोजगार उपलब्ध कराने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (201)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारत में घुसपैठियों की संख्या में हो रही वृद्धि पर रोक लगाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (202)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में आई एस आई की गतिविधियों में हो रही वृद्धि पर नियंत्रण करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (203)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में हमारी रक्षा सेनाओं को आधुनिक बनाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (204)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में तूफान और बाढ़ जिनसे प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये की फसल और सम्पत्ति का नुकसान होता है की भविष्यवाणी करने के लिए कार्यक्रम और कार्य योजनाएं तैयार करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (205)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के विभिन्न राज्यों के बीच, सीमा संबंधी विवादों के निपटारे के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (206)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के विभिन्न राज्यों के बीच जल संबंधी विवादों के निपटारे के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (207)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पिछले 2/3 सालों के दौरान अल्पसंख्यकों और ईसाइयों पर बढ़ रहे हमलों को रोकने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (208)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उठाये जाने वाले विभिन्न कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (209)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के विभिन्न भागों में उग्रवादी गतिविधियों को रोकने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (210)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में मजदूर वर्ग को न्यूनतम मजदूरी प्रदान करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (211)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में कृषि श्रमिकों के लिए किये जाने वाले कल्याणकारी उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (212)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में युद्ध विधवाओं और भूतपूर्व सैनिकों को पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (213)

श्री बी०एम० बनातवाला (पोन्नानी) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :-

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में वरिष्ठ नागरिकों और अशक्त, निराश्रय और विकलांगों के लिए राष्ट्रीय पेंशन और कल्याण नीति की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (62)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के विभिन्न क्षेत्रों के असमान विकास और देश के सभी क्षेत्रों के समान विकास की आवश्यकता के लिए कार्य योजना की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (63)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अल्पसंख्यकों के शैक्षिक और आर्थिक विकास के लिए व्यापक योजना की नितांत आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (64)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उर्दू के संरक्षण संबंधी गुजराल समिति की सिफारिशों के त्वरित कार्यान्वयन की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (65)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस्लामिक शिक्षा केन्द्रों, अल्पसंख्यक संस्थानों और अल्पसंख्यक व्यक्तियों के विरुद्ध उन्हें आई०एस०आई० के और पाकिस्तान की गतिविधियों के केन्द्र बताकर गैर जिम्मेदाराना प्रचार करके देश में साम्प्रदायिकता सौहार्द को पहुंचाई जा रही क्षति पर चिन्ता और उसे रोकने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (66)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पोप के प्रस्तावित भारत आगमन के ठीक पूर्व छेड़ी गई साम्प्रदायिक मुहिम को रोकने के लिए तत्काल उपाय करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (67)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में हिंसा विशेषत: साम्प्रदायिक दंगों के शिकार व्यक्तियों को मुआवजा देने और उनका पुनर्वास करने के लिए न्याय और निष्पक्ष योजनाओं की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (68)

[श्री जी०एम० बनातवाला]

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अल्पसंख्यकों विशेषत: मुसलमानों के लिए संसद, राज्य विधानमंडलों, स्थानीय निकायों, सरकारी सेवाओं और शैक्षिक संस्थानों में आनुपातिक आरक्षण की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (69)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए किसी समयबद्ध कार्यक्रम और देश के नियोजन कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगार लोगों को 'बेरोजगारी भत्ता' देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (70)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में "काम के अधिकार" को संविधान में मूल अधिकार के रूप में शामिल किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (71)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में "आश्रय के अधिकार" को संविधान में मूल अधिकार के रूप में शामिल किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (72)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कम से कम दसवीं कक्षा तक नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा की आवश्यकता और इसे संविधान में मूल अधिकार बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (73)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले व्यक्तियों को नि:शुल्क राशन और अन्य आवश्यक वस्तुएं मुहैया कराने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (74)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों को होने वाले पलायन को रोकने के लिए प्रभावी औद्योगिक नीति की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (75)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में त्वरित न्याय प्राप्त करने के लिए तत्काल न्यायिक सुधार प्रक्रिया की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (76)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में हमारी निर्वाचन प्रणाली में बिना किसी सीमा के आनुपातिक प्रतिनिधित्व विधि की शुरूआत करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (77)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विदेशों में काम कर रहे भारतीय नागरिकों को मतदान का अधिकार सुनिश्चित कराने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (78)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में केन्द्र-राज्य संबंधों के बारे में सरकारिया आयोग की रिपोर्ट के कार्यान्वयन के लिए समयबद्ध योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (79)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में डालर की तुलना में रुपये के मूल्य में आयी गिरावट के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (80)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में जनता और विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को विशेष ध्यान देते हुए बढ़ावा देने तथा उन्हें सामाजिक अन्याय और सभी तरह के शोषण से सुरक्षा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (81)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अल्पसंख्यकों के पूजास्थलों की सुरक्षा के लिए कार्यवाही के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (82)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बाबरी मस्जिद से संबंधित मुकदमों की कार्यवाही में शीघ्रता बरतने और उनके बारे में शीघ्र निर्णय लिए जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (83)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में केरल के समग्र विकास के लिए केन्द्रीय निवेश को बढ़ाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (84)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में मल्लापुरम जिले के लिए पृथक गौण स्विचिंग क्षेत्र (दूरसंचार) की स्थापना करने

जिसका मुख्यालय तिरूर, केरल में हो, की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (85)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में केरल में रेलवे का पृथक जोन/उपजोन जिसका मुख्यालय तिरूर में हो, स्थापित करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (86)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में केरल में बढ़ती हुई बेरोजगारी और राज्य में रोजगार के अवसरों को समुचित रूप से बढ़ाने की कार्य योजना की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (87)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में केरल के मल्लापुरम जिले में पुन्नानी में फिशिंग हार्बर का शीघ्र विकास किए जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (88)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में केरल के मल्लापुरम जिले में भरथपूजा नदी पर पुन्नानी और तिरूर को जोड़ने वाला पुल बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (89)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में केरल में मल्लापुरम जिले में डाक-तार सुविधाओं की बढ़ती आवश्यकता को देखते हुए इन सुविधाओं को बढ़ाए जाने की नितांत आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (90)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा समाज के कमजोर वर्गों के सदस्यों पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (92)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में डीजल की कीमतों में भारी वृद्धि को वापस लेने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (277)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गरीबी दूर करने के लिए किसी क्रैश योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (278)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अल्पसंख्यक वित्तीय विकास निगम के कार्यचालन में सुधार करने और उसे सुदृढ़ करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (279)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में चुनावों के दौरान मतदान पश्चात् सर्वेक्षण पर प्रतिबंध लगाने के लिए उपयुक्त विधान की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है।" (280)

श्री पी०सी० थामस (मुवत्तुपुजा) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :-

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में श्रमजीवी पत्रकारों, जिनके वेतन पिछले 10 वर्षों से संशोधित नहीं किए गए हैं, की समस्याओं की तरफ किसी सकारात्मक दृष्टिकोण के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (93)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पोप की यात्रा के संबंध में हाल ही में कुछ संगठनों द्वारा दी गई धमकियों से उत्पन्न स्थिति के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (94)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में रबड़ का उत्पादन करने वाले छोटे और सीमान्त किसानों के बारे में किसी ठोस कार्यक्रम का कोई उल्लेख नहीं है।" (95)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अत्यधिक कठिनाई का सामना कर रहे नारियल उत्पादक किसानों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (96)

श्री बी०एम० सुधीरन (अलेप्पी) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :-

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में डीजल की हाल ही में बढ़ाई गई कीमत के कारण सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि और लोगों की मुश्किलों को दूर करने के लिए अविलम्ब कदम उठाए जाने में सरकार की विफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (97)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण में सरकार की विफलता और अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु एक स्थाई संयुक्त संसदीय समिति का गठन किए जाने के बारे में प्रयास किए जाने का कोई उल्लेख नहीं है।" (98)

[श्री वी०एम० सुधीरन]

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में ईसाई मिशनरियों और नन्स जो गरीबों के उत्थान के लिए उल्लेखनीय सेवा कर रही हैं पर अत्याचारों को रोकने में सरकार की विफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (99)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में मछली पालन हेतु एक पृथक मंत्रालय के गठन की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (100)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में केरल जैसे राज्यों को समुद्री कटाव रोकने के कार्यों के लिए समुचित वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने में सरकार की विफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (101)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पुलिस आयोग के प्रतिवेदनों को पूर्ण रूप से लागू किये जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (102)

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :-

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गंदी बस्तियों में रहने वाले लागों और कुपोषण से ग्रस्त लोगों की स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार के दृढ़ निश्चय के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (109)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विशेषत: गरीबों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (110)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के स्थान पर उनके गरिमापूर्ण पुनर्वास और नियोजन हेतु कुछ ठोस उपाय किए जाने के लिए सरकार की इच्छा के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (111)

श्री रमेश चेन्निथला (मवेलीकारा) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :-

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में केरल में रबड़, नारियल, मसालों और चने के मूल्यों में गिरावट के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (136)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारत के विभिन्न भागों में ईसाई अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (137)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारत में बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए किसी विशिष्ठ समयबद्ध कार्यक्रम के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (138)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में केरल में जटा, बीड़ी, हथकरघा और काजू श्रमिकों के समक्ष आ रही समस्याओं के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (139)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में केरल में अपर्याप्त रेल सुविधाओं से संबंधित समस्याओं से निपटने के लिए विशिष्ठ कार्यक्रम के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (140)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में केरल में केन्द्रीय विनिवेश बढ़ाने के लिए किसी कार्यक्रम के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (141)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में लम्बे समय से चल रहे कावेरी जल विवाद को हल करने के लिए प्रस्तावित किन्ही विशिष्ठ कदमों का कोई उल्लेख नहीं है।" (142)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गल्फ से आए लोगों के पुनर्वास के लिए किसी कार्यक्रम का कोई उल्लेख नहीं है।" (143)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उन औद्योगिक श्रमिकों की दशा के बारे में कोई उल्लेख नहीं है जिनको उदारीकरण नीतियों के कारण अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा है।" (144)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि को रोकने के लिए किसी विशिष्ठ कार्यक्रम के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (145)

श्री के० मलयसामी (रामनाथपुरम) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :-

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में व्यापक चुनाव-सुधारों पर सार्वजनिक चर्चा कराये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (229)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकार के एजेंडा में किए गए वादों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित समयावधि का कोई उल्लेख नहीं है।" (230)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सेतु सुंदरम परियोजना, जिसके संबंध में पहले वादा किया गया था, का कोई उल्लेख नहीं है।" (231)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में तिरुचिरापल्ली से मानमदुरै तक रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए उठाए गए कदमों का कोई उल्लेख नहीं है।" (232)

श्री जे०एस० बराड़ (फरीदकोट) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :-

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भ्रष्टाचार मुक्त, जवाबदेह, पारदर्शी और अधिक प्रभावी बनाने के लिए उठाये जाने वाले कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है" (261)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के गरीब लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिए किसी समयबद्ध योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (262)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में जिला मुख्यालयों, राज्यों की राजधानियों तथा प्रमुख औद्योगिक/वाणिज्यिक शहरों और देश में प्रत्येक गांव को दूरसंचार नेटवर्क से जोड़ने के लिए किसी समयबद्ध योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (263)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 10 कि०मी० के दायरे के भीतर आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से सुसज्जित अस्पतालों की स्थापना के लिए राष्ट्रीय स्तर पर किसी योजना के क्रियान्वयन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (264)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में जीवन-स्तर को उठाने तथा ओद्योगिक विकास की दर बढ़ाने के लिए विद्युत की मांग और आपूर्ति के अन्तर को कम करने के लिए किसी समयबद्ध योजना के क्रियान्वयन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (265)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए किसी योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (266)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बेरोजगार युवकों को स्वयं के उद्योग-एकक स्थापित करने योग्य बनाने हेतु प्रशिक्षण देने के लिए ब्लाक स्तर पर नवीनतम प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की किसी योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (267)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में खेलों के प्रति युवाओं में जागरूकता पैदा करने के लिए ब्लाक स्तर पर स्टेडियमों के निर्माण के लिए किसी योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (268)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विद्यमान प्राथमिक स्कूलों के रख-रखाव और शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने तथा इसके विस्तार के लिए राष्ट्रीय स्तर पर उठाये जाने वाले कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (269)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादकों को कृषि आधारित उत्पाद के निर्यात से लाभ दिलाने की किसी योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (270)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में उपलब्ध फालतू पानी के भण्डारण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर किसी समयबद्ध योजना के क्रियान्वयन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (271)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश को बाढ़ और सूखे से मुक्त करने के लिए किसी योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (272)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में स्थानीय प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए किसी योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (273)

[श्री जे०एस० बराड़]

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़े वर्गों के चहुंमुखी विकास के लिए किसी समयबद्ध योजना के क्रियान्वयन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (274)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के कृषि क्षेत्र को लाभकारी बनाने तथा कृषि-उत्पादन को विश्व के विकसित देशों के बराबर लाने के लिए किसी समयबद्ध योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (275)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के प्रत्येक गांव में जन-सुविधा व्यवस्था की स्थापना करने की किसी योजना का कोई उल्लेख नहीं है।" (276)

श्री नारायण दत्त तिवारी (नैनीताल) : मैं प्रस्ताव करता हूं :-

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आवश्यक वस्तुओं के थोक विक्रय मूल्य सूचाकांक में परिवर्तन की तुलना में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में आयी अननुपातिक वृद्धि के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (353)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्रों में बड़े व छोटे बीमार उद्योगों की बढ़ती संख्या और उनके उपचारात्मक उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (354)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राज्य सरकारों को अपने कर्मचारियों, शिक्षकों, स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को वेतन एवं बुनियादी भत्तों का भुगतान करने तथा अन्य अपरिहार्य खर्चों का वहन करने में सक्षम बनाने के लिए कई राज्य सरकारों द्वारा किए गए अनुरोध पर केन्द्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (355)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य के बारे में कोई उल्लेख नहीं है कि केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को केन्द्रीय करों और शुल्कों के और अधिक अंतरण के बारे में सातवें वित्त आयोग की स्वीकृत सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं किया।" (356)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उत्तर प्रदेश जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों में बढ़ते हुए बिजली और ऊर्जा संकट के बारे में और (क) नेप्था आधारित बिजलीघर जिनके लिए नेप्था बहुत पहले ही आवंटित कर दिया गया है लेकिन उसका उपयोग नहीं किया गया है, (ख) औंवला, बबराला, शाहजहांपुर और जगदीशपुर में उन स्वीकृत स्थलों, जहां पहले ही गैस आधारित उर्वरक एकक कार्य कर रहे हैं पर गैस आधारित बिजलीघर स्थापित करने के लिए, और (ग) उपर्युक्त के वित्त पोषण के लिए संस्थागत वित्तीय गारंटी और प्रतिगारंटी आदि की व्यवस्था करने के लिए और मनेरी भाली, विष्णु प्रयाग, रोजा, लखवार, व्यासी अनपारा तृतीय बिजली परियोजनाओं आदि का निर्माण करने के लिए अविलंब उपाय किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (357)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और उनकी पूरी क्षमता का उपयोग करने तथा उनको फिर से चालू करने के लिए आवश्यक राशि उपलब्ध कराने जैसे उपाय करके सरकारी क्षेत्र के एककों को अर्थक्षम बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (358)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जोकि मूल्य वृद्धि को रोकने और जनता की दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है, का पुनर्विकास और विस्तार करने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (359)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बढ़ते क्षेत्रीय असंतुलन और उसे सही करने के उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (360)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में वयोवृद्ध और विकलांग व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय पेंशन योजना बनाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (361)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में शहरी भूमि की कीमतों, विशेष रूप से महानगरों में, के बारे में तथा भूमि की कीमतों का अनुमान लगाने पर रोक लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (362)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के विभिन्न भागों में प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ और सूखे पर प्रभावी नियंत्रण करने संबंधी किसी योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (363)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विभिन्न गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण विकास और रोजगार सृजन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (364)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में झुग्गी बस्तियों की बढ़ती हुई जनसंख्या के मद्देनजर झुग्गियों में रहने वाले लोगों की स्थिति में सुधार लाने संबंधी उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (365)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में यह उल्लेख नहीं है कि कारगिल में शहीद हुए जवानों के लिए पैकेज का कार्यान्वयन समान रूप से उन सैनिकों के लिए भी होगा जिन्होंने कुपवाड़ा, पुंछ, काश्मीर घाटी और अन्य सैक्टरों में लड़ते हुए अपनी जान दे दी और उन पर भी जो असम राइफल्स और सहयोगी बलों जैसे अर्धसैनिक बलों में शामिल हैं।" (366)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राष्ट्रीय वस्त्र निगम के और जसपुर, काशीपुर, झांसी, मेरठ, सांडिला कताई मिलों सहित राज्य वस्त्र निगमों के बंद पड़ी कताई मिलों को दुबारा चालू करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है जिससे सैकड़ों हजारों कुशल श्रमिकों को सहायता मिलेगी।" (367)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के लाखों गन्ना उत्पादकों, कपास और तम्बाकू उत्पादकों की समस्याओं और उन्हें सहायता पहुंचाने के लिए पैकेजों का कार्यान्वयन कराने का आश्वासन देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (368)

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :-

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकार द्वारा डीजल की कीमतों में वृद्धि के विरुद्ध ट्रकों द्वारा राष्ट्रव्यापी हड़ताल के कारण फलों और सब्जियों की कीमतों में भारी वृद्धि को रोकने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (421)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बिहार राज्य के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए उठाए गये कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (422)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में दसवें वित्त आयोग की अनुसंशा पर बिहार में पंचायती राज के लिये राशि जारी किये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (423)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव के लिए और विकास के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (424)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकारी समिति की सिफारिश पर कोयले की रायल्टी वजन के स्थान पर कीमत के अनुसार निर्धारित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (425)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सिन्दरी और बरौनी खाद संयंत्रों के आधुनिकीकरण के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (426)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में गरीबी, बेरोजगारी, असमानता और मूल्यवृद्धि की बढ़ती विभीषिका को रोकने के लिये उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (427)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकार की अवास्तविक विदेश नीति के कारण देश की सुरक्षा को उत्पन्न खतरों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (428)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गरीब लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं की आपूर्ति के संबंध में सरकार की विफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (429)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आम आदमी की कीमत पर व्यापारियों और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा धन अर्जन करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (430)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में आर्थिक स्थिति के बिगड़ने के कारण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बंद होने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (431)

[श्री रघुवंश प्रसाद सिंह]

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पशुओं की नसल में सुधार और पशुओं में बीमारियों के फैलाव को रोकने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (432)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में हैप्पाटाइटिस बी, टी०बी०, एच०आई०बी० और किडनी तथा हृदय रोगों जैसी बीमारियों को रोकने तथा उनके लिए समय पर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (433)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के विकास के लिए योजनाओं के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (434)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बढ़ती हुई आबादी के अनुपात में अनाज, दालों, तेल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले प्रबंधों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (435)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में आलू और प्याज के भण्डारण के लिए कोल्ड स्टोरेज की कमी को पूरा किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (436)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में आलू, प्याज, तेल, दालें और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (437)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में घाटे की वित्त व्यवस्था के संकट, काले धन का पता लगाने और कर अपवंचन की स्थिति से देश को उबारने के कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (438)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में जमाखोरी, कालाबाजारी, मुनाफाखोरी और मिलावट आदि को रोकने के लिए प्रभावी कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (439)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बिहार के सभी गांवों के विद्युतीकरण के लिये आर ई सी द्वारा ऋण सुविधाओं को पुन: चालू किये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (440)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बिहार विद्युत बोर्ड को आर ई सी ऋण प्रदान करके बिहार में मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और वैशाली जिलों के सभी गांवों के विद्युतीकरण को पूरा किये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (441)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उत्तरी और दक्षिणी बिहार के क्रमश: हाथीदाह और फतूहां को ट्रांसमीशन लाइन से जोड़े जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (442)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कोयलाकारो, कदरम, कनहर और शांख जल विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (443)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में मुजफ्फरपुर, कहालगांव, बाढ़, उत्तरी कर्णपुरा, तेलूघाट, नवीनगर ताप विद्युत स्टेशनों की क्षमता को बढ़ाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (444)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बिहार में चौरस से पानी की निकासी किये जाने की योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (445)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारत-नेपाल संधि के पश्चात् बिहार राज्य को गंडक, कोसी, बागमती और गंगा जैसी नदियों की बाढ़ से बचाने की योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (446)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बिहार में लोगों को बाढ़ की तबाही से बचाने और बाढ़ पीड़ितों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए स्वीकृत निधि के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (447)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बिहार के सभी गांवों को सड़कों से जोड़ने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (448)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बिहार में अनुसचित जातियों, अनु०जनजातियों, अल्पसंख्यकों और कमजोर वर्गों के लोगों

के लिए पक्के मकान बनाए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (449)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बिहार के गरीब लोगों के मोहल्लों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिये हैंडपम्प लगाए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (450)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बिहार में इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत बनाए गये और बनाए जा रहे मकानों के कार्य को पूरा किये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (451)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पटना-हाजीपुर-मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी-मीठामोड़ मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (452)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बिहार में किसानों के लाभार्थ फलों और सब्जियों जैसे आलू, प्याज, टमाटर, केला, आम, भिन्डी, परवल आदि को औद्योगिक शहरों और विदेशों में हवाई कार्गो और वातानुकूलित रेल डिब्बों द्वारा परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (453)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में वैशाली को एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (454)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बिहार के विद्यालयों में मूल सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (455)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के सभी गांवों विशेषत: बिहार के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और वैशाली जिलों के सभी गांवों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (456)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने के कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (457)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बालश्रम और वेश्यावृत्ति को रोकने के लिए कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (458)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में किसानों, मजदूरों, युवाओं और महिलाओं की विकास योजनाओं के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (459)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बिहार और देश के अन्य भागों में गरीब लोगों को लाल कार्ड जारी किये जाने, जिसके तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को आधी दर पर अनाज उपलब्ध कराया जाता है, के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (460)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:-

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध कराने की विशिष्ट योजना का कोई उल्लेख नहीं है।" (461)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (462)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आवश्यक और जीवन रक्षक औषधियों की मूल्य वृद्धि के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (463)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किये जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (464)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बीमा क्षेत्र में स्वदेशी या विदेशी निजी क्षेत्र के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाये जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (465)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश से निरक्षरता के उन्मूलन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (466)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, नादिया, हुगली और वर्धमान जिलों में बड़े पैमाने पर भूमि कटाव को रोकने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (467)

[श्री बसुदेव आचार्य]

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में महिलाओं के लिए समान अधिकार और मजदूरी आदि के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (468)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में महिलाओं की स्वास्थ्य रक्षा और बच्चों की देखभाल के लिए उठाए गये कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (469)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राष्ट्रीय युवा नीति बनाये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (470)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में प्रशासनिक तंत्र में विभिन्न स्तरों पर बढ़ते हुए भ्रष्टाचार और इसके उन्मूलन के लिए प्रभावी उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (471)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए और देश में सभी क्षेत्रों का समान विकास करने के लिए नीति बनाए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (472)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकारी क्षेत्र के रुग्ण औद्योगिक एककों को पुनरूज्जीवित करने और उनके विस्थापित श्रमिकों के पुनर्वास के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (473)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में किसानों को आदानों की बढ़ती हुई लागत के अनुरूप कृषि उत्पाद का लाभकारी मूल्य प्रदान किये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (474)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में अप्रत्याशित वृद्धि, जिससे वे आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई हैं, के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (475)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में दूरदराज के क्षेत्रों में रह रहे निर्धन वर्ग के लोगों के लिए आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने हेतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ किये जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (476)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में रोजगार की खोज में ग्रामीण क्षेत्रों से शिक्षित युवाओं का शहरी क्षेत्रों को पलायन रोकने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (477)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में डाक्टरों, वैज्ञानिकों, तकनीशियनों और विशेषज्ञों के निर्बाध पलायन को रोकने के लिए उठाये गये कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (478)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी और सभी बेरोजगार शिक्षित युवाओं की कठिनाइयों को दूर करने के लिए उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिये जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (479)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड की 90 कोयला खानों के बंद होने, जिस कारण एक लाख श्रमिक बेरोजगार हुये हैं, के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (480)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस्पात और अन्य उद्योगों के लाभ के लिये सीमा शुल्क में कमी और उत्पाद शुल्क में वृद्धि किये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (481)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान करने के लिए विधेयक लाये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (482)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में भूमि सुधारों के प्रभावी कार्यान्वयन पर निगरानी रखे जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (483)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राज्यों में अल्प विकसित जिलों के चहुंमुखी विकास के लिये योजना बनाये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (484)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पूर्वी जोन में नये राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और वर्तमान राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत किये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (485)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में अल्पसंख्यकों के हितों की प्रभावी रूप से सुरक्षा करने के लिए कार्यान्वयन हेतु उठाए गये कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (486)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए और अधिक आवासों के निर्माण की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (487)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में निर्धन किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के प्रकोप से बचाने के लिए एक समेकित फसल बीमा योजना आरम्भ किये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (488)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उपेक्षित ग्रामीण श्रमिकों जो अपना जीवन यापन करने की स्थिति में नहीं हैं, को पेंशन देने का प्रावधान करने के लिए एक व्यापक विधान की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (489)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रभावी उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (490)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में किसानों को उचित लाभकारी मूल्य देने की दृष्टि से कृषि उत्पादों विशेष रूप से सब्जियों, फलों आदि के विपणन के लिए शीतागार की सुविधा उपलब्ध कराने के उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (491)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में स्थानीय किसानों को पेड़ उगाने के लिए बंजर भूमि के वितरण की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (492)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में ग्रामीण बेरोजगार युवाओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें व्यावसायिक पाठ्यक्रम उपलब्ध कराये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (493)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राजमार्गों और पत्तनों के निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (494)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उपभोक्ताओं के उपायोग के लिए बिजली की दरों को कम किये जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (495)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे के निर्माण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका को प्रोत्साहन देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (496)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में दलितों पर अत्याचार रोकने के लिये किये गये उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (497)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अल्पसंख्यकों के संरक्षण, कल्याण और चहुंमुखी विकास के लिए समुचित विधान लाये जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (498)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में निर्धन लोगों के लिए भोजन, वस्त्र और आवास की मूलभूत आवश्यकताएं उपलब्ध कराने हेतु व्यापक योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (499)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बढ़ती हुई गरीबी, बेरोजगारी, असमानता और मूल्य वृद्धि को रोकने के उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (500)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश की बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति, जिसके कारण सरकारी क्षेत्र के उपक्रम बंद हो रहे हैं, के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (501)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पशु नसल में सुधार और उनमें बीमारियों को फैलने से रोकने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (502)

[श्री बसुदेव आचार्य]

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में हैपैटाइट्स-बी, टी०बी०, एच०आई०वी० और यकृत और हृदय की बीमारियों और निर्धनता से संबंधित बीमारियों की रोकथाम तथा उन्हें समय पर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (503)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (504)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुपात में खाद्यान्नों, दालों, तेल के उत्पादन को बढ़ाये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (505)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में तेलों, दालों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए उठाये गये कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (506)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश को घाटे की वित्त व्यवस्था, काले धन और कर अपवंचन के संकट से उबारने के लिए किये गये उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (507)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में जमाखोरी, कालाबाजारी, मुनाफाखोरी और मिलावट को रोकने के लिए उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (508)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विभिन्न राज्यों को बाढ़ की विभीषिका और जनता तथा राज्य सरकारों को होने वाली क्षति से बचाने के लिए किसी योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (509)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सभी गांवों को सम्पर्क मार्गों से जोड़े जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (510)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों और कमजोर वर्गों के लोगों के लिए पक्के मकानों के निर्माण की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (511)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सभी राज्यों में निर्धन लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए हैण्डपम्प लगाये जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (512)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बार-बार आने वाली बाढ़ और सूखे के कारण राष्ट्रीय क्षति और इस संकट पर नियंत्रण लाने के लिए उठाए जाने वाले कारगर कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (513)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने के लिए किये गये उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (514)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बाल श्रम और वैश्यावृत्ति को रोकने के लिए किये गये उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (515)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में किसानों, मजदूरों, युवाओं और महिलाओं के लिए विकास योजनाओं की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (516)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में लोगों में रुग्णता की बढ़ती हुई घटनाओं और लोगों के स्वास्थ्य में आमतौर पर आ रही गिरावट के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (517)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अन्य देशों की अपेक्षा अधिक जनसंख्या होने के बावजूद अन्तर्राष्ट्रीय खेलकूदों में भारत के खराब प्रदर्शन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (518)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निवेश बढ़ाये जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (519)

अपराह्न 2.02 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

डीजल की कीमत में वृद्धि

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 12, अर्थात् नियम 193 के अधीन मामलों पर चर्चा करेंगे। श्री शंकर सिंह वाघेला।

[हिन्दी]

श्री शंकर सिंह वाघेला (कपड़वंज) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद। एन०डी०ए० ने 13वीं लोक सभा में जो जनादेश प्राप्त किया, उसके लिए मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और उनकी सरकार को बधाई देता हूं। *(व्यवधान)*

एक माननीय सदस्य : पुराना सम्बन्ध है।

श्री शंकर सिंह वाघेला : हमारे नसीब में विरोध करना ही है। आप जब विरोधी दल में थे और उस समय जो भाषण दिया, मैं उसे यहां कोट करूंगा। प्रधानमंत्री जी ने उस समय इस बारे में क्या कहा था, उसे भी कोट करूंगा। डीजल जैसी सामान्य चीजें फार्मर्स, कंज्यूमर्स इस्तेमाल करते हैं और यह इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में भी इस्तेमाल की जाती हैं। बसें भी डीजल से चलती हैं जिन में सामान्य यात्री यात्रा करते हैं। जब यह सरकार बनी भी नहीं थी, उस समय इन्होंने आधी रात को डीजल के दाम 35 परसैंट बढ़ा दिए। हिन्दुस्तान में इससे पहले ऐसी कोई भी सरकार नहीं थी जिस ने डीजल के दाम एकदम 35 परसैंट बढ़ाए हों। इन्होंने जनता को वचन दिया था कि महंगाई और इन्फ्लेशन रेट नहीं बढ़ेगा लेकिन सरकार बनने से पहले ही इन्होंने डीजल के दाम बढ़ा दिए। अभी संसद का सत्र होना था और बजट पेश होना था लेकिन उसके पहले ही एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसेज बढ़ा दिए। आप इस बात के हमेशा विरोधी रहे। आपने आधी रात को दाम क्यों बढ़ाए?

मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के 10 जुलाई, 1996 के भाषण से उद्धृत करूंगा।

[अनुवाद]

यह पेट्रोलियम उत्पादों के नियंत्रित मूल्यों में बजट पूर्व वृद्धि के औचित्य के प्रश्न के संबंध में है।

आधी रात को एक जर्नलिस्ट का फोन आपके पास आया था। मेरे पास भी आज रात को पत्रकार मित्र का फोन आया था। आपने कहा :

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से, मैं एक महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं जो सभा की मर्यादा और लोकतंत्र की गरिमा से संबंधित है। ग्यारहवीं लोक सभा का हाल ही में गठन किया गया है। महोदय, अब हाल ही में तेरहवीं लोक सभा का गठन किया गया है। मैं फिर उद्धृत करता हूं :

"अध्यक्ष महोदय, ग्यारहवीं लोक सभा का हाल ही में गठन किया गया है। यह पहले सत्र का पहला दिन है।"

महोदय, आज पहले दिन जो सभा का कार्य है रेलवे का उसमें जिक्र है। "आज गाड़ियां नहीं चल सकतीं।"

आगे प्रधानमंत्री जी ने कहा है :

"मध्यरात्रि के आस-पास मुझे एक पत्रकार का फोन आया था कि पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं। एल पी जी के मूल्य 30 प्रतिशत अधिक हो रहे हैं, नाफ्था 20 प्रतिशत ..."

सभी ब्यौरे यहां दिए गए हैं।

जो आपने कहा था उसमें उन्होंने सब एमपीज का जिक्र किया था।

"संक्षेप में, केवल सरकारी आदेश द्वारा देश के लोगों पर नौ हजार सात सौ करोड़ रुपयों का भार डाला गया है।" अगर सरकार 10 तक इन्तजार करती, यदि यह सरकार आज तक इन्तजार करती, अगर यह प्रस्ताव आज पेश किया जाता तो कोई आसमान नहीं टूट जाता। आशा कर रहे थे कि चूंकि यह नई सरकार है इसलिए यह एक अलग तरीके से कार्य करेगी।"

परन्तु यह सरकार इतनी नई नहीं है। यह सरकार दूसरी बार बनी है, यह अनुभव प्राप्त सरकार है। आपने आगे कहा था, जिसे मैं उद्धृत कर रहा हूं :

"केवल चेहरें बदले हैं, सत्ता दल का तरीका स्वरूप नहीं बदला है। लोग बदल जाते हैं परन्तु यहां उनके काम करने की शैली वही रहती है। जब सत्र भी नहीं बुलाया गया था तो उन्हें किसने ऐसा भार डालने की सलाह दी थी? ऐसा भार डालना बिल्कुल ही अलग मुद्दा है। मैं एक औचित्य का प्रश्न उठा रहा हूं और मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि किस तरह श्री इन्द्रजीत गुप्त, सोमनाथ चटर्जी, रामूवालिया जैसे संसद सदस्य ..."

यहां सभी ब्यौरे दिए गए हैं। फिर उन्होंने कहा, जिसे मैं उद्धृत करता हूं :

"तथापि, आज सत्ता दल बदल गया है। जो विपक्ष में थे अब सत्ता पक्ष में आ गए हैं।"

जो उस समय विपक्ष में थे वे आज सत्ता पक्ष में बैठे हैं। अब उन्हें ऐसा करने का पूरा अधिकार है। *(व्यवधान)* यही वास्तविकता है।

[हिन्दी]

मैं उस समय नहीं था। मैं प्रार्थना करूंगा कि उस समय उनके जो लफ्ज थे, माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण, श्री जसवंत सिंह का भाषण, डा० मुरली मनोहर जोशी का भाषण, आप उसे याद कीजिए डा० जोशी ने, श्री जसवंत सिंह से, जो उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे, से क्या कहा था। डा० जोशी ने घी के बारे में एक फर्स्ट क्लास श्लोक सुनाया था :

यावत: जीवेत् सुखम जीवेत्
ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्
भस्मा भुतस्या देहस्या पुनर्गमम् कुता:

डा० जोशी जी का भाषण डिस्कशन अंडर रूल 193 और सेम सब्जैक्ट पैट्रोलियम डीजल प्राइस राइज पर था।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : यह कब का है?

श्री शंकर सिंह वाघेला : 11 जुलाई, 1996।

डा० जोशी ने उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर श्री जसवंत सिंह से क्या कहा मैं सब डिटेल्स में जाकर हाउस का समय खराब नहीं करना चाहता लेकिन यह जो मामला है, उसमें प्राइस राईज के बारे में इन्होंने जिक्र किया था। माननीय प्रधानमंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर और पैट्रोलियम मंत्री यहां बैठे हुये हैं। जब आप लोग विपक्ष में थे, तब आपके जितने भाषण थे, यदि आपकी कांशिएंस अलाउ करती है तो मेहरबानी करके वही भाषण अब *(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : कांशिएस रहती तो वहां कैसे जाते?

श्री शंकर सिंह वाघेला : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दामों के बारे में कहा है कि 124 डॉलर से बढ़कर 163 डॉलर प्राइस राइज हुई है, इसका मतलब यह है कि प्रति लीटर दो रुपये प्राइस राइज होती तब तो लोग बियर कर सकते थे लेकिन प्रति लीटर चार रुपये से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है जो आम आदमी पर मार है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप इसे और कम करिए, इस बढ़ोतरी को दो रुपये से कम कीजिए। चार रुपये बढ़ोतरी से सबको मत मारिये।

अध्यक्ष महोदय, कारगिल पर आक्रमण के समय माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा था कि देश की जनता को आने वाले दिनों में भारी टैक्सों के लिए तैयार रहना होगा। चुनाव उस समय तक नहीं आया था। फिर उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा नहीं कहा। क्या देश की जनता को बजट में आप मारने वाले हैं? क्या आप बजट तक इंतजार नहीं कर सकते थे? किसलिए देश की जनता को तैयार रखना चाहते थे?

कारगिल का इश्यू मैं नहीं लेना चाहता हूं—वह अलग इश्यू है, जब सदन में आएगा तो उस पर बातें होंगी। लेकिन उस समय एडवांस में कहा था और लोगों पर जो मार पड़नी थी हैवी टैक्सेज की, बजट आने से पहले आपने कैसे अलाऊ किया डीजल की प्राइस राइज को? फिर जो ओवरनाइट प्राइस राइज हुआ, आपके नोट्स में है कि फरवरी, 1999 में इसका मूल्य प्रति मीट्रिक टन 3210 डालर से बढ़कर सितंबर 1999 में 7020 डालर प्रति मीट्रिक टन हो गया, मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं कि क्या मार्च में भाव नहीं बढ़े थे, क्या मई में भाव नहीं बढ़े थे? अगर भाव बढ़ने का प्रोसेस जारी था तो जब गवर्नमेंट केयरटेकर रह गई थी तो उसके बाद आपने क्यों प्राइज राइज किया? आपने जुलाई, अगस्त या सितंबर में प्राइज राइज क्यों नहीं किया? क्योंकि चुनाव आपके सामने थे और आपको चुनाव में वोट बटोरने थे। आपने वोट बटोरे और वोट का जो भी बदला जनता को देना था वह आपने डीजल की कीमतें बढ़ाकर दिया। प्रधानमंत्री जी को सुनने में भी *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री जे०एस० बराड़ (फरीदकोट) : महोदय, यह राष्ट्रीय महत्व का मामला है और माननीय प्रधानमंत्री जी बाहर जा रहे हैं। *(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट (दौसा) : महोदय, जब हम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस सुन सकते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री को भी यहां उपस्थित रहना चाहिए और इसे सुनना चाहिए। यह आम आदमी का सवाल है जो इससे प्रभावित है और वह ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें यहां उपस्थित रहना चाहिए *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : संबंधित व्यक्ति श्री राम नाईक जी यहां हैं।

(व्यवधान)

श्री राजेश पायलट : महोदय, मैं यह बात मान रहा हूं। मेरा विचार यह है कि माननीय प्रधान मंत्री को यहां होना चाहिए। *(व्यवधान)*

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : प्रधानमंत्री जी यहां सभी दिए गए भाषणों को अपने कमरे में बैठकर भी सुन सकते हैं।

श्री राजेश पायलट : यह ठीक है। परन्तु हम उनकी प्रतिक्रिया नहीं देख सकते। *(व्यवधान)*

श्री यशवंत सिन्हा : अगर आप चाहते हैं कि वे आपके सामने आएं तो आप उन्हें दूरदर्शन पर भी देख सकते हैं। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजेश पायलट : कवि के दिल को देखते हैं मगर कवि की वेदना क्या एक आम आदमी से जुड़ी है या नहीं, यह भी हम देखना चाहते हैं। *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : यह आपने सही बोला है। वाघेला जी उनके भाषण क्वोट कर रहे हैं और उन्होंने सही बचाव का काम किया है। *(व्यवधान)*

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक): आप अपने दाहिने हाथ पर देखिये, लीडर ऑफ अपोजीशन का भी कर्तव्य है कि वह भी उपस्थित रहें। *(व्यवधान)*

श्री शंकर सिंह वाघेला : स्पीकर साहब, यह बात सही है कि जब प्राइस राइज हुआ होगा तो उसमें प्रधान मंत्री जी को कंसल्ट किया होगा या नहीं। ये जो कड़वी बातें हैं, मैंने तो अभी प्रधान मंत्री जी के भाषण के ही कुछ अंश पढ़े, अभी और भी बताऊंगा कि कैसे-कैसे भाषण थे। लेकिन प्रधान मंत्री जी को आश्वासन देना चाहिए था कि जो भी कहना है कहो, नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा पूरी होने के बाद मैं सदन को और देश की जनता को आश्वासन दूंगा कि आने वाले दिनों में एल०पी०जी० या केरोसीन या पेट्रोल के प्राइस नहीं बढ़ेंगे और इस मूल्यवृद्धि को भी चार रुपये से घटाकर दो रुपये करने की बात वह सोचते तो अच्छी बात होती लेकिन सच्ची बातें कड़वी लगती हैं। जो भाव आपने ओवरनाइट, चुनाव के बाद जनता का वोट लेने के बाद, आधी रात को बढ़ाया और जनता को मार दी है, वह जनता को मालूम है और आने वाले इलेक्शन में वह आपको देखेगी। अभी तो इलेक्शन नहीं है। आपके लिए भले ही यह सोर्स ऑफ इंकम होगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भाव बढ़े हैं, इसलिए आपके लिए यह फीगर्स को मिलाने की जगलरी होगी। पांच हजार करोड़ रुपये आपके फेवर में उधर चले गये — टू एंड्स मिलाने के लिए आपने प्राइस

राइज किया है। प्राइस राइज तो आपकी जगलरी का एक मजाक है। प्राइस राइज के लिए आपने कहा है कि यह एक सेविंग है, लेकिन इसकी मार कॉमन मैन पर क्या होती है, इसकी मार उस किसान पर क्या होती है जिसके पास आज बैल नहीं है, जो यांत्रिक खेती करते हैं, ट्रैक्टर्स चलाते हैं—ट्रैक्टर्स के लिए भी डीजल की जरूरत होती है। हिंदुस्तान का गरीब किसान, जिनके यहां यांत्रिक काश्तकारी हो रही है उनके बारे में भी आपको सोचना चाहिए। वहां बैल नहीं हैं, उसका बुलक कार्ट आज ट्रैक्टर है, उस की गाड़ी भी वही है, उसका जो कुछ भी है वह ट्रैक्टर ही है और ट्रैक्टर डीजल से चलता है। उस किसान को आपने चार रुपये के बोझ से मारा है। यह आपने दो एंड्स मिलाने के लिए नहीं किया है। आज चार-पांच गरीब किसान पार्टनरशिप में लोन लेकर ट्रैक्टर लेते हैं। आज वही गरीब गांव का किसान रो रहा है और उसे पछतावा होता है कि हमने बी०जे०पी० या एन०डी०ए० को क्यों वोट दिया। सर, न सिर्फ किसान बल्कि कंजूमर्स, कॉमन मैन, पैसेन्जर्स बस पैसेन्जर्स भी परेशान हैं। दिल्ली से चुने गए बी०जे०पी० के सांसदों को शर्म आनी चाहिए। इन्हें मंत्री नहीं बनाया गया, वह मैं समझ सकता हूँ लेकिन दिल्ली में गवर्नमेंट ने स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसों का किराया बढ़ाया, क्या श्रीमती शीला दीक्षित या कांग्रेस सरकार ने किराया बढ़ाया था या डीजल की प्राइस चार रुपये आपने बढ़ाई हैं। इसका प्रभाव सब राज्यों में चाहे वहां किसी भी पार्टी की सरकार हो, जो स्टेट ट्रांसपोर्ट होती है उस राज्य के पैसेंजर के ऊपर प्राइस राइज का असर पड़ता है। अभी गुजरात गवर्नमेंट ने डीजल का प्राइस बढ़ाया। पूरे हिंदुस्तान में जितनी बसें डीजल से चलती हैं, इसकी मार कॉमन गरीब आदमी जो गांव से शहर में अपने तहसील या डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर आता है, जहो रेलवे नहीं हैं, वहां बसों का किराया आपने बढ़ाया है, इसकी सीधी जो मार पड़ती है, वह सीधे उसको नहीं मारते हैं, बल्कि डीजल के प्राइस बढ़ाकर आप उस गरीब पैसेंजर को मारते हैं। *(व्यवधान)*

श्री मदन प्रसाद जायसवाल (बेतिया) : दिल्ली में कांग्रेस ने सौ प्रतिशत बसों का भाड़ा बढ़ा दिया है, उसके बारे में भी बोलिये *(व्यवधान)*

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : आप डीजल के भाव वापस करिये। शर्म नहीं आती है, डीजल के भाव बढ़ाते हैं *(व्यवधान)*

श्री शंकर सिंह वाघेला : यदि आप डीजल के प्राइस नहीं बढ़ाते तो क्या कई स्टेट गवर्नमेंट्स में यह नौबत आती, यानी कि आग आप लगाते हैं *(व्यवधान)* इससे न सिर्फ किसान के एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का भाव बढ़ेगा, बल्कि महंगाई भी बढ़ेगी। इतना ही नहीं इस देश के करोड़ों लोग बसों से ट्रैवल करते हैं, गरीब आदमी जो बसों से आते-जाते हैं, मैं समझता हूँ कि कोई मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट, विधायक या आई०ए०एस० या आई०पी०एस० अफसर या सुखी लोग बसों से ट्रैवल नहीं करते। आप कभी बस से जाइये, तब आपको मालूम होगा कि बसों में कितनी भीड़ होती है, वे उसी भीड़ में घुसकर जाते हैं, चूंकि उन्हें काम पर जाना है, यानी आपने बस पैसेंजर को गांवों के गरीब आदमियों को डीजल की प्राइस चार रुपये बढ़ाकर मारा है। आपने उसे ऐसा मारा है कि आज रो रहा है। इतना ही नहीं, अब रेल मंत्री की बारी आयेगी। रेलवे इंजन डीजल से चलते हैं। इनकी रेल मंत्री, कु० ममता बनर्जी का आने वाले दिनों में क्या होता है, आप नहीं बढ़ायेंगे तो फिर आपकी मार कहां जायेगी। अब रेलवे पैसेंजरों के ऊपर तलवार लटक रही है। आने वाले दिनों में उनको मंत्री रहना है या नहीं इसलिए आपको डीजल की मार को डिस्ट्रीब्यूट करके मारना होगा। मैं समझता हूँ हमारी जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज है, जहां रेलवे सुविधा नहीं है, हिली एरियाज हैं, जहां रेलवे ट्रैक्स नहीं हैं, वहां वे प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर के जरिए अपनी चीज, अपना सामान, अपना लगेज भेजते हैं।

अध्यक्ष महोदय, वह इंडस्ट्री सिक बन गई। उसके ऊपर आपने डीजल के प्राइस बढ़ाए हैं। आप उसको कह सकते हैं कि आप प्राइज राइज कर दीजिए। इस भार को आप कंजूमर के ऊपर डायवर्ट कर दीजिए, लेकिन कंजूमर कहेगा कि उसको इतने महंगे किराए का ट्रक नहीं चाहिए। यानी जब ट्रक का किराया बढ़ेगा, तो वह ट्रक को छोड़ देगा और उससे ट्रक उद्योग को नुकसान पहुंचेगा। आपने राज्यों को कह दिया कि यदि वे नहीं मानें, तो उनके ऊपर "ऐस्मा" लगा दो। आप तो मानवतावादी हैं। हमारे प्रधान मंत्री जी तो मानवतावादी हैं फिर आप कैसे "एस्मा" लगाने की बात करते हैं। आप सबको गोली मार दीजिए। सबको बन्द कर दीजिए। यह क्या हो रहा है। इस प्रकार से कहीं देश का शासन चलता है। आपने चाजों के दाम बढ़ाए हैं। आपने डीजल के दाम बढ़ाए हैं, तो उन्हें भी हड़ताल करने का मौलिक अधिकार है, प्राइस राइज करने का अधिकार है। इस प्रकार से कैसे काम चलेगा। आज हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं। वैजीटेबल के दाम बढ़ रहे हैं। हर समान के दाम बढ़ रहे हैं। दीपावली का त्यौहार आने वाला है। वे सारी चीजें ट्रकों से ढोई जानी हैं, लेकिन ट्रकों की हड़ताल के कारण वे ट्रकों में बन्द हैं। ट्रकों की हड़ताल में अब टैम्पो वाले भी जुड़ गए हैं।

अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि वे ट्रक वालों से बात करने की कोशिश करें, कोई रास्ता निकालें। यहां आप बैठे हैं। आप सांसद हैं, मंत्री हैं। यहां इतने बड़े-बड़े लोग बैठे हैं। यहां बड़े सीनियर लोग हैं। मेरा आग्रह है कि आप ट्रक हड़ताल करने वालों को बुलाइए। यहां पर डी०एम०के०, तेलुगू देशम, जनता दल आदि सभी दलों के लोग बैठे हैं। इन दलों के लोग तो डीजल की प्राइस बढ़ाने में सरकार के साथ नहीं होंगे। हमारे ओम प्रकाश चौटाला जी की लोकतांत्रिक पार्टी किसानों के नाम पर वोट लेकर आई है। क्या इस सरकार ने डीजल के दाम बढ़ाकर किसान की कमर तोड़ने का काम नहीं किया है? यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अपेक्षा रखता हूँ कि जो हो गया सो हो गया। आप एडमिनिस्टर्ड प्राइसेस के खिलाफ़ हैं। अगर आप एडमिनिस्टर्ड प्राइसेस के खिलाफ हैं, तो मेहरबानी करके जो डीजल की प्राइस बढ़ाई गई है, उसको वापस ले लीजिए। यह इस हाउस का अपमान है, पार्लियामेंट का अपमान है, डैमोक्रेसी का अपमान है। कॉमन मैन, जिन्होंने आपको वोट दिया है, उनका अपमान है। प्राइम मिनिस्टर और पूरी टीम, जिन्होंने एडमिनिस्टर्ड प्राइस का विरोध किया था, उनका अपमान है। बजट आने वाला है, पार्लियामेंट फिर मिलने वाली है। आपने डीजल की कीमतें बढ़ाकर जो करोड़ों रुपए की मार गरीब आदमी को मारी है, उसे वापस ले लीजिए। नौ महीने का इंतजार मत कीजिए।

अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में सबको मालूम होता है कि डीजल के प्राइज बढ़ाने से आम जनता को कठिनाई होती है। इसके बजाय

[श्री शंकर सिंह वाघेला]

आप अपने देश में ही उत्पादन बढ़ाइए। ओ०एन०जी०सी० को ज्यादा एक्टिव करिए, प्राइवेट एंटरप्रिन्योर्स को इनक्लूड करिए। सरकार को इसके लिए और सोर्स खोजने चाहिए और देश में ही तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रयास करने चाहिए क्योंकि हमारे देश में तेल की कमी नहीं है। हमारे गुजरात में, बिहार में, असम में और राजस्थान में भी तेल प्रचुर मात्रा में है। वहां और ड्रिलिंग करिए। जहां हैवी इनवैस्टमेंट की जरूरत है वहां हैवी इनवैस्टमेंट कीजिए। वहां से हैवी रिटर्न्स भी लीजिए। राज्यों को भी उनका हिस्सा नकद या क्वालिटी में न देकर क्वांटिटी में दीजिए। जब राज्यों को ज्यादा हिस्सा मिलेगा, तो वे ज्यादा उत्पादन करेंगे और देश में तेल की कमी नहीं होने देंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इस चर्चा के लिए दो घंटे का समय आंवटित किया गया था और आप 25 मिनट समय ले चुके हैं।

[हिन्दी]

श्री शंकर सिंह वाघेला : अध्यक्ष महोदय, मैं समाप्त करना चाहता हूँ। मेरा आपके माध्यम से पुन: अनुरोध है कि डीजल के दाम बढ़ाने का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा आग्रह है कि बढ़े हुए डीजल के दामों को वापस लें। आप इस हाउस में आश्वासन देंगे। देश की जनता इस बात का इंतजार करती है कि आपने जो डीजल के दाम बढ़ाये हैं, क्या आने वाले दिनों में आप सिस्टर कन्सर्न चीजों के भाव नहीं बढ़ायेंगे? इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने का समय दिया तथा डीजल प्राइस के बारे में जो ध्यान आकर्षित किया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सभा इस समय जो चर्चा कर रही है, वह बहुत आवश्यक तथा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह इस वर्ष 3 अक्तूम्र को लिए गए एक असाधारण निर्णय के संबंध में है जबकि यह सरकार अपने नए रूप में अस्तित्व में नहीं थी। यह निर्णय इन्हीं प्रधानमंत्री और इन्हीं वित्त मंत्री के रहते भूतपूर्व सरकार द्वारा लिया गया था। डीजल के मूल्यों को इतनी अधिक दर से बढ़ाए जाने के निर्णय की असाधारण स्थिति से वास्तव में न केवल एक गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है बल्कि आज सारे देश में माल परिवहन का चक्का करीब-करीब जाम हो गया है।

महोदय, विगत में इस सभा का सदस्य रहने के कारण और अनेक सरकारों की कार्यप्रणाली देखने के बाद, मैं इस बात की कल्पना नहीं कर सकता था कि इस देश में मतदान के आखिरी दिन, जबकि नई सरकार के आने में एक सप्ताह अथवा दस दिन रह गए थे, एक काम-चलाऊ सरकार द्वारा इस तरह का निर्णय लिया गया। यदि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को इतना विश्वास था कि वह सत्ता में वापस आ जायेंगे तो उचित और नैतिक बात तो यह थी कि सरकार अगले सदन और अगली सरकार के गठन की प्रतीक्षा करते और इस विषय में विपक्ष के नेताओं से चर्चा कर उन्हें भी विश्वास में लेते। समुदाय के गरीब और कमजोर वर्गों के संबंध में वायदे किए गए थे। उन्होंने अपने अधिकारों को इतना बढ़ा लिया है कि जैसा मेरे विचार में विगत में किसी काम चलाऊ सरकार ने नहीं किया होगा। यदि उन्हें सत्ता में वापस आने का विश्वास नहीं था तो उन्हें अगली सरकार की प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। उन्हें इन दोनों में से किसी एक बात को अमल में लाना चाहिए था।

अब, मेरे मित्र, श्री राम नाईक द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया है। वास्तव में उन्हें उसका समर्थन करना है जिसे उचित नहीं ठहराया जा सकता है। उन्होंने कुछ आंकड़े दिए हैं और यहाँ अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए मैं केवल उन आकड़ों पर निर्भर कर रहा हूँ। हमें कठोर निर्णय लिए जाने के बारे में कहा गया है। मेरे विचार में माननीय वित्त मंत्री जो कि सी०आई०आई०, एक आई०सी०सी०आई० और ए०एस०एस०ओ०सी० एच०ए०एम० के आदर्श हैं—उन्होंने उनके नाम की सिफारिश वित्त मंत्री के लिए की है। वह दूरदर्शन पर कह रहे थे कि नई सरकार के गठन से पहले, इस सभा के समवेत होने से पूर्व पुनर्विवेचन का कोई सिद्धांत नहीं है। पुनर्विवेचन नहीं होगी। यह रवैया है। निश्चय ही, प्रधान मंत्री को वित्त मंत्री, जिन पर एक आई सी सी आई और सी आई आई की कृपा है, के निर्णय को मानना पड़ा।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : क्या यह सी आई ए है अथवा सी आई आई है?

श्री सोमनाथ चटर्जी : नहीं। यह सी आई आई है। अत: उनका रवैया अड़ियल हो गया था और कोई विचार नहीं किया गया। सरकार का यह निर्णय राजनीतिक दृष्टि से अनैतिक और देश के लिए आर्थिक रूप से अन्याय-पूर्ण है और फिर उन्होंने इस प्रकार का रवैया अपना लिया कि उन्होंने इस मामले पर किसी भी तरह पुनर्विचार नहीं किया। यह किस तरह की सरकार है? यह सरकार जनता के दुखों तथा जनता की राय के प्रति संवेदनहीन है और उसे उनकी तनिक भी परवाह नहीं है।

ट्रक आपरेटर हड़ताल पर हैं और आवश्यक चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। अब यह हड़ताल देश भर में फैल रही है। अब पश्चिम बंगाल के ट्रक आपरेटर भी इसमें शामिल हो गए हैं जिन्होंने पूजा तक अपने निर्णय को स्थगित रखा हुआ था। अब पूरे देश को कठिनाई हो रही है। जैसा कि श्री वघेला द्वारा कहा गया है ट्रक आपरेटर की हड़ताल का असर रेलवे जैसे सार्वजनिक क्षेत्र संगठनों सहित हर क्षेत्र पर होगा। यह सरकार कहती है, 'कुछ करने की आवश्यकता नहीं है'।

महोदय, मंत्री जी ने 1 सितम्बर, 1997 के निर्णय का जिक्र किया है जिसमें यह कहा गया है कि डीजल के बिक्री मूल्य का निर्धारण आयात क्षमता के सिद्धांत के आधार पर किया जायेगा और उसकी हर 30 से 60 दिन के बाद पुनरीक्षा की जायेगी। मैं सरकार से जानना चाहूँगा कि क्या ऐसा किया गया था। महोदय, हमारे पास कुछ प्रकाशन हैं और मुझे विश्वास है कि आपके पास भी वे प्रकाशन हैं जिसमें यह कहा गया है कि फरवरी, 1999 में मूल्य वृद्धि 3210 रु० थी जबकि इन्हीं प्रधानमंत्री तथा इन्हीं वित्त मंत्री की भूतपूर्व सरकार सत्ता में थी लेकिन उस सरकार में पैट्रोलियम मंत्री यह नहीं थे। उस समय पुनरीक्षा की गई थी। मार्च-अप्रैल में एक बार फिर पुनरीक्षा की गई थी। अप्रैल में मूल्य 4800 रु० हो गया। अप्रैल में कोई पुनरीक्षा नहीं की गई। क्यों? जब इसके मूल्य 4940 रु० तक बढ़ गए तब इसकी पुनरीक्षा क्यों नहीं की गई? ऐसा इसलिए था क्योंकि वे जानते

थे कि उन्हें आने वाले चुनाव का सामना करना है। जून में भी वृद्धि हुई किन्तु पुनरीक्षा नहीं की गई। डीजल के मूल्य में धीरे-धीरे वृद्धि की जानी चाहिए थी ताकि सरकार बाजार और लोगों पर इसके प्रभाव को आंक सकती।

महोदय, यदि आप उस चार्ट को पढ़ेंगे जो कि उन्होंने दिया है तो आप देखेंगे कि सितम्बर, 1997 से अप्रैल, 1999 तक वास्तव में इसके मूल्य में केवल कुछ पैसों की वृद्धि हुई और इसकी लगातार छः-सात बार पुनरीक्षा की गई थी। मुम्बई में यह 11.53 रुपये से बढ़ाकर 12.23 रुपये हो गया अर्थात् पिछले ढाई वर्षों में मात्र 70 पैसे की वृद्धि हुई। अब वह इन्तजार करते हैं, उन्होंने अप्रैल, मई, जून और जुलाई तक इन्तजार किया। जुलाई में यह 3210 रुपये से बढ़कर 5730 रुपये हो गया है। यदि सरकार को सितम्बर, 1997 के निर्णय की इतनी चिंता थी तो उन्होंने उस समय ऐसा क्यों नहीं किया? सम मूल्य प्रणाली उस समय भी लागू थी, उन्होंने इसे क्रियान्वित क्यों नहीं किया। ऐसा उन्होंने अगस्त में ही क्यों किया जब इसका मूल्य बढ़कर 6250 रुपये हो गया?

महोदय, 3 अक्तूबर का महत्व सभी जानते हैं। यह मतदान का अन्तिम दिन था। यह ऐसी सरकार है जिसने जानबूझकर इस देश के लोगो से कुछ निर्णयों को छिपाए रखा। उन्होंने इस निर्णय को छिपाए रखा जो कि वह लेने जा रहे थे। यह इस देश के लोगों को दिया गया राजनीतिक झांसा और सरकार को दिए गए अधिकारों का दुरूपयोग नहीं तो और क्या है? इस बात का किसी के द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि उन्होंने फरवरी से अगस्त के बीच मूल्यों की पुनरीक्षा क्यों नहीं की जिस दौरान मूल्य दुगुने हो गए थे।

महोदय, यदि शासन चलाने के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, यदि शासन को केवल चुनावी राजनीति पर ही छोड़ दिया जाता है, आज देश डीजल की कीमतों में 4 रु० प्रति लिटर की वृद्धि की गंभीर समस्या का सामना कर रहा है जो कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए अति आवश्यक है।

महोंदय, सरकार का कहना है कि कठोर निर्णय लेने होंगे किन्तु इसका असर देश के आम आदमी पर ही पड़ेगा। कितने धनी लोग, संपन्न लोग, समृद्ध लोग इस 4 रु० की वृद्धि से चिन्तित हैं? कोई नहीं। इससे प्रभावित होने वाले हैं *किसान;* इससे प्रभावित होने वाला है आम आदमी। ये आम लोग हैं। मैंने सभी को सुना जो कि गरीबों के संबंध में लम्बी चर्चा कर रहे थे और राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी इसका उल्लेख है जो कि सरकार ने तैयार किया था।

इस संबंध में एक शब्द भी नहीं कहा गया है। इस देश की जनता से कोई माफी नहीं मांगी गई कि चुनाव समाप्त होने वाले दिन हमने ऐसा किया था और हम इन कारणों से ऐसा करने के लिए मजबूर हैं। अब यह कहना बहुत आसान है कि "हम क्या कर सकते हैं?" सितम्बर, 1997 में एक निर्णय लिया गया था जिसे उन्होंने लागू नहीं किया था। उत्पाद शुल्क की मद के रूप में रेल भाड़ा और अन्य बातें उनके नियंत्रण में हैं। अगर वे वास्तव में ही लोगों के बारे में चिन्तित हैं तो वे उत्पाद शुल्क हटा सकते थे। रेल माल भाड़े के संबंध में आप का क्या कहना है? आप इस देश के लोगों के बारे में बिल्कुल चिन्तित नहीं हैं। यदि कहना कुछ और करना कुछ ही किसी सरकार के कार्यकरण की पहचान है, तो श्री शंकर सिंह वाघेला जी ने जो कुछ कहा उस पर हम ध्यान दें हमें इस बात की कोई हैरानी नहीं है क्योंकि अन्तर सत्ता में आने से पड़ता है, क्योंकि व्यक्ति को सत्ता का नशा चढ़ जाता है। इसलिए श्री अटल बिहारी वाजपेयी को इस देश की राजनैतिक बुद्धिमत्ता और राजनैतिक नैतिकता का प्रतीक माना जाता है। किस प्रकार की बुद्धिमता और किस प्रकार की नैतिकता दिखाई दी थी? जब वे दूसरी तरफ उपस्थित थे तो उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया था। उन्होंने सरकार को अनैतिकता और अनौचित्य के लिए दोषी ठहराया था। क्या अब सरकार ने कोई अनौचित्य नहीं किया है?

हमारे विचार में, यह इस देश के लिए दुर्भाग्य की बात है कि वे सत्ता में आ गए हैं। परन्तु हमने जनता का फैसला स्वीकार किया है और हमने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। यही जनादेश है। मैं जनादेश स्वीकार कर रहा हूं। स्वीकार न करने का प्रश्न ही नही उठता। परन्तु आप शासन करें और उन लोगों के लिए शासन करें जिन के लिए आप इस समय मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। इसलिए, डीजल ऐसा मामला नहीं है जिसे अनदेखा किया जा सके अथवा ऐसा नहीं है कि लोगों पर इसका कोई प्रभाव न पड़े और इसके बिना भी काम चलाया जा सके। यह कोई विलासिता की वस्तु नहीं है। इसलिए हमारी मांग यह है कि देश में रोष है और लोग नाराज हैं। यह देश की ऐसी समस्या है जिसका समाधान होना चाहिए और मूल्य वृद्धि को वापस लिया जाना चाहिए। इस पर विचार विमर्श किया जाना चाहिए। समुचित चर्चा और बहस होने दीजिए। हमें यह पता चलना चाहिए कि क्या किया जा सकता है। प्रधानमंत्री जी सर्वसम्मति की राजनीति की बात करते हैं। क्या इस तरह से देश में सर्वसम्मति की राजनीति का विकास हो सकता है? मैंने श्री मदन लाल खुराना जी से एक दिन कहा था "आपको कोई मंत्रालय नहीं मिला है । मुझे इस बात का दुख है और मेरी सहानुभूति आपके साथ है। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता।" कम से कम, इस समय तो आप संसद से बाहर ही हैं। बस के किराए की वृद्धि के विरोध में श्री विजय कुमार मल्होत्रा और श्री मदन लाल खुराना साथ-साथ थे। अब वे बस किराया वृद्धि के विरोध में सड़कों पर प्रदर्शन कर रहें हैं। डीजल के दाम बढ़ गए हैं और इसका परिवहन पर तत्काल प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। कौन सी सरकार चाहती है कि बसों का किराया बढ़े? मैं जानता हूं कि हम पश्चिम बंगाल और उन राज्यों में इस समस्या का सामना कर रहे हैं जहां हम सत्ता में हैं। लोग उनसे नाराज हैं क्योकि वे राज्य सरकार के अधिक निकट हैं। लोग राज्य सरकार से इसलिए नाराज होते हैं क्योंकि राज्य सरकार किराया बढ़ाने के लिए विवश होती है क्योंकि टैक्सीवाले, बस वाले और कोई भी तब तक अपने वाहन नहीं चलाएगा जब तक उन्हें किराए बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाती। अब वे लोगों को बस किराया वृद्धि के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए भड़का रहे हैं। चाहे यह पूरी तरह से डीजल के मूल्य बढ़ने की वजह से हुआ है।

महोदय, यह बहुत बड़ी चुनौती है। मैंने अब तक इस बारे में किसी मंत्री से नहीं सुना है परन्तु मैंने नौकरशाहों को यह कहते सुना है कि "एस्मा" का इस कार्य के लिए उपयोग या दुरूपयोग किया जा सकता है। मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि क्या वे इस मामले में "एस्मा" का प्रयोग करने वाले हैं या नहीं और इसका क्या परिणाम होगा तथा क्या वे इसके प्रति नाराजगी को कुछ हद तक कम करने के लिए किसी प्रकार की सबसिडी देने का सोच रहे हैं।

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

विगत में कभी भी एक ही बार में इतनी तेजी से मूल्य वृद्धि नहीं हुई है। दिल्ली में यह 10.37 रुपये से बढ़कर 13.91 रु० हो गया है; कलकत्ता में 10.52 रुपये से 14.20 रुपये हो गया है; मुम्बई में 12.23 रु० से बढ़कर 16.54 रुपये हो गया है। श्री राम नाईक जी यहां उपस्थित हैं। वे इसे रेलवे के लिए लागू नहीं कर रहे हैं परन्तु वे अब जिम्मेवार हैं। श्री राम नाईक जी आप मूक बनकर न खड़े रहें कुछ कहिए। *(व्यवधान)* मैं इसकी सराहना करता हूं। क्या मैंने शुरू में ही इसकी सराहना नहीं की थी? फिर, चेन्नई में तो यह 11.27 रुपये से बढ़कर 15.24 रु० तक पहुँच गया है। विगत में कभी भी इतनी तेजी से मूल्य वृद्धि नहीं हुई थी। यह राजनैतिक अनौचित्य का द्योतक है। यह इस देश में जन-विरोधी, किसान विरोधी, प्रत्येक व्यक्ति का विरोधी और विकास-विरोधी है और हमारी यह मांग है कि इसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। सरकार को विपक्ष के साथ इस पर चर्चा कर जिम्मेदाराना रवैया अपनाना चाहिए, इसे सभा में स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए और हम देखेंगे कि इस संबंध में क्या किया जा सकता है।

कोई भी इतना गैर-जिम्मेदार नहीं है कि यह कहे कि देश की अर्थव्यवस्था बरबाद होनी चाहिए। परन्तु यदि लोगों की अर्थव्यवस्था बिगड़ती है तो देश क्या विकास कर पाएगा? हमें बताया गया है कि हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार के रूप में 33 बिलियन डालर की अधिशेष राशि है। यह बहुत अच्छी बात है परन्तु यह धन कितना उपयोग हो रहा है? यह विदेशी मुद्रा किस काम के लिए है?

निजीकरण की तरफ भी रुझान है और उपभोक्ताओं पर सारी जिम्मेदारियां डालने की भी प्रवृत्ति है। इसीलिए, इस सरकार ने सबसे पहले पिछली सरकार के निर्णय का समर्थन कर सरकार ने अपना विश्वास खोया है। यह और कुछ नहीं बल्कि इस देश की आम जनता पर युद्ध की घोषणा करना ही है। श्री राम नाईक जी, आपको इस बात की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और आपको स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। मैं समझता हूं कि इस देश के लोग स्वयं निर्णय ले लेंगे। हम चाहते हैं कि वे शासन करें लेकिन कुशासन नहीं करें और अगर वे ऐसा करते हैं तो हम उनका विरोध करेंगे और हम अपनी क्षमता के अनुसार इसका विरोध करेंगे। मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि इस देश के लोग कभी ऐसा निर्णय स्वीकार नहीं करेंगे।

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा) : अध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से डीजल के दाम में जो वृद्धि की गई है, उसके संदर्भ में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह विषय सरकार के लिए निश्चित रूप से कठिन है। लेकिन एक तरफ पिछले 50 वर्ष के घटनाचक्र को देखना होगा, कि किस प्रकार से इस देश को हम लोग चला रहे थे। हमारी सरकार पिछले सवा साल तक सत्ता में रही, फिर हमारी सरकार गिर गई, गिराने की श्रेय किन लोगों को जाता है, इस बात की चर्चा करना यहां आवश्यक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, डीजल के दाम में इतनी बड़ी वृद्धि से सबको कष्ट है। हम लोग भी इस बात को महसूस करते हैं। ऐसा नहीं है कि सत्ता पक्ष में बैठने वाले लोग इस बात को महसूस नहीं करते। लेकिन जो इस देश का हिसाब-किताब पिछले 50 वर्ष में तैयार किया गया, उसको कहीं न कहीं सुधारने की आवश्यकता है। आज किसी भी तरफ आप नजर उठाकर देखेंगे तो पाएंगे कि भारत का अर्थतंत्र जिस बदहाल अवस्था में हमारी सरकार के पास आया, शायद वैसी स्थिति की कल्पना पहले नहीं की जा सकती थी। एक साल में हम लोगों ने अपने अर्थतन्त्र को सुधारने का प्रयास किया है। माननीय सोमनाथ जी ने कहा कि यह सरकार इम्मोरल सरकार है। इम्मोरैलिटी की बात इन्होंने बार-बार दोहराई है। यह निर्णय इम्मोरल है और इस तरह के निर्णय से देश के लोगों को, खासकर कमजोर वर्ग के लोगों को और सामान्य लोगों को आघात पहुंचता है। इस विषय में चिन्ता का विषय यह है कि जब इम्मोरैलिटी की बात कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि चुनाव के पहले डीजल के दामों में वृद्धि नहीं की और चुनाव के समय इन लोगों ने बड़े ध्यान से देखा और 30 से 60 दिनों के भीतर जो रिवीजन किया जाना था, उस अवधि में इन लोगों ने रिवीजन नहीं किया। महोदय, सरकार तत्परता से इन सब चीजों को करने के लिए तैयार थी, बशर्ते आप हम लोगों को चुनाव के मैदान में नहीं ढकेलते, तो इस तरह के काम हम लोग लगातार करते रहते और लोगों के बीच में अच्छा संवाद पहुंचा देते। *(व्यवधान)* लेकिन उस सुधार के पहले ही आप लोगों ने इस देश को चुनाव के कगार पर खड़ा कर दिया। डैमोक्रेसी को इस्टैबलिश करना था और जिस तथ्य को आप बार-बार दोहराते हैं कि इम्मोरैलीटी के आधार पर यह सरकार चल रही है, तो पहले उस तथ्य को खत्म करना आवश्यक था।

महोदय, हम लोग सरकार में आए। वित्त मंत्री जी यहां पर बैठे हैं और राम नाईक जी भी बैठे हैं। जब एक तरफ यह खास विषय है तो निश्चित रूप से अगले पांच वर्षों में इन कामों की भरपाई हम लोग करेंगे। सरकार की तरफ से हमारे जैसे लोग इस बात को महसूस करते हैं। जो बड़े-बड़े उपक्रम हैं, इस देश के हालात में, हम राजनीतिज्ञों ने, जिस तरीके से इस राजनीति को लेकर, लोगों की बात उठाकर इस देश में लोगों को गुमराह करते रहे हैं, तो अब समय आ गया है कि देश को पूरी वर्तमान स्थिति से अवगत कराया जाए। पिछले छः महीनों में जिस प्रकार से अन्तरराष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि हुई है, मैं नहीं समझता हूं कि सदन में बैठे लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। जब किसान के ऊपर साधारण सा कर्ज होता है, तो किसान चाहे राजस्थान का हो, चाहे गन्ने की खेती करने वाला गुजरात का किसान हो, जब वह कर्ज में डूब जाता है, तो आत्महत्या करता है। मैं पूछता हूं, क्या भारत में आत्महत्या कराना चाहते हैं? आप इतने बड़े लोकतन्त्र को इतने घाटे में रखकर चलाना चाहते हैं? भारत के पास जो संसाधन हैं, वह विश्व में किसी के पास नहीं है, लेकिन संसाधनों का उपयोग नहीं किया गया है, जिसके कारण पिछले पचास वर्षों में देश को बदहाली का सामना करना पड़ रहा है। हमें भारत के संसाधनों पर गर्व है। जो बचा-कुचा हिसाब-किताब आप लोगों ने पिछले पचास वर्षों में खड़ा किया है, इसको ठीक करके इस देश को विश्व का सबसे बड़ा देश और प्रथम चोटी पर पहुंचाने का निर्णय इस सरकार ने लिया है।

इस विषय को उठाते हुए, एक सामान्य पीड़ा सुनने में आ रही है। मैं कहना चाहता हूं कि देश के कई राज्यों में इनकी सरकारें हैं, लेकिन डीजल की कीमतों में वृद्धि की गई है। एक्साइज ड्यूटी

का काम राज्य सरकारों का भी है, आक्ट्राय का काम और सैल्स-टैक्स का काम—अगर आपको इतनी पीड़ा है (व्यवधान) मैं समझ रहा हूँ, मैं बिना कागज पलटे कह रहा हूँ (व्यवधान) राज्य सरकारों द्वारा सैल्सटैक्स लगाया जाता है, पश्चिम बंगाल में आपके पास इतना बड़े संसाधन हैं, तो क्यों नहीं आप अतिरिक्त संसाधन निकाल कर डीजल के दाम रोक लें और जो स्ट्राइक की बात कहते हैं, उसको खत्म कर लें।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: दोष स्वीकार करने के लिए आपका धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडी : राजस्थान में आप लोगों की सरकार है, पश्चिम बंगाल में आप लोगों की सरकार है और दिल्ली में आपकी सरकार है। मैं पूछता हूँ, यह देश कैसे चलेगा? अगर डीजल की कीमत बढ़ाई है, तो इन लोगों ने कोई सामान्य स्थिति नहीं बनाई। दिल्ली में सीटें जनता ने इनके कुशासन के चलते भारतीय जनता पार्टी को जिता कर भेजी हैं। इसलिए यहां के लोगों के साथ दुशमनागत रोल करके डीजल की कीमतों में वृद्धि होते हुए डी.टी.सी. के भाड़े में वृद्धि कर दी। सोचना पड़ेगा, इस देश को चलाने के लिए हम किस प्रकार से निर्णय करते रहेंगे। समय आ गया है, इस देश को सही दिशा में ले चलकर विश्व में भारत अग्रणी रहे। हमारी नेतृत्व में आस्था है और जो चोट भारत के लोगों को पहुंची है, उस चोट को निश्चित रूप से आने वाले दिनों में कम करने में सफल होंगे। हमारा विश्वास है और हमारे मंत्रिमंडल के जो सदस्यगण हैं, वे आने वाले दिनों में इस वृद्धि पर विचार करेंगे। (व्यवधान) कम नहीं करेंगे। (व्यवधान) उसको सामंजस्य करने का प्रयास इस सरकार के दिमाग में जरूर होगा, मैं निश्चित रूप से यह विश्वास रखता हूँ।

महोदय, इन्होंने कहा कि सरकार के पास यह सोच नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले वर्ष दो-दो बार डीजल की कीमत को कम भी किया गया है। अगर हमारी सोच इस दशा में है जब आवश्यकता पड़ती है, हमारी आर्थिक स्थिति वैसी हुई है तो हमने डीजल को पहले भी दो बार रोल बैक किया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि राजनीति से प्रेरित होकर पूरे विश्व के हालात को देखते हुए इंटरनेशनल प्राइसेस में जो आज बढ़ोत्तरी हुई है उसके मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है। मैं समझता हूँ कि पूरे देश के लोग इस बात को समझते हैं और हमारे नेतृत्व में आने वाले दिनों में इस प्रकार से जो निर्णय लिया गया है इसका रास्ता ढूंढ निकालने और इस देश को खुशहाल बनाने में हमारी पहल मुख्य रूप से होगी।

श्री राजेश पायलट (दौसा) : अध्यक्ष महोदय, सभी साथियों ने अपनी बात कही। सच्चाई यह है कि आज कोई आंकड़े की लड़ाई नहीं है और यह लड़ाई नहीं है कि हम सही हैं या आप सही हैं। प्रजातंत्र में परिस्थितियाँ, हालात और उसके बाद सरकार की नीतियां, यही चुनी हुई सरकार का हक और फर्ज होता है। अगर परिस्थियों और हालात को देख कर नीतियां बनाना इतना आसान होता तो फिर संसद में बहस की बात ही नहीं थी, तेल भवन में नीति बन जाती। यह नीतियां तो फिर वहीं बन जाती, पार्लियामेंट में डिस्कशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। आज सबकी भावनाएं आपने देखी होंगी। आज हम भावना की बात कर रहे हैं, दोष देने के लिए खड़े नहीं हुए हैं। मुझे खुशी है कि हमारे भाई ने बड़े रुक-रुक कर कहा। हमारे मन में जो बात थी वही हम बोल रहे हैं, बी०जे०पी० और हमारी दूसरी पार्टियों के साथी भी यहां बैठे हैं उनके मन में भी यही है कि यह बोझ बहुत बढ़ गया है। अभी सोमनाथ जी और वाघेला जी ने भी कहा था कि अगर आहिस्ते-आहिस्ते भी ये दाम बढ़ते तो उसको सहन कर लेते, लेकिन एक साथ 4 रुपए का बोझ बढ़ गया। आज आप गांव में किसान से जाकर बात करिए वहां डीजल से सारा काम चल रहा है। बिजली की हालत हर प्रदेश में खराब है। यहां मेरे यू०पी० के भाई बैठे हैं उनसे पूछो कि वहां कितनी बिजली आ रही है। राजस्थान में हमारी सरकार है हम वहां भी पूरी बिजली नहीं दे पा रहे। आज हर किसान पर इतनी आफत है, उसने डीजल से अपनी फसल उगाई, वह डीजल से सारा काम कर रहा है और उसी डीजल पर आपने 4 रुपए कुछ पैसे या 3.90 रुपए किसी-किसी प्रदेश में बढ़ा दिए।

महोदय, मैं इस सदन में बहुत दिनों से आ रहा हूँ, इतनी बड़ी हाइक कभी नहीं हुई। हमारी सरकार ने भी कीमत बढ़ा दी थी तब हम सब ने सरकार पर जोर दिया था और सरकार से प्राइस वापस करा दिए थे, क्योंकि यह आम आदमी की बात थी। मंत्रिमंडल में होते हुए हमने आवाज उठाई थी। यहां अपनी भावना की बात आती है और मैं आज आपसे दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आज जो गांव में आवाज चल रही है, आप इसको चुनाव से पहले बढ़ा लेते तो हमें कोई ऐतराज नहीं था। तब हम आपकी हिम्मत देखते, आप कितने जीत कर आते। प्याज ने आपकी तीन स्टेट खो दी थी, अगर आप डीजल के दाम बढ़ा देते तो यह आपका पूरे का पूरा हिन्दुस्तान खो देता। आप भावना के साथ चलो। आपने कहा कि स्टेट्स के भी टैक्स बढ़े हैं, यह बात ठीक है। इसमें इम्पोर्ट ड्यूटी 30 प्रतिशत बढ़ी है, मुझे जो खबर मिली है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी 16 प्रतिशत और सैल्स टैक्स 14 प्रतिशत तथा टर्न अराउंड और कुछ दूसरे खर्चे हैं। हम भी अपनी सरकारों से कोशिश करेंगे, आप सेंटर से शुरूआत कराएं हम भी अपनी सरकारों पर जोर देंगे, लेकिन जब आप ऊपर बैठ जाएंगे और भाषण देंगे कि हम बदलेंगे नहीं तो स्टेट गवर्नमेंट कैसे इसका इनिशियेटिव ले सकती है। आज जो आम आदमी पर बोझ बढ़ रहा है वह हम सब के लिए कठिन है। हम आंकड़े देकर साबित नहीं करना चाहते, हम भी महसूस करते हैं यह इंटरनेशनल प्राइसेस की बात है लेकिन इसे सहन करने के लिए आहिस्ते-आहिस्ते दबाव डाला जाता है। यह जनतंत्र की सरकार का काम है और यही जनतंत्र की भावना नीतियों में जोड़ी जाती है और तभी जनतंत्र मजबूत होता है तथा वहीं प्रजातंत्र का राज होता है, जो इन भावनाओं से हटा है, चाहे आप हों या हम हों जब-जब जन भावनाओं से सरकार हटी है, जो पार्टी जन भावनाओं से दूर गई है उसे उसका नुकसान उठाना पड़ा है। मुझे खुशी होती अगर प्रधानमंत्री जी यहां होते, हम अपनी वेदना उनसे कह पाते। उन्होने चुनाव में अपने भाषण में कहा कि हम आम आदमी की वेदना से जुड़ेंगे और आज प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया कि हम बिलकुल रोल बैक नहीं करेंगे। अरे, पार्लियामेंट कांस्टीच्यूट हो गई है, आप यहां बात करो। यहां बहस होती, हो सकता है दो, ढाई या तीन रुपए बढ़ते। सबकी भावना इसमें जोड़ी जाती, तब भाव बढ़ता तो बात कुछ और थी। आपने तो सीधा बढ़ा दिया। हमारे वित्त मंत्री ने भी कहा और हमारे प्रधान मंत्री जी ने भी कहा था कि हम दाम नहीं बढ़ाएंगे। डैमोक्रेसी में पार्लियामेंट सुप्रीम है। पार्लियामेंट में

[श्री राजेश पायलट]

बहस हो उससे पहले ही आपने कह दिया कि वापस नहीं लेंगे। हमारे भाइयों ने सही बात कही है। इस बात के लिए तो आप हमें जिम्मेदार ठहराते थे कि हम नॉन-डैमोक्रेटिक हैं। जब आप अपोजिशन में थे तो आपने हमें भाषण सुनाए। राम नाईक जी, आप यहां से बोलते थे, हमारी खिंचाई किया करते थे, आज आप चुप बैठे हैं। हम लोग आपकी बात सुनकर उस पर गौर किया करते थे। यहां नहीं बोल पाते थे तो बाहर जाकर कहा करते थे कि इस पर सरकार को कुछ करना चाहिए। आप इस बोझ को कुछ कम करो। हम जानते हैं कि नयी-नयी सरकार बनी है, आपकी मजबूरी है, इंटरनेशनल प्रैशर है, लेकिन इस बोझ को सलाह करके कम करो। हम आपको सहयोग देंगे। हम भी लोगों से कहेंगे कि इतना आप सहन करो, इतना सरकार सहन करेगी। मैं आपसे इस बोझ को कम करने की अपील करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हम सबकी यही भावना है और यह सच्ची बात है। चाहे आपकी पार्टी के एम०पीज हों या दूसरी पार्टी के एम० पीज हों, सबकी यही भावना है।

माननीय प्रधान मंत्री जहां भी सुन रहे हों, उनका तो कवि का हृदय है, वेदना होते ही कलम चल जाती है। आज कलम क्यों रुकी बैठी है। कलम को चला कर जनता की वेदना को कम करो, बोझ को कम करो। मैं माननीय यशवंत सिन्हा जी की बात करूंगा। पैडी की सपोर्ट प्राइस आपने एनाउंस किया। उसकी जो कलेक्शन होनी थी वह नहीं हुई है। मैं अभी दो राज्यों का दौरा करके आया हूं, वहां कोई भी पैडी नहीं खरीद रहा है। हजारों क्विंटल पैडी बाजारों में पड़ी है, मंडियों में पड़ी है। उसे सरकार की कोई एजेंसी नहीं खरीद रही है। वे आढ़तियों को देते हैं। आपने अपनी पी०आर० में 520 रुपया और 490 रुपया अनाउंस कर रखा है लेकिन बिक रही है 300 रुपये क्विंटल पर। हर आदमी के मन में है कि यह गलत हो रहा है। जहां-जहां पैडीज के डिपो हैं उनको खरीद करनी चाहिए। आपसे अपील है कि आप इसमें सुधार करें जिससे उसकी खरीद हो सके।

डीजल की बात पर मुझे उम्मीद है कि सरकार हाउस की भावना को देखते हुए, सारे सदस्यों की भावना को देखते हुए, इस पर जल्दी फैसला लेगी और इस बारे में ज्यादा जिद्द न करे। हम आपसे प्रार्थना करेंगे कि इस पर जितनी जल्दी फैसला हो जाए उतना ठीक है।

श्री यशवंत सिन्हा : आपने पैडी की बात कही। इस साल जो पैडी की सपोर्ट प्राइस फिक्स की गई है, उसके कारण सितम्बर के अंत तक 5 मिलियन टन पैडी को प्रिक्योरमेंट हो गया था जो इतने कम समय में हाइयेस्ट है।

श्री राजेश पायलट : सारे देश में हो गया होगा। बुलंदशहर में एक भी कांटा नहीं लगा हुआ है। मैं आपको जिले का नाम बता रहा हूं। पानीपत में नहीं लगा है, करनाल में नहीं लगा है, समालखा में, कैथल में नहीं लगा है, बाबरपुर में नहीं लगा है। ये जो खबरें हैं इनकी आप जांच करवा लें। इससे लोगों की तकलीफें बढ़ी हैं। आपको लोगों की तकलीफों को भी ध्यान में रखना चाहिए।

अपराह्न 2.59 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

युवा वैज्ञानिकों के लिए स्वर्ण जयन्ती फैलोशिप पुरस्कार

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी): हमारी सभ्यता की परंपरायें सदैव ही तात्पर्य एवं सत्य में वैज्ञानिक जांच के सर्वोच्च महत्व से जुड़ी रही हैं। इस समृद्ध परंपरा के प्रति हार्दिक सम्मान के रूप में सरकार द्वारा हमारी स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर स्वर्ण जयंती फैलोशिप स्कीम का शुभारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य युवा वैज्ञानिकों को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अग्रणी क्षेत्रों में बुनियादी अनुसंधान शुरू करने हेतु प्रोत्साहित करना तथा उत्कृष्टता के मानक प्राप्त करना है, जो विश्व में सर्वोत्तम के साथ स्पर्धा कर सके।

अपराह्न 3.00 बजे

30-40 वर्ष की आयु वर्ग के उत्कृष्ट भारतीय युवा वैज्ञानिक जिन का ट्रैक रिकार्ड प्रमाणित हो चुका हो, इस फैलोशिप के पात्र हैं। चुने गए उम्मीदवारों को प्रतिमाह 25000/- रुपए की फैलोशिप की आकर्षक राशि दी जाती है तथा उन्हें विज्ञान इंजीनियरी अथवा औषधि के अग्रणी क्षेत्रों में अनुसंधान के एक कार्यक्रम के लिए अधिकतम पांच वर्षों की अवधि के लिए सहयोग दिया जाता है। इस परियोजना के तहत दिए जाने वाले सहयोग में उपस्कर, मानवशक्ति, आकस्मिकताएं, उपभोज्य, अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा सहित यात्रा तथा प्रशासनिक एवं बुनियादी सुविधाएं शामिल हैं।

इस कार्यक्रम को देश तथा विदेशों के वैज्ञानिकों के बीच व्यापक रूप से प्रचारित किया गया है। आवेदन पत्रों की जांच हेतु एक सुदृढ़ प्रक्रिया अपनाई गई है। इसमें छः विषय क्षेत्रों नामतः जीवविज्ञान, रासायनिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, इंजीनियरी विज्ञान, गणितीय विज्ञान तथा भू एवं वायुमंडली विज्ञान में विशेषज्ञ समिति, एक राष्ट्रीय कोर समिति तथा सचिवों की एक अधिकार प्रदत्त समिति शामिल है।

स्वर्ण जयन्ती फैलोशिप के लिए उम्मीदवारों के चयन की पूरी प्रक्रिया अब पूरी हो गई है तथा मुझे सभा पटल पर स्वर्ण जयन्ती फैलोशिप्स के लिए चुने गए छः युवा वैज्ञानिकों के नामों की घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है। वे उम्मीदवार हैं:-

1. डा० देवज्योति चौधरी, मेहता रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड मेथेमेटिकल फिजिक्स, इलाहाबाद।
2. डा० डी० प्रसाद, मेहता रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड मेथेमेटिकल फिजिक्स, इलाहाबाद।
3. डा० वी०वी० रानाडे, राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला, पुणे।
4. डा० एन० कुमार सिवराजन, भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर।
5. डा० एस० उमापति, भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर।
6. डा० आर० वरदराजन, भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर।

स्वर्ण जयन्ती फैलोशिप्स पाने के लिए मैं इन सभी युवा वैज्ञानिकों को बधाई देना चाहूंगा तथा आने वाले वर्षों में युवा वैज्ञानिकों के लिए स्वर्ण जयन्ती फैलोशिप्स के लिए इस प्रयास के समर्थन हेतु इस सदन का सहयोग चाहूंगा ताकि और अधिक युवा वैज्ञानिक इस कार्यक्रम में भाग ले सकें तथा भारतीय विज्ञान को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का स्पर्धात्मक बनाने में सहयोग कर सकें। मैं चाहता हूं कि सदन इन सभी वैज्ञानिकों को बधाई दे क्योंकि ये सब अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक हैं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 8/99]

नियम 193 के अधीन चर्चा

डीजल की कीमत में वृद्धि—जारी

[हिन्दी]

श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति (विशाखापतनम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सत्र के आरम्भ में ही कीमत वृद्धि खासकर डीजल जैसे पैट्रोलियम उत्पादों की कीमत में वृद्धि के संबंध में चर्चा करना अच्छी बात तो नहीं है। ढुलाई की लागत में वृद्धि होने के कारण सभी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होने लगती है। अब हमें ऐसी व्यवस्था बनाने का प्रयास करना होगा जिससे डीजल की कीमतों में वृद्धि का प्रभाव अन्य वस्तुओं की कीमत पर न पड़े।

यह सत्य है कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत फरवरी, 1999 से वृद्धि का रूझान चल रहा है। इन नौ महीनों के दौरान कच्चे तेल की कीमतों में सौ प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। यह स्वाभाविक है कि कीमतों में वृद्धि होनी ही थी। लेकिन डीजल के मूल्य में वृद्धि करने का निर्णय लेने का समय अर्थात् सत्र के प्रारम्भ में, गलत हो सकता है। लेकिन हमें इस मूल्य वृद्धि को सहन करना होगा क्योंकि तेल पूल खाते में घाटा बहुत अधिक बढ़ गया है। आज मूल्य में वृद्धि न करके कल देश आर्थिक संकट में फंस जाएगा। ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। यह तो स्पष्ट है कि हमें कच्चे तेल का भारी मात्रा में आयात करना है और तेल कम्पनियां भी कच्चे तेल की इस मूल्य वृद्धि को वहन नहीं कर सकती हैं। अत: सरकार को कीमत में वृद्धि करने का निर्णय लेना पड़ा। लेकिन इस बात को कैसे सुनिश्चित किया जाए कि इससे रोजमर्रा की खपत की आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि की प्रवृत्ति उत्पन्न नहीं होगी? डीजल की कीमतों में 30 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई है।

अपराह्न 3.05 बजे

[श्री सोमनाथ चटर्जी *पीठासीन हुए*]

कीमतों में हुई 30 प्रतिशत से अधिक वृद्धि से ढुलाई सुविधाओं पर भी प्रभाव पड़ेगा। यही हमारी चिन्ता का कारण है। इस मूल्य वृद्धि से उत्पन्न स्थिति से कैसे अच्छी तरह से निपटा जाए, इसका निर्णय स्वयं सरकार को ही लेना है। यह सच है कि सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क भी अदा करने हैं। इसके बाद विक्रय कर और चुंगी भी है। अन्तिम दो मुद्दे राज्य सरकार से सम्बन्धित हैं और पहले दो मुद्दे केन्द्र सरकार से सम्बन्धित हैं। जब किसी एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, तो अन्य सभी मदों की कीमतों में भी वृद्धि होने लगती है। यह चिन्ता का विषय है। समाचार-पत्रों में एक रिपोर्ट छपी है कि मिट्टी के तेल और रसोई गैस के मूल्यों में वृद्धि होने की संभावना है, क्योंकि इन पर मिलने वाली राजसहायता को वापिस लिया जायेगा। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस तरह का कोई कदम न उठाया जाये क्योंकि इसका सबसे अधिक प्रभाव गरीब जनता पर पड़ेगा।

आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री भी निर्धन से निर्धन लोगों, सफेद कार्ड धारकों और राजसहायता पर लोगों को रसोई गैस की सुविधा प्रदान कर रहे हैं। यह गर्व की बात है कि हम रसोई गैस की सुविधा लाखों निर्धन परिवारों को दे रहे हैं और मिट्टी के तेल की खपत भी निर्धन लोगों द्वारा ही सबसे अधिक होती है। जब इन दो मदों की कीमत वृद्धि पर विचार किया जाता है तो मुझे यह भय रहता है कि इसका निर्धन लोगों पर ही सबसे अधिक बोझ पड़ेगा। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे भविष्य में इस तरह के कदम न उठायें।

डीजल के मूल्यों में वृद्धि करने के बजाय सभी पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों को युक्तिसंगत बनाया जाना चाहिए। पैट्रोल, डीजल और अन्य उत्पादों की तरह कुछ अनन्य मूल्य नियंत्रित वस्तुएं भी हैं। ऐसा इसी बार हुआ है कि अन्य रूप से डीजल की कीमतों में ही वृद्धि की गई है। इससे देश भर में आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई पर काफी प्रभाव पड़ता है। इससे रेल और सड़क परिवहन भी प्रभावित होगा। इससे आम आदमी के परिवहन पर भी प्रभाव पड़ेगा अर्थात् रेल तथा सड़क परिवहन जिसके लिए डीजल मुख्य ईंधन है। परन्तु बहुत कम विकल्प रह गए हैं जैसे या तो कीमतें बढ़ा दी जायें अथवा पैट्रोलियम उत्पादों का इस्तेमाल बंद कर दिया जाए। हम पैट्रोलियम उत्पादों का इस्तेमाल बंद नहीं कर सकते हैं। अत: हमें कीमतें बढ़ानी होंगी लेकिन यह वृद्धि थोड़े-थोड़े अन्तराल के बजाय एक ही बार कर दी गई है। इस बात का उल्लेख पहले भी किया गया है। कम से कम भविष्य में, यदि आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि करनी हो—जिनमें से विशेषकर पैट्रोलियम उत्पाद होते हैं—तो यह वृद्धि थोड़े-थोड़े अन्तराल पर की जाए। आप एक ही बार में 40 अथवा 30 अथवा 100 प्रतिशत वृद्धि नहीं करें। इससे वेतनभोगी लोगों और आम आदमी का जीवनयापन प्रभावित होगा। यह बहुत बड़ा बोझ हो जाता है। यदि ऐसा थोड़े-थोड़े अन्तराल पर किया जाए तो एक आम आदमी का अपना जीवन-यापन उसके अनुरूप ढाल लेता है। इस बार यह दुखद स्थिति है कि उन्हें इस मूल्य वृद्धि का आघात सहन करना पड़ रहा है। सरकार को आम आदमी के बोझ को कम करने के बारे में सोचना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रेल तथा सड़क परिवहन के किराए में कोई वृद्धि न होवे। अब, ऐसा न हो कि कल वे रेल परिवहन लागत में वृद्धि की बात करने लगें।

जहां तक कि सड़क परिवहन का संबंध है, कुछ राज्य इसके प्रभार में वृद्धि पर विचार कर रहे हैं। आन्ध्र-प्रदेश में सरकार ने अब तक सड़क परिवहन संबंधी प्रभार में वृद्धि नहीं की है। यह कुछ मुख्य

[श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति]

बातें हैं जिन पर गौर करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश डीजल की कीमतों में वृद्धि उस समय की गई है जबकि हम कठिन स्थिति से गुजर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यह वृद्धि कारगिल युद्ध और अन्य घटनाओं के कारण हुई क्षति को पूरा करने के लिए है।

मुझे विश्वास है कि डीजल की कीमतों में वृद्धि का कारण यह नहीं है। सरकार ने हम पर कर नहीं लगाया है। हमें खुशी है कि कारगिल में हुए खर्च के लिए हम पर कर नहीं लगाया गया है। हमें छोड़ दिया गया है। उस संबंध में सरकार की काफी मेहरबानी रही है। लेकिन इसके साथ-साथ हम आम आदमी के बोझ को कम करने के लिए अधिकतम क्या कर सकते हैं, इस पहलू पर हमारे माननीय पैट्रोलियम मंत्री को गौर करना है। श्री राम नाईक यहां उपस्थित हैं। मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि हड़ताल पर गये कुछ ट्रक मालिकों ने पुन: कार्य आरम्भ कर दिया है। उन्होंने सामान लाना ले जाना आरम्भ कर दिया है। मुझे विश्वास है कि अन्य लोग, जो हड़ताल पर हैं, यह महसूस करेंगे कि इस खर्च को वहन करना हमारे लिए आवश्यक है। मुझे विश्वास है कि सरकार जल्दी से जल्दी उनसे बातचीत करेगी ताकि वे सभी अपने काम पर वापस आ जायें और एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई की जा सके।

सब्जियों, खाद्य तेलों तथा अन्य वस्तुओं के वर्तमान मूल्य पहले ही आसमान को छू रहे हैं। वाहन मालिकों और आपरेटरों द्वारा हड़ताल किए जाने के कारण आम आदमी को सब्जियाँ उपलब्ध नहीं हैं। अत: शीघ्रातिशीघ्र इस संबंध में भी ध्यान देना होगा। मैं आशा करता हूँ कि सभी हड़ताली आपरेटर स्थिति को समझते हुए पुन: कार्य आरम्भ कर देंगे। सरकार को, यह कहने के बजाय कि वे डीजल की कीमतों में कटौती नहीं करेंगे, उनसे बातचीत कर समस्या का समाधान करने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए सरकार को उन्हें यह वास्तविक स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि वह ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं और हमें इस मूल्य वृद्धि का भार क्यों वहन करना पड़ेगा। सरकार को यह भी स्पष्ट कर देना चाहिए कि वे नियमित रूप से माल ढुलाई आरम्भ कर दें ताकि जनता को सब्जियों आदि की अधिक कीमतों का बोझ वहन न करना पड़े।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ। महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे यह अवसर प्रदान किया।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज-उत्तर प्रदेश) : माननीय सभापति जी, मैं आपका आभारी हूँ कि डीजल मूल्यवृद्धि की परिचर्चा में भाग लेने का मौका आपने मुझे दिया। मान्यवर, सरकार जनता की तकलीफ के प्रति जवाबदेह हुआ करती हैं। आज इस डीजल मूल्यवृद्धि ने संपूर्ण देश में हाहाकार की स्थिति पैदा कर दी है और डीजल मूल्यवृद्धि इस सरकार की पूर्ववती सरकार ने उस समय की जब लोक सभा चुनाव के अंतिम दौर के चुनाव समाप्त हो चुके थे। शायद इन्हें इस बात का भरोसा नहीं था कि ये फिर दोबारा चुनकर जनता की अदालत में सत्तापक्ष में बैठने का काम करेंगे और इन्होंने 3 अक्तूबर की मध्य रात्रि में डीजल मूल्य में चार रुपये की बढ़ोतरी करके देश की जनता के साथ विश्वासघात करने का काम किया, धोखाधड़ी करने का काम किया। यदि इसमें नैतिक साहस होता तो जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्यवृद्धि हो रही थी, उस समय ही इन्होंने डीजल में मूल्यवृद्धि की होती तो आज ये सत्तापक्ष में बैठे हुए नजर नहीं आते, इधर बैठे हुए नजर आते।

सभापति जी, अभी जब महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा चल रही थी तो आदरणीय विजय कुमार मल्होत्रा जी ने डीजल मूल्यवृद्धि से समाज पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण किया। उसमें इन्होंने कहा है कि एक किलोमीटर की यात्रा पर दो पैसे प्रति किलोमीटर की वृद्धि होगी। हम सदन के संज्ञान में लाना चाहते हैं कि चार रुपये प्रति लीटर मोटे तौर पर डीजल मूल्य में वृद्धि की गई है और हमारे भारत में चलने वाली बसें तीन किलोमीटर से लेकर चार किलोमीटर प्रति लीटर की औसत दर से चला करती हैं। इस प्रकार एक रुपये से लेकर सवा रुपये प्रति किलोमीटर का अतिरिक्त बोझ इस डीजल मूल्यवृद्धि से ट्रकों और बसों पर पड़ा है और इस मूल्यवृद्धि ने केवल ट्रकों और बसों के यातायात को ही प्रभावित नहीं किया है, बल्कि संपूर्ण जनजीवन को प्रभावित करने का काम किया है। अभी हमारे भाई राजीव प्रताप रूडी जी ने बड़े मार्मिक तरीके से किसानों की आत्महत्या का वर्णन सदन के समक्ष किया। उन्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए था कि डीजल मूल्यवृद्धि ने सबसे ज्यादा किसान की कमर को तोड़ने का काम किया है।

आज जब समर्थन मूल्य की बात हम कर रहे हैं और अभी यशवंत सिन्हाजी ने समर्थन मूल्य के अंतर्गत धान की खरीदारी की बात की है, मैं सदन के माध्यम से उन्हें चुनौती देना चाहता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, महाराजगंज, पडरौना, बस्ती जनपदों का यदि वह मूल्यांकन कराएं तो आज की तारीख तक एक किलो धान की खरीदारी भी समर्थन मूल्य पर सरकार द्वारा नहीं की गई है।

पूर्व में भी यही लोग सरकार में थे। मैं चाहता हूं कि विगत वर्षों के आंकड़ों को ये सदन के पटल पर मंगा लें। पूर्व के दिनों में भी समर्थन मूल्य पर धान की खरीदारी नहीं हुई। मैं जिस जनपद से चुनकर आता हूँ वह धानबहुल महाराजगंज जनपद है और धान के किसानों को पिछले दिनों में जितनी जिल्लत झेलनी पड़ी है, मैं उसका वर्णन इस सदन के अंदर नहीं कर सकता। आज डीजल मूल्य वृद्धि ने किसान और गरीब मजदूर की कमर को तोड़कर रख दिया है। यह कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में 40 प्रतिशत वृद्धि हुई है, इसलिए हमने डीजल के मूल्यों में 40 प्रतिशत बढ़ौतरी करने का काम किया है। मान्यवर, अभी खरीफ की फसल की कटाई का दौर चल रहा है और रबी की फसल की बुआई का दौर चल रहा है। आज किसान को अपनी फसल को खेत से खलिहान तक ले जाने के लिए और धान को खलिहानों से बाजार तक ले जाने के लिए, रबी की बुआई के लिए पम्पसैट से लेकर ट्रैक्टर तक हर जगह डीजल का इस्तेमाल करना पड़ रहा है और इस डीजल मूल्य वृद्धि ने आज किसान की स्थिति को निश्चित तौर पर चरमराकर रख दिया है। आज आवश्यक सेवा शर्तों के नाम पर यह ट्रक ऑपरेटरों की हड़ताल को तोड़ने के लिए उन्हें जेलों में बंद करने की धमकी दे रहे हैं। हम इनसे यह कहना चाहते हैं कि आपकी जो जेलों में बंद करने की धमकी की भाषा है, यह धमकी की भाषा बंद होनी चाहिए। यदि सारे ट्रक ऑपरेटरों

और बस ऑपरेटरों ने तय कर लिया कि हम जेलों के अंदर जाने का काम करेंगे तो मैं कहना चाहता हूँ कि इनकी जेलों में जगह कम पड़ जायेगी और जब जनता जन-विद्रोह के रास्ते पर उतर जायेगी तो इनके लिए प्रशासन चलाना मुश्किल हो जायेगा। इसलिए यह धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल बंद होना चाहिए। ट्रक ऑपरेटरों की पीड़ा को इन्हें समझना चाहिए, किसानों के दर्द को इन्हें समझना चाहिए, आम अवाम के दर्द को इन्हें समझना चाहिए और सब के दर्द को समझकर फिर इन्हें अभी तात्कालिक तौर पर डीजल की मूल्यवृद्धि को वापस लेना चाहिए और तत्काल इस मूल्य वृद्धि को वापस लेकर फिर सदन के सारे दलों के नेताओं को बैठकर इस समस्या से निपटने के लिए एक स्पष्ट रणनीति तैयार करनी चाहिए।

हम आपके माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि आज डीजल की मूल्यवृद्धि ने गांव की गरीब महिला से लेकर अमीर तक सभी को प्रभावित करने का कार्य किया है। मुझे यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि अमीरों के ऊपर इसका कम प्रभाव पड़ा है और गरीब के ऊपर इसका ज्यादा प्रभाव पड़ा है और चूंकि ये अमीरों के पक्षधर हैं, इसलिए इन्होंने अमीरों की पक्षधरता को प्रदर्शित करते हुए डीजल के मूल्य में भारी वृद्धि करने का कार्य किया है और उसके दुष्परिणाम आज पूरे देश के अंदर उभरकर सामने आने लगे हैं।

सभापति महोदय, अभी रेल भाड़े में भी वृद्धि होगी। अभी मैंने श्री राम नाईक जी के बयान को अखबारों में पढ़ा कि वह एल०पी०जी० और केरोसिन के दामों में भी वृद्धि करने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर डीजल से हमारी दैनिक *(व्यवधान)*

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक) : मैंने केरोसिन के लिए नहीं कहा *(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह : केरोसिन और एल०पी०जी० के लिए अखबारों में मैंने पढ़ा है, हो सकता है कि अखबारों में गलत बात छप गई हो *(व्यवधान)* आपने सब्सिडी में कटौती की बात कही है। हम यह कहना चाहते हैं कि आज जो डीजल की मूल्य वृद्धि से एक नई स्थिति उत्पन्न हुई है, उससे सारी चीजों के दामों में बढ़ोत्तरी के आसार स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहे हैं और यह बढ़ोत्तरी गरीब कर्मचारी से लेकर बड़े आदमी तक को प्रभावित करने का काम करेगी। डीजल मूल्य वृद्धि ऐसा विषय नहीं है जिसको यहीं पर छोड़ दिया जाए। हम बड़ी विनम्रतापूर्वक कहना चाहते हैं कि यदि आपकी नीयत साफ थी, आपकी सोच साफ थी तो आपको जनादेश के आने की प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। जब जनादेश स्पष्ट तौर पर और उभरकर आपके पक्ष में आ जाता और आप इस सदन में बैठ जाते तो फिर सबकी राय लेते और उसके बाद डीजल के संदर्भ में निर्णय लेते तो यह आपका लोकतांत्रिक कदम माना जाता। लेकिन आने वाली परिस्थितियों में तीन अक्तूबर की रात को 12 बजे आपने डीजल के मूल्य में वृद्धि करने का कार्य किया, निश्चित तौर पर वे परिस्थितियां, वह वातावरण आपको संदेह के वातावरण में घेरने का काम करते हैं। हम आज आपके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि वह डीजल के मूल्य में की गई बढ़ोत्तरी को तत्काल वापिस लेने का काम करे। आज डीजल के मूल्य की बढ़ोत्तरी ने सम्पूर्ण जन-जीवन को उद्वेलित करने का काम किया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी) : सभापति महोदय, अभी जो डीजल मूल्य वृद्धि की गई है, सरकार के लिए वह कठिन फैसला था। किस परिस्थिति में सरकार को यह फैसला लेना पड़ा, इसके ऊपर सदन में और सदन से बाहर चर्चा हो रही है। सभी माननीय सदस्यों को भी माननीय राम नाईक जी की तरफ से जो नोट भेजे गए हैं उनमें भी यह स्पष्ट किया गया है कि जो इंटरनैशनल ऑयल मार्केट है, उसमें जिस प्रकार से बढ़ोत्तरी हुई है और ऑयल पूल का घाटा बढ़कर असह्य स्थिति में पहुंचने के बाद सरकार को यह दुरूह फैसला लेना पड़ा। निश्चित रूप से इस प्रकार की स्थिति देश की सभी राज्य सरकारों और देश के सभी पक्ष के लोगों के लिए चिन्ता का विषय है, लेकिन इस स्थिति पर कुल मिलाकर देश में सामंजस्य स्थापित करके ऐसे समय में इस कठिन स्थिति का सामना करना चाहिए, यहां पर कमोबेश राजनीति को छोड़कर, चारों तरफ से, यही विचार उभर कर आए हैं।

सभापति जी, अभी माननीय पायलट साहब ने निष्पक्ष भाव से कुछ कहने का प्रयत्न किया और उन्होंने पार्लियामेंट में चर्चा करा के पार्लियामेंट से तय कराने की बात कही है। मैं उनके इस निष्पक्ष भाव की सराहना करता हूँ, लेकिन 50 साल की देश की आजादी के समय में से 45 साल तो उनकी सरकार सत्ता में रही, लेकिन तब उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा, लेकिन अब विपक्ष में हैं, तो निष्पक्ष भाव से सलाह देना चाहते हैं और कहते हैं कि पार्लियामेंट से सब कुछ तय हो जाए, यह बहुत अच्छी बात है। इसका मैं समर्थन करता हूँ।

सभापति महोदय, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में 124 डॉलर से 163 डॉलर कच्चे तेल का दाम बढ़ा है। उसके अनुसार चार रुपए के लगभग यानी 30 फीसदी वृद्धि हुई है। मुझे यह देखकर आश्चर्य होता है कि जब हम 30 प्रतिशत डीजल के दामों में वृद्धि के सरकार के दुरूह और कठिन फैसले की आलोचना तो करते हैं, लेकिन राज्य सरकार ने, जहां अभी हम खड़े हैं वहां दिल्ली में 30 प्रतिशत के बजाय डी०टी०सी० के किराए में 100 प्रतिशत की वृद्धि की है। होना तो यह चाहिए था कि डीजल के 30 प्रतिशत वृद्धि के अनुपात में बस के किराए में भी 30 प्रतिशत की ही वृद्धि की जाती, लेकिन वैसा नहीं किया गया और पांच रुपए किराए के स्थान पर दुगना करके 10 रुपए कर दिया गया। हम आपके माध्यम से इस सदन के समक्ष सरकार से कहनां चाहते हैं कि इस पर नियंत्रण होना चाहिए और इसके ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए कि 30 प्रतिशत के स्थान पर बसों का किराया 100 प्रतिशत क्यों बढ़ा दिया गया। हम चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए।

सभापति महोदय, इसमें इम्पोर्ट ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, सभी को जमा करके यह जो डीजल की प्राइस बढ़ाई गई है और खासकर जिसकी मार किसानों पर पड़ने वाली है और यह जो दुरूह निर्णय हुआ है, इस पर पुनर्विचार करने हेतु मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ, ताकि किसानों पर जो यह बहुत बड़ी मार पड़ी है, इससे राहत देने हेतु कोई न कोई नीति बनाकर उसे राहत देने का प्रयास करना चाहिए, ऐसी मेरी मान्यता है, लेकिन मैं इस बात को साफ करना चाहता हूँ कि राज्य सरकारें जिस प्रकार से राजनीति कर रही हैं, वह ठीक नहीं है। यदि राज्य सरकारें इसी प्रकार से राजनीति करेंगी और ऑयल पूल का घाटा इसी प्रकार से बढ़ता रहेगा, तो किसान और देश का आम आदमी बुरी तरह मारा जाता रहेगा। इसलिए मेरा

[श्री नवल किशोर राय]

निवेदन है कि राज्यों को राजनीति नहीं करनी चाहिए और राजनीति से ऊपर उठकर इसका हल निकालना चाहिए।

सभापति महोदय, अभी नाग लाल मणि जी ने कहा, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जो स्थिति दिल्ली की है, वही स्थिति बिहार की है। वहां भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने 30 प्रतिशत डीजल में बढ़ोत्तरी के आधार पर 100 प्रतिशत किराया बढ़ाने का काम किया है। जब हम सदन में आते हैं, सदन में चर्चा करते हैं, तो ऑयल पूल के व्यापक घाटे को पाटने के लिए सरकार ने जो दुरूह फैसला लिया है, इस पर हमें विचार करना चाहिए और हम सरकार से भी अपील करना चाहते हैं, गुजारिश करना चाहते हैं, आग्रह करना चाहते हैं कि एक बार वह अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करे और जो कॉमन मैन है, किसान है, मजदूर है उनके ऊपर जो मार पड़ी है, उससे उसे राहत देने के लिए चार रुपए से कुछ घटाने की कृपा करें। जहां हम केन्द्र सरकार से अपील करते हैं वहीं पर हमें यह भी देखना चाहिए कि राज्य सरकारों के जरिए जो राजनीति हो रही है और उन्होंने 30 प्रतिशत के स्थान पर जो 100 प्रतिशत किराया बढ़ाने का काम किया है, वह नहीं करना चाहिए।

सभापति महोदय, गांव की जनता गिनती नहीं जानती है और न व इस गणित को समझती है कि ऑयल पूल के घाटे के कारण किराये को 100 प्रतिशत बढ़ाया गया है। हम आपके जरिए सरकार से यह अनुरोध करना चाहते हैं कि राज्य सरकारों से भी अनुरोध है, खासकर के दिल्ली और बिहार में जो 100 प्रतिशत किराया बढ़ाया है, उसका भी मुकम्मल इंतजाम होना चाहिए ताकि एक सम्यक नीति बन सके।

हम आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश करना चाहते हैं कि वह डीजल के बढ़े हुए दामों के बारे में पुनर्विचार करे। साथ ही केरोसिन तेल, जो कि कॉमन मैन के लिए है, जैसा अभी माननीय सदस्यों ने चर्चा की कि गांवों में लोग दिये जलाते हैं, दीपक जलाते हैं, उसमें पड़ने वाले केरोसिन तेल के दाम में किसी भी प्रकार की वृद्धि न हो, ऐसी भविष्य के लिए मांग करते हुए तथा आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

कुमारी मायावती (अकबरपुर) : माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से एन०डी०ए० की सरकार से रिकवैस्ट करना चाहूंगी कि डीजल की कीमतों में जो वृद्धि की गई है, उसे तुरंत वापस लिया जाये क्योंकि इसका सीधा प्रभाव किसानों पर तो पड़ ही रहा है, उसके साथ साथ देश की आम जनता के ऊपर भी पड़ रहा है। ऐसे परिवहन के साधन जो डीजल से चलते हैं, जब आपने डीजल की कीमतें बढ़ाई है तो स्वाभाविक है कि ट्रांसपोर्ट के मालिकों का भी किराया बढ़ाना पड़ेगा। जब किराया बढ़ेगा तो उससे सभी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होगी और उसका सबसे बुरा प्रभाव ऐसे लोगों पर पड़ेगा जो मेहनत-मजदूरी करके एक दिन में 40 या 50 रुपये कमाते हैं। आजीविका कमाने के लिए उनको बस के माध्यम से या दूसरे साधनों के माध्यम से दस या बीस किलोमीटर जाना पड़ता है। उस मजदूरी में से किराया देकर उनके पास जो बचेगा, वह खाद्य सामग्रियां खरीदने के लिए काफी नहीं होगा क्योंकि इसका सीधा प्रभाव खाद्य सामग्रियों की वस्तुओं के दामों पर पड़ेगा जिससे उनके लिए खाद्य सामग्रियां खरीदना मुश्किल हो जायेगा।

मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहती हूं कि इससे पहले भी आपकी 13 महीने सरकार चली और उस दौरान जब आपने वस्तुओं की कीमतें बढ़ाई, उस समय जिन चार राज्यों में विधान सभा के इलैक्शन हुए तो उसका इतना बुरा प्रभाव पड़ा कि कई राज्यों में सत्ता आपके हाथ से निकल गई। मैं आपको बताना चाहती हूं कि तीन तारीख की रात को आपने डीजल की कीमतों में वृद्धि की है। यदि इलैक्शन के दौरान आपने डीजल के दाम में वृद्धि की होती तो मैं समझती हूं कि आज जो आप सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं, वह न बैठे होते और आप विपक्ष में नजर आते। इसमें कोई शक-शुबहा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो एन०डी०ए० की मिली-जुली सरकार चल रही है, ऐसी भारतीय जनता पार्टी के बारे में अक्सर कहा जाता है कि यह बिजनेस क्लास की पार्टी है।

आपने डीजल की कीमतों में जिस तरह कई गुना वृद्धि की है, उसके पीछे जरूर कुछ न कुछ हमें आपके षडयंत्र का हाथ नजर आता है। आम जनता अक्सर यह कहती है कि इलैक्शन के दौरान जिन बड़े-बड़े बिजनैस क्लास के लोगों का आर्थिक सहयोग लेकर आपने इलैक्शन लड़ा है, जैसे ही इलैक्शन खत्म हुए, उन्हें फायदा पहुंचाने के लिए आपने 3 तारीख की रात को डीजल की कीमतों में वृद्धि की है। मैं समझती हूं कि इससे आम नागरिक को नुकसान होगा, किसानों को नुकसान होगा लेकिन बड़े-बड़े बिजनैसमैनों को नुकसान नहीं होने वाला है। यदि आप आर्थिक तंत्र के बारे में कहते हैं कि हमें घाटे को रोकना है और देश की आर्थिक स्थिति की तरफ भी ध्यान देना है तो मेरी आपसे यही रिक्वैस्ट है कि देश में विलासिता की बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनका आम नागरिक या किसान से कुछ लेना-देना नहीं है। डीजल की कीमत में वृद्धि करने के बजाए यदि आप विलासिता की वस्तुओं पर कई गुना टैक्स लगा देते तो उस घाटे की भरपाई उधर से कर सकते थे। मेरा कहना है कि यदि आप अपनी जिद पर अड़े रहे, आप यह महसूस कर रहे हैं कि आज आपको इसका नुकसान नहीं होगा लेकिन यदि पांच साल से पहले फिर इलैक्शन हो गए तो आपको भारी नुकसान होगा, फिर आप सत्ता में नजर भी नहीं आएंगे, विपक्ष में नजर आएंगे।

इसलिए माननीय सभापति जी, मेरी आपके माध्यम से सत्ता पक्ष के लोगों से यही रिक्वैस्ट है, हालांकि एन०डी०ए० में बहुत से घटक ऐसे हैं जो काफी दुखी हैं और जिस क्षेत्र से वे चुनकर आए हैं, वहां की जनता उनको घसीट रही है, उनको प्रवोक कर रही है कि आप चुप क्यों बैठे हैं, आपको भी मुंह खोलना चाहिए। एन०डी०ए० में बहुत से घटक दल दबी जुबान से डीजल की बढ़ी हुई कीमतों के बारे में कहना तो चाहते हैं लेकिन दूसरी तरफ यह कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के डीजल के मूल्यों की वृद्धि को ध्यान में रखकर सरकार को यह फैसला लेना पड़ा। सरकार को यह भी बताना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डीजल के मूल्यों में कब वृद्धि हुई । जैसे ही वृद्धि हुई थी, उसी समय आपने यह वृद्धि क्यों नहीं की? जैसे ही इलैक्शन समाप्त हो जाता है, उसी रात आप डीजल के मूल्यों में वृद्धि करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपने यह फैसला राजनीतिक

मकसद से लिया है और बिजनैस क्लास को फायदा पहुंचाने के लिए लिया है, किसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए लिया है, आम नागरिक को नुकसान पहुंचाने के लिए लिया है।

सभापति जी, मेरी आपके माध्यम से पुन: एन०डी०ए० के लोगों से रिक्वैस्ट है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एन०डी०ए० की जो मिली-जुली सरकार चल रही है, उनसे रिक्वैस्ट है कि आप सरकार पर दबाव बनाएं, प्रधान मंत्री जी पर दबाव बनाएं ताकि डीजल के मूल्यों में जो वृद्धि हुई है, उसे वापस लिया जाए अन्यथा भारतीय जनता पार्टी के साथ-साथ एन०डी०ए० में जो घटक दल हैं, उनका दुबारा चुनकर आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुझे लगता है कि आप मेरी बात पर जरूर ध्यान देंगे। इन्हीं लफ्जों के साथ और ज्यादा समय न लेते हुए, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

[अनुवाद]

श्री पी०एच० पांडियन (तिरूनेलवेली) : सभापति महोदय, अखिल भारतीय अन्नाद्रमुक की ओर से मैं कुछ तथ्य सभा के समक्ष रखना चाहता हूं और सभा से अपील करता हूं कि वह सरकार को 5 अक्तूबर को डीजल मूल्यों में की गई वृद्धि को वापस लेने का निर्देश दे।

सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि 5 अक्तूबर को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कार्यवाहक सरकार कार्य कर रही थी।

क्या कार्यवाहक सरकार ऐसा महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय ले सकती है इस तथ्य पर सभा को गंभीरता से विचार करना होगा। जिस मंत्री ने डीजल के मूल्यों में वृद्धि के बारे में वक्तव्य दिया था उसे चुनावों में हार का मुंह देखना पड़ा। 5 अक्तूबर को आम चुनाव हुए। मतगणना से पूर्व 5 नवम्बर को मंत्री द्वारा डीजल के मूल्यों में वृद्धि की घोषणा की गई थी। 6 अक्तूबर को मतगणना होनी थी।

हम सभी जानते हैं कि कानून में चुनावी वायदों को लागू करने का प्रावधान नहीं है। आप मत प्राप्त करने के लिए चिकनी-चुपड़ी बातें कर लोगों से कोई भी वायदा कर सकते हैं। मतदान करने के बाद या जब मतों के मतपेटियों में बंद होने के बाद जनता को सरकार के निर्णय का पालन करना होता है। मैं यहां यह कहना चाहता हूं कि जब श्री चरण सिंह कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे तो वर्ष 1980 में कलकत्ता उच्च न्यायालय में इस बात को चुनौती दी गई थी कि क्या एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री पूर्ण बहुमत प्राप्त प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर सकता है। हमने देखा कि श्री वाजपेयी की सरकार के पतन के बाद वे पूर्ण बहुमत प्राप्त प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे। मेरे विचार से उससे पूर्व वे एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे।

मैं एक मामले को उद्धृत करता हूं। सभापति महोदय, आप जानते हैं कि यह कलकत्ता उच्च न्यायालय का मामला है। यह ए०आई०आर० 1980, कलकत्ता उच्च न्यायालय, पृष्ठ 82, मदन मुरारी बनाम चरण सिंह का मामला है। माननीय न्यायाधीश ने निर्णय दिया :

> "इस संबंध में कोई पूर्वोदाहरण नहीं है कि जब प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद ने लोक सभा में कभी भी बहुमत प्राप्त न किया हो और लोक सभा में अपना बहुमत सिद्ध न किया हो और उनका त्यागपत्र स्वीकार किए जाने के बाद और लोक सभा के विघटन के पश्चात् उन्हें वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पद पर बने रहने के लिए कहा जाता हो, ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री और उनके मंत्रीमंडल की सलाह राष्ट्रपति पर कहां तक बाध्यकारी है हमारे संविधान या सांवैधानिक विधि में कार्यवाहक सरकार का कोई उल्लेख नहीं है किंतु असाधारण स्थिति में कार्यवाहक सरकार का गठन आवश्यक होता है इसलिए ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद दिन-प्रतिदिन का प्रशासन ही चला सकते हैं ...।"

डीजल की मूल्य वृद्धि रोजमर्रा का प्रशासनिक मामला नहीं है। यह एक नीतिगत मामला है। तत्कालीन कार्यवाहक सरकार को डीजल के मूल्यों में वृद्धि करने की कोई संवैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं थी। उसे डीजल के मूल्यों में वृद्धि तब करनी चाहिए थी जब वह पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में थी। बहुमत खोने के पश्चात् उसे डीजल के मूल्यों में वृद्धि नहीं करनी चाहिए थी।

मेरे मित्र ने अभी कहा है कि आपरेटरों ने अपने वाहन चलाने शुरू कर दिए हैं। सारे भारत में लोकोमोटिब्स, मोटर, वाहन, लॉरी और ट्रक हड़ताल पर चले गए। वे नहीं चल रहे हैं। यदि वे चल रहे होते तो आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि क्यों होती। आज सभी समाचार पत्रों में यह समाचार छपा है कि सब्जियों के दामों में वृद्धि हुई है, खाद्य पदार्थों के दामों में वृद्धि हुई है, आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई है। क्यों? इसका कारण हड़ताल है। यह हड़ताल क्यों की गई ? इस हड़ताल का कारण डीजल के मूल्यों में वृद्धि है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए डीजल के मूल्यों में वृद्धि को वापस ले लिया जाए कि इसे जनसमर्थन प्राप्त नहीं है।

यदि हम, वर्तमान सभा यह मूल्य वृद्धि करती तो तब यह विचार-विमर्श उचित व न्यायसंगत होता। किन्तु कार्यवाहक सरकार ने संवैधानिक शक्ति के बिना, संवैधानिक अधिकारों के बिना चुनावों के बाद यकायक डीजल के मूल्यों में वृद्धि की।

मैं कठोर भाषा का प्रयोग करना नहीं चाहता हूं। यदि कोई व्यक्ति वायदा कर किसी व्यक्ति के साथ धोखा करता है तो वह धोखेबाजी का दोषी है। किंतु इस मामले में तत्कालीन कार्यवाहक सरकार द्वारा संपूर्ण देश के साथ धोखा किया गया। लोगों ने अपना मत यह मानकर डाला कि भाजपा मूल्यों में कमी कर सकती है क्योंकि मंत्री ने सभी सदस्यों को एक टिप्पण परिचालित किया कि डीजल के मूल्यों में 1997 में वृद्धि की गई थी। वे चुप क्यों बैठे रहे? क्या यह राजनीतिक बेईमानी नहीं है? क्या यह संवैधानिक बेईमानी नहीं है। क्या यह सांवैधानिक अनौचित्य नहीं है? सरकार का यह संवैधानिक कर्तव्य है कि वह इस मूल्य वृद्धि को वापस ले क्योंकि 5 अक्तूबर को उसे इसका अधिकार नहीं था, सरकार ने अनेक नीतिगत निर्णय लिए हैं। मैं उन सब बातों में नहीं पड़ा। किंतु यह लोगों के दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तु है, 5 अक्तूबर के बाद बस किराए और अन्य किराया भाड़े में वृद्धि हुई है। विशेष रूप से तमिलनाडु में बस किराया बढ़ाकर दुगुना किया गया है। मुख्य मंत्री ने वायदा किया था कि वे वर्ष 2001 के बाद ही किराए में वृद्धि करेंगे। अब केन्द्र सरकार ने डीजल के मूल्यों में वृद्धि की है परिणामस्वरूप तमिलनाडु की जनता को पिछले

[श्री पी०एच० पांडियन]

एक माह से अतिरिक्त पैसा अदाकर कष्ट झेलना पड़ रहा है। इसलिए, पूर्व पैट्रोलियम मंत्री ने सरकार की ओर से यह संवैधानिक अनौचित्य व संवैधानिक बेईमानी की है जिन्हें यहां बैठे मेरे मित्र सेल्वागनपति ने चुनावों में हराया है। *(व्यवधान)* डीजल के मूल्यों में वृद्धि में हम सदस्यों का कोई योगदान नहीं था। हम इसमें पक्षकार नहीं थे। हमसे परामर्श नहीं किया गया। हम से अभी भी परामर्श नहीं किया गया। हम किसी अन्य व्यक्ति की गलती पर विचार-विमर्श कर रहे हैं। हम किसी व्यक्ति के आचरण पर विचार कर रहे हैं। उस मंत्री ने 5 अक्तूबर को डीजल के मूल्यों में वृद्धि क्यों कि जो यह जानता था कि उसकी हार होगी।

इसलिए, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप सरकार को निर्देश दें कि वह देश के हित में, गरीब जनता के हित में, किसानों के हित में डीजल की मूल्य वृद्धि वापस ले, किसान डीजल का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। वह डीजल के मूल्यों में 35 प्रतिशत वृद्धि वहन नहीं कर सकता है। उच्चतम न्यायालय ने भी दिल्ली सरकार का नोटिस जारी किया कि इसके पश्चात् दिल्ली में कोई भी नई डीजल कार पंजीकृत नहीं की जाएगी।

इसलिए, मैं आग्रह करता हूं कि डीजल के मूल्यों में वृद्धि वापस ली जाए और जनता को बचाएं।

[हिन्दी]

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सभापति महोदय, छः तारीख को नहा-धोकर गिनती के हाल में जाने को तैयार थे, तो सूचना मिली कि अखबार में आया है कि डीजल का भाव बढ़ गया है। नवल किशोर जी कह रहे थे कि 30 प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन 40 प्रतिशत बढ़ा है। इतना बड़ा जनविरोधी, किसान विरोधी और गरीब विरोधी कार्य अभी तक किसी सरकार ने नहीं किया है, जितना कि इस सरकार ने किया है। यह हम सवाल उठाना चाहते हैं। इसी सदन में विश्वास प्रस्ताव नहीं हो सकता था और सरकार गिर गई। महामहिम राष्ट्रपति जी के पास त्यागपत्र देने गए। राष्ट्रपति जी ने त्यागपत्र स्वीकार किया और कहा कि काम-चलाऊ सरकार के रूप में रूटीन वर्क करिए। यह परम्परा रही है, जब लोकसभा भंग हो जाती है, तो रूटीनवर्क करना होता है, लेकिन ये शुरू से ही दावा करते रहे कि हम लोग फुलफलैज्ड गवर्नमेंट हैं और जो चाहेंगे, वही करेंगे। बेलगाम सरकार, पार्लियामेंट नहीं है, हम लोग सड़क पर हैं और इन लोगों को मनमाने ढंग से काम करने की आजादी और जनविरोधी काम करने का अधिकार मिल गया। सरकार जवाब दे, किस परिस्थिति में पांच तारीख को इन्होंने डीजल के भाव बढ़ाने का काम किया, जबकि लोकसभा भंग हो गई और काम-चलाऊ सरकार है? इनको रूटीन वर्क करना था, लेकिन किस हाल में इन्होंने यह काम किया? मैं कहना चाहता हूं कि लोकसभा भंग नहीं भी रहती, बहुमत की भी इनकी सरकार रहती, त्यागपत्र नहीं भी दिया होता, लेकिन जिस समय देश भर में चुनाव हो चुका है, बक्सों में बैलेट्स बन्द हैं, गिनती नहीं हुई है, तो किस हैसियत से इन्होंने आने वाली सरकार की प्रतीक्षा नहीं की? एग्जिट-पोल में कहा गया, इन लोगों ने प्रचार कराया कि हमारा राज आ रहा है, उसी मनसूबे पर इनका मन बढ़ गया कि इन्होंने भाव बढ़ा लिया। इसकी इजाजत जनता ने हम लोगों को दे दी। मैं पूछता हूं, इन्होंने प्रतीक्षा क्यों नहीं की? सरकार में कोई मंत्री है कि वह इसका जवाब दे कि इनको डीजल के भाव बढ़ाने का क्या राइट था? चालीस प्रतिशत आज तक वृद्धि नहीं हुई है। इन्होंने चालीस प्रतिशत कीमत बढ़ा दी। डीजल से किसान पम्प सैट चलाने का काम करता है। ट्रैक्टर चलाने का काम करता है, लेकिन इन्होंने ड्योढ़ी कीमत बढ़ा दी। इसी वजह से बसों के किराए भी बढ़ गए, साथ राष्ट्र-विरोधी ट्रकों की स्ट्राइक हो गई। दिल्ली में फल-सब्जी की कीमत दो गुनी हो गई है। इस पर भी सरकार कहती है कि वाजिब किया है। इनके सदस्य कहते हैं कि ठीक किया है, क्योंकि लाचारी है। कहा गया कि अन्तरराष्ट्रीय कीमतों पर चलते हैं। असत्य बोल कर सदन को गुमराह करते रहे। छः महीने के आकड़े दिए हैं कि 2500 से आंकड़ा 3400 हुआ और फिर 5000 हो गया। बैल्ट्स बक्सों में बंद है। हमारे गांव में बोलते हैं - "भेल ब्याह मोर करब की।" इनको भाव बढ़ाने की, कीमत बढ़ाने की आजादी मिल गई। यह जन-विरोधी कार्य है, कीमतें नहीं बढ़नी चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, तुरन्त सरकार डीजल की कीमतें वापिस करे। लोगे कहते हैं कि पांच साल के बाद इनको अटल सिखाएगा। लोहिया ने कहा था—जिन्दा कौम पांच साल का इन्तजार नहीं करती। उस समय भी कह रहे थे कि पांच साल राज करेंगे और तेरह महीने में ही लौटा दिए गए। उसी तरह आप सावधान और सजग हो जाइए, पांच साल तो क्या, आप पांच महीने में ही वापिस किए जायेंगे। इस प्रकार आपने किसानों के ऊपर आपने वज्रघात किया है। गरीबों के हितों पर घात करने का काम किया है। इससे गांवों में बेतहाशा चीजों की वृद्धि होगी और महंगाई को आप रोक नहीं पायेंगे। हम जानते हैं कि आप किस के हितों के रक्षक हैं।

जमाखोर, कालाबाजारी, चोरबाजारी, मुनाफाखोरी करने वालों के ये संरक्षक हैं। इसलिए भाव बढ़ने से इन्हें मजा आता है। पिछले साल भी भाव बढ़े थे। सदन में बहस हुई थी, हम लोगों ने कहा था कि आप साबित करिए कि आप जमाखोरों और मुनाफाखोरों के संरक्षक नहीं हैं। उनकी मदद से आप आए हैं इसलिए आप उसके हित के संरक्षक हैं, यह सरकार किसान और आम जनता की दुश्मन है। यह सरकार इसे वापस ले अन्यथा जनता आंदोलन करेगी और तमाम विपक्ष के मेम्बर्स एकजुट होकर इनको बीच में ही यहां से निकाल देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब श्री प्रभुनाथ सिंह बोलेंगे।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैंने श्री प्रभुनाथ सिंह का नाम पुकारा है। अन्य कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया चुप हो जाइए। कृपया व्यवधान न डालें। मैंने श्री प्रभुनाथ सिंह का नाम पुकारा है। श्री प्रभुनाथ सिंह आप अपना भाषण शुरू करें।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज) : सभापति महोदय, डीजल का दाम बढ़ा है और इसके लिए पूरा सदन चिन्तित है। डीजल का दाम बढ़ने से देश के गांव-गांव में भी काफी इस बढ़ोत्तरी पर चर्चा हुई है। हालांकि प्रधानमंत्री जी और सरकार ने बढ़ोत्तरी के कारणों को स्पष्ट किया है लेकिन कारणों से ऐसा लगता है कि सरकार दाम बढ़ाने के लिए विवश है। हर बात का सदन में राजनीतिकरण हो जाता है। राजेश पायलट जी बोल रहे थे, हम उनकी कुछ बातों को छोड़ कर लगभग सभी बातों से सहमत हैं। देश में जो गरीब लोग हैं, खास कर जो मझोले किसान और मजदूर क्लास के लोग हैं उन्हें डीजल का दाम बढ़ने से काफी परेशानी हुई लेकिन इसका राजनीतिकरण इस ढंग से हो रहा है, जो ट्रांसपोर्टर हड़ताल कर रहे हैं कुछ राजनीतिक दल के लोग उनकी हड़ताल बढ़वा रहे हैं। वह इसलिए उनकी हड़ताल बढ़वा रहे हैं ताकि कुछ सामानों के मूल्य बढ़ें।

महोदय, हम विपक्ष के लोगों से कहना चाहेंगे कि इस सरकार पर दबाव बनाएं कि डीजल के मूल्य कम हों लेकिन राजनीतिकरण इस ढंग से न हो कि आम लोगों को इससे परेशानी बढ़े। इसलिए हम विपक्ष के लोगों से यही निवेदन करेंगे, हम रघुवंश बाबू का भाषण सुन रहे थे वे कह रहे थे कि 13 महीनों में सरकार चली गई और अब पांच महीने में घसीट कर हटा देंगे। रघुवंश बाबू, आपने 13 महीने में सरकार हटाई तो आपकी संख्या सात पर आ गई और कांग्रेस के लोग 140 से 112 पर आ गए। अगर आप पांच महीने में हटाएंगे तो आप शून्य पर आ जाएंगे तथा कांग्रेस के लोग सिर्फ 12 पर आ जाएंगे, इसलिए ऐसी भूल दोबारा मत कीजिए। जनता ने जिसे विश्वास दिया है, अगर सरकार से गलतियां होती हैं तो निश्चित तौर पर दबाव डालने की जरूरत है, इस बात से हम भी सहमत हैं जो दाम बढ़ा है हम भी उससे चिन्तित हैं। वित्त मंत्री जी, आपके केबिनेट में एक बहुत ईमानदार मंत्री नीतिश कुमार जी हैं। जब वह रेल मंत्री थे तो उस समय एक्सीडेंट बढ़ रहे थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद से एक्सीडेंट रुक गए। संयोग से फिर दूसरे मंत्रिमंडल में आपने जो पद दिया तो आपने डीजल का दाम बढ़ाया, फिर ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल शुरू हो गई। उसी बेचारे के ऊपर गाज गिरती है। वह जब रेल मंत्री बने तो तब उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। जब वह सरफेस ट्रांसपोर्ट के मंत्री बने तो आपने डीजल के दाम बढ़ा दिए, हम तो कहेंगे कि आप कृपा करके थोड़ा सा डीजल का दाम घटा दीजिए।

इस डीजल के दाम घटाने से जहां उनके विभाग का काम चलेगा वहीं गरीब जनता को भी राहत मिलेगी। हम आपके सदस्य हैं इसलिए गलत बिल भी लाओगे तो उसका समर्थन करने के लिए हम मजबूर हैं। लेकिन मैं यह जनहित में कह रह हूं कि जितना मूल्य एक बार में बढ़ा है उससे लोगों को कष्ट हुआ है। इसलिए जनहित में आप दाम घटाइये। जो चार रुपया दाम बढ़ा है उसे कम कीजिए, तभी जनता इसे स्वीकार करेगी। आपको बिहार की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। जो यहां संसद में एक मिनट में सरकार बनाने की बात कर चुटकी बजा रहे थे, अब बिहार में चुटकी बजा रहे हैं।

हमारे देश की जनता गांवों में रहती है। किसानों और मजदूरों की भावनाओं को देखते हुए आप डीजल के दाम घटा दीजिए। नीतीश कुमार जी पर भी थोड़ी कृपा कीजिए।

सभापति महोदय : श्री वी०एम० सुधीरन।

(व्यवधान)

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : अब आप डीजल के भाव घटाने के लिए बोलिये। *(व्यवधान)* मेरे पीछे से उठ गये डीजल पर सपोर्ट करने के लिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैंने श्री सुधीरन का नाम पुकारा है।

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा) : जब वे मेरा नाम ले रहे हैं तो मुझे प्रत्युत्तर देना होगा *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप बहुत अच्छा बोले हैं। इसे बिगाड़ क्यों रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री वी०एम० सुधीरन (अलेप्पी) : महोदय, डीजल की कीमतों में वृद्धि के सरकार के निर्णय ने आम जनता के लिए भारी मुसीबतें और बेहद कठिनाइयां पैदा कर दी हैं। महोदय, जैसा कि हम सभी को स्मरण है और जैसा कि माननीय सभापति और मेरे प्रिय मित्र श्री पांडियन ने ठीक ही कहा है कि यह निर्णय कामचलाऊ सरकार द्वारा मत-पत्रों की गिनती किए जाने से पहले लिया गया था। इससे पता चलता है कि सरकार को औचित्य, लोकतान्त्रिक तरीकों और परम्पराओं की परवाह नहीं है। कामचलाऊ सरकार ने निर्णय लेने के लिए सरकार के सत्ता सम्भालने तक का इन्तजार नही किया। मुझे प्रधानमंत्री से यह सुनकर दुख हुआ कि वे बढ़ी हुई डीजल की कीमतों को नहीं घटाएंगे। महोदय, मुझे पुन: दुख के साथ यह कहना पड़ता है कि यह बिना सोचे-विचारे तथा चौंका देने वाला निर्णय है। मैं अपने मित्र श्री पांडियन जी की इस बात से सहमत हूं कि यह उन लोगों के साथ धोखे का स्पष्ट मामला है जिन्होंने उन्हें सत्ता सौंपी है। किसी भी सरकार ने ऐसी अभूतपूर्व वृद्धि का भार लोगों पर डालने का साहस नहीं किया है। इतना सब करने के बाद भी कहा गया है कि इस वृद्धि में प्रत्यक्ष प्रभाव केवल 0.86 प्रतिशत है। मै श्री राम नाईक का आभारी हूं जिन्होंने हमें ब्यौरे दर्शाने वाले दस्तावेज भेजे हैं। एक व्यक्ति के रूप में श्री राम नाईक सभ्य व्यक्ति और पक्की सूझबूझ वाले व्यक्ति हैं। श्री राम नाईक ने कहा कि वृद्धि का प्रत्यक्ष प्रभाव 0.86 प्रतिशत है लेकिन इसका अनुपात क्या होगा?

अपराह्न 4.00 बजे

उस पर आपने चुप्पी साधी हुई है। मैं कहूंगा कि यह इस वर्ष का सबसे बड़ा मजाक है साधारण ज्ञान रखने वाला व्यक्ति भी भली-भांति जानता है कि यह सरकार इस निर्णय का पहला शिकार बनने जा रही है। हम सभी जानते हैं कि सरकार के पास सबसे अधिक मोटर वाहन हैं। अत: केन्द्र और राज्य सरकारों और अर्द्ध सरकारी एजेन्सियों का प्रशासनिक व्यय कई गुना बढ़ जाएगा। सरकार जितना अधिक वित्तीय संकट में होगी उसका उतना ही प्रयास होगा कि वह यह भार लोगों पर अतिरिक्त कर लगाकर डालेगी। सरकार अपने कार्यों

[श्री वी०एम० सुधीरन]

से जितने अधिक वित्तीय संकट में होगी, उतना अधिक वह स्थिति पर काबू पाने के लिए लोगों पर कर लगाएगी।

हम रेलवे को ही लेते हैं। रेलवे को लगभग 700 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार वहन करना पड़ेगा जिसके परिणामस्वरूप यात्री किराए और माल ढुलाई प्रभार में वृद्धि होगी। अतिरिक्त आय बढ़ाने के लिए विद्यमान प्रणाली न केवल अनुत्पादक है बल्कि हानिकारक भी है और इससे विकास हेतु हमारे सभी प्रयासों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। आपके संकीर्ण तदर्थ निर्णय हमारे साधारण लोगों की अल्प आय तक को खा रहे हैं क्योंकि वृद्धि का भार अंतत: लोगों को ही वहन करना पड़ रहा है।

डीजल के मूल्यों में वृद्धि कोई हल नहीं है क्योंकि इसका महत्वपूर्ण हिस्सा बिचौलियों के स्वार्थों और एजेन्सियों द्वारा ही निगल लिया जाएगा। इस वृद्धि का भीषण प्रभाव गरीबों के दैनिक जीवन में कड़ीबद्ध रूप में पहले ही दिखाई देने लग गया है। आवश्यक वस्तुओं और सब्जियों के मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है। मेरे स्वयं के राज्य केरल के लोग सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं क्योंकि वे अपनी सभी दैनिक आवश्यकताओं के लिए दूसरे राज्य पर निर्भर करते हैं। उपभोक्ता राज्य होने में मैं जानता हूं कि लोगों का व्यय कई गुणा बढ़ा है।

सरकार ने ट्रक ऑपरेटरों की हड़ताल को भी सही ढ़ंग से नहीं निपटाया जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ी हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण में पैरा 11 में कहा गया है :-

> "वर्तमान वर्ष के दौरान, भारतीय अर्थव्यवस्था में छ: प्रतिशत से अधिक की वृद्धि होने की सम्भावना है। थोक मूल्य सूचकांक से आंकी गयी मुद्रास्फीति लगभग दो प्रतिशत है।"

विडम्बना यह है कि यह वही सरकार है जो देखा करती थी कि मुद्रास्फीति घट रही है। वास्तव में देश को ऐसी जगह ले जा रही है। जिसने हमारी अर्थव्यवस्था में और साधारण आदमी के परिवारिक बजट में अभूतपूर्व अव्यवस्था ला दी है।

मैं बताना चाहता हूं कि डीजल अथवा पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि की वर्तमान पद्धति में मूलभूत कमी है। यह मुख्यरूप से अवैज्ञानिक है क्योंकि इसमें अर्थव्यवस्था और लोगों के जीवन में अधिक कठिनाइयां उत्पन्न होती है। इस पद्धति में संसद की अनदेखी की जाती है। इसमें निर्णय ससंद को विश्वास में लिए बिना किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कहीं और लिये जाते हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस पद्धति को लाया जाए जिसमें तेल लेखे को पूरे बजट का अंग बनाया जाए। जैसाकि हम सभी को पता है कि प्रस्ताव संसद में प्रस्तुत किये जाते हैं और जिसमें उस प्रस्ताव की जांच करने के लिए अवसर दिया जाता है और उनके गुणावगुण पर चर्चा होती है। मैं केवल संसद के अधिकारों की चर्चा नहीं कर रहा हूं लेकिन यह बताना चाहता हूं कि यह पद्धति अवैज्ञानिक और अनुचित है। हालांकि आप यह भार एक जगह से दूसरी जगह पर डाल रहे हैं लेकिन वास्तविक समस्या का हल नहीं हुआ है। आप जो चाहे पद्धति अपनाएं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आम आदमी कम से कम प्रभावित हो। सरकार को विकल्प ढूंढने चाहिए ताकि अधिक आय का सृजन किया जा सके।

मैं सुझाव देना चाहता हूं कि सरकार को फिजूलखर्च में कटौती करने के लिए कठोर मितव्ययिता और आर्थिक उपायों को अपनाना चाहिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि कर अपवंचन करने वाले और कालाधन रखने वालों के विरुद्ध सख्त कदम उठाए। व्यवहारिक और कल्पनात्मक उपायों को ढूंढे ताकि पैट्रोलियम उत्पादों की खपत को कम किया जा सके। बेहतर वित्तीय प्रबंधन करके तेल कम्पनियों के होने वाले व्यय में कटौती लाने के लिए उपाय किये जाने चाहिए। पेट्रौलियम उत्पादों के स्वदेशी उत्पादन में तुरन्त वृद्धि की जानी चाहिए।

महोदय, अपने संसाधनों के दोहन की उपेक्षा करने के परिणामस्वरूप तेल पूल घाटा बढ़ता जा रहा है। हम मालिक नहीं हैं हम तो केवल सेवक हैं। हमें उन लोगों को दण्ड देने का अधिकार नहीं है जिन्होंने हमें सत्ता में बिठाया है। अत: मैं माननीय प्रधानमंत्री, माननीय वित्त मन्त्री और माननीय पेट्रोलियम मन्त्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे लोगों की कठिनाइयों को समझें और डीजल की कीमतों में हुई वृद्धि को वापस लें और पूरे मामले को संसदीय समिति को सौंप दें।

महोदय, मामले की समीक्षा के लिए संसदीय समिति गठित की जाए जो निर्धारित समय अवधि के भीतर अपनी सिफारिश दे और पूरे मामले को निपटाया जाए। मैं सरकार के निर्णय का विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि सरकार और समय गंवाए बिना इस जनविरोधी, किसान विरोधी और अप्रजान्त्रिक निर्णय को वापस लेगी।

[हिन्दी]

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी) : सभापति महोदय, डीजल की कीमतों में जो वृद्धि हुई है, उस पर हो रही चर्चा पर सारे देश का ध्यान आज इस सदन की तरफ लगा हुआ है। हालांकि मैं सत्ता पक्ष की ओर से हूं, फिर भी डीजल की कीमतों में वृद्धि का मुद्दा आम जनता से जुड़ा हुआ है। मैं मराठवाड़ा, महाराष्ट्र क्षेत्र से आता हूं जहां के काश्तकारों का मुख्य बिजनैस खेती है। इस प्रकार ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था का सीधा ताल्लुक डीजल से जुड़ा हुआ है। हमारे जो छोटे काश्तकार, चाहे वे टैक्टर चलाते हों, पम्प स्प्रे करते हों या ट्रक जीप या टैम्पो चलाते हों, उन पर डीजल की कीमतों की वृद्धि का असर पड़ सकता है।

सभापति महोदय, मैं जानता हूं कि डीजल की कीमतें इंटरनैशनल लैवल पर बढ़ गई हैं और चार रुपये प्रति लीटर डीजल के मूल्यों में बढ़ोतरी हुई है, फिर भी गांव के छोटे काश्तकारों और आम जनता जिसका डीजल से सीधा ताल्लुक है, सरकार उन मूल्यों का बैलेंस रखकर आम जनता की तकलीफों को दूर करे।

जो घाटा है और जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतें बढ़ी हैं, इनका तालमेल रखकर देहातों में जो आदमी रहते हैं, जो टैम्पो, ट्रक चलाते हैं, जो स्प्रे पम्प यूज करते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, उन पर और किसानों पर इसका असर हो रहा है। इसलिए सत्ता पक्ष में होते हुए भी मैं आदरणीय मंत्री जी से अपील करूंगा कि बैलेन्स रखकर डीजल की कीमतें कम करने का प्रयास करें। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : सभापति महोदय, 5 अक्तूबर की मध्यरात्रि को कामचलाऊ सरकार द्वारा डीजल के मूल्य में 35 प्रतिशत वृद्धि किया जाना इस देश की जनता के साथ की गई धोखाधड़ी है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सरकार ने यह निर्णय लेने और डीजल के मूल्य में इतनी अधिक वृद्धि की घोषणा करने में आठ महीने से अधिक समय तक इन्तजार किया।

पैट्रोलियम मंत्री, श्री राम नाईक द्वारा परिचालित पत्रों में यह कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डीजल का मूल्य फरवरी, 1999 से बढने लगा था। यह मूल्य प्रति मीट्रिक टन 3210 रुपये था जो बढ़कर प्रति मीट्रिक टन 7020 रुपये हो गया। जबकि यह मूल्य फरवरी के महीने में एक बार बढ़ा और पुन: इसमें मार्च के महीने में वृद्धि हुई थी तो डीजल का घरेलू बिक्री मूल्य समायोजित क्यों नहीं किया गया। अप्रैल के महीने में मूल्य में मामूली कमी करके इस मूल्य को समायोजित किया गया था परन्तु उसी वर्ष बजट में उत्पाद शुल्क में प्रति लीटर एक रुपये की वृद्धि की गई थी। इस प्रकार मूल्य में जो भी कमी की गई थी वह उत्पाद शुल्क में एक रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ाकर समाप्त कर दी गई थी। इस प्रकार वास्तव में, जब डीजल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य में कमी हो रही थी उस समय भी डीजल के घरेलू बिक्री मूल्य में कोई कमी नहीं की गई थी।

सरकार यह तर्क दे रही है कि अगर डीजल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य में वृद्धि के परिणामस्वरूप डीजल के घरेलू मूल्य में वृद्धि नहीं की जाती तो इस वर्ष के अंत में होने वाला घाटा 10,000 करोड़ रुपये तक बढ़ जाता, इसलिए इसके मूल्य में इतनी वृद्धि की जानी आवश्यक है। लगभग 40 प्रतिशत मूल्य वृद्धि से होने वाली आय 6000 करोड़ रुपये होगी। इस 40 प्रतिशत वृद्धि के बाद भी घाटा रहेगा जो इस वर्ष के अंत तक 4500 करोड़ रुपये से कम नहीं होगा।

इस तेल पूल का सृजन क्यों किया गया था? इसका गठन 1975 में देश भर में पैट्रोलियम उत्पादों के एक जैसे मूल्य सुनिश्चित करने के लिए किया गया था।

इस तेल पूल का सृजन से 1993 तक अधिशेष आय हुई और वित्त मंत्री ने उस अधिशेष राशि में से 8,900 करोड़ रुपये की राशि विनियोजित कर ली थी। यह राशि 1993 में तेल पूल खाते में से जुटाई गई थी। *(व्यवधान)* यह मंत्रालय इस संबंध में लगातार कार्य कर रहा है।

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : यह दोष आपका है।

श्री बसुदेव आचार्य : यह गलती भी लगातार चली आ रही है क्योंकि जब संयुक्त मोर्चा सरकार थी और उन्होंने मूल्य बढ़ाए थे तब भी हमने विपक्ष में बैठकर इसका विरोध किया था। श्री राम नाईक जी, आपको याद होगा कि चाहे कोई भी सरकार रही हो हमने किसी भी सरकार के द्वारा की गई जन-विरोधी कार्यवाई का कभी समर्थन नहीं किया। जब घाटा था और घाटा है, फिर वित्त मंत्री उस राशि को ब्याज के साथ अन्तरित क्यों नहीं करते? मैंने भी उस राशि का आंकलन किया है और श्री यशवंत सिन्हा जी, यह 20,000 करोड़ रुपये से कम नहीं है। अगर हम उस राशि को जोड़ते हैं जो 1993 तक अधिशेष थी, तो कम किए गए 5 प्रतिशत ब्याज के बावजूद भी यह राशि 20,000 करोड़ रुपये से कम नहीं होगी। अगर इस राशि को तेल पूल खाते में अंतरित कर दिया जाता है तो तेल पूल खाते में कोई घाटा नहीं होना चाहिए और सरकार को डीजल के मूल्य बढ़ाने की आवश्यकता नहीं होगी। तथा डीजल के मूल्य बढ़ने के परिणामस्वरूप सभी वस्तुओं के मूल्यों पर भारी प्रभाव पड़ा है। राजधानी दिल्ली में ही चीजों के मूल्य एक महीना पहले जितने थे, अब उससे दुगुने हो गए हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि यह हमारे देश की जनता के साथ धोखाधड़ी है क्योंकि उन्होंने काफी पहले जो निर्णय लिया था, उसकी घोषणा के लिए चुनाव होने से कम से कम 15 दिन पहले की विशेष तारीख चुनी। फिर, वह निर्णय चुनाव होने से 15 दिन पहले क्यों लिया गया था? उसकी घोषणा चुनाव से पहले क्यों नहीं की गई थी? उन्होंने मतगणना और परिणाम से पहले चुनाव का इन्तजार क्यों किया था? वे एक हफ्ता इन्तजार क्यों नहीं कर सके? कोई आसमान नहीं टूट जाता, यदि कामचलाऊ सरकार ने नई सरकार के आने तक इन्तजार कर लिया होता, यह महत्वपूर्ण निर्णय नई सरकार द्वारा ही लिया जाता, जबकि संसद का सत्र भी बुलाया जाना था। इसे संसद के समक्ष भी क्यों नहीं लाया गया गया? सरकार की कार्रवाई में कुछ तो पारदर्शिता होनी चाहिए। इसके पीछे क्या औचित्य है? परिणाम की घोषणा क्यों की गई? ऐसा निर्णय क्यों लिया गया? डीजल के मूल्य क्यों बढ़ाए गए? डीजल के मूल्यों के बढ़ने का प्रभाव क्या हुआ? न केवल आवश्यक वस्तुओं के मूल्य बढ़े—मैं ट्रक चालकों की बात नहीं कर रहा हूं—वे हड़ताल पर चले गए और उसके कारण इसका आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ा है? रेल मालभाड़े का क्या होगा? हम कई वर्षों से इसकी दुहाई देते रहे हैं। श्री राम नाईक जी यह जानते होंगे, क्योंकि उनके पास भी रेलवे का प्रभार रहा है। 80 प्रतिशत माल की ढुलाई रेलवे द्वारा हुआ करती थी। अब यह प्रतिशत घटकर 25 तक आ गया है।

अधिकांश माल सड़क मार्ग द्वारा ही ले जाया जा रहा है। रेलवे ने अपना बाजार शेयर बढ़ाने की नीति अपनाई है और अगर रेलवे का बाजार शेयर, विशेषकर माल ढुलाई का, दस प्रतिशत बढ़ जाता है तो डीजल की खपत में कमी आएगी। रेलवे का शेयर केवल नौ प्रतिशत है। इस नौ प्रतिशत शेयर के सहारे ही रेलवे 425 मिलियन टन माल की ढुलाई कर रही है। रेलवे के विकास में काफी निवेश होने की वजह से हमें यह मांग करनी चाहिए और यह सुझाव देना चाहिए कि रेलवे विकास, विशेषकर विद्युतीकरण के लिए अधिक निवेश किया जाए।

मैं कई सुझाव देना चाहता हूं। ऐसे सुझाव हैं कि इन समस्याओं को किस तरह सुलझाया जाए। मैं अल्पावधि और दीर्घावधि दोनों ही तरह के सुझाव देना चाहूंगा। अल्पावधि उपायों के रूप में, श्री राम नाईक जी, हमारे प्राकृतिक गैस के मूल्यों को युक्तिसंगत बनाए जाने की आवश्यकता है। प्राकृतिक गैस के मूल्य युक्तिसंगत नहीं है। 1000 सी सी की और उससे अधिक लक्जरी कारों, निजी डीजल वाहनों और उद्योगों में प्रयोग किए जाने वाले कैप्टिव डीजल जनरेटरों पर कर लगाया जाना चाहिए। इसके अलावा कच्चे तेल पर होने वाले उत्पादन शुल्क में 15 प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए। श्री यशवंत सिन्हा जी, मैं आपको यह सुझाव देना चाहता हूं। अगर आप उत्पाद शुल्क को कुछ कम करते हैं तो इसका प्रभाव डीजल और अन्य पैट्रोलियम उत्पादों पर पड़ेगा।

[श्री बसुदेव आचार्य]

जैसा कि मैं कह ही चुका हूं, जहां तक दीर्घावधि उपायों का संबंध है तेल पूल खाते से होने वाली आय, 8,900 करोड़ रुपये का अधिशेष, ब्याज सहित अंतर-विभागीय दर पर 20,000 करोड़ रुपये पहुंच जाएगा। सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क को युक्तिसंगत बनाया जाना चाहिए जिससे शुल्क के एक भाग के रूप में एकत्र की गई राशि तेल पूल खाते में शामिल की जा सके। एक अन्य समस्या यह है कि हमारा घरेलू उत्पादन कम हो रहा है। पहले, 1979-80 में यह 37 प्रतिशत था। 1984-85 में यह बढ़कर 70 प्रतिशत हो गया। अब यह घटकर 42 प्रतिशत रह गया है। तेल खोज कार्य पर काफी निवेश हुआ है। इसके परिणामस्वरूप, हम धीरे-धीरे कच्चे तेल के आयात पर निर्भर होते जा रहे हैं और हमारा तेल पूल खाते का घाटा हर वर्ष बढ़ता जा रहा है। इसलिए, मेरा यही सुझाव है कि सरकार को तेल क्षेत्रों के विकास के लिए, अधिकाधिक तेल खोज कार्य के लिए और अधिक निवेश करना चाहिए। हमें अपने देश में ही कच्चे तेल पर निर्भर रहना चाहिए। घरेलू कच्चे तेल के उत्पादन को बढ़ाना चाहिए। 1984-85 में यह उत्पादन 70 प्रतिशत था। हमें उस स्तर तक पहुंचना चाहिए ताकि हम कच्चे तेल के आयात पर अपनी निर्भरता कम कर सकें।

महोदय, चूंकि यह इस सरकार द्वारा उस समय लिया गया सबसे अलोकतांत्रिक निर्णय है जब यह एक कामचलाऊ सरकार थी, इसलिए मै यह मांग करता हूं—जैसे सभा के लगभग सभी वर्गों की मांग की है—कि इस निर्णय की पुनरीक्षा की जानी चाहिए। वर्ष 1990 में खाड़ी उपकर लगाया गया था और खाड़ी युद्ध के आठ नौ वर्ष पहले समाप्त हो जाने के बाद भी यह अभी भी जारी है। इसलिए इसे हटाया जा सकता है। मैं यह मांग भी करता हूं कि डीजल का मूल्य 35 प्रतिशत तक बढ़ाए जाने का निर्णय भी वापस लिया जाना चाहिए। सरकार को भी राजनैतिक दलों के नेताओं की बैठक बुलानी चाहिए ताकि यह विचार किया जा सके कि यह इस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है। इसलिए, मेरी मांग है कि 5 अक्तूबर को लिए गए डीजल का मूल्य बढ़ाने का निर्णय वापिस लिया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

डॉ० मदन प्रसाद जायसवाल (बेतिया): सभापति जी, आज एक बहुत ही अहम मुद्दे पर सदन विचार कर रही है। डीजल का प्राइस बढ़ा है और उसके संबंध में हमारे उधर के जो मित्र हैं, वे काफी चिन्तित हैं। जिस समय डीजल के प्राइस का स्ट्रक्चर बना कि डीजल के दाम कैसे तय होंगे, हमारे मित्र श्री रघुवंश बाबू बड़े जोर-जोर से बोल रहे थे, मैं सोचता हूं कि यह फैसला 1.9.97 को हुआ और उस समय आप उस सरकार में राज्य मंत्री थे जिसने यह फैसला लिया था। उस समय श्री इन्द्र कुमार गुजराल की सरकार थी और आप उसके समर्थक थे।

सभापति जी, आपका तो मैं नाम नहीं ले सकता लेकिन हमारे आचार्य जी और कम्युनिस्ट मित्र *(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : हमने विरोध किया था।

डा० मदन प्रसाद जायसवाल : आप उस समय उनके साथी और सहयोगी थे।

श्री बसुदेव आचार्य : हमने विरोध किया था।

डॉ० मदन प्रसाद जायसवाल : आपने विरोध किया होगा लेकिन आपकी बात नहीं चली। इस विषय को लेकर आपने एक फैसला लिया। उस समय जून के महीने में ऑयल पूल का घाटा करीब 18,200 करोड़ रुपये था। उसको कम करने के लिए उस समय की सरकार ने श्री इन्द्र कुमार गुजराल की सरकार ने यह फैसला किया कि क्रूड ऑयल के प्राइस के आधार पर डीजल के दाम तय किये जायें। जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि उस समय डीजल के प्राइस दो बार घटाए गये। आज तक कभी भी इस सदन के इतिहास में किसी भी सरकार ने डीजल के दाम नहीं घटाये लेकिन माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने दो बार डीजल के दाम घटाये। मैं 2.9.97 की बात बता रहा हूं। *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : आप उस समय के इंटरनैशनल प्राइस को कोट करिये।

डॉ० मदन प्रसाद जायसवाल : मैं उसको भी कोट करूंगा। 2.9.97 को मुम्बई में डीजल का दाम 11.53 रुपये था जबकि 9.1.99 को डीजल का दाम 10.04 रुपये था। यह डेढ़ रुपये की जो दो बार कटौती की गई, यदि वह नहीं की गई होती तो आज शायद एक या डेढ़ रुपये दाम बढ़ते। जो सरकारी व्यवस्था है, उसके आधार पर डीजल का दाम मात्र *(व्यवधान)*

डॉ० प्रियरंजन दासमुंशी : उस समय जो अंतर्राष्ट्रीय प्राइस था, आप उसको भी कोट करिये।

डॉ० मदन प्रसाद जायसवाल : यदि बेसिक प्राइस लिया जाये तो मात्र 2 रुपये 75 पैसे दाम बढ़े हैं क्योंकि 20.4.99 को जिन रिफाइनरीज में डीजल बनता है, वहां पर डीजल के दाम 6.00 रुपये था और आज 9.93 रुपये हुआ है यानी 2.75 रुपए बढ़े हैं। राज्यों में बहुत से हमारे मित्र दलों की सरकारें हैं। कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, बहुत सी जगह कांग्रेस पार्टी की सरकारें हैं। अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग सेल्स टैक्स लगे हुए हैं, अलग-अलग ऑक्ट्राय लगते हैं जिसकी वजह से हर जगह, कम से कम मैट्रोपोलीटन सिटीज में दामों में बड़ी भिन्नता आ जाती है। यदि आज दिल्ली के दाम 13.91 रुपये है तो कलकत्ता में 14.20 रुपये हो गया, मुम्बई में 16.54 रुपये हो गया, चेन्नई में 15.24 रुपये हो गया। मैं केन्द्र सरकार से मांग करना चाहूंगा कि इस बारे में राज्य सरकारों को निर्देश दिया जाए कि डीजल के दामों में हर जगह एक तरह के टैक्स लगाए जाएं जिससे हर जगह मुम्बई हो, दिल्ली हो, दाम एक बराबर रहे। आज मुम्बई वालों के लिए बढ़ोत्तरी चार रुपये लग रही है, भारत सरकार ने 2.75 रुपये बढ़ाए लेकिन मुम्बई के लोग चार रुपये अधिक पे कर रहे हैं। इस बात के स्ट्रक्चर को लेकर केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों पर दबाव डालना चाहिए।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी बोल रहे हैं कि उस समय के दाम बताएं। फरवरी महीने में क्रूड ऑयल के दाम 3210 रुपये थे। उसके

बाद आज क्रूड ऑयल के दाम 7070 रुपये हो गए। 119 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। सरकार ने मात्र 35-38 प्रतिशत डीजल के दाम बढ़ाए हैं। मैं प्रियरंजन दासमुंशी जी से कहना चाहूंगा कि दिल्ली में आपकी सरकार है। *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : जब अटल जी ने प्राइस घटाए, उस समय अंतर्राष्ट्रीय प्राइस कितना था, यह जरा हमें समझाएं।

डॉ० मदन प्रसाद जायसवाल : वह पूरी डिटेल तो आपके पास भी है। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : उसका जवाब मंत्री जी देंगे।

(व्यवधान)

डॉ० मदन प्रसाद जायसवाल : मैं अपने कांग्रेस के मित्रों से जानना चाहता हूं, आज ये कटघरे में खड़े हैं, यदि डीजल के दाम 38 प्रतिशत बढ़ाए गए तो इनकी सरकार ने दिल्ली में बसों का भाड़ा 66 प्रतिशत कैसे बढ़ा दिया। यदि इन्होंने बस का भाड़ा 40 प्रतिशत बढ़ाया होता तो मैं मानता कि ये गरीब जनता के पक्षधर हैं। कांग्रेस के हमारे मित्र तो गरीब जनता का सबसे अधिक शोषण करने के लिए बैठे हुए हैं और उसमें हमारे बघेला जी भी हैं। बघेला जी हमारे साथ बैठा करते थे लेकिन आजकल धर्म परिवर्तन कर दिया है। आजकल लोग धर्म परिवर्तन करते हैं तो बहुत प्याज खाते हैं। *(व्यवधान)*

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल (पाटन) : राम विलास जी एक जमाने में यहां बैठते थे, वहां कहां गए। क्या आपने उनको खरीद लिया है? *(व्यवधान)*

श्री शंकर सिंह वाघेला (कपड़वंज) : आप विदड्रा करवा लीजिए। *(व्यवधान)*

डॉ० मदन प्रसाद जायसवाल : बघेला जी का धर्म परिवर्तन हो गया और जब धर्म परिवर्तन होता है तो आदमी बहुत प्याज खाता है। आजकल बघेला जी भी बहुत प्याज खाने लगे हैं। *(व्यवधान)* मैं अपने मित्रों से कहना चाहूंगा, आज ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि यह काम चलाऊ सरकार है। मैं रघुवंश बाबू से पूछना चाहता हूं, जिस समय इंद्र कुमार गुजराल जी की सरकार थी *(व्यवधान)* रघुवंश बाबू उस समय मंत्री थे। 4 दिसम्बर, 1997 को लोक सभा भंग हो गई। उस समय भी श्री इंद्र कुमार गुजराल की सरकार काम चलाऊ सरकार थी। उन्होंने राजदूतों की बहाली की, राज्यपालों की बहाली की। जब अटल जी की सरकार एक मत से गिर गई तो चार आई०ए०एस० पदाधिकारियों का स्थानांतरण हुआ। हमारे मित्र हल्ला कर रहे हैं, काम चलाऊ सरकार है, कैसे बदली कर सकते हैं, कैसे फैसला कर सकते हैं। ये काम चलाऊ सरकार रहकर राजदूत और राज्यपाल की बहाली कर सकते हैं लेकिन हम चार पदाधिकारियों का स्थानांतरण नहीं कर सकते।

आज जिस कटघरे में ये लोग खड़े हैं, इस विषय को लेकर विरोध करने का इनका कोई नैतिक अधिकार नहीं है क्योंकि इस फैसले में इनकी सहभागिता है और ये लोग उस समय की पार्टी के समर्थक थे। *(व्यवधान)* मैं मंत्री से आग्रह करना चाहूंगा किरोसीन का तेल जन वितरण प्रणाली की दुकान पर 2.93 रुपये प्रति लीटर मिलता है लेकिन किसी भी राज्य में किसी भी गरीब व्यक्ति को 2.93 रुपये में किरोसीन का तेल नहीं मिलता है। गरीब व्यक्ति को पांच रुपये से कम में किरोसीन का तेल नहीं मिल रहा है। आज किरोसीन के तेल के दाम इतने कम हैं कि उसके कारण मिलावट हो रही है।

पैट्रोल में कैरोसीन तेल मिलाया जाता है, डीजल में कैरोसीन तेल मिलाया जाता है, इसलिए कैरोसीन तेल की भी इतनी बढ़ोत्तरी जरूर की जाये। मैं सरकार से मांग करूंगा, कि यह मिलावट बन्द हो। यह मिलावट होना गलत बात है। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय, मैं सरकार से यह मांग करता हूं, आपने यह तय किया है कि 2001 से लेकर 2002 तक कैरोसीन की सब्सिडी 33 परसेंट पर हम लाएंगे। इस विषय में निर्णय लेकर पैट्रोल और डीजल में जो यह मिलावट हो रही है, क्योंकि दाम का इतना वैरिएशन है कि उस विषय को लेकर कैरोसीन तेल का दाम बढ़ाया जाना चाहिए और प्रान्त की सरकारें जो जन वितरण प्रणाली चला रही हैं, इन राज्यों की सरकारों पर यह दबाव पड़ना चाहिए कि वे सही मूल्यों पर कैरोसीन उपलब्ध करा सकें। इसमें प्रान्तों की सरकारें सबसे अधिक गलत काम कर रही हैं।

मैं सरकार के इस फैसले के पक्ष में बोल रहा हूं। ऑयल पूल घाटा 5000 करोड़ रुपये हो चुका था और सरकार ने यह सही माने में फैसला किया है। कभी-कभी बुखार हो जाता है तो बड़ा कड़वी दवा देनी पड़ती है। आज इस बारे में पूरे देश को चिन्ता करनी चाहिए कि हम केवल नोट छापकर सरकार नहीं चला सकते हैं। हमें टैक्स के मुताबिक कुछ इस तरह की व्यवस्था करने के लिए सरकार के घाटे को कम करना चाहिए, ऑयल पूल के घाटे के कम किया जाना चाहिए और इसलिए जो बढ़ोत्तरी हुई है मैं उसके पक्ष में बोल रहा हूं और यह बढ़ोत्तरी कायम रहनी चाहिए।

श्री भान सिंह भौरा (भटिण्डा) : माननीय सभापति महोदय, डीजल प्राइस को बढ़ाने के ऊपर यहां बहस हो रही है। जब यह सरकार बनी थी, उसी वक्त हमको पता था, जो इन्होंने कदम उठाने हैं, वे लोगों के पक्ष में नहीं होंगे, क्योंकि यह जखीरेबाजों की, मुनाफाखोरों की, सरमायेदारों की सरकार है। इनसे अगर हम कोई उम्मीद रखें तो यह गलत होगा। हमारे दोस्तों ने कई बातें की हैं कि यह किया है, यह किया है। इन्होंने अभी जब सरकार बनी ही नहीं थी, उसी वक्त कीमतें बढ़ा दीं। अब आगे क्या करेंगे, इसके बारे में कहते हैं:

> 'इब्तदा-ए-इश्क है, रोता है क्या,
> आगे-आगे देखिये, होता है क्या।'

अभी तो आपको भुगतना पड़ेगा। यह जो सरकार है, ये जो सिन्हा साहब बैठे हैं, ये स्टील की कीमतें भी बढ़ा सकते हैं, टेलीफोन वगैरह के बारे में सब कर सकते हैं, यह तो कुछ भी बात नहीं है। आप तो करोड़पति बन रहे हैं, क्या करेंगे। जो कीमतें बढ़ी हैं, इनका जस्टीफिकेशन क्या है। अभी तो इन्होंने आप पर रहम किया है। आपने नोट पढ़ा होगा, इस नोट में लिखा है कि 94 परसेंट कीमतें बढ़नी चाहिए थी, हमने तो 40 परसेंट बढ़ाई हैं, यह हम पर रहम किया

[श्री भान सिंह भौरा]

है कि अभी तो 40 परसेंट बढ़ाई हैं, अब देखिये और बढ़ाएंगे। इसलिए मैं अपील करता हूं कि ये जो कीमतें बढ़ाते हैं, इनका पैटर्न क्या है। कीमतें बढ़ गई तो बढ़ी हुई कीमतें उसी रात लागू हो जाती हैं। जब कोई और फैसला किया जाता है तो 10 दिन या 20 दिन के बाद लागू होता है, लेकिन ये कीमतें उसी रात को बढ़ती हैं। जिसके पास एक लाख लीटर डीजल पड़ा है, उसके तीन-चार लाख रुपये वैसे ही बढ़ गये। इन्होंने कभी देखा है कि वह पैसा क्यों बढ़ गया। एक रात में आप उनको लाखों रुपये दे देते हैं और उसमें से हिस्सा इनके पास भी आता है।

अपराह्न 4.39 बजे

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

(व्यवधान) आफिसरों के यहां ही आता होगा, लेकिन आता है। जो डीजल पैट्रोल बेचने वाले हैं, जो ये पैट्रोल पम्प लेते हैं, आपको पता है कि इसमें लाखों रुपया देकर लेते हैं। अगर उनको फायदा है, तभी लेते हैं, नहीं तो पैट्रोल पम्प लेने के लिए कौन 10 लाख रुपये, बीस लाख रुपये देता है। इसमें इतनी बड़ी लूट है कि अगर इसको ही काबू कर लिया जाये तो कीमतें बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर यह सरकार ऐसा नहीं करेगी। मैं आज विनती करना चाहता हूं कि इसका असर तो बाहर सब जगहों पर पड़ेगा, पर पंजाब में सबसे ज्यादा असर पड़ता है। सिन्हा साहब, पंजाब खेती प्रधान प्रदेश है, वहां पर जो किसान हैं, वह हिन्दुस्तान के सैण्ट्रल पूल में 50 फीसदी चावल देता है, 70 फीसदी गेहूं देता है। पंजाब में 6 लाख 10 हजार ट्यूबवैल हैं और हिन्दुस्तान के एक तिहाई, 10 लाख 90 हजार ट्रैक्टर हैं। इसलिए डीजल के दाम में बढ़ोत्तरी का सबसे ज्यादा असर वहां किसानों और लोगों पर होगा। हमारे जागीरदार चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने सेल्स टैक्स चार प्रतिशत से बढ़ाकर आठ प्रतिशत कर दिया और डीजल पर 50 पैसे अतिरिक्त बढ़ा दिए। केन्द्र सरकार ने उनसे नहीं पूछा कि यह बढ़ोत्तरी क्यों की गई हैं। पंजाब के मुख्य मंत्री को लूटने की खुली छूट मिली हुई है। हाल में हुए चुनावों ने उनकी असलियत खोलकर रख दी है कि वे कितने पानी में हैं। केन्द्र सरकार ने तो जीतने की खुशी में डीजल के दाम बढ़ा दिए, लेकिन पंजाब के मुख्य मंत्री ने हारने के कारण बढ़ा दिए। डीजल के दामों में भारी बढ़ोत्तरी को सारे लोग निन्दा कर रहे हैं, उधर के लोगों ने भी कहा है कि यह ठीक नहीं है। आखिर में उनके द्वारा भी यही कहा जाता है कि इस पर सोचना चाहिए कि कैसे इसका भार कम किया जा सकता है। सरकार के पास बहुमत है और उसके जरिए ये कुछ भी कर सकते हैं। डीजल में हुई मूल्यवृद्धि के कारण ट्रक वालों ने हड़ताल कर दी है, औरतों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है और देश के कई भागों में इसका प्रोटेस्ट किया जा रहा है। सरकार को लोगों के सेंटीमेंट्स को ध्यान में रखते हुए इसको रिव्यू करना चाहिए। लेकिन हमारे प्रधान मंत्री जी ने कहा कि हम रिव्यू नहीं करेंगे। नाईक साहब ने कहा कि देखो हमने इतना ही बढ़ाकर आप पर रहम किया है। इससे हिन्दुस्तान के गरीब लोगों पर असर पड़ेगा, उनको बचाया जाए।

पैट्रोल पम्प वाले डीजल में केरोसिन मिलाकर बेचते हैं, आपका महकमा इसको नहीं रोक सकता, क्योंकि आपके मुलाजिम उनसे इसके लिए पैसा लेते हैं। इसलिए आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। मेरा सुझाव है कि इसके लिए कोई समिति बनाएं और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, वह समिति उसका अध्ययन करके कोई फैसला करे। वरना धीरे-धीरे यह विरोध बढ़ता जाएगा और आपकी सरकार की खुशी हवा में उड़ जाएगी।

अंत में मेरा पुन: अनुरोध है कि इसको कम करना चाहिए और मैं उम्मीद करूंगा कि सरकार इस पर जरूर विचार करेगी।

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि) : अध्यक्ष महोदय, डीजल की मूल्यवृद्धि पर सदन में चर्चा हो रही है। जब डीजल में मूल्यवृद्धि होती है तो उसका सीधा असर आम जनता पर होता है। जो जनोपयोगी चीजें हैं, उनका 70 प्रतिशत यातायात सड़क द्वारा होता है। इस वजह से जब डीजल के दाम में वृद्धि होती है तो जनोपयोगी चीजों के दाम बढ़ जाते हैं। इसको लेकर ट्रकों की हड़ताल हो रही है, उसका असर आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। आज या कल तक शायद यह हड़ताल खत्म भी हो जाएगी, लेकिन जो बढ़े हुए दाम हैं वे कम नहीं होंगे।

आज जब हम सब्जी मंडी में जाते हैं, तो सब्जियों के दाम दुगुने से भी ज्यादा हो गए हैं। हर चीज के दाम दुगुने से ज्यादा हो गए हैं। हमारे पैट्रोलियम मंत्री, श्री राम नाईक जी, ने किस कारण से दाम बढ़ाए और हमारा देश किस हालत से गुजर रहा है, आयल पूल में कितना घाटा है और भविष्य में हमें किस परिस्थिति से गुजरना पड़ेगा, इससे संबंधित विवरण, दस्तावेज उन्होंने सदस्यों को दिए हैं और स्पष्ट विवरण दिया है। सभी लोगों में यह डर है कि डीजल के साथ-साथ कैरोसिन ऑयल के दाम भी बढ़ेगा। यह डर आज आम जनता के दिल में है। जब हम सत्ता पक्ष में हैं, हमें देश को चलाना है, तो देश के हित में सरकार को कुछ निर्णय लेने होते हैं। आप जरूर निर्णय लीजिए, लेकिन ये निर्णय लेते समय, जो आम जनता है, जो आम आदमी है, गरीब आदमी है, जिसकी चर्चा हम करते हैं, जिनको पिछड़ा वर्ग कहते हैं, वह पीसा नहीं जाएगा, यह ख्याल करना जरूरी है। जब हम विपक्ष में होते हैं, तो दिखाई देता है कि इसी मूल्य वृद्धि पर किस ढंग से हम हल्ला करते हैं और सरकार में आने पर नहीं कर पाते। यह अनुभव हर एक सदस्य को हुआ है, क्योंकि पिछले दो-चार चुनावों में जिस प्रकार राजनीतिक माहौल बना है, मिली-जुली सरकार के सिवाय और कोई चारा नहीं है, उससे हर एक दल को सत्ता में रहने का मौका मिला है। इसलिए हम सभी की जिम्मेदारी है कि सही तौर पर इस चर्चा को थोड़ा राजनीति से अलग रखें, क्योंकि आम आदमी का जीवन दूभर होता जा रहा है। मेरे विचार से इस विषय पर राजनीति से हटकर चर्चा होनी चाहिए।

महोदय, आज आम आदमी जो सड़क पर चर्चा करता है, आज आम आदमी जो अपने घर में चर्चा करता है, वह आज दुखी दिखाई दे रहा है। इसका असर उद्योगों पर कितना होगा, यह मुझे मालूम नहीं है। जो व्यावसायिक है, उन पर कितना होगा, यह मुझे मालूम नहीं है। लेकिन जो नौकरी करने वाला है, जो रोजाना काम करने वाला है, जो मेहनत-मजदूरी करने वाला है, उस पर इसका सबसे बुरा असर होने वाला है। हमने इस देश की बागडोर संभाली है, तो आम आदमी के सुख-दुख और उस पर पड़ने वाले बोझ के बारे

में हमें सोचने की जरूरत है। इसलिए किसी निर्णय पर अड़े रहने की कोई आवश्यकता है, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। मैं समझता हूं कि सरकार भी, जब सदन में आज यहां चर्चा हो रही है और उसका सीधा असर आम जनता पर हो रहा है, उस पर पुनर्विचार करेगी।

इसके लिए हम कोई अलग सुझाव दे सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, उन पर भी विचार करना आवश्यक है। यह मामला जनता से संबंधित है। हम अपने घर जाते हैं तो घर वालों को हमें जवाब देना पड़ता है, राम नाईक जी को भी अपने घर जाने पर जवाब देना पड़ेगा। चाहे हम सदन के सदस्य हों या आम आदमी हों, हर घर में जो समस्या है, जो दर्द है उसी की चर्चा बहस इस सदन में हो रही है। आम आदमी के जीवन में और कठिनाइयां नहीं आएंगी और आम आदमी जो सामान्य जीवन जीना चाहता है उसका जीवन कैसे सुखी हो इस पर सरकार विचार करेगी, ऐसा मैं विश्वास करता हूं।

[अनुवाद]

***श्री रवेन बर्मन** (बलूरघाट) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बंगाली में बोलना चाहूंगा। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे डीजल के मूल्यों में वृद्धि के संबंध में नियम 193 के अधीन होने वाली महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने का मौका दिया। डीजल एक आवश्यक वस्तु है इसलिए इसकी मूल्य वृद्धि का अन्य सभी आवश्यक वस्तुओं पर प्रभाव पड़ता है। डीजल के मूल्य में वृद्धि होने से अन्य सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई है। लोगों में इससे काफी असंतोष है क्योंकि उन्हें अपने आम जीवन में भारी मूल्य वृद्धि का सामना करना रहा है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। उर्वरक पर से सबसिडी समाप्त कर दिए जाने से उर्वरक के मूल्य में काफी वृद्धि हुई है। इसलिए किसानों का केवल गुजारा ही चल पाता है उन्हें कोई लाभ नहीं होता। डीजल के मूल्य में वृद्धि होने से लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। समाज के हर वर्ग के लोगों द्वारा झेली जा रही कठिनाइयों को देखते हुए डीजल के मूल्य में अचानक होने वाली वृद्धि को पूरी तरह अनुचित माना गया है। मेरा मंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि डीजल की मूल्य वृद्धि को वापस लिया जाए।

श्री एम०ओ०एच० फारूक (पांडिचेरी) : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि जिस सरकार को गरीब जनता ने अभी-अभी सत्तासीन किया, उस जनता की आकांक्षाओं के साथ विश्वासघात कर इस सरकार को शासन करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है *(व्यवधान)*। सरकार का गठन करने और कुर्सी पर विराजमान होने से पूर्व ही उन्होंने डीजल के मूल्यों में लगभग चालीस प्रतिशत की वृद्धि की। इतिहास में मूल्यों में इस प्रकार की वृद्धि के बारे में कभी नहीं सुना गया। यह मूल्य वृद्धि वज्रपात के समान है। सरकार के इस कार्य को हाल ही में चुनावों में भारत की जनता द्वारा व्यक्त किए गए विश्वास के साथ धोखा कहा जा सकता है।

महोदय, सरकार चुनावों के एक दिन बाद के लिए भी नहीं रुक सकी। मतदान जनता को किए गए बड़े-बड़े वायदों के साथ संपन्न हुआ।

*मूलत: बंगला में दिये गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपांतर।

सरकार ने जनता की शुभकामनाओं का प्रत्युत्तर दूसरे ही दिन डीजल के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि कर उसकी पीठ में छुरा घोंप कर दिया। जैसा कि कोई व्यक्ति पेट खराब होने की स्थिति में एक पल के लिए भी नहीं रुक सकता है उसी प्रकार यह सरकार डीजल के मूल्यों में वृद्धि के लिए चुनावों के बाद एक दिन के लिए भी नहीं रुकी। जिस जनता ने उन्हें सत्तासीन किया सरकार ने उसे एक ही झटके में डीजल के मूल्यों में वृद्धि कर उपहार दिया जब जनता ने आप से प्रेम किया तो आपने उनकी पीठ पर छुरा घोंपा, यह कहां तक सही है? जिस दिन आपने सरकार बनाने का दावा किया उसी दिन से आप देख रहे हैं कि ट्रक आपरेटर हड़ताल पर हैं।

सरकार द्वारा डीजल के मूल्यों में वृद्धि का सभी प्रकार की आर्थिक गतिविधियों पर प्रभाव पड़ा फलत: गरीब आदमी प्रभावित हुआ। सब्जियों और जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं के दामों में 30 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई। यदि आप बाजार जाएं तो आप स्थिति समझ सकते हैं। अब आलू 12 रुपये प्रतिकिलो, प्याज 15 रुपये प्रतिकिलो, टमाटर 20 रुपये प्रतिकिलो की दर पर बेचा जा रहा है इत्यादि। हमने अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करने की बात सुनी किंतु तमिलनाडु में अंडों को पुलिस सुरक्षा में बाजार में लाया जा रहा है। हमारे देश में वर्तमान स्थिति यह है। इसलिए मुझे उन लोगों पर तरस आता है जिन्होंने वास्तव में इस सरकार पर भरोसा किया जिसने उनकी आशाओं को चूर कर दिया है।

महोदय, जैसे मेरे दूसरे माननीय साथियों ने कहा है कि डीजल के मूल्यों में तीव्र वृद्धि से सर्वाधिक प्रभावित किसान हैं। किसान पहले ही अपने गांव छोड़ने के लिए मजबूर हैं। वे बेहतर भविष्य की तलाश में अपने परम्परागत पेशे को छोड़ रहे हैं। मैं नहीं जानता कि किसानों के हितों की रक्षा करने के तथाकथित समर्थक डीजल के मूल्यों में वृद्धि कर किस प्रकार उनके हितों की रक्षा करने जा रहे हैं। मैं डीजल के मूल्यों में वृद्धि के सरकार के कार्य पर उनकी प्रतिक्रिया की उपेक्षा करता हूं जो किसानों को बहुत प्रभावित कर रहा है।

महोदय, यह सरकार 13 माह तक सत्ता में रही और अनुकम्पा से छह माह और सत्ता में रही। चुनाव प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन आयोग की आचार संहिता के कारण उसके हाथ बंधे रहे। किंतु अब वे अपनी निर्दोषता की वकालत करते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में डीजल के मूल्यों में वृद्धि के बावजूद वे फरवरी 1999 से ही डीजल के मूल्यों में वृद्धि नहीं कर सके। मेरी समझ में नहीं आता कि इसके पीछे क्या तर्क है। माननीय मंत्री श्री राम नाईक को हमें बताना होगा कि फरवरी 1999 से ही डीजल के मूल्यों में वृद्धि न करने के पीछे क्या तर्क है और अब चुनावों के बाद एकदम तीव्र वृद्धि के पीछे क्या तर्क है इस सरकार ने डीजल के मूल्यों में इतनी तीव्र वृद्धि के बारे में लोक सभा व जनता को विश्वास में नहीं लिया। क्या यह सभी लोकतांत्रिक सिद्धान्तों और सार्वजनिक जीवन के मूल्यों के विरुद्ध नहीं है?

मंत्री जी का तर्क है कि सरकार निर्वाचन आयोग की आचार संहिता के कारण बाध्य थी और चुनाव प्रक्रिया के दौरान वह डीजल के मूल्यों में वृद्धि करने की स्थिति में नहीं थी। मैं सरकार और मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने अन्य वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि की है या नहीं और क्या उन्होंने कोई अन्य नीतिगत निर्णय लिए

[श्री एम०ओ०एच० फारूक]

हैं या नहीं। आप इस तर्क की आड़ लेने का प्रयास क्यों करते हैं कि निर्वाचन आयोग की आचार संहिता के कारण वे डीजल के मूल्यों में वृद्धि करने की स्थिति में नहीं थे।

श्री राम नाईक : मैंने ऐसा नहीं कहा है।

अपराह्न 5.00 बजे

श्री एम०ओ०एच० फारूक : आपने ऐसा कहा है। मैंने यह समाचार पत्रों में पढ़ा है।

मुझे आपसे केवल एक प्रश्न पूछना है। आपने कहा था कि घाटा लगभग 5000 करोड़ रुपये का है। यदि यह वृद्धि नहीं की जाती तो यह 10,000 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। प्रेस में आपने यही कहा है। आपने शुरू से इस पर नियंत्रण क्यों नहीं रखा और फिर जनता को विश्वास में लेते और कहते, ''डीजल के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि के कारण इसके मूल्यों में वृद्धि हुई है। अत: मुझे भी शुरू से ही डीजल के मूल्य बढ़ाने होंगे।'' इस प्रकार आप इसके लिए लोगों को मानसिक व शारीरिक तौर पर तैयार कर सकते थे। क्या यह इस सरकार का आडम्बर नहीं है? उस समय भी सरकार थी और यदि वह उस समय डीजल के मूल्यों में वृद्धि करती तो मुझे विश्वास है कि वह उस स्थिति में नहीं होती जिसमें वह आज है क्योंकि जनता सारी बात को समझ जाती है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आप अब लोगों को एक अवास्तविक स्थिति में रख रहे हैं। इस सरकार को पहले 'रॉलबैक गवर्नमेंट' (निर्णय पलटने वाली सरकार) के नाम से जाना जाता था। उनके सहयोगियों व गठबंधन की प्रकृति के अनुसार अतीत में इस सरकार के अधिकतर निर्णयों व नीतियों को बिना किसी फुसफुसाहट के पलट दिया गया था। मेरा मानना है आप इस विचार को भी पलट देंगे और फिर डीजल के मूल्यों में वृद्धि को कम करने का प्रयास करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय मंत्री श्री राम नाईक बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी इस विषय पर बोलने का मौका दिया जाए।

एक माननीय सदस्य : राम से पहले लक्ष्मण तो बोलेंगे।

अध्यक्ष महोदय : राम और लक्ष्मण।

श्री लक्ष्मण सिंह : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं डीजल पर हुई मूल्य वृद्धि का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। 13 दिन, 13 महीने और न जाने कितने दिन और चलने वाली सरकार ने जो मूल्य वृद्धि की है, वह देश के उन किसानों और मध्यम वर्ग के साथ छलावा है जिनके वोटों से आप यहां बैठे हैं। सरकार का कहना है कि डीजल के अन्तर्राष्ट्रीय दाम बढ़े, इसलिए डीजल के दामों में मूल्य वृद्धि की गई। मैं 'हिन्दू' अखबार से कुछ लाइनें पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। वह अखबार जिस ने हमेशा इनकी बात ज्यादा छापी और हमारी कम छापी, वह कहता है:

[अनुवाद]

> ''लोक सभा चुनावों के परिणाम से पूर्व हाई स्पीड डीजल तेल के मूल्यों में लगभग 40 प्रतिशत की वृद्धि के लिए सरकार द्वारा लिये गए निर्णय को कदापि उचित नहीं ठहराया जा सकता है।''

इसमें आगे लिखता है :

> ''हाई स्पीड डीजल के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि वर्तमान वृद्धि को उचित नहीं ठहराया है हालांकि सरकार दलील दे सकती है कि उसने यह निर्णय छह माह की प्रतीक्षा के बाद लिया है। सरकार ने इतनी लम्बी प्रतीक्षा करने का निर्णय स्पष्टत: इसलिए लिया कि वह जानती थी कि सभी मतपेटियों को मतगणना के लिए ले जाने के बाद के बजाए पहले मूल्य वृद्धि राजनीतिक दृष्टि से विनाशकारी होगी।''

[हिन्दी]

अध्यक्ष जी, पिछली बार आपकी जो 13 महीने की सरकार बनी थी, उसमें आपने एडमिनिस्टर्ड प्राइसिंग मकैनिज्म को भंग करने का निर्णय लिया था। आपने नैफ्था, बिटूमैन पैरासिल वैक्स को डीकंट्रोल किया और एच०एस०डी० को इंटरनेशनल प्राइसिंग के साथ जोड़ा। अच्छा होता यदि आप इससे पहले संयुक्त मोर्चा सरकार जो कांग्रेस समर्थित सरकार थी और उसके पहले जो कांग्रेस सरकार थी, उनके निर्णय पर कायम रहते। इससे आपको 13 महीने में पांच बार डीजल के दाम बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने 13 महीने में एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, पांच बार डीजल के दाम बढ़ाए। आप अगर उस निर्णय पर काबिज रहते तो डीजल के दाम नहीं बढ़ाने पड़ते। उन्होंने निर्णय लिया था कि एच०एस०डी० के दाम प्रति माह रिवाइज किए जाएंगे। अगर डीजल के अन्तर्राष्ट्रीय दाम घटते हैं तो घटाए जाएंगे और अगर वह बढ़ते हैं तो उसी अनुपात में बढ़ाए जाएंगे। यह निर्णय हो चुका था। संयुक्त मोर्चा सरकार जो कांग्रेस समर्थित सरकार थी, आपने उनके द्वारा लिए निर्णय पर ध्यान नहीं दिया।

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : अगर आप सत्ता में होते तो इसके दाम बढ़ाते या नहीं बढ़ाते?

श्री लक्ष्मण सिंह : मैं समर्थन की बात कर रहा हूं। जब सत्ता में आएंगे तो बाद में बताएंगे। *(व्यवधान)*

आज डीजल के मूल्यों में वृद्धि से रेलवे पर 600 करोड़ रुपये का अधिभार बढ़ा है। रेलवे इस अधिभार को झेल सकता है क्योंकि वहां केवल 7-8 प्रतिशत डीजल खर्च होता है। जहां तक दूसरे क्षेत्रों का सवाल है, ट्रक 70-80 प्रतिशत डीजल पर निर्भर हैं। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता क्योंकि मुझसे पूर्व वक्ताओं ने इस पर काफी विस्तार से बताया है। मैं यही कहना चाहता हूं कि आगे भी डीजल के मूल्य अप्रत्याशित ढंग से बढ़ेंगे लेकिन आप तेल के उत्पादन की बात नहीं कर रहे हैं। आप मूल्य वृद्धि की बात कर रहे हैं, इम्पोर्ट की बात कर रहे हैं। यहां तेल उत्पादन की बात होनी चाहिए थी। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि यह क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर हम तेल का प्रोडक्शन चार्ट देखें तो मालूम होगा कि अगस्त, 1998

में क्रूड आयल का उत्पादन 27.44 लाख टन हुआ है जो सितम्बर, 1999 में गिरकर 25.84 लाख टन पर आ गया। यह उत्पादन गिरने का क्या कारण है? क्या इसकी गहराई में जाना आवश्यक नहीं है, क्या मूल्य वृद्धि इसके उत्पादन से संबंधित नहीं है? अगर अगस्त, 1998 से देखा जाये तो आपका उत्पादन 27 लाख टन से बढ़ा ही नहीं। इसका क्या कारण है? इस बारे में जानना आवश्यक है।

अध्यक्ष महोदय, ओ०एन०जी०सी० ने निर्णय लिया कि बाम्बे हाई से प्रतिवर्ष 1.5 मिलियन मीट्रिक टन से ज्यादा उत्पादन नहीं होगा क्योंकि उन्होंने री-हैबिलिटेशन का कार्य लिया है। पिछले दो साल से यह तेल उत्पादन बंद है। दूसरी तरफ आपने क्या निर्णय लिया? आपने एक्सपलोरेशन पालिसी बनाई, ठीक है। लाइसैंसिंग पालिसी बनाई जिसमें आपका निर्णय है कि 31.12.1999 तक आप विदेशी कम्पनियों को लाकर तेल खनन का कार्य देंगे। इस बात पर गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है कि कौन सा तेल क्षेत्र देंगे। बाम्बे हाई का सबसे अच्छा तेल कुंआ नीलम नये साल के तोहफे के तौर पर स्वदेशी की बात करने वाली सरकार विदेशी कम्पनी को देने जा रही है। ऐसा होने जा रहा है। अगर आपको विदेशी कम्पनी को देना ही था तो फिर उस तेल कारखाने को बंद करके 165.5 मीट्रिक टन का घाटा देश को क्यों दिया। इस बात की जांच होनी चाहिए। यह बहुत ही गंभीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय, आयल पूल एकाउंट डेफिसिट में 5000 करोड़ रुपये का घाटा है। ठीक है, इस बात को मान लेते हैं लेकिन आपने डीजल के मूल्यों में वृद्धि की जिससे 6600 करोड़ रुपये का रेवेन्यू मिलेगा। मैं माननीय पैट्रोलियम मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपने 6600 करोड़ रुपये उन उद्योगपतियों से वसूल किया होता जो देश का खाये बैठे हैं। इससे 6600 करोड़ रुपये में से 6000 करोड़ रुपया मुम्बई से इकट्ठा हो जाता और इस देश के किसान मूल्य वृद्धि से बच सकते थे।

श्री साहिब सिंह वर्मा (बाहरी दिल्ली) : मध्य प्रदेश में भी करेंगे?

श्री लक्ष्मण सिंह : करायें लेकिन सारे देश में करायें। आपने बड़े-बड़े उद्योगपतियों को नहीं पकड़ा जो देश का करोड़ों रुपया खाये बैठे हैं। यह बहुत गलत निर्णय है। अब 5000 करोड़ रुपये के घाटे को पूरा करने के लिए आपको 6600 करोड़ रुपया मिल रहा है। इस प्रकार 1600 करोड़ रुपया का अंतर पड़ रहा है, इस से आप डीजल के दाम कम कर सकते हैं। देश के किसानों पर यह अधिभार कम हो सकता है। आपने चुनाव से पहले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के डी०ए० के लिये 5 प्रतिशत की किश्त जारी की। मैं उनके खिलाफ नहीं हूं लेकिन इससे राजस्व पर 1300 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ा। यह 13 सौ करोड़ रुपये का भार सब के लिये रोक सकते थे। जो 5000 करोड़ का भार पड़ रहा है उसमें से 1300 करोड़ कम किया जा सकता था, अगर इस निर्णय को आप थोड़ा समय रोक देते। पिछली बार जब आपकी सरकार थी, आपने किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड देने की घोषणा की थी। अभी तक क्रेडिट कार्ड हमने नहीं देखे। कोई कह रहा है बन रहे हैं, जब आएगा तो देखेंगे। क्रेडिट कार्ड खाद, बीज के लिए दें, अच्छी बात है लेकिन एक क्रेडिट कार्ड और बनवा लीजिए ताकि किसान जाकर डीजल खरीद सके क्योंकि नकद डीजल खरीदने की क्षमता किसानों में नहीं रहेगी। उसके लिए भी एक क्रेडिट कार्ड बनवा दें तो पेट्रोल पंप पर जाकर वह डीजल खरीद लेगा। यह बहुत गंभीर बात है और आप इस पर ध्यान दें। इसके साथ ही दो बातें और कहकर मैं बैठ जाऊंगा। देश के जितने भी पिछड़े राज्य हैं चाहे वह मध्य प्रदेश हो, उड़ीसा हो या बिहार हो, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उदाहरणस्वरूप मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से देश का सबसे बड़ा राज्य है। हमारे जितने पावर प्लांट्स ईस्टर्न मध्य प्रदेश में हैं वहां से पश्चिम मध्य प्रदेश तक बिजली जब आती है तो टी एंड डी लॉस इतना होता है कि पश्चिम मध्य प्रदेश का किसान ज्यादातर डीजल पर निर्भर रहता है क्योंकि उसको वोल्टेज नहीं मिलती है। उसका क्या होगा अगर डीजल के दाम 4.30 रुपये बढ़ा देंगे? इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं तो दो रुपये प्रति लीटर डीजल के भाव बढ़ा दें और बाकी दाम आप कम करें ताकि देश के किसानों को राहत मिल सके और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम इस संसद के अंदर विरोध करेंगे, संसद के बाहर विरोध करेंगे और गलियों और सड़कों पर भी प्रदर्शन करने से नहीं चूकेंगे और उस समय तक करेंगे जब तक आप डीजल के दाम दो रुपये प्रति लीटर तक कम नहीं कर देंगे। धन्यवाद।

श्री रामसागर रावत (बाराबंकी) : अध्यक्ष महोदय, चुनाव खत्म होने के ठीक एक दिन बाद हमारे कृषि प्रधान देश में डीजल के मूल्य में वृद्धि हुई जिससे पूरे देश के किसानों पर बुरा प्रभाव पड़ा। जिनके खेत-खलिहान प्रभावित हुए हैं, उन्हीं की भावनाओं को सदन में रखने का काम माननीय सदस्यों ने किया है।

अध्यक्ष महोदय, अगर यह मूल्यवृद्धि धीरे-धीरे चरणों में होती तो और किसानों को कष्ट न पहुंचता, लेकिन एकाएक जो मूल्यवृद्धि हुई है, उस पर हमारे तमाम माननीय सदस्यों और नेताओं की जो भावना आई है और सबसे पहले इस पर जो डिसकशन हुआ है और सुझाव आए हैं, इस पर और विस्तृत चर्चा करके जो सदन की भावना है, उसके अनुरूप सरकार को फैसला लेना चाहिए और जो मूल्यवृद्धि की गई है, उसे कृषि प्रधान देश में कृषकों की समस्या को और जो खेती पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है उसको देखते हुए भी वापस लिया जाना चाहिए। सदन की भावना का सरकार को आदर करना चाहिए। यह जो सुझाव है, हम आदरणीय अध्यक्ष जी के माध्यम से सरकार को दे रहे हैं और खासकर मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमें इस मामले पर बोलने का मौका दिया।

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी डीजल की मूल्यवृद्धि पर इस सदन में महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है। हम सत्ता पक्ष के सहयोगी दल हैं और हम लोगों को जनता में मध्यम वर्ग के लोगों ने, किसानों और मजदूरों ने समर्थन दिया और सत्ता पक्ष में बैठने का काम किया।

हम माननीय मंत्री जी से विनतीपूर्वक निवेदन करना चाहेंगे कि आज परिस्थिति है, उसका पूरा भार मध्यम वर्ग के लोगों, किसानों और मजदूरों पर पड़ने वाला है और वह पड़ भी रहा है। इसलिए इन्हें इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और डीजल के मूल्यों में कमी करनी चाहिए। सरकार को इसे प्रतिष्ठा का सवाल नहीं बनाना चाहिए, जनता की भावनाओं का आदर करना चाहिए और जनता की

[श्री रघुनाथ झा]

भावनाओं का आदर करते हुए हम माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहेंगे कि वह इस पर पुनर्विचार करें और इधर-उधर पैसा घटा दें, बोफोर्स और दूसरी जगहों में जो पैसा पड़ा हुआ है जो बड़े-बड़े लोगों का पैसा है, उसे निकालकर इस खर्च को पूरा करें।

अध्यक्ष महोदय, हमारे बिहार में बिजली का कोई उत्पादन ही नहीं है, हमें दो सौ मेगावाट बिजली भी नहीं मिलती है। हम लोगों का सारा काम डीजल से चलता है। हम किसान तथा मजदूर सब डीजल से काम करते हैं और हम बुरी तरह से आक्रांत होने वाले हैं। इसलिए इसके दाम घटाने की कृपा करिये, यही मेरा आपसे निवेदन है।

श्री सुबोध मोहिते (रामटेक) : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं इस सदन के सभी माननीय सदस्यों को प्रणाम करता हूं। मैं यहां कुछ सीखने के लिए आया हूं। फिर भी मेरे दिल में जो बात है, जो कॉमन कम्युनिटी से जुड़ी हुई है, वह मैं बोलना चाहता हूं। डीजल का दाम बढ़ना यह अपने आपमें एक बहुत दुख की बात है। लेकिन दाम क्यों बढ़े हैं, दाम बढ़ने का कारण क्या है, यह समझना भी जरूरी है, ऐसा मैं समझता हूं। यह मराठी, इंग्लिश या हिन्दी नहीं है, यह अनालैटिकल इक्युएशन है। एक्युएशन की दो बाजियां हैं, एक तरफ जीरो होता है और दूसरी तरफ पूरी फीगर्स होती हैं। अगर इधर की फीगर्स उधर डाल दें तो इम्बैलेंस हो जाता है। उसी तरह मैं समझता हूं कि जो पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, उन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है—पहली कैटेगरी आम आदमियों के बैनेफिट के लिए सरकार ने बनाई है जिसमें कैरोसिन और डोमेस्टिक गैस, जिसे हम एल०पी०जी० कहते हैं, आते हैं; दूसरी कैटेगरी में हाई स्पीड डीजल और पैट्रोल है। अगर कॉमन आदमी के काम आने वाला केरोसिन और रोजाना यूज करने वाली गैस की नॉर्मल कास्ट को अगर राइज किया जाए तो इसका बर्डन पैट्रोल और डीजल पर पड़ता है। इसमें कोई बजटरी प्रोविजन नहीं होता कि गवर्नमैंट की तरफ से सब्सिडी दी जाए। पैट्रोल और डीजल की जो कॉस्ट होती है उसके ऊपर परसैंटेज इनक्रीज करके ही एल०पी०जी० और कैरोसिन के दाम कॉमन आदमी के लिए बैनिफीशियल कॉमन रेट पर और मॉडरेट दिये जाते हैं। डीजल के दाम क्यों बढ़ाये गये हैं, यह मेरा भी सवाल है, लेकिन इसे कैसे घटाया जाए यह मेरा दूसरा सवाल है। अगर सब लोग टीका-टिप्पणी करते जायेंगे और उसके लिए सुझाव नहीं देंगे तो डीजल के दाम कैसे घटेंगे। *(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट (दौसा) : इम्पोर्ट ड्यूटी कम कर दो।

श्री सुबोध मोहिते (रामटेक) : अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा दिलचस्प सवाल है, मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है, उसके अनुसार 1990 में तेल पूल खाता लाभ दिखा रहा था। लेकिन मजे की बात यह है कि 1990 से लेकर 1997 तक सात साल में 18,200 करोड़ रुपये का लॉस ऑयल पूल अकाउन्ट को हुआ है। जब ऑयल पूल अकाउन्ट 1990 में प्रॉफिट में था, इसका मतलब यह है कि जो वैल्यू पैट्रोल और डीजल की डिसाइड की गई थी, वह आयात मूल्य के आधार पर है। जब 1990 में यह अकाउन्ट प्रॉफिट में था तब सात साल में 18,200 करोड़ का लॉस कैसे हुआ, यह मेरा सवाल है।

अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि 1997 में जब गुजराल साहब प्रधान मंत्री थे, तो उन्होंने एक कमीशन प्लान किया था, जिसको इम्पोर्ट वैल्यू और राज्यों के अलग-अलग टैक्सों के बारे में कुछ स्टैटिक्स देने थे और उनके आधार पर पैट्रोलियम पदार्थों की वैल्यू डिसाइड की जानी थी, लेकिन सात साल में 10 हजार करोड़ रुपये से भी अधिक ऑयल पूल का घाटा हो गया। 1997 में जब रेट रिवाइज हुए उस समय 18 हजार से भी अधिक घाटा था, तो उसको कंपैनसेट क्यों नहीं किया गया, यह बात भी एक सोचने वाली बात है।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह है कि इंटर नैशनल मार्केट में तो पैट्रोलियम पदार्थों के रेट बढ़ते जाएंगे घटने का कोई चांस नहीं है। इसीलिए सब लोगों ने कहा कि भाव घटने चाहिए। इसके लिए मेरा एक सुझाव है कि इस हेतु एक स्टडी ग्रुप बनाया जाए जो समय-समय पर पैट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमतों का अध्ययन करे और उसके अनुरूप बजट में उनके लिए कितनी सबसिडी देनी है, उसके आधार पर कीमतों को निर्धारित करने हेतु सुझाव दे सके। अगर इसी तरह भाव बढ़ते चले जाएंगे, तो हम क्या डीजल की कीमत 100 रुपये प्रति लीटर कर देंगे? जाहिर है कि ऐसा नहीं करेंगे। इसलिए डीजल और पैट्रोल की कीमतों को निर्धारित करने हेतु एक स्टडी ग्रुप बनाना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ, अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। जय भारत। जय महाराष्ट्र।

श्री तिलकधारी प्रसाद सिंह (कोडरमा) : अध्यक्ष महोदय, डीजल के जो दाम बढ़े हैं उस पर सदन में चर्चा चल रही है। इसमें एक बात तो यह है कि जिस परिस्थिति में सरकार ने दाम बढ़ाए हैं और इन्हें बढ़ाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई है, यह ठीक नहीं है। यह संदेहास्पद है। चुनाव के परिणाम आने वाले थे, नयी सरकार बनने वाली थी और तीन तारीख की रात को किसान, मजदूर और मध्यम वर्ग के लोग, जो रेडियो पर समाचार सुन रहे थे और टी०वी० पर समाचार देख रहे थे और इस उत्सुकता में थे कि कोई नया समाचार आने वाला है, लेकिन उन्हें डीजल के दाम बढ़ने का नया समाचार सुनना पड़ा। मैं केवल सरकार से निवेदन करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि डीजल के दाम बढ़ने का असर किसानों पर पड़ता है, इस बात को भी सभी जानते हैं। इसलिए इनको कम किया जाए। रबी का मौसम आने वाला है और ट्रैक्टर में, पम्प में सभी जगह डीजल की जरूरत किसान को पड़ेगी। मजदूर भी डीजल के दाम बढ़ने से परेशान हैं। उन्हें मजदूरी करने के लिए बस यात्रा करनी पड़ती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि किसानों और मजदूरों पर जो भार पड़ा है, उससे उनको उबारने के लिए डीजल के दामों में कमी की जाए।

अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री श्री राम नाईक जी बहुत अच्छा जवाब देने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि जनता की भावना, लोक सभा के सभी सदस्यों की भावना है, वे चाहे बोलें चाहे न बोलें कि डीजल के दाम कम करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिन्द।

श्री राम नाईक : माननीय अध्यक्ष जी, वैसे तो डीजल एक ज्वलनशील (इनफ्लेमेबल) वस्तु है और जब डीजल का मूल्य बढ़ाया जाता है, तो वह हाइली इनफ्लेमेबल बनता है।

महोदय, डीजल की मूल्य वृद्धि की चर्चा में 25 माननीय सदस्यों ने भाग लिया और अपने विचार व्यक्त किए हैं। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। जिन माननीय सदस्यों ने इस चर्चा को सुना, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सदन में जो इतने महत्वपूर्ण और मौलिक सुझाव दिए गए हैं, उन पर हम निश्चितरूप से गंभीरता से विचार करेंगे और उसके अनुसार योग्य कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे।

अब मैं यह चाहता हूं कि जैसे मैंने आपके विचार शांति से सुने हैं वैसे ही आप भी मेरे विचार शांति से सुनेंगे इसलिए मैं आपको अग्रिम धन्यवाद देना चाहता हूं। *(व्यवधान)* चर्चा सार्थक हो और जानकारी के आधार पर हो इसलिए मैंने एक टिप्पणी माननीय सदस्यों को दी थी। मुझे ऐसा लगता है कि उसका उपयोग सामान्यत: कई सदस्यों ने किया है और इसी प्रकार जानकारी के आदान-प्रदान के आधार पर आने वाले पांच साल काम करने की इच्छा है और कोशिश भी रहेगी। इसमें आप सबका सहयोग मिले क्योंकि यह पहली ही डिबेट मूल्य वृद्धि पर है इसलिए आने वाले *(व्यवधान)* आप आखिर तक सुनेंगे तब मिलेगा।

एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं क्योंकि जब माननीय शंकर सिंह वघेला ने चर्चा को प्रारंभ किया, उस समय उन्होंने 10 जुलाई 1996 की चर्चा का उल्लेख किया। वह मेरे पास भी है और मैंने भी सोचा था कि उस समय क्या-क्या हो गया, वह जरा हम देख लें । आपने जो बात कही, वह सामान्यत: ठीक है क्योंकि आपने तथ्यों के आधार पर कही है। श्री रघुवंश प्रसाद जी भी बोले हैं। मुझे इतना ही लगता है कि कभी-कभी चर्चा में हम दोहरे मापदंड क्यों लायें। हमने किया तो खराब किया और आपने किया तो अच्छा किया, यह डबल स्टैंडर्ड वाली बात कभी-कभी होती है तो वह मन को थोड़ी पीड़ा देती है। इसलिए डबल स्टैंडर्ड, इस प्रकार के आदान-प्रदान, कुछ ठोका-ठाकी, मारा-मारी ऐसी बातें न चाहते हुए मुझे इस विषय के बारे में जो आपके सामने कहना है, वह मैं बताना चाहता हूं।

एक बात हकीकत है कि जितना क्रूड ऑयल या डीजल हमारे देश में बनना चाहिए, उतना नहीं बनता है और उसका स्वाभाविक परिणाम यह है कि देश की आवश्यकता के अनुसार 70 प्रतिशत क्रूड ऑयल हम विदेशों से आयात करते हैं और क्रूड ऑयल आना ही चाहिए। देश की आवश्यकता पूरी होनी ही चाहिए और आप में से कई मान्यवर सदस्यों ने यह भी कहा और सच भी है कि वह व्हीकल नैसेसिटी है। व्हीकल नैसेसिटी सड़क पर ट्रक चलाने की हो, गाड़ियां चलाने की हो, रेल चलाने की हो, आकाश में हवाईजहाज चलाने की हो या पानी का स्टीमर चलाने की हो, सब जगह यह डीजल मोटिव पावर है। इसलिए देश की आर्थिक औद्योगिक विकास होना है तो देश में कभी भी किसी भी समय पर डीजल की कमी नहीं होनी चाहिए और डीजल की कमी न हो जाये इसके लिए दो ही बातों का उपाय किया जा सकता है कि एक लम्बी योजना बनाई जाये जिसके आधार पर अपने देश में जो ऐवेलेबेल रिसोर्सिस हैं, उसका अधिक से अधिक उपयोग करें। मैं पहली बात आपको यह कहना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में जहां-जहां इस प्रकार की जानकारी मिली है, उसके एक्सप्लोरेशन की गति हमें बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि देश में क्रूड ऑयल और डीजल का खुद का निर्माण हो सके, ऐसी कोशिश करनी चाहिए। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक हमको विदेशों से क्रूड ऑयल इम्पोर्ट करना पड़ेगा और इस भूमिका में इस समस्या की ओर देखना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अब इम्पोर्ट करना है और इम्पोर्ट आगतिक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दामों की स्थिरता नहीं है और इस बात को लेकर पहले की सरकार ने इसके बारे में विचार किया और यह विचार बहुत गंभीरता से किया गया क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मूल्य और देश के ऑयल पूल एकाउंट में जून 1997 में जिसका उल्लेख कई सदस्यों ने किया है, 18,200 करोड़ रुपये का घाटा आया। अब 18,200 करोड़ रुपये का जो घाटा आया है, वह कोई एक साल में नहीं आया था। इसलिए एक ऐसी बात कि जब 1996 में कांग्रेस की सरकार थी, एक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ऑयल इंडस्ट्री का अभ्यास करने के लिए एक अभ्यासदल गठित किया गया था।

मैं ऐसा कह सकता हूं कि कांग्रेस ने इस प्रकार की समिति बनाने का विचार किया, समिति बनाई। फिर कांग्रेस की सत्ता गई, युनाइटेड फ्रंट की सरकार आई और यूनाइटेड फ्रंट की सरकार ने सितम्बर 1997 में इसके बारे में फैसला किया कि जो अंतर्राष्ट्रीय कीमतें हैं, देश में क्रूड ऑयल और डीजल है, उसें एक पैरिटी रखनी चाहिए। एक समान पैरिटी रखने का निर्णय उस समय युनाइटेड फ्रंट की सरकार ने लिया। बात ऐसी होगई कि उस निर्णय पर अमल करने का काम हमारे पास आ गया। उस समिति के विचार के बाद युनाइटेड फ्रंट ने निर्णय किया और अभी हमारी सरकार आई है इसलिए उस निर्णय पर हम अमल करने की कोशिश करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यह तीनों की मिली-जुली बात है कि ऐसी चर्चा में या ऐसे विषय पर एक कौन्सैन्सस बनना चाहिए और उस कौन्सैन्सस की नीति को हम आगे ले जाने की कोशिश करेंगे।

इम्पोर्ट प्राइस के संबंध में बात है कि पैरिटी लानी चाहिए और समानता रहना ही इस समय सबसे बड़ा महत्व और गंभीर मुद्दा है। इसमें कितनी राजनीति करें, हरेक का अपना-अपना ढंग होता है। लेकिन कांग्रेस के एक महत्वपूर्ण प्रवक्ता का 24 अक्तूबर के टाइम्स ऑफ इंडिया में एक स्टेटमैंट आया है। उन्होंने उसमें काफी अलग-अलग मान्यवरों के उद्धरण दिए हैं, उसमें कांग्रेस के आर्थिक विषय के जो स्पोक्समैन हैं, मैं आपको उनका उद्धरण पढ़ाना चाहता हूं।

[अनुवाद]

वे कहते हैं :

"डीजल पर सब्सिडी देने का कोई सामाजिक या आर्थिक औचित्य नहीं है। केवल मिट्टी के तेल पर सब्सिडी देने का सामाजिक औचित्य बनता है। जब डीजल के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में गिरावट आती है तो यहां भी डीजल के मूल्यों में कमी की जानी चाहिए और जब अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि होती है तो यहां भी वृद्धि की जानी चाहिए। डीजल के मूल्यों को अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों से जोड़ना आवश्यक है। सब्सिडी समाप्त करने का निर्णय 1997 में संयुक्त मोर्चा सरकार ने कांग्रेस द्वारा गठित समिति के प्रतिवेदन के आधार पर किया था।"

उसमें अंतिम वाक्य अधिक महत्व का है :

"मूल्यों में वृद्धि का विरोध करना बौद्धिक आडम्बर का चरमोत्कर्ष है"

[हिन्दी]

यह कांग्रेस का इस विषय का जानकार व्यक्ति कहता है। *(व्यवधान)*

श्री शंकर सिंह वाघेला : फरवरी 1999 से प्राइस राइज हुए, आपने तब तक क्यों इंतजार किया?

श्री राम नाईक : मैं उस बात पर आ रहा हूं। मैंने आपको सुना है, आप भी हमारी बात सुनिए।

कुछ माननीय सदस्यों के चेहरों पर थोड़ा संदेह दिखाई दिया कि ये कौन हैं। ये श्री जयराम रमेश, सैक्रेटरी, इकोनौमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट, कांग्रेस पार्टी है। ये आपके जानकार का दिया हुआ वक्तव्य है। वे चाहें तो पुनर्विचार कर सकते हैं, आप भी पुनर्विचार कर सकते हैं लेकिन आज की जो स्थिति है, उसे मैंने आपके सामने रखने की कोशिश करी। अब सवाल यह आया कि सितम्बर 1997 से अक्तूबर 1999 तक क्या-क्या हुआ, किस प्रकार हुआ इसके बारे में भी माननीय सदस्यों ने जानकारी मांगी है। मैंने नोट में दी है लेकिन यदि उसका संक्षेप में विश्लेषण करना है तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि सितम्बर 1997 से अक्तूबर 1999 तक कुल मिलाकर नौ बार कीमतों में परिवर्तन हुआ। नौ बार कीमतों में जो परिवर्तन हुआ, उसमें से छः बार कीमतें कम कर दी गईं। अभी पांच अक्टूबर की कीमतें बढ़ाने का जो निर्णय लिया, उसे मिलाकर तीन बार कीमतें बढ़ाई गईं। छः बार कीमतें कम की गईं और तीन बार बढ़ाई गई। *(व्यवधान)*

श्री बासुदेव आचार्य : कितनी कम की गई और कितनी बढ़ाई गई? *(व्यवधान)*

श्री राम नाईक : मैंने आपको स्टेटमैंट दी है। *(व्यवधान)*

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : जिस समय कीमतें कम की गई, उस समय अंतर्राष्ट्रीय प्राइस बढ़ा, यह गड़बड़ी आपने की।

श्री यशवंत सिन्हा : सब गड़बड़ी आप करके गए हैं, मंत्री थे। *(व्यवधान)*

श्री राम नाईक : आपने कहा गड़बड़ी की है, इससे गड़बड़ी नहीं होती। आपके विचारों में थोड़ी गड़बड़ हो रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन मैं यह कहना चाहता था कि जब अन्तर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमतें कम हो गईं तो उस समय पर डीजल पूल एकाउंट में से कीमतें कम की गईं और जब बढ़ी, तब बढ़ाई गईं। यह एक पैरिटी रखने का जो प्रयास किया है *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया उनके बोलने में व्यवधान न डालें। वे इससे सहमत नहीं हैं।

(व्यवधान)

श्री राम नाईक : उस बयान में मैंने यह परिचालित किया था, मैं आंकड़ों के फेर में ज्यादा नहीं पड़ता चाहता हूं क्योंकि फिर हम भावना से दूर हो जाएंगे।

[हिन्दी]

आपकी भावना का विषय है, ऐसा कहा था, इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में फरवरी, 1999 से सितम्बर, 1999 तक जो बढ़ीं, उसका क्या हुआ और बीच में कीमतें क्यों नहीं बढ़ाई गई, इस प्रकार का भी एक विषय रखा गया।

श्री प्रभुनाथ सिंह : मर्सी अपील पर विचार कीजिए।

श्री राम नाईक : वह अन्त में होगा। मर्सी तो अन्त में ही होती है। फरवरी, 1999 में क्रूड ऑयल की प्राइस 3210 थी और सितम्बर में बढ़कर 7020 हो गई, मतलब 119 प्रतिशत ज्यादा कीमतें बढ़ गई। वैसे ही डीजल की भी प्राइसेज 94 परसेंट बढ़ गई। एक बात जो मानी गई है कि हमने बीच में फरवरी के बाद कुछ किया ही नहीं, तो अप्रैल में ये प्राइसेज रिवीजन हुई हैं और नहीं हुई हैं, ऐसा नहीं है, अप्रैल में प्राइस रिवीजन हो गया। तो फिर बात आती है कि मई से सितम्बर तक हमने क्या किया। मई से सितम्बर तक हमने क्या किया, यह सोचें तो बहुत से माननीय सदस्यों को लगता है कि केवल बस चुनाव थे। अब चुनाव में उस समय कीमतें बढ़ाएंगे तो क्या होगा। फिर चुनाव हार जाएंगे, जीत जाएंगे वगैरह-वगैरह चर्चा करके आपमें से कई माननीय सदस्यों ने कहा और ऐसा मन में आना स्वाभाविक भी है। जब चुनाव हार गये तो क्यों हारे और जीतते हैं तो जीतने के बारे में सोचते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि चुनाव का आपके मन पर जो बोझ है, चुनाव जो आने विचारों पर हावी हुआ है, उसको थोड़ा बाजू में रखेंगे तो आपको ख्याल आयेगा कि मई जून जुलाई में अपना देश कारगिल पर पाकिस्तान के साथ लड़ रहा था और जब देश लड़ाई में होता है *(व्यवधान)*

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : उस समय इलैक्शन हो सकता है।

श्री राम नाईक : संविधान के कारण इलैक्शन हो सकता है और आपको जल्दी नहीं होनी चाहिए, कांग्रेस ने ऐसा कहा, नहीं तो हम तो चुनाव के लिए तैयार थे *(व्यवधान)* हम तो तुरन्त चुनाव कराना चाहते थे, आप लोगों ने कहा कि चुनाव बाद में करें *(व्यवधान)* देश जब लड़ाई करता है तो देश की लड़ाई का एक प्रमुख अंग यह होता है कि कीमतें स्थिर रखनी हैं। कीमतें स्थिर रखना, यह उस समय बहुत आवश्यक होता है। आप पहले की अपने देश की बाकी की लड़ाइयां देखेंगे तो हर लड़ाई में कीमतें बढ़ी हैं। केवल कारगिल की लड़ाई अपने देश की पहली लड़ाई है, जब कीमतें बढ़ी नहीं। व्यापारियों ने कीमतें नहीं बढ़ाई, उद्योगपतियों ने नहीं बढ़ाई और जो चोरी, जमाखोरी करने वाले हैं *(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : अब जब कारगिल की बात आई है तो आप बताइये, करना क्या चाहते हैं? कारगिल की बात तो फिर हो जायेगी। कारगिल की बहस कल हो जायेगी। अब बताइये कि इस बारे में आप क्या करना चाहते हैं? आप कुछ कहना चाहते हैं या नहीं?

श्री राम नाईक : हम तो आपको विश्लेषण देना चाहते हैं कि बीच के समय में क्या हुआ। *(व्यवधान)* आप सुनो तो सही।

श्री मुलायम सिंह यादव : हम इसके विरोध में सदन से बहिष्कार करते हैं।

अपराह्न 5.39 बजे

इस समय श्री मुलायम सिंह यादव और कुछ माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी के भाषण के सिवाय कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : अध्यक्ष जी, मैं यह कह रहा था *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : रघुवंश प्रसाद जी, मंत्री जी को जवाब देने दें। आप बैठ जाएं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री रघुवंश प्रसाद जी उन्हें अपना भाषण पूरा करने दो।

श्री राम नाईक : आप बाद में प्रश्न पूछ सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री सुरेश यह क्या है ? कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : देश में जब लड़ाई होती है तो देश की जनता का मनोबल मजबूत रखने के लिए कीमतें स्थिर रखना आवश्यक होता है। मैं सभी देशवासियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने लड़ाई के समय कीमतें को स्थिर रखने में ऑयल पूल अकाउंट का उस समय न बढ़ाया जाना भी एक महत्वपूर्ण कारण था, ऐसा मैं मानता हूं।

श्री बासुदेव आचार्य : उसके बाद क्या हुआ?

श्री राम नाईक : उसके बाद क्या हुआ, यह 6 अक्टूबर को आपको पता चला।

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट : यह सही नहीं है।

श्री राम नाईक : क्या यह प्रश्न पूछने का सही तरीका है।

[हिन्दी]

श्री बासुदेव आचार्य : अगस्त में क्या हुआ, यह हम जानना चाहते हैं?

श्री राम नाईक : मैं वही बताना चाहता हूँ। अध्यक्ष जी, युद्ध के बाद जैसा मैंने कहा विदेशों में जिस गति से तेल के दाम बढ़ रहे थे, उसमें मार्केट वोलाटाइल हो रहा था। इतनी तेज गति से इससे पहले कभी दाम नहीं बढ़े थे। इसलिए सोचा गया कि जब मार्केट वोलाटाइल हो रहा है तो उसका थोड़ा निरीक्षण करना चाहिए। निरीक्षण करने की दृष्टि से तब दाम नहीं बढ़ाए गए, यह एक बात है *(व्यवधान)* अब आपको मंजूर हो या न हो, लेकिन मैं स्थिति बता रहा हूँ।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री बासुदेव आचार्य : निरीक्षण करने में दो महीने लग गए?

श्री राम नाईक : अभी बढ़ाए तब भी आप नाराज हैं, उस वक्त बढ़ाते, तब भी आप नाराज होते। मैंने सितम्बर तक की बात बता दी है। अब आप 'ऑयल पूल अकाउंट की बात देखें। जब पहले जून 1997 में फैसला लिया गया, उस समय 18200 करोड़ रुपये का डेफिसिट था। यह किसका था, इसकी चर्चा में मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन जब वाजपेयी जी की सरकार मार्च 1998 में आई, उस समय 14156 करोड़ रुपये का डेफिसिट था। उसमें आगे के दिनों में कोशिश करते-करते 31 मार्च, 1999 का घाटा मात्र 3400 करोड़ रुपये था जिसके बाद इसमें वृद्धि हुई। इसका मतलब है कि हमने एक साल में लगभग 11000 करोड़ रुपये का डेफिसिट कम किया। मैं मानता हूं कि सदन को इसे एक उपलब्धि के रूप में देखना चाहिए। अक्टूबर में जब इस बात का विचार किया, जब डेफिसिट कीमतें बढ़ने के कारण 5200 करोड़ रुपये हो गया तो और थोड़ा रुकते तो क्या हो जाता, इतना ही हो जाता कि जिस गति से दाम बढ़ रहे हैं, अगले वर्ष मार्च के अंत तक यह घाटा 10000 करोड़ रुपये तक हो जाता। मेरा अनुमान है कि अक्तूबर से आगामी मार्च तक कीमतें बढ़ती हैं तो ऑयल पूल अकाउंट डेफिसिट 3900 करोड़ रुपये तक रहेगा। हकीकत यह है कि कीमतें बढ़ाते समय न तो हमें खुशी है और न ही हम जनता को जानबूझ कर तकलीफ देना चाहते हैं। लेकिन हमारे पास दूसरा विकल्प नहीं था इसलिए दाम बढ़ाए गए। कोई अन्य विकल्प होता जो उस पर विचार कर सकते थे।

इसलिए हमने एक कठोर कार्य मजबूरी में किया है। जिसे हम हार्ड डिसीजन कहते हैं तो मैं ऐसा मानता हूँ कि नई सरकार आने के बाद हमने यह पहला हार्ड डिसीजन लिया है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या यह सच नहीं है कि अगस्त महीने में आप मंत्रणा लाए। उस समय यह सुझाव दिया गया था कि आयल-पूल का घाटा मिटाने के लिए डीजल की प्राइस बढ़ा दी जाएं, लेकिन चुनाव को मद्देनजर रखते हुए

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री दासमुंशी उन्होंने अभी अपना उत्तर समाप्त नहीं किया है।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : यह सवाल ठीक है। मुझे उत्तर इतना ही देना है कि उस समय मैं मंत्रिमंडल में नहीं था, इसलिए मुझे मालूम नहीं है। जानकारी लेकर मैं बता दूंगा।

श्री बासुदेव आचार्य : जानकारी नहीं है, तो यशवंत जी से पूछ लीजिए।

श्री राम नाईक : अभी जो हड़ताल चल रही है, मैं सदन को उसके संदर्भ में जानकारी देना चाहता हूं।

श्री राजेश पायलट : सदन में सारे सदस्यों ने आपसे अपील की है, सारी पार्टियों ने अपील की है, उसके बारे में बतलाइए। हड़ताल के बारे में बाद में बताइए।

श्री राम नाईक : हड़ताल के कारण लोगों को परेशानी हो रही है। *(व्यवधान)* आल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने हड़ताल का आह्वान किया है। *(व्यवधान)* कांग्रेस संगठन का नाम है। हो सकता है, इनमें से किसी का संबंध हो, लेकिन मैं राजनीति में नहीं जाना चाहता। उन्होंने कहा, 21 अक्तूबर को हड़ताल पर जायेंगे, तो हमारी सैक्रटेरी लैवल पर चर्चा हुई। हमारे परिवहन मंत्री, श्री नीतिश कुमार जी और मैं, हम दोनों ने ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के पदाधिकारियों से दो-ढाई घन्टे चर्चा की। उनसे हमने कहा कि ये सारे तथ्य हैं और इन तथ्यों के आधार पर हम चर्चा कर सकते हैं। हम जानते हैं कि सैल्स टैक्स, आक्ट्राय ड्यूटी, सैस आदि में कई प्रकार की कठिनाइयां ट्रांसपोर्टर्स को हो रही हैं। इन समस्याओं के बारे में हम स्वतन्त्र रूप से चर्चा करके उसमें से रास्ता निकालेंगे। ऐसा हमने उनको कहा। उस समय उनका एक पाइंट प्रोग्राम था–रोल बैक। हमने कहा – ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने हड़ताल शुरू की। उसके बाद फिर भी सचिव स्तर पर विचार-विनिमय और चर्चा कर रहे हैं। आज भी इस सदन से मैं आह्वान करना चाहता हूं कि यह ऐसी समस्या है, जिसे हम चर्चा के माध्यम से सुलझा सकते हैं। एक अच्छा वातावरण निर्माण हो और अपनी हड़ताल वापिस लेते हैं, तो अच्छा रहेगा।

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : मूल्य वृद्धि आप अभी वापिस लीजिए।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : आप पहले मूल्यों में कमी करें।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : आप इनका इतना क्यों समर्थन कर रहे हैं।

मैं यह कह रहा हूं कि इस समय उनमें दो विचार चल रहे हैं। मोटे तौर पर खबर है कि छोटे-ट्रक वाले, टैम्पोज वाले, बड़ी हड़ताल में शामिल नहीं हैं। लेकिन इस प्रकार से हम अलग-अलग विभाजन करना उचित नहीं समझते हैं। इसलिए आह्वान कर रहे हैं कि वे अपनी हड़ताल वापस लें। नैगोसिएशन टेबल पर हमने उनको पहले भी बुलाया है। चर्चा के लिए हम तैयार हैं।

एक खास बात जानकारी के तौर पर मैं सदन को देना चाहता हूं। पिछली छः दफा जब डीजल की प्राइस कम की गई, तो उस समय, जो बड़े ट्रांसपोर्ट्स हैं, किसी ने भी रेट कम करके उसका बेनिफिट लोगों को पास-आन नहीं किया। जब एक्साइज ड्यूटी कम होती है, तो उद्योगपति भी एक्साइज कम करके उसका लाभ लोगों को पास-आन नहीं करते हैं। इस पर यशवंत जी कहते हैं कि ऐसे लोगों पर हम डंडा चलायेंगे। छः दफा प्राइस कम होने के बाद भी उसका फायदा लोगों को पास-आन नहीं किया गया। हमने उनको सुझाव दिया है कि जो बड़े कांट्रैक्टर्स हैं, लांग-टर्म कांट्रैक्ट्स रखते हैं, उसमें एसकेलेशन क्लाज होती है और एसकेलेशन क्लाज के आधार पर जहां कान्ट्रैक्टस हैं, वहां हम कर सकते हैं। हमने राज्य सरकारों को और सारे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को निर्देश दिया है कि यदि कान्ट्रैक्स में एस्केलेशन क्लाज नहीं होगा, तब भी आपने जो बढ़ोतरी हुई है, उसके आधार पर

श्री राजेश पायलट : मंत्री जी, आखिरी पेज पढ़िए, क्या लिखा है?

श्री राम नाईक : आखिरी पेज में यह लिखा हुआ है – डीजल मूल्य वृद्धि का बोझ आम आदमी पर जाएगा। यह हम नहीं करते तो फिर विदेशों से जितना चाहें उतना क्रूड हम ला नहीं सकते हैं और अगर उतना क्रूड नहीं लाएंगे तो फिर उद्योग पर असर होगा। इस बात को लेकर जो मैंने शुरू में कहा कि देश के अंदर उत्पादन वृद्धि पर योजना बनानी पड़ेगी। वह करते-करते आखिर के पेज पर मैंने लिखा है, अगले सप्ताह दीपावली का त्यौहार है। किसानों को भी खाद की बहुत जरूरत है? उनकी समस्या बहुत महत्वपूर्ण है। जहां बिजली नहीं है वहां भी डीजल की आवश्यकता होती है और सारी असेंशियल सर्विसेस चलनी चाहिए, इस भूमिका में आम आदमी को तकलीफ न हो, इस प्रकार से बात होनी चाहिए। इस सारी बात को लेकर आपने सुझाव दिए हैं उन सारे सुझावों पर गंभीरता से विचार करेंगे। *(व्यवधान)*

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : डीजल मूल्यों में की गई वृद्धि को वापस न लिए जाने के विरोध में मैं अपने दल के सदस्यों सहित सदन से बहिर्गमन करता हूं।

अपराह्न 5.51 बजे

इस समय डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, हम विरोधस्वरूप सभा भवन से बाहर जा रहे हैं।

अपराह्न 5.51½ बजे

इस समय श्री बसुदेव आचार्य और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

[हिन्दी]

श्री राजेश पायलट : एक तरफ कह रहे हैं कि गंभीरता से विचार करेंगे, दूसरी तरफ प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री जी का बयान है कि वापस नहीं हो सकता। आज सरकार की क्या मंशा है, आप देश को साफ बताइए। *(व्यवधान)* हमारी मांग है मंत्री जी आश्वासन दें कि हम इस बोझ को कम करेंगे, इससे पहले हम नहीं मानेंगे। *(व्यवधान)*

श्री राम नाईक : मान्यवर, आप भी मंत्री रह चुके हैं, ऐसे महत्वपूर्ण विषयों के बारे में मंत्री परिषद् में विचार करना पड़ता है, सारे सुझाव गंभीरता से उनके पास रखेंगे और उन पर विचार करेंगे। *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : आप घटाने की व्यवस्था कीजिए। *(व्यवधान)* आप आश्वासन दें कि घटाएंगे। *(व्यवधान)*

श्री राम नाईक : मैं विचार करने का आश्वासन दे रहा हूं। *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : सदन की सभी सदस्यों ने यह मांग की है कि आप इसे घटाएं। *(व्यवधान)* सदन की भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए घटाने का थोड़ा आश्वासन दीजिए। आप कितना घटाएंगे इस पर विचार कीजिए। *(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट : पेट्रोलियम मंत्री जी से पहले वित्त मंत्री जी पूरी तरह गर्दन हिला रहे हैं। *(व्यवधान)* महोदय, हमने बहुत सच्चाई से, साधारण ढंग से और राजनीति से ऊपर उठ कर बात की है तथा इनसे प्रार्थना की कि आप देश की भावना की कद्र करें और प्रजातंत्र के कायदे से सरकार को चलाएं लेकिन इन्होंने हमारी भावना को ठेस पहुंचाई है, किसानों के बोझ को कम करने के लिए यह सरासर मना कर रहे हैं कि हम कम नहीं करेंगे, विचार करेंगे। यह आम आदमी और किसान के साथ धोखा है। 60 प्रतिशत बजट किसान के लिए जाएगा। *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : राम नाईक जी, आप इस बारे में सोचिए। *(व्यवधान)* आप कृपा करके यह कहिए कि हम इसे घटाएंगे। *(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट : आप यह आश्वासन दीजिए कि हम जरूर घटाएंगे, हम इस बात को मानने के लिए तैयार हैं। *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : आप हाउस को थोड़ी तो इज्जत दीजिए। *(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट : आप यह आश्वसन दें कि हम कम करेंगे।

[अनुवाद]

श्री राम नाईक : मैं पूरी तत्परता और सत्यनिष्ठा से यहां मौके पर जो आश्वासन दे सकता था मैंने दिया कि इन मुद्दों को गंभीरता से लिया जाएगा और मैं मुद्दों को गंभीरता से मंत्रिमंडल में लूंगा। मैं यही आश्वासन दे सकता हूँ। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजेश पायलट : आप आश्वासन नहीं दे रहे हैं इसलिए हम सदन में भी और सदन के बाहर भी इसका विरोध करेंगे। इसके साथ हम भी सदन से वॉक-आउट करते हैं।

अपराह्न 5.56 बजे

इस समय श्री राजेश पायलट और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

अपराह्न 5.56½ बजे

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक*

[अनुवाद]

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुपति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री राम जेठमलानी : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश के बारे में विवरण

[अनुवाद]

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : महोदय, मैं लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश, 1999 द्वारा तुरंत विधान बनाए जाने के कारण बताने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभापटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०-11/99]

अध्यक्ष महोदय : सभी 27 अक्तूबर, 1999 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 5.57 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 27 अक्तूबर, 1999/ 5 कार्तिक, 1921(शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-2, दिनांक 26.10.99 में प्रकाशित।

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)
मंगलवार, 26 अक्तूबर, 1999/4 कार्तिक, 1921 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

...

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
3	2	आकस्मिता निधि	आकस्मिकता निधि
22	नीचे से 4	श्री छूटा सिंह	सरदार छूटा सिंह
101	29	श्री मदन प्रसाद जायसवाल	डा॰ मदन प्रसाद जायसवाल
154	नीचे से 6	सभी	सभा

© 1999 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित
और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।